(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

अंक 6] सप्तम विधान सभा के छठे सत्र का 31 वां दिवस [संख्या 23

शनिवार

दिनांक 19 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री पूनमचन्द विश्नोई अध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था ।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री बालचन्द्र आर्यवीर व श्री अनंग कुमार जैन : दिनांक 29 दिसम्बर को झालावाड़ जिले में तहसील पिड़ावा कैम्प बांसखेड़ी में तहसीलदार द्वारा, "प्रशासन गावों की ओर" कार्यक्रम के अन्तर्गत जमीन पर कब्जा दिलाने के लिये एक प्रकरण में 400 रुपये की रिश्वत लेने के विषय में,

(2) श्री हरीश शर्मा : कोटा जिले की लाड़पुरा तहसील की कुछ ग्राम पंचायतों में, जिनमें सघन वन का क्षेत्र है, अवैध शराब के निर्माण के विषय में,

(3) श्री छीतरलाल आर्य : पंचायत समिति अटरू के कवाई राजकीय छात्रावास, जिसको समाज कल्याण विभाग द्वारा स्थानान्तरित किया गया है, भवन जीर्ण-शीर्ण होने के विषय में,

(4) श्रीमती विद्या पाठक : वर्ष 1981 में आई बाढ़ की सहायता के लिये चाकसू के ग्राम कल्याणपुरा में दी गई सहायता में अनियमिततायें होने के विषय में,

(5) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, श्री भंवरलाल शर्मा : दिनांक 18 मार्च को डीडवाना नगर में एक महिला की रहस्यमय मृत्यु को लेकर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाने की घटना के विषय में,

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि डीडवाना में गोली काण्ड के विषय में गृह राज्य मंत्री सदन में आज एक वक्तव्य देंगे।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा ।

(6) श्री बंशीलाल पटवा : भीलवाड़ा नगर व जिले के ग्रामीण इलाकों में केरोसिन तेल बढ़ी हुई दर से मिलने के विषय में ।

इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने कल ही एक नई नीति की घोषणा कर दी है ।

Page No 2

(2)

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्री कुंजीलाल : जिला सवाई माधोपुर में कस्बा बामनवास में पेयजल की कमी।

माननीय सदस्य आज पेयजल की मांगों पर चर्चा कर सकते हैं।

(8) श्री समर्थलाल : राजगढ़ हायर सैकन्डरी स्कूल की इमारत जीर्ण-शीर्ण हालत में होने के विषय में।

इस विषय में पूर्व सत्रों में चर्चा की जा चुकी है,

(9) श्री हीरालाल आर्य : पीपल्दा क्षेत्र के सूकनी नामक स्थान पर नहरों तथा ड्रेनेज का पानी भर जाने से सैंकड़ों बीघा जमीन खराब होने के विषय में।

इस प्रस्ताव को आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को भेजा जा रहा है।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों पर स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री हंसराज शर्मा व श्री चुन्नी लाल जेलिया : जिला सवाई माधोपुर में बांध सूरवाल व देवपुरा के डूब में आई हुई जमीन का मुआवजा काश्तकारों को न देने के विषय में। इस विषय में सरकार द्वारा सदन में एक वक्तव्य दिया जायेगा, जिसकी तिथि बाद में तय की जायेगी।

(2) श्री हीरालाल आर्य : कोटा जिले की पंचायत समिति इटावा में गन्ने के उत्पादन हेतु दिये गये ऋण व अनुदानों में घोटाले। सरकार ने सूचित किया है कि इस मामले में एक रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई गई थी, जिस पर अदम सबूत में एफ. आर. दे दी गई है और विभागीय जांच के आदेश दिये गये हैं तथा वसूली स्थगित करने के लिये जिलाधीश, कोटा को आदेश दिये जा चुके हैं।

(3) श्री मेघराज तावड़ : पंचायत समिति अलसीसर, जिला झुंझुनू में आर. ए. एस. के कुछ पदों के रिक्त रहने व कुछ अध्यापकों को वेतन न मिलने के विषय में। सरकार ने सूचित किया है कि ऐसा एक मामला ध्यान में आया था, जिसमें सबंधित अध्यापक को बीमारी की अवधि का अवकाश नियमानुसार देने के आदेश दिये जा चुके हैं, किन्तु वह अध्यापक वेतन प्राप्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ, और पंचायत समिति द्वारा स्थानान्तरण स्थायी समिति के निर्णयानुसार किया गया है।

(4) श्री दाऊदयाल जोशी : झुंझुनूं जिले की तहसील खेतड़ी में खनन् का ठेका हरियाणा की एक पार्टी को देने पर उसके द्वारा ब्लास्टिंग की कार्यवाही से आतंक। सरकार ने सूचित किया है इस मामले में वहां के निवासियों द्वारा न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिस पर स्थगन आदेश जारी किया जा चुका है।

(5) श्री महावीर प्रसाद जैन : टौंक जिले के मोती बांध से सिचाई हेतु पानी रोक दिये जाने के विषय में। सरकार ने सूचित किया है कि उक्त बांध से जल वितरण का कार्य निर्धारित तिथियों को किया गया है और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी या अनियमितता नहीं हुई।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री हरीश शर्मा : (1) कोटा जिले की पंचायत समिति अन्ता की काचरी लिफ्ट सिंचाई योजना का क्रियान्वयन न होने के विषय में, (2) राजस्थान विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम समय पर घोषित न होने के विषय में,

इन स्थगन प्रस्तावों पर प्राप्त सूचनाओं का अध्ययन किया जा रहा है और निर्णय बाद में लिया जायेगा।

अब जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार हो गये हैं वह दो-दो मिनट में अपनी बात को कहने का कष्ट करें। श्री बंशी लाल पटवा भीलवाड़ा नगर व जिले के ग्रामीण इलाकों में केरोसिन के बारे में। इस सम्बन्ध में नयी नीति आ चुकी है इसलिए इसके कोई मायने नहीं रहते।

श्री कुंजीलाल। जिला सवाई माधोपुर में कस्बा बामनवास में पेयजल की कमी के बारे में। माननीय सदस्य, यह मामला सदन के समक्ष आयेगा उस वक्त मैं आपको अवसर दे दूंगा। उस समय आप बात अपनी विस्तार से कह सकेंगे।

श्री समर्थ लाल। राजगढ़ हायर सैकन्डरी स्कूल की इमारत के बारे में।

(अनुपस्थित)

नम्बर 9 :-श्री हीरालाल आर्य। पीपल्दा क्षेत्र के सूकनी नामक स्थान पर नहरों तथा ड्रेनेज का पानी भरने के बारे में।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, पीपल्दा तहसील में सूकनी नामक जो स्थान है वह उस इलाके का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है। जिस वक्त नहरें नहीं थीं उस इलाके की सबसे अच्छी गेहूं की फसल इस सूकनी नामक स्थान पर होती थी। सूकनी साइफन से पश्चिम की ओर अनोदिया ग्राम तक सैंकड़ों बीघा जमीन है। अध्यक्ष महोदय, जब नहरें चलीं तो नहरों के चलने से जो नहरों के सीपेज का पानी और ड्रेनेज का पानी आकर इस स्थान पर भर गया क्योंकि यह स्थान थोड़ा नीचा है और नीचा होने की वजह से पानी सारा आकर नहरों से और ड्रेनेज से .....

श्री अध्यक्ष : लेकिन यह पिछले सत्रों में आ चुका है मेरे ख्याल से।

श्री हीरालाल आर्य : लेकिन इस पर कोई व्यवस्था नहीं हुई, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : खैर। आप फर्मा दें।

श्री हीरालाल आर्य : सैंकड़ों किसान इस बात से बड़े परेशान हैं। ड्रेनेज विभाग उस इलाके में काम कर रहा है। सीपेज का पानी जहां भरता है ड्रेनेज विभाग ड्रेन खोदकर सीपेज के पानी को निकालता है। यह विभाग हरी-भरी फसल को नष्ट करके दूसरी जगह ड्रेन खोद रहा है। इस स्थान पर सैंकड़ों बीघा जमीन में पानी भरा हुआ है और सैंकड़ों किसान बरबाद हो रहे हैं। लेकिन इस स्थान का पानी ड्रेनेज विभाग नहीं निकाल रहा है। इससे किसानों का जीवन बड़ा मुश्किल से चल पा रहा है और किसान बड़े कष्ट में हैं। उनकी सारी जमीन नष्ट हो गयी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि इस स्थान पर जो पानी भर गया है शीघ्र ड्रेन खोदकर निकाला जाये। यहां पानी

(श्री हीरालाल आर्य)

भरने से आसपास जो आठ दस गांव पड़ते हैं रतोदिया, डोली, गोनदीर आदि उनमें रास्ता भी अवरुद्ध हो गया है। गांव वाले इटावा, जो प्रमुख स्थान है, आ नहीं पाते हैं। वह सारा सामान सिर पर लाते हैं क्योंकि उनकी बैलगाड़ी तक नहीं आ सकती। इसलिए प्राथमिकता के आधार पर इस स्थान पर विभाग को ड्रेन बना कर इस पानी को निकालना चाहिए ताकि किसानों को राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष : एक अन्य प्रस्ताव और है गन्ने के बारे में। उस संबंध में भी कह दीजिए।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय पंचायत समिति, इटावा में 'गन्ना उपजाओ' अभियान चलाया गया था उस अभियान के माध्यम से किसानों को ऋण के रूप में गन्ना और अनुदान उपलब्ध कराया गया था लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जो ऋण और अनुदान उपलब्ध कराया गया उसमें बहुत बड़ा घपला हुआ। किसानों को न गन्ना दिया गया न अनुदान के रूप में किसी तरह का पैसा दिया गया। किसानों के नाम पर फर्जी अंगूठे लगा करके ऋण अनुदान लेकर उस पैसे का गबन किया गया जिसकी लोगों ने शिकायतें कीं। शिकायतों के बाद उसकी जांच हुई और प्राथमिक जांच में जो पंचायत समिति के अधिकारी थे वे दोषी पाये गये। प्राथमिक जांच के आधार पर दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों की विभागीय जांच हुई उसमें भी वे लोग दोषी पाये गये। विभागीय जांच में दोषी पाये जाने पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के द्वारा जांच हुई। अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने 18 दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस में जब रिपोर्ट दर्ज हुई तो पुलिस वाले किसानों के पास गये और किसानों से पूछ-ताछ की। वहां का जो एस.एच.ओ. था वह इस बात से बड़ा सैटिस्फाइड था कि किसानों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है लेकिन किस दवाव से, कह नहीं सकता, केस दबाया गया क्योंकि उसमें बड़े-बड़े अधिकारी फंसते हैं। किसी दबाव से यह कह कर कि सबूत मिले नहीं केस दबाया गया। सब किसानों ने सबूत दिये थे एस.एच.ओ. के सामने लेकिन वह सबूत पता नहीं कहां गायब कर दिये गये हैं। यह कह कर कि कोई सबूत नहीं मिला इस प्रकरण को वहीं समाप्त कर दिया गया। पिछली बार मैंने इस प्रकरण को उठाया था। इस पर आश्वासन दिया कि फिर जांच के आदेश देकर जिलाधीश से जांच करा लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है यह कहते हुए कि सैकड़ों किसान अपने इलाके में इस बात से दुखी हैं। किसान हजारों रुपयों के ऋणी हो गये हैं, ऋण पर, ब्याज लगा उससे लाखों रुपयों के ऋणी हो गये हैं। उसकी वसूली करने के लिए बार-बार अधिकारी जा रहे हैं। यह अच्छी व्यवस्था फर्मायी कि ऋण वसूल नहीं किया जा रहा है लेकिन बार-बार जांच करने के प्रकरण को दबाया जा रहा है। तीन बार पहले भी जांच हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगा जब सारी जांच हो चुकी है तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाये और उनको सरकार दण्डित कराये। उनको बचाना क्यों चाहती है? मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि यह बहुत बड़ा··

Page No 5

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव से हलचल तो हुई है। कुछ ठीक ही होगा, मेरे ख्याल से।

श्री हीरालाल आर्य : सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। सरकार तो दबाना चाहती है। तीन बार जांच हो गई।

श्री अध्यक्ष : अब कार्यवाही की है। विभाग कार्यवाही कर रहा है। वसूलियां रोक दी हैं।

श्री हीरालाल आर्य : इस प्रकरण में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करें। जिन किसानों को अनावश्यक रूप से फंसाया जा रहा है उनको राहत दिलाई जाये। उनका जो ऋण था उसकी वसूली तो बन्द कर दी है लेकिन ऋण जो उन लोगों ने लिया नहीं, उसको माफ करने की कार्यवाही कराइये।

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज ताम्वड़।

(व्यवधान)

यह पहले आपका आ चुका है। आपके राजगढ़ स्कूल वाले पर वक्तव्य दिलाया गया था और विस्तृत चर्चा हुई थी। आप स्वयं अनुभवी सदस्य हैं, जानते हैं, एक विषय एक बार जब सदन में आ जाता है...

श्री समर्थलाल (राजगढ़) : यह दूसरा है साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : यह राजगढ़ स्कूल को ट्रांसफर करने का है।

श्री अध्यक्ष : वह का वह है। बिल्डिंग जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है।

श्री समर्थलाल : पहले तो इमारत को ठीक कराने की बात थी।

श्री अध्यक्ष : यह साल डेढ़ साल पहले आया था। खैर, आप कह दीजिये अपनी बात।

उस वक्त यह फर्माया था, अभी बिल्डिंग गिर जायेगी। दो साल तो चल गई उसके बाद।

श्री समर्थलाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप भी फर्मा रहे हैं इस सवाल को पहले भी उठाया था लेकिन अब यह सवाल उठाया है, यह दूसरी प्रकार का है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि राजगढ़ हायर सैकण्डरी स्कूल की जो बिल्डिंग है वह करीब दो सौ वर्ष पुरानी है। उसके अन्दर करीब 2,000 छात्र पढ़ते हैं और करीब 80 अध्यापक पढ़ाते हैं। उस इमारत की जो नींव है उससे होकर बारिश का पानी पिछले दो तीन सालों से निकल रहा है लेकिन उसको ठीक कराने की व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं हो पा रही है। सरकार की तरफ से उसमें एक प्रकार की तकनीकी दिक्कत यह आई है कि सरकारी जो बिल्डिंग है उसका ऊपर का जो हिस्सा है वह हिस्सा तो स्कूल का है और उसके नीचे वाला जो हिस्सा है वह देवस्थान विभाग का है। इस अड़चन की वजह से नीचे वाले हिस्से की मरम्मत नहीं हो पाई है। मेरा जो स्थगन प्रस्ताव है उसके अन्दर यह है कि इस स्कूल को दूसरी जगह स्थानान्तरित कर दिया जाये। महलबाग एक स्थान है राजगढ़ के अन्दर जहां पुरानी इमारत बनी हुई है वहां के लोगों ने जन सहयोग से करीब दो लाख रुपया इकट्ठा कर रखा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार से कहना चाहता

(श्री समर्थलाल)
हूं, सरकार से धन की मांग तो कर नहीं रहे हैं, जन सहयोग से वहां स्कूल बनाना चाहते हैं। इस प्रकार की स्कूल की इमारत की परेशानी है। छात्रों और अध्यापकों को यह डर लगा रहता है कि पता नहीं कब यह इमारत गिर जाय। इस डर की वजह से राज्य सरकार को मेरा यह कहना है कि राज्य सरकार का धन तो व्यय तो होगा नहीं केवल स्कूल की इमारत बनाने के लिये जगह की बात है, वह जगह भी सरकारी हम मांग रहे हैं। वह एक ऐसी जगह है जहां स्कूल का फील्ड भी मौजूद है, उसके अटेन्ड स्कूल का फील्ड है। वह जगह देने के लिये मैंने राज्य सरकार से पहले भी निवेदन किया था, अध्यक्ष महोदय, किन्तु बड़ी शर्म की बात है कि बार-बार कहने के बाद भी इसको अहमियत नहीं दी है। इससे पूर्व भी मैंने कोशिश की कि इस स्कूल को वहां स्थानान्तरित किया जाये लेकिन पता नहीं क्यों इसके बाद भी राज्य सरकार कोताही कर रही है। इन्हीं शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगा कि इस इमारत की जगह दूसरी इमारत जनता बनाने को तैयार है तो राज्य सरकार को स्कूल के लिये भूमि दे देनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊ दयाल जोशी।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरा कैरोसिन वाला स्थगन प्रस्ताव था, नीति संबंधी है किंतु कैरोसिन की वहां दिक्कत है। मैं एक मिनट में अपनी भावना व्यक्त कर देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कैरोसिन के सम्बन्ध में यह नीति संबंधी प्रश्न है। जब से गवर्नमेंट ने 3 रुपये 27 पैसे लीटर और 1 रुपये 85 पैसे लीटर किया है तब से भीलवाड़ा में कैरोसिन नहीं मिल रहा है।

एक माननीय सदस्य : यह तो खतम हो गया।

श्री बंशीलाल पटवा : मुझे मालूम है इस बीच में जो कुछ हुआ वही अर्ज कर रहा हूं। वह तो नीति बदल गई लेकिन राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी है कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही होनी चाहिये, उसकी पूर्ति नहीं होती है। भीलवाड़ा नगर और भीलवाड़ा जिले के अन्दर ग्रामीण इलाके में स्थिति यह हुई कि 3 रुपये 27 पैसे वाला तेल मिल जाता है वह भी केवल अरबन एरिया में, रूरल एरिया में नहीं और बाकी जो सस्ती दर का तेल है वह भी ग्रामीण इलाकों में नहीं मिला, सप्लाई में निरन्तर अव्यवस्था होती रही है। कहते हैं पहले महंगे वाला तेल ले आओ उसके बाद हम यह सस्ता तेल देंगे। यह स्थिति वहां हुई कि वहां के सप्लाई विभाग के एन्फोर्समेंट आफिसर और दीगर आदमी दुकानदारों से मिले हुए थे। स्थिति यह हुई कि गरीबों को तेल नहीं मिला। उन्हें अन्धेरे में रहना पड़ा और दयनीय स्थितियों से गुजरना पड़ा। आज हमने पत्रों में पढ़ा कि नीति चेन्ज की है। नीति तो चेंज कर दी है लेकिन मेरा निवेदन यह है कि इस बीच में, एक महीने की अवधि में जो इर्रेगुलेरिटीज हुई उसका पारिणाम यह हुआ कि लोगों को तेल नहीं मिला। ग्रामीण इलाके में 5 रुपये और 6 रुपये में किसानों को तेल की बोतल लेनी पड़ी। वहां ऐसी दयनीय स्थिति थी। इसलिये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि बीच के एक महीने में जो

इर्रेगुलेरिटीज हुई; करप्ट प्रैक्टिस हुई उसकी जांच सरकार की ओर से की जाये और जो दोषी हैं उनको सजा दी जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन। मोती बांध के बारे में।

(अनुपस्थित)

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, माननीय श्री . .

(विराम)

अनुपस्थिति–अनुमति

सर्व श्री माला राम एवं सूर्य कुमार को 15 मार्च, 1983 से सत्रावसान तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

अनुपस्थिति के लिये अनुमति।

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व में माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री माला राम और श्री सूर्य कुमार, सदस्य, विधान सभा ने अस्वस्थ होने कारण से 15 मार्च, 1983 से सत्रावसान तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से दिनांक 15-3-83 से सत्रावसान तक अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

शासकीय वक्तव्य

कोटा जिला व राज्य के अन्य भागों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों में अव्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी द्वारा वक्तव्य।

समाज कल्याण मंत्री जिला कोटा व राज्य के अन्य भागों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के चल रहे छात्रावासों की व्यवस्था ठीक न होने के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था श्री हीरा लाल आर्य ने, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है श्री सुन्दर लाल का। पहले मंत्री जी वक्तव्य देंगे। उसके बाद में ये दोनों माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करेंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : पाइन्ट आफ आर्डर !

अध्यक्ष महोदय, डीडवाना के बारे में व्यवस्था थी, उसका समय तय हो जाय तीन-चार बजे तक तो ठीक रहेगा।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, आज भारत सरकार के विदेश राज्य मंत्री रहीम साहब आ रहे हैं पांच बजे की ट्रेन से। मुझे उनको रिसीव करने जाना पड़ेगा। आप इसको 7 बजे से रख लें तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष : 7 बजे से पहले ही मांगों का पारण हो गया तो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 6-00 बजे रख लें। आखिरी दिन है बाहर जाने का कार्यक्रम रहता है। पांच बजे रख दें।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मुझे उनको रिसीव करने जाना है 5-00 बजे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आज शनिवार का दिन है। जल्दी रख लें।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : 2-00 बजे।

Page No 8

(8)

श्री ललित किशर चतुर्वेदी : ठीक है।

श्री छोगा राम बकोलिया (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री हीरा लाल आर्य द्वारा सदन की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम संख्या 50 के अन्तर्गत जिला कोटा में इटावा स्थित अनुसूचित जाति एवं जन जाति के छात्रों के लिए चलाये जा रहे छात्रावास को पंचायत समिति को देने के बाद छात्रावास की व्यवस्था ठीक नहीं होने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समितियों के पुनर्गठन हो जाने पर उन्हें अधिक सक्रिय एवं सक्षम बनाने की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में चलायी जा रही प्रवृतियों में से ऐसी प्रवृतियां, जिनका स्थानीय रूप से अच्छी तरह क्रियान्वयन हो सके, पंचायत समितियों को स्थानान्तरित करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के लिये चलाये जा रहे छात्रावासों को भी इस निर्णय के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने हेतु सम्मिलित किया गया।

तदनुसार समाज कल्याण विभाग ने इन जातियों के छात्रों हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले 72 राजकीय एवं 48 स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे छात्रावासों को सम्बन्धित पंचायत समितियों को स्थानान्तरित करने के आदेश दिनांक 4-5-82 को निकाले जिसके द्वारा राज्य के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित छात्रावासों को सम्बन्धित पंचायत समिति को स्थानान्तरित कर दिया गया। इसका जिलेवार विवरण इस प्रकार है :-

जिले का नाम	राजकीय	अनुदानित	योग
अजमेर	2	2	4
चित्तौड़गढ़	3	2	5
बांसवाड़ा	7	13	20
बाड़मेर	6	–	6
बीकानेर	4	–	4
भीलवाड़ा	3	–	3
भरतपुर	1	–	1
जयपुर	3	2	5
जोधपुर	3	2	5
झुंझुनू	–	4	4
कोटा	5	3	8
बूंदी	2	–	2
सीकर	–	1	1
अलवर	3	–	3
पाली	3	1	4
नागौर	1	1	2
सिरोही	1	–	1
जैसलमेर	3	–	3
डूंगरपुर	6	7	13
श्री गंगानगर	1	–	1
चूरू	–	–	–
सवाई माधोपुर	3	–	3
जालौर	–	–	–
झालावाड़	2	–	2
टोंक	–	–	–
उदयपुर	10	10	20
कुल योग	72	48	120

चूंकि यह निर्णय इसी वर्ष लिया गया और बजट शीर्षक में भी आवश्यक

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

परिवर्तन कराना जरूरी था अतः इस कार्य हेतु पंचायत समिति को दी जाने वाली राशि के स्थानान्तरण की प्रक्रिया में कुछ समय लगा।

इटावा स्थित छात्रावास भी इन्हीं स्थानान्तरित छात्रावासों में से एक है। यद्यपि पंचायत समिति को विभाग द्वारा आवंटित राशि प्राप्त होने में कुछ विलम्ब हुआ किन्तु विकास अधिकारी, पंचायत समिति, इटावा ने पंचायत समिति कोष से भोजन सामग्री आदि के लिए दिनांक 3-8-82 को 4,475) रु. का भुगतान छात्रावास की मैस समिति को कर दिया था और उसके पश्चात् 9,830) रु. की राशि का भुगतान दिनांक 9-9-82 को तथा 1-6000) रु. का भुगतान दिनांक 24-2-83 को कर दिया था तथा पुस्तकें, स्टेशनरी आदि के लिए 12-9-82 को 2380) रु. का भुगतान कर दिया था। छात्रावास के सहायक अधीक्षक ने अपने स्तर पर भोजन सामग्री का प्रबन्ध बराबर बनाये रखा है और किसी भी दिन छात्रों का भोजन बन्द नहीं हुआ। इस प्रकार छात्रावास के सहायक अधीक्षक ने कभी भी भोजन व्यवस्था में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आने दिया। छात्रावास का विद्युत् कनेक्शन पंचायत समिति को छात्रावास के स्थानान्तरण के पूर्व ही विद्युत् मण्डल ने विच्छेद कर दिया था जिसका कारण कोई पुरानी बकाया बताई गई थी। अब कनेक्शन वापस लगा दिया गया है। जितने दिन विद्युत् प्रकाश की व्यवस्था नहीं रही उतने दिन छात्रों को पढ़ने हेतु लालटेन उपलब्ध करा दी गई थी कठिन विषयों को पढ़ाने के लिये अंशकालीन अध्यापक की नियुक्ति किसी भी अध्यापक द्वारा इस कार्य के लिए सहमति नहीं देने के कारण नहीं हो पाई जिसके लिये अभी भी प्रयत्न किये जा रहे हैं। पंचायत समितियों को भी छः महीने की राशि माह फरवरी में स्थानान्तरित कर दी गई। इटावा पंचायत समिति को भी छात्रावास व्यवस्था हेतु 26,500) रु. की राशि स्थानान्तरित की जा चुकी है।

इन तथ्यों से स्पष्ट होगा कि छात्रावासों की व्यवस्था बदस्तूर जारी है केवल कुछ स्थानों पर अंशकालीन अध्यापक की नियुक्ति नहीं हुई है किन्तु कठिन विषयों के अध्ययन में छात्रों को जहां से भी सहायता मिल सके, उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं। वस्त्र, तेल, साबुन जूते, पुस्तकें आदि के लिये भी राशि छात्रों की मैस कमेटी को दे दी गई है और इन वस्तुओं का क्रय छात्रों की मैस समिति द्वारा विद्यार्थी स्वयं करते हैं। वर्तमान में भोजन, वस्त्र, तेल, साबुन, जूते आदि के लिए कक्षा 7 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 100) रु. प्रति माह व कक्षा 9 से 11 तक के विद्यार्थियों के लिए 106) रु. प्रति माह प्रति छात्र की दर से प्रति तीन माह की किश्त अग्रिम रूप से मैस समिति के खाते में जमा करा दी जाती है और इन सभी चीजों का प्रबन्ध छात्रों की मैस समिति ही करती है। राज्य सरकार ने छात्रावासों की व्यवस्था बनाये रखने का हर सम्भव प्रयास किया है एवं करती रहेगी।

श्री अध्यक्ष: अभी आपको अवसर दूंगा।

श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा): अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति व जन-

(श्री हीरालाल आर्य)

जाति के जो छात्रावास चलते हैं, उनके लिए नई व्यवस्था हुई उससे पहले आवास, भोजन, नाश्ता, कपड़े, बिजली, पानी, तेल, साबुन, पुस्तकें, स्टेशनरी और फीस आदि की व्यवस्था सरकार स्वयं करती थी लेकिन जब से नयी व्यवस्था लागू हुई है तब से ही उन छात्रों को यह सारी सुविधायें उपलब्ध नहीं हो रही हैं। यह सुविधायें उपलब्ध नहीं होने की वजह से छात्रों की पढ़ाई में अड़चन पैदा हो गई है और छात्रों का जीवन अन्धकारमय हो गया है। अध्यक्ष महोदय, जब से छात्रावासों की व्यवस्था पंचायत समितियों को दी गई है तब से तो हालात बिलकुल खराब हो गये हैं। जैसा कि अभी मन्त्री महोदय ने फर्माया, छात्रों को यह सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए जो मैस कमेटी बनी हुई है, उसको समय पर पैसा उपलब्ध करा दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को जानकारी देना चाहता हूं कि यह पैसे केवल पंचायत समिति को ही इन तारीखों में मिले हैं लेकिन पंचायत समिति ने मैस कमेटी को पैसे नहीं दिए हैं। मैस कमेटी और छात्रावास अधीक्षक बार-बार पंचायत समिति के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन बार-बार चक्कर लगाने के बावजूद भी उनको यह पैसे नहीं मिल पाये हैं। शिक्षा सत्र जुलाई से प्रारम्भ होता है इसलिए तीन महीने का एक इन्स्टालमेंट तय करके यह मैस समिति को पैसा दिया जाना था। जुलाई, अगस्त, सितम्बर, इन तीन महीनों के पैसे जुलाई में दिये जाने चाहिये थे लेकिन जुलाई में नहीं दिए जाकर सितम्बर में दिए गए। सितम्बर के बाद के जो पैसे हैं, 4–5 महीने के वह अभी तक भी नहीं मिले हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, न मिलने की वजह से छात्रावासों के लिए उधार सामान आ रहा था जिन दुकानदारों से, उन दुकानदारों ने उधार देना बन्द कर दिया। सामान नहीं आने की वजह से छात्रावास की जो मैस व्यवस्था थी वह बन्द कर देने की स्थिति पैदा हुई और मैस बन्द भी हुआ, यह मैंने स्वयं जाकर देखा है। जो दुकानदार थे उन्हें पैसा नहीं मिलने की वजह से छात्रावासों के बच्चों के साथ उन्होंने बड़ा दुर्व्यवहार किया। वहां के बच्चों और स्वयं अधीक्षक ने समाज कल्याण निदेशक को पत्र लिखा है। जो पत्र लिखा है, उसकी कुछ लाइनें मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है, "मार्च, दिसम्बर 82 से फरवरी, 83 तक मैस कमेटी द्वारा खरीदी गई राशन सामग्री के बिलों का भुगतान राशि नहीं मिलने के कारण उनका भुगतान नहीं हो पाया है। छात्रावास को अब पिछली बकाया भुगतान के अभाव में व्यापारी लोग आगे के लिए खाद्य सामग्री उधार नहीं दे रहे हैं। पैसा मांगने के लिए वह लोग मैस कमेटी के छात्रों व कर्मचारियों के साथ गाली गलौच व हाथापाई से पेश आने लगे हैं। यह स्थिति अभी तक की है। उनकी स्थिति बहुत खराब है। जब यह छात्र मेरे पास आये, मैंने स्वयं छात्रावास जाकर देखा। मैंने होस्टल वार्डन से बात की। होस्टल वार्डन ने इस बात को स्वयं कहा कि मैं तो जो छात्रावास का मैस है, इसको बन्द कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, व्यापारी हमें निकलने नहीं देते। यह स्थिति वहां की है जब कि मंत्री महोदय ने कहा कि यह पैसे इन इन तारीखों को उपलब्ध करा दिये हैं। यह सूचना एकदम गलत है।"

अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह भी फर्माया कि छात्रों को भोजन, नाश्ता,

(श्री हीरालाल आर्य)

कपड़े बिजली, तेल, साबुन के लिए छठी से आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए 100 रुपये और नवीं से ग्यारहवीं तक के विद्यार्थियों के लिए केवल 106 रुपये दिये जाते हैं। आप स्वयं यह अनुमान लगा सकते हैं कि सारी व्यवस्थाएं इन सौ रुपयों में कैसे हो सकती हैं। अध्यक्ष महोदय, इतने में तो केवल भोजन की व्यवस्था होती है। इसलिये कपड़े, बिजली, पानी, तेल, साबुन की व्यवस्थाएं छात्रावासों में नहीं हो रही हैं। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छात्रावासों के विद्यार्थियों को सारी सुविधायें उपलब्ध हो रही हैं या केवल भोजन मिल रहा है ? अध्यक्ष महोदय, आगे इन्होंने फर्माया कि पुस्तकें, स्टेशनरी और फीस के लिए छठी से आठवीं तक के बच्चों के लिए 40 रुपये और नवीं से ग्यारहवीं तक के विद्यार्थियों के लिए 60 रुपये। अब पुस्तकें, फीस और स्टेशनरी इन तीनों की सुविधायें क्या, अध्यक्ष महोदय, आप ही फर्मा सकते हैं, केवल 40-50 और 60 रुपये में उपलब्ध हो सकती हैं ? इसके कारण से छात्रों को न पुस्तकें उपलब्ध हो रही हैं, न स्टेशनरी उनके पास पर्याप्त है। पुस्तकें, स्टेशनरी के अभाव में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। पहले यह सुविधाएं सरकार स्वयं जुटाती थी, उनको कपड़े मिलते थे तथा जूते मिलते थे, तेल साबुन मिलता था, स्टेशनरी मिलती थी, पुस्तकें मिलती थी। लेकिन अब यह सुविधायें नहीं मिल पा रही हैं। इसकी वजह से अनुसूचित जाति और जनजातियों के छात्रों का शिक्षा का जो स्तर है वह गिरता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि मन्त्री महोदय ने फर्माया कि जो कठिन विषय हैं, उनको पढ़ाने के लिए अंशकालीन अध्यापक की व्यवस्था होती है। इटावा में अंशकालीन अध्यापक नहीं मिल रहे है पढ़ाने के लिए, यह कह कर अध्यापकों की व्यवस्था नहीं की गयी है। यह बिल्कुल गलत बात है। अध्यक्ष महोदय, वहां बहुत सारे अध्यापक हैं, हायर सैकण्डरी स्कूल हैं, वहां सब तरह के अध्यापक उपलब्ध हैं लेकिन विभाग ने चला कर उन छात्रों के साथ यह व्यवस्था नहीं करके अन्याय किया है। अध्यक्ष महोदय, छात्रों के स्वास्थ्य-निरीक्षण के लिए डाक्टर जाता है लेकिन इस साल कहीं भी इनकी व्यवस्था नहीं की गयी। यदि की है तो क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इटावा में कब, किस दिन डाक्टर गया है और छात्रों का निरीक्षण किया है...

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न।

श्री हीरालाल आर्य : नहीं, यह इसके साथ है। अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने स्थगन में दिया है उसमें यह बात अलग से मैन्शन की है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब से नयी व्यवस्था की है और पंचायत समितियों को जो छात्रावास दिये हैं तब से हालत खराब हो गयी है और जो पैसा अभी दिया जा रहा है, यह बहुत कम है। इन पैसों से तो केवल भोजन की व्यवस्था...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : हो सकती है।

इसलिए कपड़े, जूते की अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए। तेल साबुन की जैसे पहले व्यवस्था

(श्री हीरालाल आर्य)
होती थी वह की जानी चाहिये और स्टेशनरी और बुक्स, किताबों की भी अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए, जैसे पहले व्यवस्था होती थी, तभी जाकर अनुसूचित जाति ...

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त हो गया।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के बच्चे वैसे ही बहुत मुश्किल से पढ़ पाते हैं, इस पर सुविधायें जो पहले मिलती थीं, यह बन्द कर दीं....

श्री अध्यक्ष : आपने अपने क्षेत्र पंचायत समिति इटावा की बात कह दी।

श्री हीरालाल आर्य : क्या सरकार यह चाहती है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे नहीं पढ़ें, इसलिये यह व्यवस्था की..

श्री अध्यक्ष : श्री सुन्दर लाल।

श्री हीरालाल आर्य : इसलिए इतनी व्यवस्था करें। इतना ही मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री सुन्दर लाल।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि आपके वक्तव्य में व्यवस्थायें बतायी है। हमने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है, इसमें अलग बात है, हमने यह नहीं पूछा कि कितने छात्रावास चलते हैं, राज्य के और कितने अनुदानित छात्रावास चलते हैं राज्य में, यह आंकड़े नहीं पूछे। हमने तो उनकी व्यवस्था के लिए बताया है कि इनकी व्यवस्था ठीक नहीं है। पहले व्यवस्था में 5 आदमियों की एक कमेटी बना करती थी, पांच आदमी थे, एक अध्यक्ष था, एक कोषाध्यक्ष था। उनकी एक कमेटी थी उस कमेटी के द्वारा व्यवस्था की जाती थी। छात्रावास 12 महीने चला करता था, उसका आडिट हुआ करता था। आडिट रिपोर्ट जब आती उसके बाद ऐड मिला करती थी। उसके बाद यह व्यवस्था कर दी कि एक तो हाई स्कूल के सीनियर टीचर और एक हैड मास्टर या वहां के कोई भी कार्यकर्ता इन दोनों आदमियों के नाम से बैंक में खाता होता है। बैंक में खाता होने की वजह से वह दोनों ही आदमी पैसा उठा सकते हैं। वे दोनों आदमी उस पैसे को उठा लाते हैं और जिस दिन पैसा लाते हैं उसी दिन बीस या पच्चीस रुपये या तीस रुपये के हिसाब से सब छात्रों को बांट देते हैं और एक कमेटी बना देते हैं जिसका नाम है मैस कमेटी। वह पैसा दे देंगे और वह पैसा वापस ले लेगी। अध्यक्ष महोदय, एक यह भी व्यवस्था थी कि स्कूल से सात किलोमीटर दूरी का छात्र ही भर्ती किया करते थे। सात किलोमीटर से अन्दर के छात्र को छात्रावास में नहीं रखा जाता था। अब यह व्यवस्था भी उन्होंने भंग कर दी। चाहे दो किलोमीटर हो स्कूल से, चाहे तीन किलोमीटर दूर हो, चाहे चार किलोमीटर हो, वहां के छात्र भी भर्ती हो जाते हैं और रोज अपने घर चले जाते हैं। वह मैस कमेटी के नाम से पैसा उठा लेते हैं। मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि उस को बदल करके ऐसी व्यवस्था करो कि छात्र को ही पैसा मिल सके। अगर आप ट्राइब्स और कास्ट्स के बच्चों की व्यवस्था करना चाहते हो, छात्रावासों को पैसा देना चाहते

(श्री सुन्दर लाल)

हो तो बीच में ये दो चौधरी बना दिए हैं इनको भी हटा दो। जैसे पहले अध्यक्ष था और कार्यकारिणी कमेटी थी वह खतम कर दी और ये बीच में नए चौधरी बना दिए, तो कुए में से काढ़ कर खड्डे में गिरा दिये। गिरा तो जरूर दिए इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय आपके जरिये से इनको कहना चाहता हूं कि अगली साल से यह व्यवस्था करें, जहां-जहां छात्रावास हैं वह तहसील के उप जिलाधीश, तहसीलदार, क्षेत्र के विधायक, स्कूल प्रधानाध्यापक को मिला कर कमेटी बना दो। वह देखे कि यह लड़का गरीब है, इसको छात्रावास में रखा जावे, इसको ही ऐड मिले। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई इंजीनियर है शिड्यूल्ड कास्ट का उसके छोरा को छात्रवृत्ति मिलती है। जो इतने गरीब हैं कि उन्हें एक दिन की रोटी भी नसीब नहीं है उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। फिर इस व्यवस्था से क्या फायदा हुआ। मैं आपको यह सुझाव देना चाहता हूं कि आप यह व्यवस्था करें कि जो हरिजन गरीब हैं उनके छोरों को ही छात्रावास में भर्ती किया जायगा। न कि किसी डी. एस. पी, एस. पी के छोरों को लिया जाएगा। इसमें परिवर्तन कर सकते हैं तो छात्रावास के छात्रों को, गरीबों को फायदा मिलेगा। सुन्दरलाल का छोरा तो वैसे ही पढ सकता है क्योंकि मेरे को तो यहां से भी मिलता है, खेती भी है पर जिस हरिजन के पास खाने को नहीं है, न कोई खेती है, न कोई ऊंट गाड़ा है, किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, उसके लड़के को पढ़ाने की व्यवस्था क्या है? मैं यह चाहता हूं कि उनके लिये व्यवस्था करें। आप 75 रुपये दो आदमियों को देते हैं पढ़ाने के लिए। मगर कहीं भी राजस्थान के छात्रावासों में कोई भी अध्यापक रात के टाइम में पढ़ाने जाते हों तो समाज कल्याण डिपार्टमेंट से पूछ लो या आप पूरे एम. एल. एज. की कमेटी बना करके पूरे राजस्थान में घुमा दीजिए, कहीं भी यह व्यवस्था नहीं है कि कोई रात को उनको पढाते हों। पहले छात्रावास, अनुदानित छात्रावास थे अनुदान छात्रावासों को मिलता था उनको 80) रुपये प्रति छात्र मिला करते थे, उसमें ड्रेस भी दिया करते थे, पुस्तकें भी दिया करते थे, खाने को सुबह का नाश्ता भी दिया करते थे। अब सब व्यवस्था बन्द कर दी। अब इन्होंने यह व्यवस्था की कि एक तो अध्यापक, एक और आदमी उसमें है, जिसको कहते हैं मेस कमेटी। इन दो के नाम से·····

श्री अध्यक्ष : बातें नहीं करें आपस में, माननीय सदस्य।

श्री सुन्दर लाल : इन दो के नाम से बैंक में खाता होता है। मैं यह नहीं कहता कि गवर्नमेंट रुपये नहीं देती। रुपये जरूर देती है लेकिन वह बैंक में चले जाते हैं, बैंक में जाने के बाद वह दोनों आदमी उस पैसे को उठा लेते हैं। फिर वह बच्चों को बुला लेते हैं। स्कूल में हैड मास्टर है उसको बुला कर कहते हैं कि कितने बच्चे हैं, हरिजनों के बच्चों को इकट्ठा कर लो। वह प्रमाणित कर देते हैं कि ये ये छात्रावास में रहते हैं। इसके अलावा एक भी जगह छात्रावास नहीं चलते हैं। अभी दो महीने पहले मैं बीस छात्रावासों में जाकर आया हूं। मैंने देखा कि पचास लड़कों का छात्रावास है तो उनमें से बीस लड़कों को रोटी खिलाते हैं और तीस को घर भेजते हैं। घर भेजने वाले को पच्चीस छब्बीस या चालीस रुपये महीने का

Page No 14

(14)

(श्री सुन्दर लाल)

दे देते हैं। वह लिख कर दे देता है कि मैं छात्रावास में भर्ती हूं। वह है व्यवस्था इनकी। मैं आपसे यह कहूंगा कि आप, मंत्री महोदय, यह घोषणा करें कि अगली साल से छात्रावास में रहने वाले छात्र को ही ऐड दी जाएगी। यह व्यवस्था आप करते हों तो करो, नहीं तो पहले जो व्यवस्था थी उससे भी खराब यह व्यवस्था है। उसमें ऑडिट हुआ करता था। समाज कल्याण विभाग के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर जाकर चैक किया करते थे। अब तो ये पैसे को ऐसे ही बगा देते हैं आंधी में गिरे बेर की तरह फिर किसी को मिलता है तो मिले। यह तो एक तरह से बखेर हैं। जैसे पहले बड़े-बड़े घरों में विवाह शादी हुआ करती थी तो पैसे बगा दिया करते थे। गरीब छा जाते थे। कोई ज्यादा होशियार होता तो पैसे ज्यादा उठा लेता। जहां पैसे होते वहां पर छा जाता और दस पन्द्रह पैसे और एक रुपया ले लेता। कोई मेरा जैसा कमजोर होता वह बावला खड़ा का खड़ा रह जाता। तो यह बखेर कर रखी है इन्होंने। आपको बताऊं कि छात्रावास में जा करके जानकारी करो, जिन हरिजनों के पास अच्छे साधन हैं उनके लड़कों को ऐड मिलती है और जो गरीब हैं वह लाइन में खड़े रह जाते हैं। गाड़ी निकल जावे फिर टिकट मिले कोनी। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि मैंने जो सुझाव दिए हैं उनके बारे में मंत्री महोदय बतायें कि क्या अगले साल कमेटी बनाने की व्यवस्था करेंगे? और करेंगे तो जिले के, तहसील के उपजिलाधीश, तहसीलदार और स्कूल के प्रधानाध्यापक और उसी क्षेत्र के विधायक को कमेटी के मैम्बर बना कर गरीब लड़कों को छांट कर भर्ती करने की व्यवस्था के लिए समाज कल्याण डिपार्टमेंट के आदेश फर्मायेंगे। इसके अलावा मैं यह चाहूंगा कि सभी विधायक इसमें रुचि लें। क्षेत्र का विधायक रुचि न ले तो उसमें यह परिवर्तन करें कि शिड्यूल्ड कास्ट या ट्राइब का अध्यापक रुचि लेना चाहे तो उसको पूरे जिले का मैम्बर बनायें और बना करके उन्हीं छात्रों को यह छात्रवृत्ति दी जाए। छात्रवृत्ति उन्हीं को दी जाए जो गरीब हैं, जो छात्रावास में पढ़ें। यह दो आदमी नए चिन्दे पाल दिए, यह कमेटी में लिए जायेंगे। छात्रावासों की व्यवस्था के बारे में मैं यह सुझाव जरूर देना चाहता हूं कि जो छात्र सात किलोमीटर दूर रहते हैं और गरीब हैं उनको ही छात्रवृत्ति दे दें। आपने यह सात किलोमीटर की व्यवस्था कर रखी थी इस व्यवस्था को नहीं बदलें। जो सात किलोमीटर की दूरी के छात्र पढ़ने आयें उन्हीं को छात्रवृत्ति दी जावे। इसमें यह परिवर्तन भी करें, भंगी हरिजन के छोरे हैं, उनके लिए पहले यह भी था कि पचास का छात्रावास है तो उसमें दस भंगी छात्र भर्ती किए जायेंगे। अगर दस नहीं होंगे तो चालीस की ऐड मिलेगी। आपने वह व्यवस्था भी खतम कर दी। अगले साल से यह रखें कि अगर पचास छात्रों का छात्रावास हो तो उसमें दस भंगी छात्र भर्ती होंगे तो ही पचास की ऐड दी जाएगी नहीं तो चालीस की ऐड दी जाएगी। आपने सभी व्यवस्था को ताक में रख करके एक मिनिमम व्यवस्था बना दी और दो आदमियों का बैंक में खाता खुल गया। बैंक में खाता तो बिड़ला का ही घणो है पर एक चवन्नी ना देवे ढेड हरिजन ने और वह बड़ो

(श्री सुन्दर लाल)

खड़ो भूखों मरे है। इससे फायदा क्या हुआ ? आप इसकी व्यवस्था क्या करोगे, यह बताइये। हम तो आप से यह व्यवस्था चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं कहना चाहूंगा कि आप किसी भी जगह जाकर चैक कर लीजिए, मैंने सब जगह जाकर चैक किया है, जानकारी की है, झुंझुनूं में, सीकर में, चूरू में और बीकानेर में, सब जगह जाकर मैंने जानकारी की है। छात्रावासों की व्यवस्था पहले से बहुत ही खराब चल रही है। कोई व्यवस्था ही नहीं है। उसमें पांच लड़कों को मैम्बर बना रखा था, 11वीं क्लास के तीन और दसवीं क्लास के दो। ये पांच आदमी तो भले ही पेड़ा खावा करो बाकी 45 छोरा है उणका कोई धणीधोरी नहीं है। पांच आदमियों की जो इसमें कमेटी बनी उन पांच आदमियों की, वह पांच आदमियों की व्यवस्था तो सही है, उनको ही वह पैसा देते हैं जो बीस तीस पचास रुपया देते हैं। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि अगली साल से या तो छात्रावासों की व्यवस्था बिल्कुल बन्द कर दी जावे, अगर छात्रावास आपको चलाने हैं, तो पचास लड़के छात्रावास में रहते हैं, उनमें से 11वीं क्लास में जो लड़का पढ़ता है वह 17-18 साल का होता है उसको इतना ज्ञान होता है, उसको जो पैसा मिलता है उसका उपयोग वह अपने ढंग से कर सके। किन्तु एक अनपढ़ आदमी को उनके ऊपर लगा रखा है। इस छात्रावास में जो रसोइया या उनके साथ एक अध्यापक लगा दिया। एक तो सीनियर टीचर और एक उस छात्रावास में रसोइया था उनको उसमें कर दिया। मैंने एक छात्रावास का, कहीं का नाम लिया है मगर पूरे राजस्थान की व्यवस्था के लिए कहा है। जो छात्रावास है वह छात्रावास चले या नहीं चले पर यह दोहरी व्यवस्था इसलिए है कि म्यूनिसिपल एरिया में छात्रावास चलेगा उसकी एड समाज कल्याण विभाग देगा, पंचायत समिति क्षेत्र में छात्रावास चलेगा उसको एड पंचायत समिति का विकास अधिकारी देगा। यह दो व्यवस्था हैं। जो म्यूनिसिपल एरिया में छात्रावास चलेगा उसकी एड तो समाज कल्याण अधिकारी देगा और पंचायत समिति क्षेत्र में चले तो उसकी एड विकास अधिकारी देगा तो विकास अधिकारी वहां से ही लिख लेता है कि आज इनको डाक्टर से चैक करवाया, आज डाक्टर गए। 75) रुपया महीना डाक्टर के नाम का, 75-75) रुपया दो अध्यापकों के नाम का। इसके अलावा ग्रांट और ड्रेस का पता नहीं। सिनेमा दिखाने के लिए और अन्य चीजों के लिये पैसा देते हैं वह पैसा उन बच्चों को नहीं मिलता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके द्वारा मंत्री महोदय को कहता हूं कि जो रुपये दिये जाते हैं उनमें से ही आप चाहे दस रुपये कम कर दीजिए पर इन छात्रों को पैसा मिलना चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इन सुझावों के ऊपर आपके क्या विचार हैं ? कुछ कहना चाहो तो जरूर कहिये। कुछ भी नहीं कहना चाहें तो आप कह दो कि हम अगली साल से चलायेंगे ही नहीं। नहीं तो यह करोड़ों रुपया छात्रावास का हरिजनों के नाम से जाता है, उसको दूसरे लोग खा जाते हैं, यह नहीं हो। जैसा मैंने बताया कि जो हरिजन एस. पी., डी.एस. पी., आई. ए. एस., आर. ए. एस. अफसर हैं उनके बच्चों को क्या शिक्षा से वंचित रखने का विचार रखते हैं, यह बताने की मंत्री महोदय कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

(व्यवधान)

(17)

(श्री अध्यक्ष)

दो माननीय सदस्यों के प्रस्ताव थे, लम्बी चर्चा का विषय नहीं है, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

सब विषय महत्वपूर्ण होते हैं। सबका सम्बन्ध आम जनता से होता है। आर्डर प्लीज कह दिया, माननीय सदस्य।

श्री मांगीलाल आर्य (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की सर्वांगीण उन्नति का अगर कोई भी आधार है तो शिक्षा है, सबसे बड़ा अगर कोई बेनीफिट मिला है इस वर्ग के उत्थान के लिये तो समाज कल्याण विभाग छात्रावास का है। अध्यक्ष महोदय, छात्रावासों के अन्दर जो सुविधाएं मिलती थीं, उन सुविधाओं में गड़बड़ घोटाला था। आम शिकायत यह थी छात्रों को कि जो जो सुविधाएं थीं वह पर्याप्त मिलती नहीं थीं। छात्रावास के अधीक्षक सारा खा जाते थे, नाम मात्र को भी उनको सुविधा नहीं मिलती थी। खाना भी खराब ही मिलता था, इसी उद्देश्य से यह आवाज उठी थी कि इस प्रकार की व्यवस्था को समाप्त करके छात्रों को पूरा बेनीफिट मिले, जो छात्रों को रियायतें दी हैं वह पर्याप्त मिलें। इसलिये ही यह योजना बनायी गई थी। मगर यह दुर्भाग्य ही कहा जायेगा, उससे भी उल्टा हुआ। 100 रुपया और 106 रुपये प्रति छात्र छात्रवृत्ति दर रखी है। आप ही अनुमान लगायें, क्या इससे सारी सुविधाएं दी जा सकती हैं। जो मेरे पूर्व वक्ता ने बता दिया, मैं उसको वापस दोहराना नहीं चाहता। मैं यह पूछना चाहता हूं, यह सारी सुविधाएं 100 और 106 रुपये में मिल सकती हैं? अगर नहीं मिल सकती तो छात्रों के साथ में, इस वर्ग के छात्रों के साथ विभाग का अन्याय है। पूर्व में जिस मद में जो राशि खर्च होती थी, आज के भाव से, आज की दर से उनको राशि का भुगतान बराबर मिलना चाहिये इस आधार पर ही दर तय होनी चाहिये।

मेरा इसके साथ निवेदन है कि जो यह मैस कमेटी बनाई है, यह भी वह की वह बात है। उस वक्त अधीक्षक घोटाला करते थे इस वक्त यह मैस कमेटी करेगी। इसलिए यह धनराशि डायरेक्ट छात्रों को मिलनी चाहिये। उसी तरह से मिलनी चाहिये जिस तरह से छात्रवृत्ति मिलती है। इसके बीच में मैस कमेटी ही माध्यम है उसको खत्म किया जाये, तो छात्रों को सही मायने में फायदा मिल सकता है।

छात्रावासों के अन्दर पांच स्थान मेहतर जाति के लिये रिजर्व हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा आपकी नयी व्यवस्था के अन्दर यह व्यवस्था यथावत है या इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया है? अगर परिवर्तन किया गया है तो मेरा आपसे निवेदन है कि मेहतर जाति के, पिछड़ी से पिछड़ी, दलित से दलित मेहतर जाति के बच्चों को पढ़ने का मौका मिलना चाहिये। मेहरबानी करके उस व्यवस्था को यथावत रखिये। इसमें यह भी शर्त थी, मेहतर जाति के छात्रों पर पांच किलोमीटर की परिधि का जो प्रतिबन्ध है वह भी नहीं रहेगा। यह सारी सुविधा यथावत रहनी चाहिये और पर्याप्त छात्रवृत्ति की व्यवस्था होनी चाहिये, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

(व्यवधान)

मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक मिनट बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। बैठ जायं।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट्स के छात्रों को कौन कौन सुविधाएं सौ रुपये में···

श्री अध्यक्ष : आर्डर। कृपया बैठ जायं।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : सौ रुपये में देना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : आपकी आज्ञा से···

श्री अध्यक्ष : आज्ञा से ही होता है, माननीय सदस्य, लेकिन मजबूरी है। फिर लम्बी चौड़ी चर्चा का विषय हो जाता है।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो दुर्भाग्य है हमारा...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बैठ जायं।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : आपकी आज्ञा से एक मिनट बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्य। इस तरह से जद्दोजहद होती है क्या।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : एक मिनट, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

आर्डर। यह तरीका नहीं है, माननीय सदस्य। मैंने ना दे दिया। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

मंत्री महोदय।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, छात्रावासों के प्रबन्ध के विषय में विभिन्न माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी तरफ से कई पहलुओं पर कुछ विचार सरकार के सामने रखे। छात्रों के वेलफेयर के पाइन्ट आफ व्यू से विभिन्न सदस्यों का कहना वाजिब भी है। मैंने अपने स्टेटमेंट में भी अपनी तरफ से बताया है, कुछ समय छात्रवृत्तियां वितरित करने में लगा है...

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, केवल आप पढ़ कर वही उत्तर दोहरायें, यह उचित नहीं होगा। उन्होंने कुछ समस्याएं रखी हैं सामने। उन समस्याओं के बारे में आप फर्माइये। एक तो वह कहते हैं, जो कमेटी गठित की है वह कमेटी ठीक काम नहीं कर रही है, जो लोग उसमें होते हैं उनके बारे में जो विचार बिन्दु है, जो विचार आये हैं आपके बाद में उनके बारे में फर्मायें।

श्री छोगाराम बकोलिया : उसी के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं इन चीजों को मद्दे नजर रखते हुए···

श्री लालचन्द्र आर्यवीर : धनराशि वाली...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष आर्डर। एक पाइन्ट है, धनराशि। अन्य माननीय सदस्य, जिन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था ने कहा कि उतनी धनराशि भी नहीं मिलती। उसमें भी दस बीस रुपया राशि देकर के भरपाई कर दी जाती है। बच्चे होस्टल के अन्दर रहते ही नहीं है, इस बारे में इन्होंने शिकायत की है। आप जानते हैं, माननीय सदस्य अपने क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में जाते हैं, रात दिन उनके बीच उठते बैठते हैं। उनकी शिकायत में किसी तरह की कोई दुर्भावना नहीं है। किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की नहीं है। एक आम शिकायत है। उसका आप प्रबन्ध कैसे करना चाहते हैं, कृपया इस संबंध में बतायें।

श्री छोगाराम बकोलिया : मैं उस विषय पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, बताना चाह रहा था।

आपने सर्वप्रथम पंचायत समितियों के अन्दर देने के कारण से अव्यवस्था का प्रश्न उठाया था। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं जिस जगह पर समय पर उनको भुगतान नहीं हो पाया है, आइन्दा आने वाले समय में समय पर उनको भुगतान कराने की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। जहां पंचायत समितियों ने समय पर भुगतान नहीं किया है उनको विशेष तौर से सरकार की तरफ से इन्स्ट्रक्शंस जारी करेंगे। माह जून और अक्टूबर में धनराशि दी जाती है उसका आवंटन कर दिया जायगा हर साल के अन्दर जून और अक्टूबर में ताकि छात्रों को कोई किसी प्रकार की असुविधा नहीं आये।

माननीय सदस्य सुन्दर लालजी का प्रश्न था कि मैस कमेटी के गठन के कारण से काफी तकलीफ हो रही है। जो अधीक्षक छात्रावास के होते हैं, सहायक अधीक्षक होते हैं, उनके कारण पैसा बच्चों को बराबर नहीं पहुंचता है। अगर ऐसी शिकायत जगह जगह पर है तो राज्य सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी। अगर आप सबके इस तरीके के प्रपोजल होंगे तो हम इस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रपोजल तो आ गया। कृपया आप सही व्यवस्था करायें। इस साल कुछ ऐसा हुआ हो तो मौके पर आपके कोई अधिकारी जायं, जाकर के देखें। बच्चे वहां रह रहे थे या नहीं साल भर। पैसा दिया गया तो कितना पैसा दिया गया? इस हिसाब से वह अगर शिकायत आ गई तो कोई कारण नहीं है यह मानने का कि शिकायत गलत हो। कृपया इस पर थोड़ा आपके विभाग को सक्रिय करके उन मौकों पर भेजिये जो इन्होंने बताये हैं।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर आज ही विचार आये हैं माननीय सदस्य के। इस तरीके की कोई प्राब्लम होगी····

अनेक माननीय सदस्य : होगी नहीं है।

श्री छोगाराम बकोलिया : प्राब्लम है इसकी हम हर जगह जांच करेंगे। इसके अन्दर कोई कमी देखेंगे तो उसका निराकरण किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि आप जिस ढंग से····

Page No 19

(19)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : आपने कभी जाकर देखा क्या छात्रावासों को ? आपने कभी जाकर निरीक्षण किया है क्या ?

श्री सुन्दरलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो क्वेश्चन किया उसका जवाब तो आया है . .

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, आप उत्तर इस ढंग से देओ कि माननीय सदस्यों को विश्वास हो जाए। जो कुछ कार्यवाही करें उस ढंग से कहो। ढीली ढाली बात मत कहो आप।

श्री सुन्दरलाल : मैंने जो क्वेश्चन किया उसको तो आप छोड़ गये। मेरी बात तो सुनो पहले, कहा क्या है। आप कहते हो, इन्क्वायरी करेंगे। इन्क्वायरी किस बात की करोगे ? मैं तो जानना चाहता हूं जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को बदलोगे या नहीं ? पंचायत समिति या समाज कल्याण विभाग द्वारा जो एड दी गई है और गैल में जो अनियमितता हुई है, जो लोगों ने पैसे खाये हैं इसकी जांच कराओ, इससे हम नहीं रोकते। आप जांच करा कर पैसे वापस लेओ। पण आगे की व्यवस्था यही रहेगी या बदलोगे, मैं तो यह जानना चाहता हूं ?

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था जो मुद्दे मैंने उठाये हैं उनका जवाब नहीं आया है। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न उठाया था, इन व्यवस्थाओं के लिए, किताब और स्टेशनरी के लिए जो धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है, वह बहुत कम है। धनराशि अति न्यून होने की वजह से सुविधाएं छात्रों को मिल नहीं पा रही हैं। क्या धनराशि में वृद्धि करके छात्रों को सुविधायें उपलब्ध कराने की मंत्री महोदय घोषणा करेंगे ? धनराशि की कमी की वजह से सुविधायें नहीं मिल रही हैं। इस संबंध में बताओ आप।

श्री सुन्दरलाल : इस कमेटी को भंग करके छात्रावास के लड़कों को एड मिले, ऐसी व्यवस्था करेंगे या नहीं ? मैं चाहता हूं आपसे, यह घोषणा कराओ। क्लियर घोषणा करो, ढिलमिल नहीं।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह सक्षम मंत्री नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : सक्षम हैं, सक्षम हैं। हमेशा उत्तर देते हैं।

श्री सी. एल. कंवरिया (दूदू) : हमेशा देते हैं तो हमारे मंत्री महोदय किधर हैं ? वह हमेशा प्रश्न के उत्तर के समय नहीं रहते। ऐसे पालिसी स्टेटमेन्ट के समय नहीं रहते। यह है क्या ? पालिसी स्टेटमेंट और वह भी इनके द्वारा दिलवा देते हैं। मंत्री महोदय को यहां रहना चाहिए था, केबिनेट मंत्री स्तर पर घोषणा करनी थी।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं। आर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल आर्य : यह शिड्यूल्ड कास्ट्स का मामला है। उस पर उप मंत्री से जवाब दिला कर टाल देंगे। छात्रावासों की व्यवस्था हो नहीं पा रही है।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, भाषण नहीं। सदन के समक्ष चाहे मंत्री उत्तर दें, चाहे राज्य मंत्री उत्तर दें, चाहे उप मंत्री उत्तर दें, चाहे पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी उत्तर दें, सरकार की ओर से ही उत्तर देते हैं। उनमें हम भेद नहीं कर सकते कि मंत्री हैं, उप मंत्री हैं अथवा राज्य मंत्री हैं। उप मंत्री हो तो भी

(श्री अध्यक्ष)
उनको इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हमारे अधिकार कुछ कम हैं। सदन के प्रति सरकार का उत्तरदायित्व है इसलिए जितना मंत्री कह सकता है उतना ही उप मंत्री कह सकता है। उसी हिसाब से जवाब दें।

श्री हीरालाल आर्य : क्लियर घोषणा करें प्रति छात्र ढाई सौ रूपये देने की, मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैंने उनसे सवाल पूछा है। आप बैठ जायं। मैं मंत्री महोदय को बुलवाने की कोशिश कर रहा हूं। वह कुछ बोलें।

(व्यवधान)

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बड़ी कृपा रख कर माननीय सदस्यों के प्रति सहानुभूति रखी है। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि छात्रावास प्रवेश और प्रबन्ध सलाहकार समिति का गठन किया हुआ है जिसमें क्षेत्रीय विधायक अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति एक होता है, दूसरा क्षेत्रीय पंचायत समिति का प्रधान होता है। अनुदानित छात्रावास से संबंधित स्वयं सेवी संस्था का प्रतिनिधि, जिला परिवीक्षा समाज कल्याण अधिकारी, सहायक निदेशक, जिलाधीश द्वारा मनोनीत उप जिलाधीश, विकास अधिकारी अथवा तहसीलदार, जिला समाज कल्याण अधिकारी····

श्री बंशीलाल पटवा : आप तो पैसे बढ़ाने की घोषणा करिये।

श्री हीरालाल आर्य : 250) रुपये देने की घोषणा कीजिए, मंत्री महोदय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठ जायं, माननीय सदस्य। उनको पहले उत्तर देने दीजिये।

श्री भंवलाल शर्मा (हवामहल) : ये किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : इससे उनको कन्फ्यूजन हो जायेगा, उत्तर आने दीजिये।

श्री छोगाराम बकोलिया : जिला परिवीक्षा समाज कल्याण अधिकारी, सहायक निदेशक, अनुसूचित जाति के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता और सातवां जहां छात्रावास की व्यवस्था हो वहां का अनुसूचित जाति का वरिष्ठतम राजकीय कर्मचारी सदस्य होगा और आठवां प्रत्येक छात्रावास का अधीक्षक समिति का सदस्य संयोजक होगा। इनके अलावा इनका फंक्शन डिफेक्टिव है। लोगों को प्रबन्ध का ध्यान नहीं रहता है तो इमिजिएटली व्यवस्था करेंगे।

दूसरा प्रश्न छात्रवृत्ति बढ़ाने का है, 100) रुपये कम पड़ते हैं उसके ऊपर हम पुर्नविचार करेंगे। वित्तीय साधनों की कमी के कारण आपत्ति आ रही है। वित्त विभाग की कान्फरेंस लेकर शीघ्र ही उसके ऊपर पुर्नविचार कर छात्रवृत्ति बढायेंगे।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : छात्रवृत्ति बढ़ाने की घोषणा करें।

श्री छोगाराम बकोलिया : घोषणा है ना, माननीय सदस्य, मैंने कह दिया कि छात्रवृत्ति बढ़ाई जायेगी।

श्री हीरालाल आर्य : आपके बच्चे पर तो हजार रुपये खर्च होता है और अनुसूचित जाति के बच्चे सौ रुपये से काम चला रहे हैं।

श्री छोगाराम बकोलिया : इसके अलावा चूंकि इसमें किसी तरह के घोटाले की प्रवृत्ति का जिक्र किया गया तो इसका राज्य सरकार विशेष रूप से ध्यान रखेगी और छात्रों द्वारा विशेष रूप से छात्रवृत्ति उठाने के लिये प्रावधान किया जायेगा और उसके लिये यथा सम्भव नियम बनाये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, 100 रुपये महीने से क्या होता है।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि छात्रवृत्ति की वृद्धि के लिये एफ.डी. को कितना रिकमण्ड करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य। एफ.डी. को भेजेंगे। कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, व्यवस्था भंग न करें। नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। इस तरह जद्दो-जहद से क्या होगा, उन्होंने एक बात कह दी। कृपया बैठ जायं। उत्तर नहीं आयेगा। घोषणा हो गई। कृपया बैठ जायं।

श्री हीरालाल आर्य : यह शोषण है, माननीय अध्यक्ष महोदय, झूठी घोषणायें करते हैं। शोषण कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है और घोषणा करते रहते हैं पिछड़े लोगों का विकास करने की।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया अव्यवस्था न फैलायें, आर्डर प्लीज।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

विधायी कार्य। पुरःस्थापित किये जाने वाला विधेयक। श्री हीरालाल देवपुरा।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, राजस्व) : मैं स्टेट रेवेन्यू मिनिस्टर हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप कुछ भी हो सकते हैं लेकिन हीरालाल देवपुरा नहीं हैं।

राजस्थान पास बुक (कृषिजोत) विधेयक, 1983

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राजस्थान पास बुक (कृषि जोत) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पास बुक (कृषि जोत) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्थान पास बुक (कृषि जोत) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करता हूं।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत व मांग संख्या 27-पेयजल योजना

श्री अध्यक्ष : आज बजट 83-84, वित्तीय व्यवस्था, अनुदान की मांगों पर विचार। मांग प्रस्तुत की जायेंगी। श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (अकाल राहत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग सं. 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 15,52,90,000 रुपये (पन्द्रह करोड़ बावन लाख नब्बे हजार रुपये) तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : मांग सं. 27 प्रस्तुत की जावे।

श्री देवेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, कृषि) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग सं. 27-पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 83,10,80,000 रुपये (तिरासी करोड़ दस लाख अस्सी हजार रुपये) तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या 34 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक-प्राकृतिक आपदाओं से राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

1. प्रावधानों के अभाव में टोंक जिले में बाढ़ से क्षतिग्रस्त पंचायतों के तालाबों की मरम्मत न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

2. अनावृष्टि से पीड़ित जयपुर ग्रामीण के क्षेत्रों को सहायता दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

श्री मालाराम (खेतड़ी)

3. सीकर जिले में अकाल ग्रस्त क्षेत्र में अकाल राहत कार्यों को पर्याप्त संख्या में न खोले जाने पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर)

श्री भैरू सिंह गुर्जर (खारची)

4. बीकानेर, जैसलमेर व पाली के अकाल ग्रस्त गांवों में राहत कार्य समुचित संख्या में नहीं खोलने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन)

5. प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए स्थाई योजना बनाई जाय, इस पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :

6. प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिये स्थाई योजना बनाई जाय, इस पर चर्चा के लिये।

श्री बन्शीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

7. प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम हेतु व्यापक कारगर कदम उठाये जायं, इस पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव)

8. बाड़मेर जिले के सीमावर्ती रेगिस्तानी गांवों को प्राकृतिक आपदाओं से राहत देने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

9. बाड़मेर जिले की अधूरी ग्रेवल सड़क को पूरी कराने हेतु चर्चा के लिये।

10. बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में भयंकर अकाल से पीड़ित लोगों को निर्माण कार्यों में लगाकर राहत पहुँचाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण)

श्री असलम खां (बाली)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची)

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर)

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा)

11. अकाल राहत कार्य के सहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थाई काम कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गोकुल चन्द शर्मा (सुमेरपुर)
श्री असलम खां (बाली)

12. अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सिंचाई विभाग एवं भू-संरक्षण विभाग को पूरे कराने पर चर्चा के लिए।

श्री माणकमल मेहता (पाली)
श्री असलम खां (बाली)
श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर)

13. पश्चिमी राजस्थान के अकाल प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष आर्थिक सहयोग देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव)

14. बाड़मेर जिले में अकाल पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए अधूरे निर्माण कार्य पूरे कराने पर चर्चा के लिए।

श्री कनकराज मेहता (सांचौर)

15. सांचौर में चल रहे राहत कार्यों को शीघ्र पूरा कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़)

16. राज्य सरकार द्वारा अकाल की गंभीर स्थिति पर उपेक्षा बरतने पर चर्चा के लिये।

Page No 24

(24)

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

17. भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर निर्वाचन क्षेत्र में अकाल राहत कार्यों में किये जा रहे भेदभाव पर चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम)

18. प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राहत कार्यों की कार्य विधि के सम्बन्ध पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल पारीक (मांडल)

19. अकाल राहत ग्रामों में प्रारम्भ किये गए निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना)

20. नीमकाथाना क्षेत्र में राहत कार्य शीघ्र चालू कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई)

21. राज्य सरकार भरतपुर जिले में प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ को रोकने के लिये स्थायी योजना तैयार करने में असफल रही है इस विषय पर चर्चा, के लिये।

22. राज्य सरकार राज्य में लगातार होती रही प्राकृतिक आपदाओं का स्थाई हल ढूंढ़ने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह)

23. बाड़मेर जिले में अकाल राहत कार्यों के अधिक खोलने व अधिक से अधिक मजदूर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री थानसिंह (सलूम्बर)

24. सलूम्बर तहसील में भयंकर अकाल की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

25. राहत कार्यों पर लगे मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिया जाय, इस पर चर्चा के लिये।

26. प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिये सिंचाई कार्य को ही प्राथमिकता देनी चाहिये, इस पर चर्चा के लिये।

श्री रामधन चौधरी (लाडनूं)

27. प्राकृतिक आपदाओं से राहत पहुंचाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़)

28. सर्दी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलों से व टिड्डियों से हुई आपात हानि का कृषकों को समुचित मुआवजा दिलाने हेतु, चर्चा के लिये।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह)

29. अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में अकाल राहत कार्य अधिक खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

30. गत वर्ष आई बाढ़ से ग्रस्त गांवों के लोगों को सरकार द्वारा उचित सहायता नहीं देने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम)

31. प्रदेश के सूखे क्षेत्रों में पशुओं के चारे की व्यवस्था करने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

32. केशवराय पाटन क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने हेतु राहत कार्य प्रारम्भ करने पर चर्चा के लिये।

33. प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त क्षेत्रों के पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने हेतु, वसूलियां स्थगित कराने हेतु चर्चा के लिये।

34. प्रदेश में अकाल क्षेत्रों में पीड़ित लोगों के छात्रों को निःशुल्क पुस्तकें, कपड़े देने तथा शुल्क मुक्त करने के संबंध में चर्चा के लिये।

35. प्रदेश के अकाल ग्रस्त क्षेत्र के पशुओं के लिए चारा व्यवस्था ठीक नहीं करने पर चर्चा के लिये।

36. प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

37. बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों को समय पर व प्राथमिकता के आधार पर नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

श्री कुन्जीलाल (बामनवास)

38. तहसील बोंली व सवाई माधोपुर में अकाल कार्यों में बनी अपूर्ण रोड्स को पूर्ण करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

39. रामगंज मण्डी तहसील में अकाल राहत कार्य प्रारम्भ नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर)

40. जिले में अकाल राहत कार्य तेजी से प्रारम्भ करने हेतु चर्चा के लिये।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

41. आमेर तहसील ग्राम खेजाड़ी, भैरू खेजड़ा, चेतावाला में अग्नि काण्ड हो जाने पर राहत न पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

42. ग्राम पूट का वास (पंचायत मानपुरा) आमेर तहसील में अग्नि काण्ड हो जाने पर राहत न पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

43. जिला सवाई माधोपुर में गत वर्ष आई बाढ़ से लोगों को राहत दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर)

44. बाढ़ नियंत्रण हाथी देह (सीकर) का कार्य निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क)

45. शिवसिंहपुरा, ग्रमरसर तथा मनोहरपुर में ग्राई बाढ़ एवं बिजली के गिरने से हुये नुकसान से लोगों को राहत न मिलने पर चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

46. प्राकृतिक ग्रापदाओं से छुटकारे के लिये स्थाई योजनायें बनाई जाने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल ग्रार्य (पीपल्दा)

47. पीपल्दा क्षेत्र में राहत कार्य खोलने में बरती जा रही उपेक्षा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

48. मांगरोल नगर को बाणगंगा की बाढ़ से बचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

49. उप तहसील इन्द्रगढ़ में पर्याप्त राहत कार्य नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री छीतरलाल ग्रार्य (ग्रटरू)

50. ग्रटरू तहसील में पर्याप्त राहत कार्य न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर)

51. जिला जैसलमेर में गत वर्ष पिलाई की मजदूरी के भुगतान नहीं होने की चर्चा के लिये।

52. जैसलमेर जिले में ग्रकाल से पीड़ित नागरिकों को पशुग्रों के लिये चारा इत्यादि की उचित दर व पूर्ण व्यवस्था करने हेतु चर्चा के लिये।

53. जैसलमेर जिले में ग्रकाल राहत कार्यों पर लगे मजदूरों को पूर्ण भुगतान नहीं करने व समय पर मजदूरी नहीं मिलने पर चर्चा के लिये।

54. जैसलमेर जिले में ग्रकाल राहत कार्यों पर लगे मजदूरों को धूप इत्यादि से बचाने हेतु शेड्स की व्यवस्था की जावे, इस पर चर्चा के लिये।

55. जैसलमेर जिले में ग्रकाल राहत कार्यों पर समुचित रोजगार प्रदान नहीं करने पर चर्चा के लिये।

56. जैसलमेर जिले में ग्रकाल राहत कार्य स्थलों पर पेय जल की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये।

57. जैसलमेर जिले में ग्रकाल राहत कार्य स्थलों पर चिकित्सा सेवाग्रों के ग्रभाव से मजदूरी पर लगे नागरिकों को होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

58. भीलवाड़ा तहसील में प्राकृतिक ग्रापदाग्रों जैसे ग्रकाल राहत कार्यों पर श्रमिक पूरे न लगने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा)

59. ग्रकाल राहत कार्य खोले जाने में बरते जा रहे भेदभाव के बारे में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

60. किसानों को प्राकृतिक ग्रापदाग्रों से राहत मिलनी चाहिये इस संबंध में स्थाई

Page No 27

(27)

(श्री हरिसिंह)

कदम उठाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा)

61. गंगानगर जिले की नोहर, भादरा, सूरतगढ़ तहसील में अकाल ग्रस्त गांवों में शीघ्र अकाल राहत कार्य शुरू कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली)

62. प्रदेश के अकाल ग्रस्त क्षेत्र में पर्याप्त एवं शीघ्र अकाल राहत कार्य खोलने हेतु चर्चा के लिये ।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)

63. बगरू कलां जिला जयपुर में बाढ़ से क्षति ग्रस्त क्षेत्रों में पुनर्वास कार्य प्रारम्भ न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री भैरूंलाल मीणा (मनोहरथाना)

64. झालावाड़ जिले में अकाल राहत कार्यों पर मजदूरों की संख्या बढ़ाई जाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री महादेवसिंह (खण्डेला)

65. हरजनपुरा बासड़ी में प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ को रोक कर स्थायी व्यवस्था करने हेतु चर्चा के लिये ।

66. प्रीतमपुरी के नाले से प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ को रोकने हेतु स्थायी व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री नाथूराम (डूंगरपुर)

67. जिला डूंगरपुर में बाढ़ की वजह से जन जीवन ग्रस्त-व्यस्त होने की स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी)

68. बाड़मेर में पिछले चार वर्ष से लगातार अकाल के कारण चारे, पानी एवं अनाज की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा शीघ्र कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

69. बाड़मेर जिले में गत तीन वर्षों से अकाल राहत कार्य की बकाया मजदूरी का श्रमिकों को भुगतान तत्काल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

70. बाड़मेर जिले में इस वर्ष भी फसलों के वर्षा के अभाव में नष्ट हो जाने से ग्रामों की अकाल पीड़ित जनता को राहत देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री भरोसी (हिण्डौन)

71. राज्य सरकार प्राकृतिक आपदाओं को रोकने में असफल रही है, जिस पर चर्चा के लिये ।

श्री चाव खां (कामां)

72. राज्य सरकार प्राकृतिक आपदाओं को रोकने में असफल रही है, जिस पर चर्चा के लिये ।

सैयद मोहम्मद अयाज महाराज (मसूदा)

73. पंचायत समिति मसूदा व जवाजा के अकाल ग्रस्त क्षेत्र में पशुओं के लिये चारे का प्रबन्ध करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

74. मसूदा पंचायत समिति की विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वहां पर खोले गये अकाल राहत कार्यों को श्रमिक ओरियन्टेड बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

Page No 28

(28)

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

75. सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य शीघ्र खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

76. अकाल राहत कार्य चलाने में बरते जाने वाले भेदभाव पर चर्चा के लिये।

77. भीलवाड़ा तहसील में अकाल राहत कार्यों पर श्रमिकों की संख्या कम है, इस विषय में चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

78. राहत कार्यों के माध्यम से स्थाई कार्य नहीं होने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव)

79. बाड़मेर जिले के सीमावर्ती ग्राम देतानी, खुडानी, राणासर, करीमकापार, खानोयानी में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत पेड़ों की छोटी-छोटी नरसरी लगाने पर चर्चा के लिये।

80. बाड़मेर, जैसलमेर जिलों के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के होदों व नलकूपों के पास पेड़ लगाने पर चर्चा के लिये।

81. अकाल से राहत कार्यों में लोगों को बचाने के लिए अधिक धन का प्रावधान न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री माणक लाल मेहता (पाली)

82. रोहट एवं पाली पंचायत समिति क्षेत्र निरन्तर अकाल की स्थिति होने के कारण स्थाई समाधान के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुडामालानी)
श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)
श्री अमीन खां (शिव)
श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर)

83. बाड़मेर जिले की अकाल समस्या को राष्ट्रीय समस्या घोषित किये जाने हेतु केन्द्र सरकार को सिफारिश करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भेरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण)
श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा)

84. उदयपुर जिले में बराबर अकाल पड़ते हैं, इस दृष्टि से सस्ते अनाज की दुकान हर पंचायत में खोली जाय, इस पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)
श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)
श्री यदुनाथ सिंह (नदवई)

85. जयपुर जिले में अकाल राहत कार्यों में प्रदत्त राशि के उपयोग में की जा रही देरी पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

86. टौंक जिले में बाढ़ नियंत्रण योजना तैयार कर कार्य शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. वर्ष 1981 की बाढ़ से क्षतिग्रस्त लाम्बा बांध का कार्य नहीं कराये जाने एवं भराव क्षमता बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर)

88. गल्ता (जयपुर) के टूटने पर बनाये गये मिट्टी के बांध में अनियमितता के विषय में चर्चा के लिये।

89. जयपुर में बाढ़ के समय विभाग द्वारा की गई खरीदों में घोटालों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

90. बाढ़ से होने वाली बर्बादी से बचाने के लिये जयपुर जिले की तहसील बस्सी में अपूर्ण बाढ़ नियंत्रण कार्य को अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत स्वीकृत कर नागरिकों को राहत दिलाये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

91. जयपुर जिले की तहसील बस्सी में बन्ध पृथ्वीपुरा पर चल रहे अकाल राहत कार्य बन्द करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

92. जयपुर जिले के अकाल राहत कार्यों पर श्रमिकों की संख्या और बढ़ाये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

93. जयपुर जिले में अकाल राहत कार्यों पर श्रमिकों के लिये छाया व प्राथमिक चिकित्सा सुविधा सुलभ कराये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

94. अकाल राहत कार्य पर लगे श्रमिकों को समय पर भुगतान किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

95. जयपुर जिले की तहसील बस्सी में अकाल से प्रभावित लोगों को रोजगार मुहैया कराने हेतु तुरन्त अकाल राहत कार्य स्वीकृत किये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

96. जयपुर जिले की तहसील बस्सी में अकाल से प्रभावित बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु राहत कार्य के अन्तर्गत अपूर्ण सड़कों को पूरा कराने पर चर्चा के लिये।

97. अग्नि पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल सहायता दिये जाने हेतु पंचायत समितियों को पूर्व की भांति राशि आवंटित किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

98. जयपुर जिले की नगरपालिका बस्सी एवं चाकसू के बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को 31 मार्च से पूर्व बाढ़ सहायता राशि वितरण कराये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

99. जयपुर जिले की तहसील चाकसू में बाढ़ सहायता राशि के वितरण में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

100. जयपुर जिले की तहसील चाकसू एवं बस्सी में बाढ़ से प्रभावित वास्तविक व्यक्ति का नाम सूची में अंकित न होने के कारण वरिष्ठ अधिकारियों से जांच कराकर पीड़ितों को सहायता दिलाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

101. जुलाई, 1981 में आयी भयंकर बाढ़ से हुई पशुधन क्षति की सूचियों में जिला विकास अभिकरण-तहसील-पटवार व पंचायत समिति चाकसू के निहीत स्वार्थी तत्वों की मिली-भगत से दस लाख रुपयों का घोटाला किये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

102. जुलाई, 1981 में आयी बाढ़ से प्रभावित ग्राम जटवाड़ा एवं गोठड़ा के परिवारों को फिल्म व्यवसाय एसोसियेसन द्वारा पाटोल के मकान बनाकर देने पर राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता से वंचित रखना तथा तहसील बस्सी व चाकसू के अन्य लोगों को पाटोल अथवा पक्के मकान दिये जाने पर भी सहायता राशि देने से उत्पन्न भेदभाव की नीति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

103. जुलाई, 1981 की बाढ़ से क्षति ग्रस्त लोगों को दो बार सर्वे हो जाने के पश्चात् भी राहत राशि न दिये जाने से उनमें व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

104. अकाल राहत कार्य के माध्यम से जमुवारामगढ़ तहसील की पापड़ पंचायत के साऊ नामक गांव के बन्धे का कार्य चालू न होने पर चर्चा के लिये।

105. जयपुर जिले में आकस्मिक रूप से आग लग जाने पर राहत की राशि तत्काल उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

106. जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के चैनपुरा गांव में हुए अग्नि कांड से प्रभावित व्यक्तियों को इस मद में धन का प्रावधान न करने से राहत पहुँचाने में असफलता पर चर्चा के लिये।

107. प्राकृतिक आपदाओं से तत्काल राहत दिलाने के रूप में राहत नीति को क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. 19-7-81 की बाढ़ के समय मुख्य मंत्री सहायता कोष से दी गई राशि का उपयोग राहत कार्यों में न किये जाने पर चर्चा के लिये।

109. पंचायत नायला, राहोरी, रूपवास, लांगड़ीवास, इन्द्रगढ़, मानपुरा कलां, वासना, नटाटा, पापड़, जमुवारामगढ़, सायपुरा, तहसील जमुवारामगढ़ अकाल ग्रस्त घोषित होने पर भी अकाल राहत कार्य शुरू न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

110. 19-7-81 की बाढ़ से क्षति ग्रस्त झोटवाड़ा, अम्बाबाड़ी रोड का कार्य एक साल आठ महीना बीत जाने पर भी पूर्ण नहीं करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

111 आग से पीड़ितों की सहायता के लिये प्रावधान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. जमुवारामगढ़ पंचायत समिति की पंचायत वासना के ग्राम बास बिसूरी नागल तुलसीदास में 19-7-81 की भयंकर बाढ़ से हुई क्षति के लिए राहत राशि न देने व राहत कार्य प्रारम्भ न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

113. वर्ष 1981 की बाढ़ के कारण टौंक जिले में क्षति ग्रस्त सड़क एवं पुलियाओं का निर्माण पूर्ण नहीं कराये जाने एवं घटिया स्तर का सामान लगाने से उत्पन्न स्थिति एवं जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुडामालानी)

114. राज्य सरकार द्वारा अकाल राहत कार्यों पर लगे श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)

115. गोगुन्दा, कोटड़ा तहसील जिला उदयपुर में अपर्याप्त राहत कार्यों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

116. प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिये विशेष योजनाओं को तैयार नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

117. अकाल व बाढ़ का स्थाई हल निकाल कर जनता को राहत पहुंचाने पर चर्चा के लिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर)

118. अलवर जिले की थानागाजी, बानसूर, बहरोड़ तहसीलों में अकाल राहत कार्य प्रारम्भ न करने पर चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

119. नागौर जिले के अभाव ग्रस्त ग्रामों विरलोका, पोचला सिद्ध, ग्राचीवा, बराथल खुर्द, गिरान्दी, जोसुर, गुढ़िया व बरवटा में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत गांव तलाब नाड़ी का कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. राहत कार्यों के अन्तर्गत ग्राम बराथल से पांचला सिद्ध, जिला नागौर में राहत कार्य खोलने हेतु चर्चा के लिये।

121. अकाल ग्रस्त ग्रामों में सार्वजनिक सभी कुओं को जुताने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. अभाव ग्रस्त गांवों के सार्वजनिक कुओं को गहरा करने हेतु चर्चा के लिये।

मांग संख्या 27 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या–27 मुख्य शीर्षक– पेय जल योजना के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

1. टोंक जिले में समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर जिले की ग्रामीण जनता को पेयजल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

2. जयपुर शहर में उचित दबाव व निर्धारित समय पर पेयजल उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

श्री मालाराम (खेतड़ी)

3. मण्डावा (झुंझुनू) जलदाय योजना में वार्ड नं.-एक की मालियों की ढाणी में पाइप लाइन डालने हेतु उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

4–सीकर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गूंगारा की पेयजल योजना में निर्वाणों एवं स्वामी की ढाणी को शामिल न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

5. सीकर नगर में पेयजल अभाव को दूर करने हेतु दो नये ओवर हैड पम्प बनाने एवं बीस कुओं पर टी.एस.एस. लगाने हेतु चर्चा के लिये।

(श्री मालाराम)

6. सीकर नगर की नई बस्तियों में पाइप लाइन न होने से जलाभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

1. श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची)

2. श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर)

7. पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण अंचल में पेयजल की शीघ्र व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन)

8. झालावाड़ एवं झालरापाटन में पेयजल का भारी संकट है, इस पर चर्चा के लिये।

9. झालरापाटन तहसील के गांवों में पेयजल का भारी संकट है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर)

10. उदयपुर नगर की कई बस्तियों को शुद्ध एवं पर्याप्त पानी न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बंशी लाल पटवा (भीलवाड़ा)

11. भीलवाड़ा तहसील के वरजोद व गाडरमाला में स्वीकृत पी. एन. टी. स्कीम को चालू न करने पर चर्चा के लिये।

12. केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत भीलवाड़ा तहसील के गावों में हैण्ड पम्प न लगाने के विषय में चर्चा के लिये।

13. भीलवाड़ा नगर की पेयजल व्यवस्था ठीक कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. भीलवाड़ा तहसील के खेराबाद, बड़ा महुआ, दांथला, कादां ग्रामो में पेयजल व्यवस्था करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव)

15. बाड़मेर जिले के नए राजस्व ग्राम–पूनियों का तला अजवानी, जाखड़ोका-तला, बरमा–शहराद, कापार, खडीन, जीने-कापार, वहाला, लेनेजोकी बस्ती व मंडालीया ग्रामों के लिये पेयजल योजनाएं बनाने पर चर्चा के लिये।

16. बाड़मेर जिले की क्षेत्रीय जल योजना के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिए।

श्री माणकमल मेहता (पाली)
श्री भैरूंसिह गुर्जर (खारची)
श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर)
श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

17. रोहट (Rohat) पंचायत समिति क्षेत्र (पाली) की रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम्स की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर)
श्री असलम खां (बाली)
श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

18. सुमेरपुर पंचायत समिति (पाली) के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

Page No 33

(श्री गोकुल चन्द शर्मा)
(श्री असलम खां)
(श्री रतनाराम चौधरी)

19. पंचायत समिति पाली के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या के समाधान के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)
श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)
श्री माणकमल मेहता (पाली)
श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची)
श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर)
श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)
श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा)
श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा)
श्री असलम खां (बाली)
श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण)

20. जो ग्रामीण क्षेत्रीय रीजनल योजनाएं बनी हुई हैं, उनसे पानी की नियमित सप्लाई न होने पर चर्चा के लिये।

श्री समर्थलाल (राजगढ़)

21. नगरपालिका क्षेत्र राजगढ़ में पेयजल की समुचित व्यवस्था न होने के क्रम में चर्चा के लिये।

22. अलवर जिले में 80 प्रतिशत हैण्डपम्प बन्द हो जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव)

23. बाड़मेर जिले के ग्राम मगरा, जैसिन्धर, चाड़ी, चाड़ार, गेगाला, जोरानाड़ा में नलकूप खोदने पर चर्चा के लिये।

24. बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में पेयजल योजनाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिये हैल्पर होने पर बैन हटाने पर चर्चा के लिये।

25. बाड़मेर डिवीजन में 5 जूनियर इंजिनियरों की पूर्ति हेतु चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

26. उदयपुर ग्रामीण के कुछ गांवों में पानी के ट्रक नहीं जा सकते हैं, अतः सार्वजनिक कुएं विभाग द्वारा खुदवाये जायें, इस पर चर्चा के लिये।

श्री कनकराज मेहता (सांचौर)

27. सांचौर तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में हुए मीठे पानी के सर्वे के अनुसार समस्या ग्रस्त ग्रामों को पेय जल उपलब्ध कराने के लिए योजना के बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर-पश्चिम)

28. राजस्थान के पेयजल की व्यवस्था के लिए रीजनल योजनाओं के विस्तार पर चर्चा के लिए।

29. ब्यावर नगर पेयजल की अव्यवस्था पर चर्चा के लिए।

30. अजमेर की जनसंख्या की बढ़ती आबादी के लिए वर्तमान व्यवस्था अपूर्ण है, इस पर चर्चा के लिए।

31. अजमेर के लिए चम्बल से रीजनल योजना द्वारा जल लाने पर चर्चा के लिए।

श्री असलम खां (बाली)

32. पंचायत समिति, बाली जिला पाली के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) :

33. सूरजगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की समस्या पर चर्चा के लिए।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर):

34. पेयजल के अभाव में भीलवाड़ा जिले में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल पारीक (मांडल) :

35. माण्डल क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में पेयजल की भयंकर समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

36. बनास नदी से विभिन्न ग्रामों को पेयजल सुलभ कराने के लिए क्षेत्रीय जल-प्रदाय योजनाओं की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना)

37. ग्राम पंचायतों की ढाणियों में हैण्ड पम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पीरूराम (टी.बी.)

38. श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, टीबी एवं नोहर तहसील के ग्रामों में पेयजल की सुविधा नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई)

39. ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के स्थाई हल में राज्य सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं) :

40. तहसील बेगूं में नई ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें स्वीकृत करने पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) :
श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह)

41. पेयजल हेतु पुराने कुएं गहरे करवाने, ट्यूब वैल्स खोदने व हैण्ड पम्प्स लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

42. हैण्ड पम्प लगाने में भ्रष्टाचार होने के बाबत चर्चा के लिए।

श्री थावरसिंह मीणा (सलूम्बर) :

43. सलूम्बर तहसील में वस्ती, खरोड गांव में जलप्रदाय योजना की स्वीकृति हेतु चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर)

44. उदयपुर नगर के लिए पीने के पानी की व्यवस्था जयसमन्द से लिफ्ट करके करने हेतु चर्चा के लिये।

45. उदयपुर नगर की जल समस्या के स्थाई हल हेतु देवास योजना के द्वितीय चरण का कार्य प्रारंभ करने पर चर्चा के लिये।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

46. उदयपुर नगर के जल वितरण की व्यवस्था ठीक करने के लिये नीमचमाता पर नया फिल्टर प्लांट लगाया जावे, इस पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

47. ग्राम कालवस में हरिजन बस्ती के हैण्ड पम्प को अन्यत्र लगाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री रामधन चौधरी (लाडनूं)

48. जल योजनाओं द्वारा ग्रामों को शुद्ध जल उपलब्ध कराने बाबत चर्चा के लिये।

भैरूलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़)

49. गठवाडी, रायसर, बड़ौद, माथासूला, नीमला, डागरवाडा, थली, थोलाई, खवा बूज, चावण्डिया, भानपुर कलां तथा भागोद में पेयजल योजना प्रारंभ कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री देवदत्त तिवाडी (बाड़मेर)
श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)
श्री चतुर्भुज चौधरी (टोडारायसिंह)

50. ग्रामों व ढाणियों में पीने के पानी की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)
श्री चुन्नीलाल (खण्डार)
श्री कुंजीलाल मीणा (बामनवास)

51. सवाई माधोपुर शहर में पेयजल संकट दूर करने हेतु नई योजना की क्रियान्विति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

52. पंचायत समिति, जसवंतपुरा तथा रानीवाड़ा में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

53. जालौर जिले में पेय जल योजना की स्वीकृति बाबत चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम)

54. ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने में सरकार असफल रही, इस पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

55. केशवरायपाटन के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

56. केशवरायपाटन नगरपालिका क्षेत्र में पाइप लाइन की क्षमता बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये।

57. कापरेन नगरपालिका के उप क्षेत्र अडीला में पेयजल योजना लागू करने हेतु चर्चा के लिये।

58. लाटवेरी नगरपालिका क्षेत्र में स्वीकृत पेयजल योजना को पूरी करने पर चर्चा के लिये।

59. केशवरायपाटन पंचायत समिति क्षेत्र में स्वीकृत हैण्ड पम्प लगाने हेतु चर्चा के लिये।

60. नैनवा निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम अरवाना में हैण्ड पम्प लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

Page No 36

(36)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

61. उदयपुर नगर के जल में भारी प्रदूषण है, पिछोला झील में गन्दे नाले गिरते हैं, सिवरेज का पानी बाहर नहीं गिर कर झील में गिर रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

62. पिछोला झील उदयपुर में पुनः जलकुम्भी फैल रही है, जिससे पानी गन्दा होने एवं सूखने का भय व्याप्त हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिह (दानपुर)
श्री फतेसिंह (कुशलगढ़)

63. सरकार स्वास्थ्य रक्षा हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की सफाई के लिये, शुद्धिकरण के लिये कोई कार्यक्रम नहीं चला रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

64. कोटा स्थित उद्योगों द्वारा जल प्रदूषण की कोई समुचित व्यवस्था न करने बाबत चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड (गोगुन्दा)

65. उदयपुर में दूषित पानी के वितरण से बीमारी फैलने पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी)

66. पंचायत समिति, लाडपुरा के नयागांव में पेयजल की भारी समस्या होने पर चर्चा के लिये।

67. रामगंज मण्डी तहसील के ग्राम मोतीपुरा खुर्द एवं खरणी में पेयजल की भारी समस्या पर चर्चा के लिये।

68. पंचायत समिति, लाडपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

69. टौंक जिले में ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत आज भी विभिन्न गांवों में पेयजल उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

70. निवाई में पेयजल संकट के कारण उत्पन्न स्थित पर चर्चा के लिये।

71. नगर जल प्रदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत टौंक शहर में विभिन्न मोहल्लों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

72. पेयजल की दृष्टि से समस्याग्रस्त गांवों की घोषणा सर्वे सूची में नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर):

73. आमेर एवं जयपुर तहसील में खराब पड़े हैण्ड पम्पों को दुरस्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

74. ग्रामीण क्षेत्रों की हरिजन बस्तियों व सार्वजनिक स्थानों पर हैण्ड पम्प न लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

75. दौलतपुरा (तहसील आमेर) की टंकी व नल योजना पूर्ण न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

76. हरमाड़ा पंचायत के मोयणा गांव में नल योजना पूर्ण न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

(सुश्री पुष्पा जैन)

77. आमेर तहसील के ग्राम पूट का बास (पंचायत मानपुरा) में हैण्ड पम्प लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

78. ग्राम पंचायत मित्रपुरा, पंचायत समिति बौंली, जिला सवाई माधोपुर में सन् 1973 में नल योजना चालू कराने हेतु 2500/– जमा कराये जाने के पश्चात् भी योजना चालू न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

79. जिला सवाई माधोपुर के 220 ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

80. ग्राम पंचायत कुपेरा में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

81. तहसील व जिला सवाई माधोपुर के ग्राम खिलचची में पेयजल योजना हेतु चर्चा के लिए।

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क)

82. तहसील विराटनगर की धवली एवं मनोहरपुर जल योजना की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

84. गांवों में पेयजल योजना को प्राथमिकता देकर उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)

84. जन स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त धांधाधापी एवं भ्रष्टाचार के संदर्भ में चर्चा के लिये।

85. सरकार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं करा पा रही है, उससे उत्पन्न कठिनाई के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

86. बागली (कोटा) में हैण्ड पम्प लगाते वक्त हरिजन बस्ती की उपेक्षा किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

87. इटावा, गेंता, पीपल्दा, खातोली, मांगरोल, इन्द्रगढ़, आदि कस्बों में हरिजन बस्तियों में नल लाइनें बिछाने के संबंध में चर्चा के लिये।

88. पीपल्दा कलां में छीपा मोहल्ले में नल लाइन बिछाने के संबंध में चर्चा के लिये।

89. पीपल्दा क्षेत्र के 75 समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

90. केकालेडी, बलवतखेडी, रामगंज रोड़गंज, कीटपुरा, आसीदा, बनाव दा, बिशनपुरा, ठीकरदा, गुठला, केथोदा, लालगंज, सीमोला आदि में शीघ्र पेयजल हेतु हैण्ड पम्प खुदाने के संबंध में चर्चा के लिये।

91. हैण्ड पम्प लगाये जाने में समस्याग्रस्त गांवों की उपेक्षा बरते जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

92. मांगरोल व इन्द्रगढ़ में पेयजल टंकी की क्षमता बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

93. अयाना व लुहावद में नल योजना लागू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

Page No 38

(38)

श्री छीतर लाल आर्य (अटरू)

94. अटरू क्षेत्र के करीब 100 ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

95 ब्यावर, अटरू, कवाई आदि कस्बों में नल लाइन बिछाने के संबंध में चर्चा के लिये।

96. खडीला (कोटा) में हैण्ड पम्प नहीं लगाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

97. छलावैल ग्राम में तहसील अटरू में अब तक हैण्ड पम्प नहीं लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

98. जीरोद ग्राम तहसील अटरू में अब तक हैण्ड पम्प नहीं लगाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

99. ग्राम अरडाना में हैण्ड पम्प नहीं लगाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

100. आमली में हैण्ड पम्प न लगाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर)

101. जिला जैसलमेर की राजमथाई जलप्रदाय योजना के अन्तर्गत ग्राम झालोड़ा भाटिया, दांतल तक पानी नहीं पहुंचाने से उत्पन्न भयंकर स्थिति की चर्चा के लिये।

102. जिला जैसलमेर के नगर पोकरण को जल प्रदाय योजना कलाऊ से जोड़ने हेतु चर्चा के लिये।

103. जिला जैसलमेर की डावला जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत ग्राम लाणेला, काठोड़ी, भादासर व मोकला में पाइप लाइन से पानी नहीं पहुंचने पर चर्चा के लिये।

104. जिला जैसलमेर की अजासर जल प्रदाय योजना में ग्राम ताड़ाना की पाइप लाइन से टंकी तक पानी न पहुंचने से उत्पन्न जल समस्या के निराकरण हेतु चर्चा के लिये।

105. जैसलमेर जिले में पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ)

106. ग्रामों की ढाणियों को पानी की सुविधा नहीं मिलती है, उन्हें भी पानी की सुविधा दिलवाई जावे, इस पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर)

107. ग्राम गुढा (सीकर) में पेयजल स्कीम की स्वीकृति अभी तक नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

108. ग्राम आसपुरा (सीकर) में पी.एण्डटी. जलदाय स्कीम की स्वीकृति न देने के बाबत चर्चा के लिये।

109. ग्राम हाथीदेह (सीकर) में जलदाय योजना की स्वीकृति न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

110. ग्राम लोहरवाड़ा (सीकर) में अधूरी पड़ी टंकी का निर्माण पूर्ण कराने बाबत चर्चा के लिये।

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

111. ग्राम बागरिया वास (सीकर) में जलदाय स्कीम की स्वीकृति बाबत चर्चा के लिये।

श्री राजबहादुर (भरतपुर)

112. भरतपुर नगर के लिये सीवेज और ड्रेनेज योजना न बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

113. भीलवाड़ा तहसील क्षेत्र के पंचायत क्षेत्रों में बन्द पड़े हैण्ड पम्पों के बारे में चर्चा के लिये।

114. भीलवाड़ा नगर में मेजा बांध से वाटर वर्क्स तक पाइप लाइन बिछाने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

115. रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की भारी समस्या तथा 80 प्रतिशत हैण्ड पम्प खराब होने पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

116. कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की पेयजल योजनाओं की क्रियान्विति नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

117. देवली नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल हेतु जो लाइन डाली गई है, उसके नवीनीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. देवली नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ईशवर लाल सैनी (लक्ष्मणगढ़)

119. मोदी एसेम्बली उद्योग से वातावरण में पोल्यूशन पैदा होता है इस के विषय में चर्चा के लिये।

120. अलवर में हैण्ड पम्प लगाने में हुए घोटाले पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा)

121. नोहर एवं भादरा क्षेत्र के खारे पानी के गांवों को क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं में सम्मिलित करके मीठे पेयजल की व्यवस्था करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली)

122. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

123. विवेकानन्द कालोनी, घाटगेट गिर्जाघर के पीछे जयपुर सिवरेज लाइन न होने से जनता को होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)

124. ग्राम बगरुकला जिला जयपुर में पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था न होने से जनता को होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल मीणा (मनोहरथाना)

125. झालावाड़ जिला की स्वीकृत पेयजल नल योजनाओं की अधिशाषी अभियंता जलदाय विभाग, झालावाड़ की अकर्मण्यता के कारण क्रियान्विति न होने पर चर्चा के लिये।

(श्री भैरू लाल मीणा)

126. झालावाड़ जिला क्षेत्रांतर्गत ल्हास, रानीपुरा पेयजल नल योजना चालू करने में देरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

127. झालावाड़ जिले में खराब हुए हैण्ड पम्पों के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री असलम खां (बाली)

128. ग्राम बेड़ा जिला पाली में जलदाय विभाग द्वारा पानी नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

129. ग्राम नाना जिला पाली में ट्यूब वेल खोदने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

130. चानडेरी, भन्दर, भाण्टद और सेलहा जलदाय की रीजनल योजना की स्वीकृति में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) :

131. पीने के पानी की समस्या का स्थाई हल नहीं निकाल पाने पर राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

132. ग्राम वासियों को शुद्ध जल उपलब्ध कराने की योजना न बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री प्रभुलाल (हिण्डौली)

133. ढोरडा ग्राम की जल समस्या का प्राथमिकता से निवारण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला)

134. ग्राम पंचायत चौकड़ी में बड़ी टंकी बनाने एवं पाइप लाइन बिछाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

135. ग्राम दुलेहपुरा में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री नाथूराम (डूंगरपुर)

136. जिला डूंगरपुर में पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी)

137. ग्राम सवाई जयसिंहपुरा, हिगोनिया; बासड़ा, छारवड़ा, पंचायत समिति फागी में पेयजल योजना स्वीकृत होने पर भी कार्य चालू नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर)

138. जैसलमेर जिले को आवंटित वाटर टैंकर्स के खराब होने से पेयजल को दूर दराज केन्द्रों पर पहुंचाने की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया (रतनगढ़)

139. ललवानिया–सरदारशहर प्रस्तावित पेयजल योजना का विस्तार कर रतनगढ़ तक बढ़ाये जाने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी)

140. बाड़मेर जिले के दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बसे लोगों हेतु पेयजल योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

141. बाड़मेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अपने-अपने खेतों में ढाणियों में निवास करनेवाले ग्रामीणों के लिए आर. डब्ल्यू. एस. एस की योजनायें लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

142. पेयजल योजनाओं के ट्यूब वैल्स को विद्युत् कनेक्शनों से प्राथमिकता से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हेमा राम चौधरी (गुडा मालानी)

श्री भगवान दास डोसी (चौहटन)

143. बाड़मेर जिले के ग्राम भोजासर, नोसर, सेवनीयाला, बोडवा, त्रिशूलीया, साजन की ढाणी, सणपा खरटीया, सरणू पनजी, सरणू भीमजी, सरणू चिमनजी, सोमेसरा नया एवं सोमेसरा जूना के लिए पेयजल की समस्या के हल के लिए ग्रामीण जल प्रदाय योजना की शीघ्र क्रियान्विति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

144. बाड़मेर जिले में वर्ष 82-83 में घोषित नये ग्रामों के लिए ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भरोसी (हिण्डौन)

145. राज्य सरकार ग्रामीण एरिया में पेयजल उपलब्ध कराने में असफल रही है, जिस पर चर्चा के लिये।

श्री चाव खां (कामां)

146. राज्य सरकार ग्रामीण एरिया में पेयजल उपलब्ध कराने में असफल रही है. जिस पर चर्चा के लिये।

श्री सैयद मोहम्मद अयाज महाराज (मसूदा)

147. हैण्ड पम्पों से अधिक सुविधाजनक, सस्ते व सरल नलकूपों के निर्माण के सुझाव को विभाग द्वारा नहीं माने जाने से होने वाली हानि पर चर्चा के लिये।

148 पंचायत समिति मसूदा और जवाजा में विभाग द्वारा लगाये गये हैण्ड पम्पों के उचित संधारण के अभाव पर चर्चा के लिये।

149. मसुदा, जवाजा, विजय नगर की जनता के लिये विशेष ग्रामीण पेयजल योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

150. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को समुचित पेयजल उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

151. कोटा के उद्योगों द्वारा दूषित वायु एवं दूषित जल के निष्कासन को न रोकने में विभाग असमर्थ रहा है इन पर चर्चा के लिये।

152. डी. सी. एम. के गन्दा पानी कसुवा तक पाइपों से बहाया जाता है व जगह जगह से टूटे हुए हैं व उस पानी को पीने से अनेक पशु मरते रहे हैं व मर रहे हैं, इस पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

153. भीलवाड़ा तहसील के सुवाना ग्राम की पी. एन्ड टी स्कीम का विस्तार करने के विषय में चर्चा के लिये।

154. भीलवाड़ा तहसील को दकोटा में पी. एन्ड टी स्कीम के विस्तार के विषय में चर्चा के लिये।

Page No 42

(42)

(श्री बंशीलाल पटवा)

155. भीलवाड़ा तहसील के प्रत्येक गांव में पेयजल हेतु हैण्ड पम्प लगाने के विषय में चर्चा के लिये।

156. भीलवाड़ा नगर के तालाब मे उद्योगों का गंदा पानी आने से पेयजल के कुओं का पानी दूषित होने के विषय में चर्चा के लिये।

157. भीलवाड़ा नगर व उप नगरों में पेयजल हेतु 100 और हैण्ड पम्प लगाने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव)
श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)
श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर)
श्री हेमाराम चौधरी (गुड़ामालानी)

158. बाड़मेर जिले में ग्रामीण पेयजल योजनाओं का कार्य अधिक होने की वजह से तहसील गुढामालानी व चौहटन के लिए नया डिविजन कार्यालय खोलने पर चर्चा के लिये।

श्री माणकमल मेहता (पाली)

159. रोहट पंचायत समिति की पानी योजनाओं का पशु संख्या के आधार पर अमेंड करने एवं समस्त योजनाओं की अविलम्ब स्वीकृति देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

160. जयपुर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र मे रामचन्द्र जी की चौकड़ी, जयपुर के पानों के दरीबे में गलियों की पाइप लाइन चार इंचो लाइन में बदलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

161. जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के रामचन्द्र जी की चौकड़ी में तनसुख श्रीमाल की गली में चार इंच पाइप लाइन बिछाने की आवश्यकता हेतु चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

162. गावों में अनुसूचित जातियों की बस्ती के लिये पेयजल हेतु हैण्ड पम्प लगाने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद (रूपवास)

163. रूपवास, पहलपुर, चुरा, धाना केरली पहाड़पुर, सिघमिया, मागरैन, हटनगर, वेदपुरा वीजा का नगला तेरहवा बहरा रेलपुरा में पेयजल के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री द्वारका प्रसाद बैरवा (निवाई)

164. निवाई विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)

165. ग्राम सिशोदा एवं पूठबा में समुचित जल योजना चालू करने में बिलम्ब से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

166. हैण्ड पम्प की गहराई कम होते हुये अधिक गहराई का भुगतान करने के संदर्भ मे चर्चा के लिये।

167. पचायत समिति, बस्सी में ग्राम भीभा तथा खेड़ा मे हैण्ड पम्प खराब व बन्द पड़े रहने के कारण नागरिकों को पेयजल उपलब्ध नहीं होने के बारे में चर्चा के लिये।

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

168. बस्सी पंचायत समिति के ग्राम कानेटी में लगाये गये हैण्ड पम्पों में पानी खारा व पीने योग्य नहीं होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

169. पंचायत समिति, चाकसू के ग्राम महाराजपुरा में गोठवालों की ढाणी पर हैण्ड पम्प चालू नहीं होने के कारण नागरिकों को पेयजल उपलब्ध नहीं होने के संदर्भ मे चर्चा के लिये।

170. पंचायत समिति चाकसू के ग्राम यादगारपुरा में हैण्ड पंप नहीं लगाये जाने के कारण नागरिकों को पेयजल के लिये हो रही असुविधा के क्रम में चर्चा के लिये।

171. बाढ़ मुरलीपुरा पंचायत समिति, चाकसू में हरिजन कालोनी में हैण्ड पम्प चालू नहीं करने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

172. चीमापुरा एवं गोडका वास (चाकसू) में हैण्ड पम्प चालू नहीं होने के कारण पेयजल समस्या का निवारण नहीं होने के संबंध मे चर्चा के लिये।

173. पंचायत समिति, बस्सी के ग्राम दुबली में एक व गढ में 4 हैण्ड पम्प चालू हालत में नहीं होने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

174. ग्राम नांगल बोहरा पंचायत समिति बस्सी में हैण्ड पम्प की गहराई 50 फीट होने के कारण पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है, इससे उत्पन्न कठिनाई के बारे में चर्चा के लिये।

175. ग्राम बल्लुपुरा पंचायत समिति बस्सी में हैण्ड पम्प की गहराई कम होने के कारण पेयजल उपलब्ध नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिये।

176. ग्राम चेनपुरा, दनाऊकला व दनाऊ खुर्द में हैण्ड पम्प खराब होने व उनसे पेयजल समस्या का निराकरण नहीं होने के संबंध मे चर्चा के लिये।

177. ग्राम भर, जटवाड़ा, टहटडा, सांभरिया, बैनाड़ा, पंचायत समिति, बस्सी में पेयजल समस्या यथावत होने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

178. बांसखोह (बस्सी) में पेयजल योजना से 75 प्रतिशत जनता के लाभान्वित नहीं होने के बारे में चर्चा के लिये।

179. ग्राम सांभरिया पंचायत समिति बस्सी में पेयजल नलकूप बाढ़ में नष्ट हो जाने के बाद उनका पुनर्निर्माण नहीं होने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

180. ग्राम रोजवाड़ा पंचायत समिति बस्सी में खारा पानी होने व हैंड पम्प नहीं लगने से उत्पन्न पेयजल समस्या के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

181. जयपुर की कच्ची व गन्दी बस्तियों में पेयजल उपलब्ध नहीं कराये जाने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

182. जयपुर में लक्ष्मण डूंगरी की टंकी से वितरण किये जा रहे पेयजल को सही प्रकार से शुद्ध न किये जाने से हो रही कठिनाई पर चर्चा के लिये।

Page No 44

(44)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

183. जयपुर में जमवारामगढ बन्धे की पानी की 27 इंच पाइप लाइन बार-बार टूटने से जनता में व्याप्त रोष पर चर्चा के लिये।

184. अधिकारियों की लापरवाही से जयपुर शहर में वाटर लाइन एवं गटरलाइन आपस में मिल जाने से शुद्ध पेयजल के अभाव में बीमारियों की आशंका पर चर्चा के लिये।

185. जयपुर नगर में पूरे दबाव से जल वितरण के अभाव से होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये।

186. जयपुर जिले में पेयजल की आवश्यकता को देखते हुए बनास योजना के लागू न किये जाने से होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये।

187. जमवारामगढ तहसील की पंचायत भानपुर कलां (जयपुर) की जल योजना लागू किये जाने के लिये जन सहयोग से अपेक्षित राशि प्राप्त होने पर भी जल योजना लागू न किये जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

188. जयपुर जिले की पेयजल योजना का विस्तृत सर्वे कराकर मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

189. जयपुर में पेय जल विभाग द्वारा केवल सुबह शाम के कुछ घंटे ही जल उपलब्ध कराने से जनता को हो रही कठिनाई पर चर्चा के लिए।

190. अमानीशाह के कुंओं से जल को शुद्ध कर पूरे दबाव से न दिये जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

191. विश्व बैंक की सहायता से निर्माण की जाने वाली ढूंढ नदी पर बन्धा कानोता पेय जल योजना में हो रही देरी से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

192. नागौर जिले के ग्राम बामणवाला, उसरनावड़ा, डेरवा, खारी, करपसोला थलाजू, कालड़ी सखवाली, नन्दवानी, पाटलियां, माजरा, गोवन, काठया बखटा, इन्दास, जेसीयाद, सुवाद, चरडा आदि गांवों को पेय जल उपलब्ध कराने में प्राथमिकता न देने पर चर्चा के लिये।

193. नागौर जिले के जिन गांवों में हैण्ड पम्प योजना से पानी उपलब्ध कराया गया उन गांवों में ज्यादा हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं उन्हें ठीक कराने हेतु चर्चा के लिये।

194. नागौर जिले के ग्राम अलाय गुढ़ा, भगवानदास, कांचला, सिद्धा श्रीबालाजी, मांडपुरा, विरलोका, कुडची आदि गांवों की जल योजना सुचारु रूप से नहीं चल रही है, इससे ग्रामीणों को होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये।

195. नागौर जिले के ग्राम आचीणा, गूडला, खटोडा, सारीका कलां, सारीका खुर्द आदि गांवों के लिए हैण्ड पम्प योजना बनाई गई, जहां पानी का जल स्तर 200 फीट से ज्यादा गहरा है, इस पर चर्चा के लिये।

196. नागौर जिले के ग्राम आंबला, हुसीराना एवं टांकला की पम्प एण्ड टेंक योजना बदल कर हैण्ड पम्प योजना शुरू की गई, जहां पर 150 फीट से गहरा पानी है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

197. उदयपुर डिस्टिलरी द्वारा गन्दा पानी आयड की नदी में डालने से वहां जलदाय विभाग द्वारा निर्मित कुओं का पानी खराब हो गया, जिससे व्याप्त जन असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर)

198. जयपुर में नाहरगढ़ किले के नीचे बने मोहन नगर में पेय जल के भारी संकट के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोडा (जयपुर ग्रामीण)

199. विभाग द्वारा जयपुर नगर की चौकड़ी तोपखाना हजूरी, रामचन्द्रजी व गंगापोल में पूरे दबाव से पानी न देने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

200. हैण्ड पम्प योजना की जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्विति में होने वाली देरी पर चर्चा के लिये।

201. जयपुर नगर के सभी इलाकों को सुचारु रूप से जल वितरण कराये जाने के लिये विस्तृत सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

202. जयपुर, जमुवारामगढ़ तहसील की रूपवास पंचायत हैड क्वार्टर पर 2 हैण्ड पम्प गलत लगाये जाने व चालू न किये जाने से ग्रामीणों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

203. सरकार की घोषणा के अनुसार राजस्थान के सभी गांवों में जल उपलब्ध कराये जाने की क्रियान्विति में हो रही देरी से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

204. जयपुर जिले में जमवारामगढ़ झील की जल वितरण की मशीनों को ठीक सैट न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

205. जयपुर जिले में जल प्रदाय हेतु जमवारामगढ़ के अतिरिक्त दो नये बन्धे बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

206. तकनीकी जानकारी हेतु विभाग के जयपुर संभाग में उपकरणों की एवं तकनीकी कर्मचारियों की उचित व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

207. पंचमुखी हनुमानजी के मंदिर के पीछे से नाहरी के नाके तक अधूरी गटर लाइन को शीघ्र पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

208. ग्राम सावली तहसील दूदू (जयपुर) में अधूरे पड़े हैण्ड पम्पों को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

209. जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग में हैण्ड पम्प और ड्रिलिंग संबंधी घोटाले के संबंध में की गई कार्यवाही पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढा)

210. राज्य सरकार ग्राम पंचायत मुख्यालय जहाज एवं मावता ग्रामों (जिला झुन्झुनू) में पानी उपलब्ध कराने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

(श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

211. राज्य सरकार ग्राम पंचायत बड़ा गांव, छापोली, गुढ़ा गौड़जी पौंख, मनकसास कस्बों (जिला झुन्झुनूं) में जनसंख्या के अनुपात में पीने का पानी उपलब्ध कराने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

212. ग्राम पंचायत गुढ़ा में जूनियर इंजिनियर कार्यालय स्थापित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री कमला भाई मीणा (लसाडिया)

213. निर्वाचन क्षेत्र लसाडियां तहसील धरियावद व सलूम्बर के क्षेत्र के गांवों में पेय जल समस्या पर चर्चा के लिये ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)

214. कोटडा तहसील के देवरिया थाना के पास हैण्ड पम्प नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

215. गोगुन्दा के गणावल रोयड़ा मे पीने के पानी के अभाव पर चर्चा के लिये ।

216. उदयपुर के गोगुन्दा के ग्रामीण इलाके में पेय जल की समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

217. गोगुन्दा के कड़दा नान्देशमा, सायरा में पीने के पानी की किल्लत है, इस पर चर्चा के लिये ।

218. उदयपुर नगर मे पेय जल सिर्फ 1 घण्टा रात्रि को उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये ।

219. उदयपुर के पिछोला, फतहसागर का दूषित पानी सप्लाई करने से नागरिकों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

220. टौंक में गटर लाइन के अभाव से नागरिकों को होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिये ।

221. टौंक में पेय जल की समुचित व्यवस्था नहीं होने से जनता को होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

222. निवाई में गटर लाइन के अभाव से जनता को होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिये ।

223. निवाई में पेय जल के संकट से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

224 जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा विभिन्न वृतों, खण्डों एवं उप खण्डों के कार्यालयों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित कर राज्य कोष को लाखों रुपयों की हानि पहुंचाने पर चर्चा के लिये ।

225. जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग में हैण्ड पम्प लगाने हेतु भू-जल विभाग से मय स्टाफ के रिंग मंगाने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री हेमाराम चोधरी (गुड़ामालानी)

226. बाड़मेर जिले की भीमड़ा-बायतू जल प्रदाय योजना मे ग्राम बायतू भीमजी, रावतसर एवं चवा को पानी नहीं पहुंचाने पर चर्चा के लिये ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी)
श्री अमराराम (पचपदरा)

227. बाड़मेर जिले के ग्राम भोजासर एवं सेवनियाला के लिए जोगासरिया ट्यूबवैल जल प्रदाय योजना शीघ्र लागू कर पीने का पानी मुहैया कराने पर चर्चा के लिए।

मांग सं. 34 व 27 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम चौधरी। आज दो बहुत ही महत्वपूर्ण मांगें हैं और चर्चा लम्बे समय तक चल सकती है इसलिये कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, पी. एच. ई. डी. द्वारा पेय जल की सुविधा की माँग के संबंध में जो राज्य सरकार ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, दूसरे विभागीय सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 73–74 में समस्यामूलक ग्रामों का सर्वे किया जाकर पता लगाया गया जिसमें 24037 गाव समस्याग्रस्त घोषित किये गये। इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन गावों का सर्वेक्षण किया गया और जिन अधिकारियों के द्वारा जिन सूत्रों से सर्वे कराया गया उससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की जो समस्याएं हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों में जलप्रदाय योजना किस तरह से बनायी जा सकती है, यह न तो उन्होंने अपने कोर्स की किताबों में पढ़ा है और न व्यावहारिक ज्ञान उनको है। बगैर व्यावहारिक ज्ञान के और कोर्स में जब इन्जीनियरों ने यह चीज नहीं पढ़ी है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की जिन जल प्रदाय योजनाओं का उन्होंने सर्वे किया है, उन जल प्रदाय योजनाओं को वे कैसे बनायेंगे। कौन से गांव समस्याग्रस्त गांव हैं, आपने समस्याग्रस्त गांवों के लिये एक नार्म बनाया है. उस नार्म के अन्दर उन्होंने ....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, अब किस से कहें एक राज्य मंत्री जी थे....

श्री अध्यक्ष : आसन से कहें।

श्री महाराम चौधरी : इनसे तो मुझे उम्मीद है। इनको ही समस्याओं ने घेर लिया है।

(12.11 म. प.)

(श्री देवदत्त तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

मेरी समस्या की बात है।

मैं यह निवेदन कर रहा था, मेरा मेन मकसद यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए समस्या मूलक गांवों के लिये आपने जो नार्म तय किया है उसमें आपको आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आमूल चूल परिवर्तन करने के लिये मेरा निवेदन यह है कि हमारे राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों के जो गाव हैं उन गावों के लिये आपने जो क्राइटेरिया रखा है उसमें 1.6 किलोमीटर की दूरी के जितने गांव हैं उन सब गावों को समस्यामूलक माना है। इस क्राइटेरिया में यदि आप परिवर्तन नहीं करते हैं तो पश्चिमी राजस्थान के गांवों की समस्या दूर नहीं हो सकती है। इसलिये मेरा आप से यह निवेदन है कि इस सम्बन्ध

(श्री महाराम चौधरी)

में आपने सर्वे कराया है किन्तु वापस सर्वे करा कर समस्याग्रस्त गांवों को मद्देनजर रखते हुए सब से पहले यह निश्चय करें कि जिन गांवों, बस्तियों, मोहल्लों को 15 किलो मीटर में पानी नहीं मिलता है उन को सबसे पहले प्राथमिकता दें। मैं आप से कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहा हूं। मैं आप से कोई घर में टूटी नहीं मांग रहा हूं। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि आप सब से पहले उन बस्तियों, उन हरिजन बस्तियों में, उन ढाणियों में, जिनमें लोग 250/300 के समूह में रहते हैं और जो 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं, को सब से पहले पानी दें। 15 किलोमीटर की दूरी के गांवों की पानी की समस्या हल करने के बाद जिन गांवों को दस किलोमीटर के अन्तर्गत पानी उपलब्ध नहीं होता है, उनको दूसरी प्राथमिकता दें। तीसरी प्राथमिकता उन गांवों को दें जिन गांवों को या जिस बस्ती को 5 किलोमीटर के अन्दर पानी उपलब्ध नहीं होता है। चौथी प्राथमिकता उन गांवों को दें जिनको तीन किलोमीटर की दूरी पर पानी उपलब्ध होता है। सभापति महोदय, मेरा तो निवेदन यह है कि सर्वे के अन्दर कमी रही है। उसके आधार पर आप किस तरह से इस समस्या का समाधान कर सकेंगे।

अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने 1-4-1983 तक 13,500 गांवों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। आपने यह भी कहा है कि इस लक्ष्य की पूर्ति कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि क्या इसी तरह से आप 13,500 गांवों को पानी उपलब्ध करा देंगे जिस तरह से नागौर निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के 88 गांव हैं उन 88 गांवों में से आपने 50 गांवों को विभिन्न पेयजल योजना से पानी प्राप्त कराया है। आपने वहां क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना, पी. एन. टी. योजना, ट्रेडीशनल योजना और हैण्ड पम्प की योजना ले ली है। मेरा निवेदन यह है कि 88 गांवों में से 50 गांवों को पानी पिलाया और 36 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये अभी तक किसी प्रकार की योजना कार्यान्वित नहीं की है। जिन 50 गांवों को पानी उपलब्ध कराया है मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि उन 50 गांवों के अन्दर यदि आप बीस प्रतिशत आदमियों को भी पानी उपलब्ध करा सके हैं तो आप कहें वैसा मैं करने को तैयार हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि अधिकारियों की लापरवाही से, अधिकारियों की अवहेलना से और अधिकारियों को व्यावहारिक ज्ञान नहीं होने की वजह से जिन गांवों की योजना बनायी हैं उन योजनाओं से बीस प्रतिशत को भी पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है।

इसके साथ साथ, अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों के लिये राज्य सरकार की यह नीति है कि जहां पर शिड्यूल्ड कास्ट्स के मोहल्ले हैं, उन गांवों को, मोहल्लों को प्राथमिकता से पानी देंगे। लेकिन किसी एक भी ग्रामीण क्षेत्र की योजना के अन्दर आपने कहीं भी पानी उपलब्ध करा दिया हो तो मैं आप से जोर से कह सकता हूं। यह जो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं वह नागौर निर्वाचन क्षेत्र का दे रहा हूं। यही की यही स्थिति पश्चिमी राजस्थान की ढाणियों वाले गांवों के साथ बीतती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अनुसूचित जाति के मोहल्लों को आपने पेयजल उपलब्ध कराने

(श्री महाराम चौधरी)

में नीति की अवहेलना की है। सभापति महोदय, जो क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना है, जो आपने गांवों के लिये बनायी है, उस योजना के अन्दर 27-28 गांवों को आपने शामिल कर दिया है लेकिन जहां पर कि बिजली समय पर नहीं आती है वहां जेनरेटर सेट लगा दिये हैं तो वे जेनरेटर सेट पूरे नहीं चलते हैं, चाहे जब बंद हो जाते हैं। जेनरेटर सेट चलाने के लिये जो डीजल दिया जाता है, वह डीजल वहां पर नहीं पहुंचता है और पहुंचता है तो उसका पूरा उपयोग नहीं होता है। ग्रामीण जल प्रदाय योजना हमारे क्षेत्र में केड़िया में बनी हुई है। क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना के छोर पर जो गांव हैं उन गांवों के अन्दर पानी नहीं पहुंचता है। इसके साथ-साथ अढ़ाई जो आखरी गांव है, पाइप लाइन से रास्ते के अन्दर जितने भी आबादी के गांव आते हैं चाहे वे शिड्यूल्ड कास्ट्स के आते हों, चाहे दूसरी आबादी के आते हों, उनमें से किसी को पानी उपलब्ध नहीं कराया है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात आपकी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ढाणियों के अन्दर पाइप लाइन जाती है। पाइप लाइन जाते हुए जो आदमी देखते हैं उन आदमियों को पानी नहीं मिलता है। वह आदमी अपनी कोठी या जानवर लेकर उस स्थान पर जाते हैं पानी के लिए तो उस स्थान पर जो हौज बना हुआ है उसमें उनको पानी नहीं मिलता है। वह हैरान होकर वापस आता है। स्थायी आदमी जहां पर लगे हुए हैं उनकी गरज करके पानी लाते हैं। परिस्थिति यहां तक हो जायगी कि उन आदमियों को मजबूर होकर पाइप लाइन तोड़ कर पानी पीना पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि आपने पानी के निमित्त यह निर्मित किये हैं। जो 250–300 ऐसी ढाणियां या मोहल्ले हैं, जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के मोहल्ले हैं, उनके अन्दर दो-दो इन्च की टूंटी लगा कर आपको पानी उपलब्ध कराना पड़ेगा। नहीं तो पाइप लाइन टूटेगी और आखिर के गांव में पानी नहीं जायेगा। क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना को आपने सबसे ज्यादा प्राथमिकता देकर के जल के स्रोत कायम नहीं किये इसके पहले ही पाइप खरीद कर सिर्फ कमीशन कमाने की नीयत से आपने यह सब काम किया है। मैं आपको ऐसी बहुत सी जगह के उदाहरण बता सकता हूं जहां जितने भी ट्यूब वेल सरकार ने जल स्रोत कायम करने के लिए खुदवाये हैं उनमें से 50 प्रतिशत ट्यूब वेल आज तक कामयाब नहीं हैं। उदाहरण के लिए श्री बालाजी गांव के लिए आपने लाखों रुपया लगा कर यू. पी. निगम से ड्रिलिंग मशीन मंगवा कर ट्यूब वेल खोदे हैं जो 2–3 साल से बेकार पड़े हैं। उससे पाइप लाइन लगाकर गांव में बिछा दी है।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, घण्टी बजाने की जरूरत नहीं है।

श्री सभापति : समय कम है। थोड़ा ध्यान रखें।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, आपके अधिकारी पी. एच. ई. डी. के एक्स. ई. एन., चीफ इंजीनियर वगैरह यह बात नहीं जानते हैं और जिन्होंने . . .

श्री सभापति : चर्चा फेमिन के बारे में करें।

श्री महाराम चौधरी : फेमिन के बारे में कहूंगा और स्पेशली आपके विभाग की बात बहुत अच्छी तरह से कहूंगा।

श्री सभापति : अवश्य कहें परन्तु थोड़ा संक्षेप में कहें।

श्री महाराम चौधरी : मैं आज यह बताना चाहता हूं कि जो पी.एच.ई.डी. के एस.ई.एन. हैं उन्होंने जो किताबें पढ़ी हैं उनके अन्दर ढाणियों, गांवों के पीने के पानी की योजना का जिक्र नहीं किया है। इसलिए उन्होंने ढाणियों और गांवों के अन्दर पानी नहीं पहुंचाया है। जिन लोगों ने यह किताबें लिखी हैं उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की जल योजना के मामले में कुछ नहीं बताया....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, 1.6 किलोमीटर कहें।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, मैं तो यह कह रहा हूं कि उसके कोर्स में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जब इंजीनियर गांव में पानी की योजना के बारे में पढ़ेगा नहीं तो उसको प्रेक्टिकल ज्ञान नहीं होगा। जब वह बम्बई, कलकत्ता, जयपुर की योजना बनाना जानते हैं उनको यदि आप गावों के अन्दर भेजेंगे तो सिर्फ किताब उठा करके हिन्दी के नाम को अंग्रेजी में और अंग्रेजी नाम को हिन्दी में लिख देंगे। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नागौर तहसील के अन्दर और खास तौर से मेरे निर्वाचन क्षेत्र नागौर के अन्दर कम से कम 10 ट्यूब वैल लापरवाही नहीं करके और गांवों के सलाहकारों की जानकारी के आधार पर खोदे गये होते तो वे कुएं सक्सेसफुल हो सकते थे। आज श्री बालाजी के अन्दर जो ट्यूब वैल सरकार के द्वारा खोदे गये हैं वह बेकार पड़े हैं। अढ़ाई के अन्दर कम से कम दो ट्यूब वैल सरकार के द्वारा खोदे गये हैं वे भी बेकार पड़े हैं। हालांकि जिस वक्त के अन्दर ट्यूब वैल का काम चल रहा था तो गांव वालों ने आगाह किया था कि हमको व्यक्तिगत तौर से जानकारी है कि यह ट्यूब वैल आप इतने से इतने फीट अगर खोदेंगे तो पानी पीने लायक नहीं आयेगा। वही हुआ, दोनों ट्यूब वैल का पैसा बेकार गया। आज उस गांव में जो पीढ़ियों से बडेरों के टाइम से, कई वर्षों पहले से जो एक बूढ़ा कुआ खुदा हुआ था वह कुआ एक मात्र ऐसा है जो क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना के पानी की अपर्याप्त मात्रा में पूर्ति करता है, पर्याप्त मात्रा में पूर्ति नहीं करता है। इसी तरह से, सभापति महोदय पांचका में ट्यूब वैल खोदे गये वे भी बेकार पड़े हैं। भगवानदास के अन्दर ट्यूब वैल खोदे गये वे भी बेकार पड़े हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आपके जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के इंजीनियर द्वारा ट्यूब वैल खोदे गये हैं या तो उनका सर्वे गलत हो गया या उनको व्यावहारिक जानकारी नहीं थी इसलिये वे सारे ट्यूब वैल अनसक्सेसफुल रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री): मैं यह पूछूंगा कि जो पांचका का कुआ है उसमें क्या पम्प खराब हो गया, फेल हो गया क्या ?

श्री महाराम चौधरी : ट्यूब वैल आपका सक्सेसफुल हुआ ही नहीं, पानी नहीं आ रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : अच्छा, तो पानी नहीं आ रहा है।

श्री महाराम चौधरी : पानी नहीं आ रहा है। उसको शुरू तो किया था। उसके अन्दर से कादा आना शुरू हुआ। उसके बाद सिर्फ एक दिन के लिए टंकी भरने के लिए पानी चढ़ा था। उस टंकी का जब जिक्र आ ही गया तो मैं बता दूं, उसकी क्या हालत है। जिस टंकी में इन्होंने एक दिन के लिए पानी भरा था वह टंकी ऊपर से टपक रही है जैसे मुसलाधार वर्षा बरसती हो। इसलिए इस संबंध में जांच करवाने की आवश्यकता है। जितने भी आपके जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कन्सट्रक्शन वर्क हुए और ट्यूब वैल खोदे गये हैं उनमें बहुत भयंकर अनियमितता हुई है। पांच लाख की टंकी तो खराब हुई तो हुई परन्तु वहां जो क्वार्टर वगैरह बनाये हैं या इंजन घर बनाये हैं उनके मेटीरियल के संबंध में भी जांच करायें तो आप महसूस करेंगे कि उनसे अच्छे तो गारे से मकान बन सकते थे।

सभापति महोदय, नागौर तहसील की पेयजल योजना के संबंध में जब पहाड़िया जी मुख्य मंत्री थे उस वक्त में जून 19 को लिखा था। पेयजल की समस्या के बारे में उस वक्त यह निवेदन था कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर जहां बहुत कम ऐसे गांव हैं जहां हैण्ड पम्प सक्सेसफुल हुए हैं...

श्री परसराम मदेरणा (मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) : पहला विधान सभा का जो सत्र हुआ है वह तो जुलाई में हुआ था। जून के अन्दर तो चुनाव वगैरह हो रहे थे। उस वक्त शायद आप नागौर में कहीं घूम रहे होंगे।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, मैं डेट भूल गया था।

पहाड़िया जी जब मुख्य मंत्री थे उस वक्त जो मैंने एक लैटर लिखा था वह लैटर भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इस संबंध में मेरा यह निवेदन है कि आप जानकारी करायें, हमारे क्षेत्र के हैण्ड पम्प सक्सेसफुल नहीं हैं। जब हैण्ड पम्प से वहां पर पानी उपलब्ध करवाने की योजना के सम्बन्ध में पिछले साल विधान सभा के अन्दर मैंने प्रश्न उठाया था और कई दफा चीफ मिनिस्टर को लिख चुका हूँ, माननीय मंत्री महोदय को लिख चुका हूँ, चीफ इंजीनियर, जो राजवंशी थे तो बदल गये उनसे एम. डी. जैन साहब से, माथुर साहब से भी निवेदन किया था। सभी ने कागज लिखकर अवगत कराया कि जो आप बात कह रहे हैं सही है। पेयजल योजना में व्यावहारिकता नहीं रखी गई है, लोगों को पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है इसलिए उनकी तुरन्त जांच कराई जायेगी। इतना वायदा करने के बाद भी मैं आज, मंत्री महोदय, आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के अन्दर जितने हैण्ड पम्प खोदे गये हैं क्षेत्रीय पेयजल योजना में, डिड़लोकी, कुचेरा, मांडपुरा में अभी तक कोई जांच नहीं की गई है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप थोड़ा संक्षेप में कहें।

श्री महाराम चौधरी : मैं यह उम्मीद करता हूं कि इस क्षेत्र के अन्दर

(श्री महाराम चौधरी)
जिन अधिकारियों ने लापरवाही की है और अनियमितता की है, ट्यूब वेल सही जगह नहीं खोदे गये हैं और जो अनियमितता की है उस संबंध में जांच करायें।

इसके अलावा, सभापति महोदय, विश्व बैंक पेय जल योजना के अन्तर्गत हमारे यहां एक एक्स. ई.एन. अजमेर का काम करता था और रेगुलर योजना के अन्दर नागौर में अलग काम करता था उस वक्त इन दोनों योजनाओं को उन्होंने शामिल करने की लापरवाही की। उस वक्त विश्व बैंक के अन्तर्गत जो पेय जल योजना उन गांवों की थी वह उसके पास ट्रांसफर कर दी। उस ट्रांसफर पीरियड के अन्दर कुंची, बिलोका, माडपुरा गांवों की योजना का 50 या 52 दिन कोई किसी का मालिक वगैरह नहीं रहा। उन दिनों न तो कोई डीजल भेजा गया और न कोई पावी की व्यवस्था रही। हालात यह हो गये कि जिन आदमियों को उन गांवों पर लगाया था वे ही पैसा वसूल कर गये थे। उन दिनों आपके जितने जेनरेटर इंजिन थे उनका सत्यानाश कर दिया इसलिए उनका आप पता करायें, जांच करायें। यह भी पता लगायें कि कितने का इसमें हरजाना हुआ है। सभापति महोदय, जो दूसरी हमारे यहां की जल योजना बनाई गई उस जल योजना के अन्दर जहां गांवों में 5-6 टूंटी की व्यवस्था की थी वे टूंटियां ठेकेदार के घर के अन्दर लग गईं जिस तरह पुराने समय में राजा महाराजाओं के · · ·

(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मुझे इस संबंध में बहुत कुछ कहना है।

एक निवेदन और करना चाहूंगा। इन योजनाओं की व्यावहारिकता के मामले में जो निवेदन किया है। मैं अलग अलग समय के अन्दर जानकारी करता आया हूं इस संबंध में स्थानीय अधिकारियों द्वारा जो लापरवाही बरती गई है उसकी आप एक दफा जांच करायें। हैण्ड पम्प जितने भी मेरे क्षेत्र के अन्दर खोदे गये हैं उनमें से अगर 10 पर्सेन्ट में भी पर्याप्त मात्रा में पानी आये तो मैं बड़ा अहसान मानूंगा। सभापति महोदय, एक जरूरी बात है जो पिछले थोड़े दिनों पहले · · ·

श्री सभापति : एक मिनट में समाप्त करें।

श्री महाराम चौधरी : मंत्री जी ने अवगत कराया था कि जिस गांव के अन्दर एक ही जल प्रदाय योजना लागू हो गयी है उस गांव में दूसरी योजना लागू नहीं की जायेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे गांव हैं जिन गांवो के अन्दर हैण्ड पम्प 80 प्रतिशत तक खराब पड़े हैं। यदि आप जांच करके वहां पर पुनः पानी की व्यवस्था नहीं करायेंगे तो जनता की क्या स्थिति होगी।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक निवेदन और करना चाहता हूं। ग्राम टोकल और आगस इन दोनों गांवों के लिये बहुत पहले ही कह दिया था · · ·

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें। बहुत समय न लें।

श्री महाराम चौधरी : कि इन गांवों के अन्दर आप हैण्ड पम्प योजना से पानी मत चलाओ। आज वे हैंड पम्प खराब पड़े हैं। हम लोगों को सूचना यह दी थी कि तुम्हारे यहां पर पी एन टी स्कीम चालू होगी। अधिकारियों ने जान बूझकर इस तरह की कार्यवाही की है। ऐसी ज्यादती तो मोहम्मद तुगलक सरकार ने भी नहीं की। एक दफा तो आपने योजना पी एन टी की चालू कर दी और बाद में जाकर वहां पर हैंड पम्प की कार्यवाही शुरू कर दी।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, अब मैं अकाल राहत के संबंध में केवल आपके ही गांव के बारे में कहूंगा।

श्री सभापति : आपने पहले ही कह दिया था कि अकाल राहत पर नहीं बोलूंगा। एक मिनट बोल लें।

श्री महाराम चौधरी : एक मिनट में तो सिर्फ इतनी ही बात कही जायेगी कि पिछले साल अकाल राहत कार्य हमारे यहां पर स्वीकृत तो हो गये लेकिन स्वीकृति के बाद पी. डब्ल्यू. डी. ने डेढ़ महीने तक काम शुरू नहीं किया। समय पर सड़क का काम शुरू नहीं होने से जो पुराने मार्ग थे उनका सत्यानाश हो गया। नागौर जिले के अन्दर 300 गांवों में से करीब 298 गांव के आस-पास हैं। सरकार ने 2000 मजदूर जनवरी में लगाने की व्यवस्था की है और फरवरी में 2000 व्यक्तियों को लगाने की व्यवस्था की है, 3000 व्यक्ति मार्च तक लगाने की व्यवस्था की है...

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

श्री सभापति : आप ज्यादा समय ले रहे हैं। कृपया समाप्त करें।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, 300 गांवों के अन्दर केवल 3000 व्यक्ति ही लगाये गये हैं तो आप अन्दाजा लगा लें कि एक गांव में कितने मजदूर लगाये गये हैं।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री रामसिंह विश्नोई : सार्जेंट का इस्तेमाल करें।

श्री महाराम चौधरी : मैं अकाल राहत मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पर लगातार चार पांच साल से अकाल पड़ते चले आ रहे हैं वहां प्राथमिकता देकर गांवों में नाड़ियों, सार्वजनिक जितने कुए हैं उनसे पिवाई कराने की व्यवस्था शुरू करायें। सबसे ज्यादा अकाल ग्रस्त गांव हैं मेरी पंचायत समिति मूंगा और पंचायत समिति नागौर के अन्दर उन गांवों के अन्दर अब तक कुछ काम शुरू हुआ है। 10-15 कुओं का पिवाई का काम शुरू हुआ है...

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री महाराम चौधरी : जो मजदूर लगे हुए हैं उनकी संख्या बढ़ायें। हमारे यहां पर तालाब खुदवाना जरूरी है। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : सभापति महोदय, मेरा नाम ?

श्री सभापति : आपको भी मौका मिलेगा।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय ने मुझको पहले काल अटेंशन मोशन पर बोलने को कह दिया था...

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) : सभापति महोदय, आज प्राकृतिक आपदाओं से राहत और पेयजल योजनाओं की मांगों पर विचार होने जा रहा है। पिछले 30-40 वर्षों से सदैव राजस्थान के अन्दर मुख्य जो आपदा है, जो समस्या है उसके समाधान के लिए माननीय सदस्यों ने कई बार अपने विचार रखे और राज्य सरकार ने भी समय-समय पर अपने सीमित साधनों के होने के बावजूद जो व्यवस्था की और प्रगति की मैं उसके लिए तो राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, जो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है उसको अगर ध्यान से देखा जाय तो सदियों से हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में, हमारे इलाके में अकाल पड़ता आया है। यह बात सर्वविदित है कि अपने देश में राजस्थान ही एक ऐसा प्रान्त है जहां पर पिछले लम्बे समय से अकाल पड़ने के कारण हमारी सरकार की आर्थिक स्थिति इतनी डांवाडोल हो चुकी है कि आज प्रगति के जितने कार्य हैं, विकास के जितने कार्य हैं वह करीब-करीब अवरुद्ध हो गये हैं। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जो सम्बन्धित माननीय मंत्रीगण हैं उनसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान के अन्दर जो सदैव अकाल पड़ता है उसका कोई पक्का स्थायी समाधान निकालें ताकि हमारी सरकार के ऊपर, जनता के ऊपर ज्यादा भार नहीं पड़े। आदरणीय सभापति जी, अकाल हमारे इस क्षेत्र का एक बहुत ही बड़ा और मुख्य उद्योग बन गया है। जिस प्रकार हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र के अन्दर बड़े-बड़े उद्योग लगे हुए हैं उसी प्रकार हमारे क्षेत्र के अन्दर, हमारे प्रान्त राजस्थान के अन्दर अकाल एक उद्योग है जिसमें कम से कम 5-10 लाख लोगों को प्रति वर्ष रोजगार उपलब्ध कराते रहे हैं। हालांकि इस उद्योग से हमारी सरकार को कोई फायदा नहीं होता है लेकिन मैं इसको अगर राजस्थान के अन्दर अपरिहार्य कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सभापति महोदय, हम उस क्षेत्र से आते हैं, जो पश्चिमी राजस्थान है, जहां वास्तव में बरसात नहीं होती है। हम लोग पानी के लिये तरसते हैं। हमारे मवेशी, हमारा पशु-धन, वहां पर बसने वाली पूरी जनता पानी, रोजगार, अनाज, फसल के लिये मोहताज रहती है। दूसरी तरफ कुछ हमारे ऐसे अधिकारी हैं, राजनितिज्ञ हैं जिनके कारण ही हमारे राजस्थान में हर जगह अकाल दिखा दिया जाता है और हमारी सरकार की आर्थिक स्थिति के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात होता है। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जिलों के अन्दर भयंकर स्थिति पिछले चार पांच साल से हो रही है और वहां पर काम नहीं हो सकता है, क्योंकि पूरे राजस्थान में अकाल दिखा दिया जाता है। अकाल राहत कार्यों का फायदा गरीब लोगों, काश्तकार, मवेशी को होना चाहिए किन्तु वे उससे वंचित रहते हैं, उनको उससे महरूम रहना पड़ता है। हमारी सरकार के पास सीमित साधन है, फिर लगातार कई वर्षों से अकाल पड़ रहा है। एक तो वास्तव में पानी नहीं है उसके कारण फसल नहीं होती है किसानों को खेती की आम-

(श्री रामसिंह विश्नोई)

शनी से महरूम रहना पड़ता है लोग भूख से त्राहि-त्राहि करते हैं और लाखों करोड़ों रुपये बेकार के कामों में अधिकारियों की जेब भरने के लिये खर्च हो जाते हैं। इसका दुष्प्रभाव हमारी सरकार के बजट और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। हमारे पूरे राज्य में विकास के काम होने चाहिए वह नहीं हो पाते हैं। इसलिये, सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की जो व्यवस्था बन गयी है कि गिरदावरी के माध्यम से पूरे राजस्थान के 35-37 हजार जो गांव है उनमें से 25 हजार तीस हजार गांव अकाल ग्रस्त घोषित करने पड़ते हैं। यह परम्परा बन गयी है कि ज्यादा से ज्यादा गांव अकाल ग्रस्त घोषित करें। जहां पर अकाल वास्तव में होता है, बरसात नहीं होती है, काम का जरिया नहीं होता है, पूरी अकाल की परिस्थिति होती है वहां पर अकाल घोषित होना चाहिए। उसके लिये मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा। सभापति महोदय, अब अकाल की स्थिति हमारे स्टेट के अन्दर होती है तो एक प्लान होना चाहिए हमारी सरकार के सामने कि जब अकाल होगा तो पर्टिक्यूलर काम होगा वरना एकदम हमारी सरकार के सामने भयंकर स्थिति आ जाती है, कोई प्रोग्राम नहीं होता तो यह होता है कि सड़कों के ऊपर ज्यादा लेवर होती है। ये नोलेज की बात करते हैं, कोई प्लान नहीं होता है कि कितने तालाब हैं जिनमें टूट हुयी है, कितने तालाबों को ठीक करवाना है, कौनसा बड़ा तालाब है जहां पर 12 महीने पानी रुक सकता है, कौनसा क्षेत्र है जहां पर धरती में पानी नहीं है। कहां टांके बनवाने हैं, कहां तालाब बनवाने हैं, कहां बड़े-बड़े तालाब बनवाने हैं, कहां एनीकट्स बनवाने हैं, कहां पक्की सड़क बनवानी है, कहां रोड साइड पर पेड़ लगवाने हैं।

श्री सभापति : अचानक अकाल पड़ने के कारण समय नहीं रहता है।

श्री रामसिंह विश्नोई : समय की बात नहीं है। संक्षेप में ही कहूंगा। समय जाता तो अकाल में ही है, अकाल पर ही बोलना है, यहां से कोई भागना तो है नहीं।

श्री सभापति : अकाल पर अकाल हो जाता है।

श्री रामसिंह विश्नोई : जो भी काम करें वे पक्का करें जिससे कि लोगों को कुछ फायदा हो। जिससे कि हमारी जनता के ऊपर कम से कम असर हो इस तरह की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। इस तरह की व्यवस्था करने के बाद ही अकाल को रोका जा सकता है वरना अकाल को नहीं रोका जा सकता है।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : माननीय ने ही अकाल को संरक्षण दे रखा है।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं यह कह रहा था कि प्राकृतिक रूप से ही हम तो उपेक्षित हैं। आप लोगों ने हमारा धन्धा अपनाया है, क्षमा करें, भगवान आपकी इच्छा पूरी करें, हमारा अकाल आपके यहां पर चला जाय और आपके यहां पर जो प्रकृति की अनुकम्पा है वह हमारे यहां पर आ जाये। परन्तु हमारे यहां पर ऐसा नहीं होता है। भारद्वाज जी, आप अपनी प्रकृति को हमारे यहां पर भेज दें।

(श्री रामसिंह विश्नोई)

सभापति महोदय, इसलिये मेरा निवेदन है कि प्लानिंग होना चाहिए। पर्टिक्यूलर एरिया में जब अकाल पड़ जाता है उसी वक्त जिला अकाल समिति की बैठक बुला-कर विचार करना चाहिये, क्या करना है, सड़क बनानी है, यह राष्ट्रीय महत्व की है, यह राज्य स्तर के महत्व की है, यह जिला मुख्यालय के महत्व की है। एक एक काम इस तरह करेंगे तो कम से कम सरकार के पैसे का, जनता के पैसे का दुरुपयोग होगा। वरना जैसे बाड़मेर है, जैसे जैसलमेर है उस इलाके में सड़कीकरण का काम करते हैं। बरसात के अन्दर, गरमी के अन्दर जब आंधी आती है तो सारी रेत उड़ जाती है और लाखों रुपयों की ठेकेदार अधिकारियों के माध्यम से सड़कें बनाते हैं उनका नाम-निशान नहीं रहता है। लोगों को, मजदूरों को पैसा मिलता है 1 रुपया और ठेकेदार सात रुपये ले जाता है। उसका 7 रुपये का हल्म बन जाता है। मई-जून के अन्दर जब बरसात हो जाती है उस समय सड़क के ऊपर ठेकेदार और अधिकारी ढुलाई का काम, मूठ डालने का काम करते हैं और वास्तव में डालते नहीं हैं। मूठ डालने का बहाना बनाकर लाखों करोड़ों का राज्य को नुकसान पहुँचाते हैं इसलिए इस तरह की व्यवस्था करें कि जो पैसा है वह ज्यादा से ज्यादा गरीब आदमी की जेब में जावे। ज्यादा पैसा गरीब की जेब में जाना चाहिये। गांवों के अन्दर ऊंट छकड़ा, बैलगाड़ी होती है कुछ किसानों के पास ट्रैक्टर है तो मई के अन्दर ढुलाई का काम होना चाहिए। यानि जुलाई के अन्दर ढुलाई का काम करते हैं वह काम बिल्कुल बन्द करके, अप्रेल मई में करावें ताकि इसका दुरुपयोग नहीं हो सके।

एक, माननीय सभापति महोदय, अकाल के दिनों में पानी की जो बात है, जो प्लानिंग अकाल में करते हैं उसमें कम से कम पेयजल की योजना रखनी चाहिये। उनमें कम से कम पानी की योजना को हाथ में लेना चाहिए। डी पी ए पी में टांकों के माध्यम से, बड़ी बड़ी योजना बनाकर, ट्यूब वैल बना-कर, राजस्थान कैनाल बनाकर, लिफ्ट सिंचाई की योजना बनाकर या जो भी योजना हो उसको बनाकर आप काम में लें ताकि अकाल का कम से कम असर हो।

माननीय सभापति महोदय, जब हमारे क्षेत्र के अन्दर अकाल पड़ता है उस समय ज्यादा से ज्यादा हम डिपेंड करते हैं, मवेशी के ऊपर। मवेशी के लिए घास होती नहीं, जून जुलाई और अगस्त सितम्बर में। हमारा मवेशी घास से तृप्त होना चाहिए। बरसात नहीं होने के कारण मवेशी भूखा मरता है। राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि जो पशु आहार है उसके लिये उनको सब्सिडी दें। राजस्थान के अन्दर जो भयंकर अकाल से ग्रस्त जिले हैं वहां पर प्रत्येक गांव के अन्दर इस तरह के सब सैंटर स्थापित करने चाहिए, सहकारी समितियों के माध्यम से या पंचायतों के माध्यम से या पंचायत समितियों के द्वारा समस्त जगहों पर पशु आहार की व्यवस्था करनी चाहिए ताकी मवेशी को बचाया जा सके।

श्री सभापति : पर्याप्त मात्रा में आप तैयार नहीं कर पाते।

श्री रामसिंह बिश्नोई : मैं आपको वायदा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं, डेयरी के अन्दर जो पशु आहार संयत्र बने हुए हैं,

(श्री राम सिंह विश्नोई)

उनकी कैपेसिटी प्रतिदिन की 500 टन की है। 500 टन का मतलब बहुत बड़ा होता है। मेरे ख्याल से कोई आपको तकलीफ नहीं होगी, जितना आप राजस्थान के अन्दर पशु आहार मांगेंगे, डेयरी आपको उपलब्ध करायेगी। लेकिन सवाल यह है कि हमारे गांव के पशु पालक उसको एक रुपया तीस पैसा की दर से खरीदने की स्थिति में नहीं है। इसलिए कम से कम 50 प्रतिशत सब्सिडी मिल जाय पशु आहार की व्यवस्था में तो इससे राहत मिलेगी। मैं अकाल राहत मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, आपने पूरे राजस्थान के अन्दर अभी केन्द्र खोले हैं, मैं इस काम की प्रशंसा करता हूं। प्रत्येक गांव के अन्दर नहीं कर सकें तो प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के अन्दर तो कम से कम केन्द्र किसी भी रूप में खोले जाने चाहिए। अगर आप इसकी व्यवस्था कर देते हैं तो बहुत बड़ा हित पशु पालकों का करेंगे। इससे अकाल पीड़ित जनता का पशुओं के आधार पर जीवन यापन होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह सबसे बड़ा काम है, यह आप करावें।

सबसे बड़ा जो काम है, योजनायें बनती हैं, पानी का मामला बता रहा हूं, हालांकि यह मामला सन् 60 का है, अकाल के कारण हमारे पश्चिमी राजस्थान के अन्दर जो योजनायें बनीं, दस, दस बीस बीस साल से पहले की योजना बनी हुई थीं पानी की, वह योजनायें 15-20 गांवों की लम्बी योजनायें बना दी गयीं। हालांकि इसमें कोई बदनीयती नहीं थी लेकिन जिन 15-20 गांवों में पानी नहीं था, जहां पर पानी उपलब्ध हुआ, वहां ट्यूब वैल बनाकर 10-15 गांवों को जोड़ दिया जो कम से कम 20-30 मील लम्बी योजना है। मैं नहीं कहता कि बुरा काम हुआ लेकिन वास्तव में एक तो उनको बिजली नहीं मिलती 4-5 घण्टे से ज्यादा। 2-3 घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं मिलेगी तो दो तीन गांवों से आगे पानी नहीं जायेगा। नहीं जाने से ठेठ के गांवों में साल में 3-4 बार भी पानी नहीं पहुंच पाता। मेरे क्षेत्र में ऐसी योजनायें बनी हुई हैं वह कम से कम 10 साल पहले बनी थीं। माननीय सभापति महोदय, मैं विश्वास दिलाता हूं, 10 साल पहले की योजनायें बनी हुई हैं, आज दिन तक उन योजनाओं से गांवों के अन्दर पानी नहीं गया। वहां पर जो क्वार्टर बने हुए थे, उनकी लकड़ियां, दरवाजे निकालकर ले गये, पत्थर ले गये, पट्टियां ले गये, नल गढ़े हुए हैं. उसको निकाल कर ले गये, यह स्थिति है, पी एच ई डी की उस योजना की जो लम्बी बनी हुई थी। पानी का कोई सोर्स ढंग से देखा नहीं और 10-20 गांवों को जोड़ दिया। अधिकारी थे, उन्होंने अपना इलम चला कर लाखों करोड़ों राज्य सरकार के खराब कर दिये, अपनी जेब भर ली, जनता की समस्या का एक रत्ती भर समाधान नहीं हुआ। यह स्थिति इन लोगों ने कर रखी है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, ये तो ओलमा देते हैं कि हमारे को बिजली नहीं मिलती है इसलिए हमारी योजनायें नहीं चलती हैं। बात सही है, वास्तव में। पर आपको मालूम है कि राजस्थान सरकार ने और बिजली बोर्ड ने आदेश दिया है कि 24 घंटे हम, जहां पानी की योजनायें बनी हुई हैं उनको बिजली मुहैया करायेंगे। लेकिन हमारे किसानों की और ट्यूब वैलों को बिजली साथ साथ आयी है, इसलिए कहते हैं, अलग अलग

(श्री रामसिंह विश्नोई)

होनी चाहिए। पी. एच. ई. डी. ने पैसा जमा कराया हुआ है, लेकिन बिजली बोर्ड वाले कहते हैं, हमारे पास सामान नहीं है, खम्भे नहीं हैं, तार नहीं हैं, इस तरह बहाना बनाकर योजनाओं को ठप्प किया हुआ है, उससे जनता को परेशानी होती है। जब योजना फेल हो जाती है तो राज्य सरकार के कलेक्टर को, जिला प्रशासन को लाखों रुपए खर्च करके टैंकरों से पानी पहुंचाना पड़ता है। हजारों मवेशी हैं, हजारों की बस्ती है, 5 हजार की आबादी है 10-20 हजार मवेशी हैं, कैसे पानी पिला सकते हो टैंकरों से ? उसका बहुत बड़ा दुरुपयोग हुआ है। मेरा निवेदन है कि दुरुपयोग होता है करोड़ों रुपयों का और राज्य सरकार के ऊपर भार होता है ....

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

...उसको बचाने के लिए मेरा निवेदन है कि लम्बी लम्बी योजनायें बनी हुई हैं, उनको लाइन खींचकर बिजली मुहैया करायें 24 घण्टे। लाइनें जो हैं उनसे सेपरेट करके कनेक्शन कराने की व्यवस्था करावें। जिस तरह की पी. एच. ई. डी. ने योजनायें बनाई हुई हैं, टांके वहां बना दिये, हैण्ड पम्प बना दिये, उनके बनने के बाद भी पानी टैंकरों से पहुंचाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। मेरा मतलब है कुछ दिमाग से काम नहीं करने से, प्लानिंग नहीं करने से, क्षेत्रीय जनता को नहीं पूछने के कारण यह सब अव्यवस्था होती हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप योजनायें बनाते हो, हैण्ड पम्प खोद दो, कुओं के लिए कनेक्शन दो। लेकिन आप खड़े होकर नहीं कह सकते कि हमारा यह काम अच्छा चल रहा है। आपके कुएं फेल हो गए, पानी नहीं, बिजली का कनेक्शन मिलता नहीं, योजना चलती नहीं, हैण्ड पम्प चलते नहीं। सारी अव्यवस्था की हुई है। इसलिए जो भी काम करें, आपको अच्छे ढंग से काम करने चाहिए। हैण्ड पम्प चाहे 10 खोद लो, योजना बनी हुई है सुचारु रूप से वह योजना चले, इस तरह की व्यवस्था करो।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

...तालाब हैं, टांके हैं, उसका निर्माण इस तरह से करना चाहिए ताकि राज्य सरकार को उस काम के लिए फिर लाखों करोड़ों रुपए खर्च नहीं करने पड़ें। अन्त में...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनट में समाप्त करें। काफी समय ले लिया है।

श्री रामसिंह विश्नोई : अच्छा।

श्री सभापति : बोलने वाले बहुत हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ग्रामीण क्षेत्र के हैं, सभापति महोदय, टाइम तो दीजिए।

श्री रामसिंह विश्नोई : आखिर में, सभापति महोदय, मुझे केवल इतना ही कहना है, अपने जोधपुर सम्भाग, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, इस सारे सम्भाग में अकाल का हल एक ही है कि राजस्थान कैनाल को चाहे वहां लिफ्ट से, कोई तरीके से...

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : और कोई तरीका नहीं है।

श्री रामसिंह विश्नोई : पानी की पूरी समस्या के समाधान का एकमात्र जरिया है, राजस्थान कैनाल की लिफ्ट योजनायें, बीकानेर, चूरू जिले से नागौर को मिला कर ठेठ तक के गांव तक इसको जब तक नहीं लायेंगे, हमारी सरकार केन्द्र सरकार से करोड़ों रुपये लेकर जब तक इसे ठेठ के गांव तक नहीं लायेंगे तब तक अकाल का कोई पक्का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, आप केन्द्र के ऊपर अपना राजनैतिक दबाव डालकर, प्रभाव का इस्तेमाल करके राजस्थान कैनाल को जल्दी से जल्दी इस सम्भाग तक लाने का प्रयास करें। अकाल की हमारी समस्या है, इसको आप राष्ट्रीय समस्या जब तक घोषित नहीं करोगे तब तक हमारी सरकार की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से अकाल से बच नहीं सकते। अकाल पड़े, बाढ़ की समस्या हो, उसे राष्ट्रीय समस्या मानकर केन्द्र को इसकी पूरी व्यवस्था अपने जिम्मे लेनी चाहिये। इस तरह की जब तक व्यवस्था नहीं होगी, तब तक हमारी सरकार और राजस्थान आर्थिक दबावों से बच नहीं सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसको राष्ट्रीय समस्या घोषित करावें।

श्री सभापति : माननीय भेरूसिंह जी गुर्जर।

श्री रतना राम चौधरी (रानीवाड़ा) : आपने पहले कालिंग दी है।

श्री सभापति : अबकी बार आपका नम्बर है।

श्री रतना राम चौधरी : हम लोगों ने पहले नाम दिया था। रामसिंह जी के बाद मेरा नाम था।

श्री सभापति : नाम सभी लोगों के हैं, लेकिन सबको एक साथ अवसर नहीं दिया जा सकता।

श्री भेरूसिंह गुर्जर (खैरवी): मैं भी आपकी पार्टी का हूं।

श्री रतना राम चौधरी : मेरा नाम था। मैंने देखा है। रामसिंह जी के बाद।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर।

श्री भेरूसिंह गुर्जर : मैं यह समझता हूं कि आज जिस मांग पर बहस हो रही है...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री भेरूसिंह गुर्जर : ...वह मांग राजस्थान के सबसे बड़े हिस्से से सम्बन्ध रखती है। सम्पूर्ण राजस्थान अकाल ग्रस्त है। पूरे राजस्थान में अकाल की वजह से, किसी और वजह से भयंकर समस्या है। आज जो सरकार की जिम्मेदारी है, मैं समझता हूं, मंत्री दोनों सक्षम हैं, सरकार भी सक्षम है, समस्या दूर होगी। मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, निवेदन करूंगा, पहले तो आज यह जनता की चुनी हुई सरकार इस बात का वायदा करे, आज शाम को मंत्री महोदय जब जवाब दें तो इस बात की घोषणा करें कि प्रत्येक ग्राम स्तर पर राहत कार्य प्रारम्भ करेंगे। दो-दो, चार-चार गांवों के बीच 10-10 किलोमीटर के बीच एक काम

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

प्रारम्भ होता है, आप बताइये, टाइम पर जाना पड़ता है, नाप का काम दिया जाता है, कैसे पूरा करेंगे इसलिए, चाहे छोटा ही काम चलाइये बजाय इन कामों के जो लम्बे काम चल रहे हैं और वह हर गांव, जिससे उसका सम्बन्ध है, शुरू कर दिये जायं। पी. एच. ई. डी. के मंत्री जी इस बात का वायदा करें कि जिन गांवों में अकाल से भयंकर समस्या है, बतायें, वहां कब तक काम शुरू करा देंगे चाहे वह छोटा गांव हो, चाहे बड़ा गांव हो। सभापति महोदय, पिछले सत्रों में विधान सभा में मुझ सहित कई माननीय सदस्यों ने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया था, पी. एच. ई. डी. के बहुचर्चित हैण्ड पम्प घोटाले की ओर मुझे तो कहते हुए अफसोस हो रहा है, आज महीनों बीत जाने के बाद भी इस जांच का क्या नतीजा निकला, क्या निष्कर्ष निकला। जहां तक मेरी समझ में आता है, मुझे जानकारी है, एक बेकसूर डिप्टी सैक्रेटरी को निलम्बित करके इस विधान सभा को सरकार यह दिखाना चाहती थी कि बहुचर्चित घोटाला काण्ड हुआ उस का हमने यह निष्कर्ष निकाला है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। सभापति महोदय, हैण्ड पम्प की यह स्कीम अगर देखें तो कब इसकी शुरुआत हुई, सर्व प्रथम·····

श्री सभापति : जांच जारी है। निष्कर्ष विकल नहीं पाया है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, यह गम्भीर मामला है, गम्भीर समस्या है, आप भी जानते हैं, आपके क्षेत्र की जनता की भी समस्या है, आप भी कई बार दुखी होते हैं, आप भी हमारे साथ बैठते हैं, आपका मन भी व्यथित होता है, आप भी बताते रहते हैं, मेरा निवेदन यह था कि छठी पंचवर्षीय योजना में पेयजल की समस्या हल करने के लिए राजस्थान सरकार ने 24 हजार गांवों को पेयजल सुलभ कराने का लक्ष्य रखा। सरकार के पास केवल 30 रिग मशीनें थीं, जिन से हैण्ड पम्प खोदे जाते हैं, उनसे 20 हजार खोदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। मैं निवेदन करूं, इस योजना के लिये सरकार ने देश भर के सारे अखबारों में विज्ञापन दिये और ट्यूब वैल और हैण्ड पम्प खोदने के टेण्डर आमंत्रित किये। ट्यूब वैल और हैंड पम्प में ज्यादा फर्क नहीं होता। सभापति महोदय, ट्यूब वैल में मोटर लगती है और हैण्ड पम्प में प्लेट फार्म बनाकर हैण्ड पम्प लगाये जाते हैं। बाकी बात एक ही है। मैं निवेदन करूं, किसी पार्टी ने टेण्डर नहीं दिया तो राज्य सरकार ने दुबारा टेण्डर आमंत्रित किये। तब कुछ पार्टियों के टेण्डर प्राप्त हुए। राज्य सरकार ने अधिक काम और कम समय होने की वजह से रेट फिक्स करने के लिए, कम करने के लिए 4–9–80 को सब टेण्डर देने वाली पार्टियों से नेगोशिएशन किया। सभापति महोदय, उसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनायी गई, उस हाई पावर कमेटी में थे :

श्री ढोंढियाल, सैक्रेटरी, मेडिकल हैल्थ,
श्री यतीन्द्र सिंह, उस समय के सैक्रेटरी, फाइनेंस,

श्री आई. जी. खन्ना, स्पेशल सैक्रेटरी पी. एच. ई. डी.,

श्री राजवंशी, चीफ इंजीनियर, पी.एच. ई डी.,

(श्री भैरूंसिंह गूर्जर)

श्री डी. एन. मदान, एफ. एन. सी. ग्रो. फाइनेंस,

श्री. एम. पी. जैन, एडीशनल चीफ इंजीनियर, पी. एच. ई. डी., उस समय के थे,

श्री के. एल. गोयल, एडीशनल चीफ इंजीनियर, मैकेनिक, पी. एच. ई. डी., थे। ग्रौर यह नेगोशिएशन लॉ डिपार्टमेंट को भेजा गया। उसके बाद राज्य सरकार की स्वीकृति हुई ग्रौर गवर्नर साहब के बिहाफ पर एडीशनल चीफ इंजीनियर, पी. एच. ई. डी. अजमेर ने 12-3-81 को 12 पार्टियों के साथ एग्रीमेंट किया था। पार्टियां इनमें से कुछ भीलवाड़ा की थीं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं इन्होंने जो लक्ष्य रखा, 81, 82, 83, 84 में उसमें डिपार्टमेंट द्वारा तो 12,600 हैण्ड पम्प खुदवाये जाने थे ग्रौर अन्य पार्टियों द्वारा 17,400 हैण्ड पम्प खुदवाये जाने थे। सभापति महोदय, 12.3.81 के एग्रीमेंट पर 4-9-80 के नेगोशिएशन के ग्राधार पर पार्टियों ने जो पूंजी व्यय की, जो मशीनें थीं, उन से उन्होंने काम शुरू किया। लेकिन होता क्या है, पूरा काम नहीं मिलने से जो नुकसान हो रहा था, ग्रधिकारियों व सरकार के एग्रीमेंट के मुताबिक, पार्टियों का निवेदन था, इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। पार्टियों ने मजबूर होकर न्यायालय की शरण ली। सभापति महोदय, विद्वान न्यायाधीश ने स्थगन ग्रादेश दिया 12-3-81 के एग्रीमेंट का उल्लघंन न करें, इस मुताबिक प्रार्थी को काम दें, ग्रन्य व्यक्तियों को नहीं दें। यह सब क्यों हुग्रा? राज्य सरकार ग्रौर ग्रधिकारी यह सोच रहे थे कि इन हैंड पम्पों के ग्रन्दर बहुत बड़ा लाभ है इसलिए कुछ अन्य पार्टियों से इस एग्रीमेंट के बाहर जाकर टेण्डर ले रहे थे, उनको भी काम दे रहे थे, तो। सभापति महोदय, जिन लोगों से टेण्डर करवाये गये कि 85 तक ग्राप काम करोगे, इतने हैण्ड पम्प ग्रापको खोदने हैं, मैं उन पार्टियों का जिक्र कर रहा हूं, उनको 10 जिले ग्रावंटित किये गये थे, उन 10 जिलों में दूसरी पार्टियों को काम देने का तय कर लिया तो उन पार्टियों को मजबूरन कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट ने स्टे दिया। सभापति महोदय, मैं ग्राप से निवेदन करूंगा कि सरकार के पास, इस समय, जहां तक मेरी जानकारी है 88 रिग मशीनें हैं, उनमें से लगभग 20-25 शायद खराब पड़ी हैं। सभापति महोदय, प्राइवेट पार्टीज जो हैं, 20 प्राइवेट पार्टी, जहां तक मेरी जानकारी है, उनके पास ग्राज लगभग 98 हो गई हैं। ग्राप ग्रन्दाजा लगायें कि एक वर्ष पहले उनके पास कितनी होगी। जब सरकार के पास 30 मशीनें थीं तो प्राइवेट पार्टियों के पास कितनी थीं...

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : यह तो राजस्थान का विकास हो रहा है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : विकास नहीं हो रहा है इसके ग्रन्दर जो हुग्रा है वह बता रहा हूं। प्राइवेट पार्टियों से जो रेट तय की गयी थी, 150 मिट्टी खोदने की ग्रौर 240 रुपये जहां हार्ड जगह है वहां खोदने की। सबसे बड़ा घोटाला यही हुग्रा है, सभापति महोदय।

श्री सभापति : यह चर्चा पहले चल चुकी है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : उस चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकला।

श्री सभापति : निकाला जा रहा है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : इसलिए दुबारा कह रहा हूं या तो आज शाम को निकाल दें....

श्री सभापति : थोड़ा धीरज रखिये, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, धीरज, लोग प्यासे मर रहे हैं...

श्री सभापति : और कोई मसला लीजिए जिससे लाभ हो।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : और मुझे आप धीरज रखने की बात कह रहे हैं, मुझे तो यह बर्दाश्त नहीं होता। लोग प्यासे मर रहे हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और आप मुझे धीरज रखने को कह रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं, एक मशीन यदि रात दिन काम करे तो एक महीने में केवल आठ पाइन्ट हैण्ड पम्प के खोद सकती है। आज जो खुदकर तैयार हो गये हैं, 24 हजार हैण्ड पम्प, 240 रुपये पर मीटर हार्ड में और रेत में। आप अंदाज लगायें, 45–48 लाख मीटर इन्होंने खुदाई की है, खुदाई पूरी नहीं, यह तो बात अलग है, लेकिन कागजों में इन्होंने 45–48 लाख मीटर खुदाई की है और उसकी लागत आयी है, इनकी रेट के हिसाब से, लगभग 1 अरब रुपये के आसपास, कुछ करोड़ ज्यादा ही होंगे, सभापति महोदय, मैं आपको दावे से कहता हूं अगर राजस्थान सरकार यह सारे टैण्डर हैंड पम्प के राजस्थान में खोदने के मुझे दे दे, मैं आप से निवेदन करूं जो हार्ड में खोदे जाते हैं, उसकी लागत 180 रुपये पर मीटर या 190 रुपये पर मीटर से ज्यादा कतई नहीं आ सकती, जिसमें सारे खर्चे होंगे। 180 रुपये पर मीटर या 190 रुपये पर मीटर से ज्यादा नहीं आ सकती जिसमें सारा खर्च होगा प्लेटफार्म बनाने का, हैण्ड पम्प लगाने का और पाइप जो डाला जाता है उसका भी। अब, सभापति महोदय, जो ऊपर की उन्होंने फिक्स रेट कर ली उसके अन्दर सबसे बड़ा घोटाला हुआ। अब आप देखें, किन पार्टियों को कितने कितने हैण्ड पम्प लगाने का काम दिया गया है। उन पार्टियों, जिनसे तीन साल का एग्रीमेंट किया था, तीन साल का एग्रीमेंट करने वालों का एग्रीमेंट निरस्त कर दिया। इन पार्टियों को आप जिनमें सभापति महोदय, अरिहन्त बोर वैल पार्टी है उससे 470 पाइन्ट इन्होंने खुदवाये, 470 पाइन्ट को काम दिया है। आई. पी. आर. सी. हैदराबाद की पार्टी है उससे 1160 पाइन्ट खुदवाये। ग्राउन्ड वाल वेल जो पार्टी है उससे 560 पाइन्ट खुदवाये। 560 पाइन्ट का मतलब 560 हैण्ड पम्प। इण्डिया ट्यूब वैल कम्पनी हैदराबाद से 100 पाइन्ट, ऊर्जा ड्रिलिंग कम्पनी को 520 पाइन्ट दिये। सभापति महोदय, जयश्री बोरिंग कम्पनी भीलवाड़ा की है उसको 125 पाइन्ट का काम दिया। इस जयश्री बोरिंग कम्पनी का रहस्य बाद में बताऊंगा। सभापति महोदय, कलिंग ट्यूब वैल कम्पनी है उसको 100 पाइन्ट का काम दिया गया। पशुपतिनाथ ड्रिलिंग कम्पनी है उसको 370 पाइन्ट दिये गये। श्वेता प्रोस्पेक्टस कम्पना है उसको 200, पंचशील ट्रेडर्स को 500, रहीम बोरिंग कम्पनी को 150 पाइन्ट दिये गये। एक यह

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)
महेश भारद्वाज है उसकी एक पार्टी है उसको भी 150 पाइन्ट दिये गये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, राजस्थान ट्यूब वैल कम्पनी जो है उसको 100 पाइन्ट...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करेंगे।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : धनेलक्ष्मी ट्यूब वेल को 70, वीर लक्ष्मी को 70 बालाजी बोर वाल कम्पनी को 70, स्टेण्डर्ड इन्जीनियरिंग को 70, पारस मशीनरी को 120, सहस्त्र धारा इन्दौर की पार्टी है, एम.पी. की है उसको 120 और जलधारा को 130 पाइन्ट दिये गये। अजीब-अजीब तो नाम इन लोगों ने रख लिए। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं, वह पार्टियां इसलिए पैदा हुई कि इनको।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : एक हैण्ड पम्प की लागत जो होती है...

(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं अगर विषय से हटकर के कुछ कहता हूं या मैं दूसरी बात कहूं तो आप मुझे कह सकते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : मुझे केवल पांच मिनट हुए हैं। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि इसके अन्दर कितने घोटाले हुए हैं। एक हैण्ड पम्प, जो वह खोद रहे हैं की लागत 48 हजार, 45 हजार के लगभग आती है। अगर हम बाजार की रेट को देखें तो वास्तव में 30-32 हजार में हैण्ड पम्प खोदा जा सकता है। यानि दस बारह हजार रुपये एक हैण्ड पम्प पर इनको फायदा हो रहा है। जय श्री बोरिंग कम्पनी के बारे में जैसा मैं बता काम रहा था, यह जो पार्टी है इसके पास जब शुरू हुआ तब हैण्ड पम्प खोदने की दो ही मशीनें थीं और आज वह हैण्ड पम्प की तीन रिग मशीनें और तैयार कर रही है, गाड़ियों पर कसने के लिये तैयार हैं। एक मशीन की लागत लगभग 20 लाख है। सभापति महोदय, आप मुझे बताइये, बीस लाख की एक मशीन आती, तीन तीन मशीनें साठ लाख की क्यों आई हैं? भीलवाड़ा का जो एक माना हुआ नेता है राजनीतिज्ञ है जिसका सम्बन्ध विधान सभा से भी है, उसका सम्बन्ध इस जय श्री बोरिंग कम्पनी से है। सभापति महोदय, वह मिलकर के राजनितिज्ञ संरक्षण दे कर के लाखों रुपया बटोर रहा है। सभापति महोदय, राजस्थान का लाखों, करोड़ों रुपयों का जो घोटाला हुआ है आखिर कहां जा रहा है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि जी.आई. पाइप सवा इन्च का जो डिपार्टमेन्ट ने खरीदा है पिछले 6 माह से उसका मार्केट भाव 20 रुपया मीटर है इन्होंने खरीदा 30 रुपये मीटर।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : जितने पाइप पी. एच.ई.डी. ने खरीदे वह बिना टेण्डर के खरी...

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

है । उसमें सात करोड़ का डिफरेन्स है। सभापति महोदय, माननीय पी.एच.ई.डी. मन्त्रीजी इस बात की जांच करायेंगे कब तक जांच करायेंगे ? जांच कराने से मतलब नहीं, यह बतावें कि जांच कब तक पूरी हो जायगी ? सभापति महोदय, इसके बाद मैं आपसे निवेदन करूं कि साउथ की एक पार्टी से सवाई-माधोपुर जिले में मिट्टी रेट कान्ट्रेक्ट के आधार पर खुदवाई। 150 रुपये मीटर के बजाय उसको मिट्टी खुदवाने का काम भी 240रु. मीटर में दिया गया। सभापति महोदय, इससे हमारी सरकार को लगभग पांच लाख रुपयों की हानि हुई। पांच लाख रुपयों का उनको ज्यादा भुगतान करना पड़ा। सभापति महोदय, पाली, जोधपुर, सवाई माधोपुर जिले में जिन मामलों में घोटाले हुए हैं। उनमें रेट कान्ट्रेक्ट के आधार पर काम नहीं कराया गया है। हैण्ड पम्प 200 मीटर की जगह 100 मीटर भी नहीं खोदा गया। जहां पानी आया वहां तक खोद करके छोड़ दिया। आज सब हैण्ड पम्प खराब पड़े हुए हैं उनमें पानी नहीं है। सभापति महोदय, पी. एच. ई. डी. मन्त्रीजी को, मेरे ख्याल से, मैंने कई बार इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है उनको लिखकर दिया है, उनको तार भी दिया है कान्स्टीट्युएन्सी से, लेकिन आज भी वहां 90 पर्सेण्ट हैण्ड पम्प खराब पड़े हुए हैं, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। तो यह बम्बू कार्य के लिए लगाये गये हैं ? सभापति महोदय, मुझे इस बात का जवाब दिया जाय। क्या लोगों को शक्लें दिखाने के लिये लगाये गये हैं, क्या लोगों को तरसाने के लिये लगाये गये हैं ? सभापति महोदय, मेरा जिला ही नहीं आपका जिला भी दुखी है और अगर, सभापति महोदय, आपने मुझे अवसर नहीं दिया तो आपके जिले की जनता भी इस बात को रोयेगी कि भैरूंसिंह को अवसर देते तो पाली के साथ साथ बाड़मेर का भी भला हो जाता।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

श्री सभापति : समय का ध्यान रखेंगे, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं, उदयपुर के गोगुन्दा कोटड़ा एरिया मे जो 60 पाइन्ट खोदे गये हैं उनमें से 80 प्रतिशत फेल हुए हैं क्योंकि गवर्नमेन्ट की मशीन से खोदे गये हैं। गवर्नमेन्ट विभाग की यह काबलियत है कि इतने पाइन्ट खराब पड़े हुए हैं। आज मैं दावे से कहता हूं, प्राइवेट कम्पनियां जो हैण्ड पम्प खोदती हैं भले ही उनको पैसा ज्यादा देना पड़ता है उनके 20–25 पर्सेन्ट हैण्ड पम्प खराब होते हैं। लेकिन गवर्नमेन्ट जो खोदती है वह 80–85 पर्सेन्ट खराब हो जाते हैं और आज खराब पडे हुए हैं। माननीय मन्त्रीजी चाहें तो इस बात की जांच करालें। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं, प्लेटफार्म जो बनाये जाते हैं प्राइवेट पार्टी जो रेट कान्ट्रेक्ट...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ये बातें आ चुकी हैं। पिष्टपेषण है। सदन का समय–

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : केवल 390 रुपये में प्लेटफार्म का काम करने के लिए तैयार हैं जब कि हमारी गवर्नमेन्ट 1250 रुपये में काम करा रही है। आज 40 लाख की हानि क्यों हुई ? 24 हजार हैण्ड पम्प में से..

(समय–समाप्ति सूचक घण्टी)

(श्री भैरूं सिंह गुर्जर)

दस हजार प्राइवेट पार्टियों ने खोदे और 14 हजार सरकारी तौर पर खोदे गये। इसमें लगभग एक करोड़ 36 लाख 40 हजार की हानि हुई है। इसका कारण था सीमेन्ट बेच दिया गया। सभापति महोदय, सीमेन्ट लगाया नहीं गया। सभापति महोदय, हमारी राजस्थान की जनता का, राजस्थान की सरकार का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है...

श्री सभापति : समाप्त कीजिये।

श्री भैरूं सिंह गुर्जर : मैं आपसे निवेदन करूं कि इसका आखिर क्या नतीजा निकलेगा। सभापति महोदय, डिपार्टमेन्ट की हाई पावर कमेटी की चौथी मीटिंग 4-8-81 में टैक्निकल मेम्बर आर. डब्ल्यू एस.एस.एम.डी. जी के ने बताया

श्री सभापति : कृपया अनुशासन रखें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : कि डिपार्टमेन्ट की मशीनें जो अजमेर में उदयपुर डिवीजन में काम कर रही हैं, 30 मीटर तक 13 पर्सेन्ट और 31 से 60 मीटर तक 31 पर्सेन्ट रेट कान्ट्रैक्ट की वजह से वहां पर अधिक लागत आती है। इससे सरकार को दो करोड़ रुपये का लॉस हुआ है। सभापति महोदय, कुल मिला करके इस पी.एच.ई.डी. के अन्दर इस हैण्ड पम्प के नाम पर करोड़ो रुपयों का घोटाला हो रहा है और अगर मैं अरब के आसपास कहूं तो इसमें दो राय नहीं है। माननीय पी.एच.ई.डी. मन्त्रीजी, मुझे खुशी होती है, आप हर बार बढ़ बढ़ कर यहां जवाब देते हैं, बड़े जोर शोर से बुलन्द आवाज में कहते हैं लेकिन आपकी आवाज इस विधान सभा तक सीमित रह जाती है। आपकी आवाज पर बाहर कार्यवाही नहीं होती। आपकी आवाज पर क्या एक्शन हुई, क्या जांच हुई इस बात की घोषणा आप घोषणा करें। केवल जोर शोर से बोलने से, जोर शोर से बात कहने से, झूठा रूआब दिखाने से किसी बात का असर नहीं होता।

श्री सभापति : माननीय सदस्य...

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : असर तो जब होगा जब किसी को पकड़कर सस्पेण्ड किया जाय।

सभापति महोदय, कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ था। मैं आपसे निवेदन करूं कि जिस व्यक्ति को सस्पेन्ड किया गया, नागर को उस बेचारे निरीह आदमी का क्या कसूर था?

श्री सभापति : समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : एक राजस्थान की जो महारानी कहलाती है, यह जनता कहती है मैं नहीं कहता, राजस्थान की महारानी कौन है आप जांच करा लें, उस महारानी के टेलीफोन के आदेश पर उन्होंने काट्रेक्ट विदड्रा करने के लिए जो पत्र लिखा था, समझौता करने के लिये लिखा था वह समझौता उस आदेश पर हुआ था। जब यह आरोप लगा विधान सभा में और बाहर लोगों को अखबारों से मालूम पड़ा तो क्रोधित होकर, बौखला करके हमारी सरकार के माननीय मंत्री महोदय ने उस वक्त बेचारे नागर साहब को सस्पेन्ड कर दिया। सभापति महोदय, मैं आपसे अन्त में यह निवेदन करूंगा इतने बड़े घोटाले पर हमारे पी. एच.ई.डी. मंत्री जी आज क्या कहना चाहते है, इस बात को बतायें?

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : वह महारानी कौन है, यह बतायें ? महारानी तो अब कोई रहीं नहीं ।

श्री बंशी लाल पटवा (भीलवाड़ा) : Who is she ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करिये ।

श्री भैरूं सिंह गुर्जर : इस बात की जांच करायें कि जिनका एग्रीमेंट कर दिया गया था उनका एग्रीमेंट निरस्त क्यों किया गया ? केवल मात्र नागर साहब को सस्पेन्ड क्यों किया गया ?

सभापति महोदय, यह तो बात हुई राजस्थान के भले की । अब आपके क्षेत्र और मेरे क्षेत्र के भले की बात कहना चाहता हूं ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आपको अधिक समय नहीं दूंगा ।

श्री भैरूं सिंह गुर्जर : सभापति महोदय, माननीय मदेरणाजी ने पिछले सत्र में ....

श्री सभापति : अनुशासन रखिये, माननीय सदस्य ।

श्री भैरूं सिंह गुर्जर : एक प्रश्न के जवाब में आश्वासन दिया था कि मेरे क्षेत्र के अन्दर सभी हैण्ड पम्प ठीक कराये जायेंगे । आज तक ठीक नहीं हुये 6 महीने में ...

श्री सभापति : अनुशासन रखिये, माननीय सदस्य ।

श्री भैरूं सिंह गुर्जर : उसके बाद यह आश्वासन दिया था कि मारवाड़ जंक्शन में चेलावास से 10 किलो मीटर दूर से पानी आता है इसलिए ओवर हैड टैंक बनाया जायगा । एक बार टेण्डर हुये छोटे टैंक के, अब बदल रहे हैं कि बड़ा टैंक बनाया जायेगा । इस प्रकार से सालों आप हमारी जनता को पानी पीने के लिये मुहैया नहीं करा रहे हैं, तरसा रहे हैं । सभापति महोदय, यह न तो मंत्रीजी को शोभा देता है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य...

श्री भैरूं सिंह गुर्जर : न हमें शोभा देता है । हम जाकर क्या जवाब दें ? जो मैंने आरोप लगाये हैं उन बातों का आज स्पष्टीकरण दें ।

धन्यवाद ।

श्री सभापति : माननीय श्री सी. पी. जोशी ।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : सभापति महोदय, अकाल राहत और पेयजल की मांग के सम्बन्ध में मुझे यही निवेदन करना है, माननीय अकाल राहत मंत्री जी पूर्व में भी अकाल राहत मंत्री रहे हैं, वे जब जवाब दें तब दो बातों का स्पष्टीकरण सदन के सामने दें ताकि जो अकाल राहत कार्य चल रहे हैं...

श्री सभापति : आपके सुझाव भी साथ में रहें ..

श्री सी. पी. जोशी : जी हां । अकाल राहत मंत्री जी स्वयं जानते हैं कि नम्बर आफ वर्क्स उन्होंने ज्यादा सैंक्शन कर दिये । जब पूर्व में आप मंत्री थे उस समय जितने लेबर एंगेज थे, उतने लेबर क्या आज एंगेज

(श्री सी. पी. जोशी)

है या नहीं ? जितना पैसा आपने अब तक खर्च किया इस अकाल ईयर में, जब पिछली बार आप मंत्री थे उस समय कितना पैसा खर्च किया या नहीं किया ? हम स्वयं इस बात को जानते हैं कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है लेकिन, माननीय मंत्री महोदय, जब पूर्व में आप अकाल राहत मंत्री थे तब आपने पी. डब्ल्यू. डी., को-आपरेटिव, कृषि विपणन बोर्ड, माइन्स और मेन्टीनेन्स पी डब्ल्यू. डी. का पैसा डाइवर्ट किया था अकाल के चैलेन्ज को मीट आउट करने के लिये । आज क्या स्थिति बन गई है कि हम उस पैसे को डाइवर्ट नहीं कर पा रहे हैं और जितने लेबर हमको डिस्ट्रिक्ट में बढ़ाने चाहिये उतने नहीं बढ़ा पा रहे हैं, जितना पैसा हमें खर्च करना चाहिये उतना खर्च नहीं कर पा रहे हैं जब कि अकाल की स्थिति उससे भी ज्यादा भयंकर बनी हुई है ? मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय जब जवाब दें तब इस बात का स्पष्टीकरण सदन के सामने करें। अकाल के बारे में जैसा माननीय रामसिंह जी विश्नोई ने बात कही, हम बार-बार यह कह रहे हैं कि प्लान बनाकर पक्के काम प्रारम्भ करके कर सकते हैं अकाल के चैलेन्ज को मीट आउट कर सकते हैं। आज हम यह देखते हैं कि आजादी के पहले के जितने बड़े डेम बने हुये हैं या महल बने हुये हैं वह अकाल के समय में बने हैं। हमने आजादी के बाद अकाल राहत के नाम पर कच्ची सड़कें बनवाईं या कुछ दूसरे काम करवाये, उन पर हमारा पैसा तो बहुत खर्च हो गया, प्लान भी हमारा डिस्टर्ब हो गया लेकिन उसका जो रिजल्ट आना चाहिये था वह नहीं आया। इसलिये मैं चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय शुरुआत करें इस बात की कि कम से कम एक विधान सभा क्षेत्र में एक पक्का काम हो जिससे कम से कम उसको हम प्रोडक्टि-विटी में कन्वर्ट कर सकें। अकाल राहत के बारे में मैं निवेदन करूंगा, स्वयं मंत्री महोदय जिस इलाके से आते हैं वह सब जानते हैं कि 24 लाख की जनसंख्या में 21 लाख के लगभग आदिवासी रहते हैं। अकाल राहत के काम नहीं चलें तो उन लोगों के जीवन-यापन की कठिन समस्या हो जाती है। आज हालत यह है, एक पंचायत समिति के अन्दर 5 पंचायतों में काम चल रहा है और 10 पंचायतों के लोग आज भी अकाल के काम के लिये उपलब्ध हैं। मैं चाहूंगा कि वह अपने अनुभव का लाभ उठायें और यह देखें कि अकाल के समय जो उन्होंने राहत कार्य किये हैं, क्या वह सब कार्य आज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ? उनकी उपादेयता के आधार पर यदि हम कुछ कर सकें तो अकाल के चैलेन्ज को अच्छी तरह से मीट आउट कर सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि आज आप गुस्से में हैं समय नहीं देंगे इसलिये मैं अकाल की बात यहीं समाप्त कर के अपनी पेयजल की बात पर आ जाता हूं।

सभापति महोदय, मैं उन आदमियों में नहीं हूं जो किसी बात को मना करूं। मैं माननीय पी. एच. ई. डी. मंत्रीजी और यहां के चीफ इंजीनियर को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि विधान सभा में प्रश्न उठाने के बाद उन्होंने निश्चित तौर पर एक कार्यवाही की और कार्यवाही करके उन्होंने उस टेन्डर को निरस्त किया। लेकिन माननीय मंत्री महोदय टेन्डर को निरस्त करने से यदि

(श्री सी.पी. जोशी)

समस्या का निदान हो जाता तो विधान सभा में मेरे कहने का कोई फायदा नहीं होता। मैं इस तरह मैं मानता हूं कि जो मुद्दे हमने उठाये थे उन मुद्दों में टर्म ग्राफ रेफरेन्स की इन्क्वायरी नहीं हो रही है। पहला मुद्दा हमारा यह था कि वह मेकेनिकल इंजीनियर कौन है जिसने डिपार्टमेन्ट को यह रिकमन्डेशन दी कि इसकी कास्ट 260 रुपये पर मीटर होती है। ग्राज भी मार्केट में 90 रुपये ग्रौर 110 रुपये पर मीटर के ग्रन्दर ग्रादमी हैण्ड पम्प खोदने के लिये तैयार है। ऐसी कौन सी परिस्थिति थी टेक्निकल रिपोर्ट देने वाला कौन ग्रादमी है, जिसने डिपार्टमेन्ट को, हाई पावर कमेटी को गुमराह किया कि 262 रुपये से नीचे से काम नहीं हो सकता है। पहला टर्म ग्राफ रेफरेन्स यह है, माननीय सभापति महोदय. यह जो रेट डिटरमिन की है 240/- रुपये की, उस रेट डिटरमिन करने के कारण हो सारा इतना पैसा खराब हुग्रा। मैं एक रफ एस्टीमेट देना चाहता हूं, सभापति महोदय। मैं फिर्म पर एसपर्शन नहीं करना चाहता हूं लेकिन यदि एक मीटर पर हण्ड्रेड रुपीज एक्स्ट्रा पेमेन्ट किया गया है'

श्री सभापति तब कोई तैयार नहीं होगा। उस वक्त कोई तैयार नहीं होगा।

श्री सी.पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, कोई तैयार नहीं हो। उस बात का दुःख नहीं है। 30 रिग्स डिपार्टमेन्ट के पास थी। उस समय जिन 12 पार्टियों के साथ नेगोसियेशन किया गया उन पार्टियों के पास कितनी रिग्स थी? यह किस तरह से जज किया गया कि उनके पास क्षमता है या नहीं? बिना क्षमता की जांच किये, क्षमता नहीं देखते हुए उन 12 पार्टियों को उनकी क्षमता से ज्यादा पाइन्ट दिये गये, इसलिये फाल्ट स्टार्ट हुग्रा ग्रौर उसमें ही कोर्ट के लिटिगेशन स्टार्ट हुए। माननीय सभापति महोदय, उस समय के इंजीनियर यदि उन 12 पार्टीज की क्षमता को ग्रांक कर उनको पाइन्ट का ग्रलाटमेन्ट करते तो आज सरकार को लिटिगेशन में नहीं जाना पड़ता ग्रौर जो ग्रादमी डीलर है वह जिस तरह की बात कर रहा है वह बात नहीं होती।

माननीय सभापति महोदय, इसमें टर्म ग्राफ रेफरेन्स सैकन्ड यह है जो ग्राटिफिशियल फैक्ट्स उन्होंने बताये कि हमारी इतनी क्षमता है ग्रौर उसके नाम से उन्होंने पाइन्ट ग्रलाट करा लिये उसके कारण लिटिगेशन बढ़ा। उसके कारण ही ग्राज जो स्थिति है वह पैदा हुई। ग्राज लगभग 12600 पाइन्ट तो गवर्नमेन्ट की खोदने की क्षमता है यह मंत्री महोदय का जवाब था। 17400 पाइन्ट प्राइवेट पार्टीज से खुदवाये गये। माननीय सभापति महोदय, एक हैण्ड पम्प पर 100 रुपये पर मीटर का रफ एस्टीमेट से सिम्पल केलकुलेशन लगायें तो 50 मीटर पर 5 हजार होते हैं। माननीय सभापति महोदय, 17400 पाइन्ट्स जो हमने प्राइवेट पार्टीज से लगवाये, तो उनकी रकम ग्राती है कुल 8 करोड़ 70 लाख। माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत ज्यादा एफीशियेन्सी से कोई बात नहीं कहना चाहता हूं लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि जो टर्म ग्राफ रेफरेन्स हमने कोट की, जिसके तहत उस ग्रादमी ने कोर्ट से स्टे लिया, उसकी टर्म ग्राफ रेफरेन्स के जितने क्लाज थे वह पूरे नहीं किये। उसमें यह था कि डिपार्टमेन्ट के वर्क

(श्री सी. पी. जोशी)

लोड को प्रोसेस करने के बाद जितना काम बाकी बचेगा वह हम प्राइवेट पार्टीज को देंगे। माननीय सभापति महोदय, यह सही है कि जब समझौता हुआ तब डिपार्टमेन्ट के पास 30 रिग्स थी लेकिन आज डिपार्टमेन्ट के पास 96 रिग्स हैं। 96 रिग्स की कैपेसिटी को हम देखें, दो महीने के पीरियड को यदि हम बाहर भी निकाल दें और एक रिग्स 8 पाइन्ट एवरेज खोद सके तो 10 महीने के 80 होते हैं। इससे यदि 96 को हम मल्टीप्लाई करें तो 7680 पाइन्ट्स का काम डिपार्टमेंट की रिग्स कर सकती हैं। माननीय सभापति महोदय, डिपार्टमेंट की इन रिग्स को खरीदने में राजस्थान सरकार ने 10 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। 10 करोड़ रुपये का ब्याज 15 लाख रुपया पर मन्थ होता है। मैं, माननीय सभापति महोदय, यही पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि यह जो डिपार्टमेंट की रिग्स थीं, जिस दिन कान्ट्रेक्ट हुआ और जिस कान्ट्रेक्ट के हिसाब से इन्होंने 84 तक का ठेका दिया, यदि उसी कैपेसिटी को हम केलकुलेट करें तो मैं इस बात को मानता हूं कि डिपार्टमेंट की रिग्स ही काफी थी, हमको प्राइवेट पार्टीज के साथ कान्ट्रेक्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिये, माननीय सभापति महोदय, वह टेक्निकल आदमी, जिसने गुमराह किया कि डिपार्टमेंट की रिग्स की क्षमता 83-84 तक इतनी नहीं बढ़ेगी और यह नहीं सोचकर उन्होंने प्राइवेट पार्टीज को उनकी क्षमता से अधिक पाइन्ट्स दिये, उसके कारण आज उस आदमी ने कोर्ट से स्टे लाकर यह हालत कर दी, सबलेट किया गया। सभापति महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। जिन 12 पार्टीज ने कान्ट्रेक्ट लिया उनके पास यदि रिग्स की क्षमता थी तो, माननीय सभापति महोदय, वह दूसरे आदमियों को सबलेट नहीं करती। सभापति महोदय, 240 रुपये में कान्ट्रेक्ट ले लिया और 140 रुपये और 120 रुपये में उन्होंने लोगों को कान्ट्रेक्ट दिया। अगर कोई प्रूफ चाहें तो मैं इसका प्रूफ देना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, प्रूफ यह है। उदयपुर से जो हमारे सहकारिता मंत्री जी हैं वह इस बात को जानते हैं कि उदयपुर के रिग्स ओनर्स ने यह कहा कि हमारा शोषण हो रहा है। सभापति महोदय, मैं नहीं जानता, को-आपरेटिव के नियम क्या हैं पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि को-आपरेटिव के नियमों के अन्तर्गत ऐसी सोसाइटी कभी नहीं बन सकती। जैसी इन्होंने बनाई। उन 12 आदमियों ने जो को-आपरेटिव सोसाइटी उदयपुर के अन्दर बनाई, वह बैंक लोन लेकर के बनाई। हर आदमी अपनी अपनी सोसाइटी का इन्डिविजुअल मेम्बर है, सारी ओनरशिप इन्डिविजुअल आदमी की है, एक एक रिग्स ओनर की है। उन्होंने मिल कर के एक एसोसियेशन बनाई। एसोसियेशन बना कर मंत्री महोदय के पास आये और कहा, मंत्री महोदय यहां जो समझौता हुआ है इससे हमें असंतोष है। उन्होंने क्या सुझाव दिये और क्या सलाह दी, यह मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन यह बात निश्चित है कि उन 12 पार्टी के पास क्षमता होती तो उनका शोषण नहीं होता। और इन सोसाइटी का निर्माण नहीं होता। सभापति महोदय, इस सोसाइटी के निर्माण की प्रक्रिया के बाद यह स्टे वेकेट करने की स्थिति पैदा हुई। स्टे वेकेट करने के बाद

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

(श्री सी.पी. जोशी)

माननीय सभापति महोदय, आप घन्टी भले ही बजा दें पर इस राजस्थान सरकार के अन्दर राजस्थान के एक मन्त्री, जो सबसे काम्पीटेन्ट मन्त्री हैं ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सरकार को कुछ तो समय दो।

श्री सी.पी. जोशी : सरकार को समय, सभापति महोदय, इसलिए नहीं दिया जा सकता कि विधान सभा के अन्दर प्रश्न उठने के बाद दूसरी विधान सभा मिलने के बीच में कोई कार्यवाही नहीं हुई। सरकार को क्या समय दें! सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, जो सबसे काम्पीटेन्ट मन्त्री हैं, और सेक्रेटरी की बिना जानकारी के राजस्थान सरकार के खिलाफ पर अजमेर में कम्प्रोमाइज किया गया, यह इस बात को इन्डीकेट करता है कि मामला सिम्पल नहीं है। मुझे मन्त्रीजी की इन्टेग्रिटी में डाउट नहीं है, मन्त्रीजी की एफीशियेन्सी पर डाउट नहीं है पर इतने काम्पीटेन्ट मन्त्री होने के बाद विभाग की तरफ से एक कम्प्रोमाइज हो जावे कोर्ट के अन्दर, यह इस बात का द्योतक है कि यह 12 पार्टीज नहीं हैं, इसके पीछे कोई और फोर्सेज काम कर रही हैं। उन फोर्सेज को हम जब तक आइडेन्टीफाई नहीं करना चाहें तब तक हम भले ही यह कह दें कि इसमें घोटाला हो गया है या घोटाला होता रहेगा। लेकिन, सभापति महोदय, हालत तो यह हो गई थी कि जिसको हमने बताया कि यहां चोरी हो रही है, जिस थानेदार के पास रिपोर्ट दर्ज कराई, उस थानेदार ने कहा कि मैं जांच करूंगा, वह थानेदार खुद ही चोरी पार्टी बन गया तो अब हम जाकर किसको शिकायत करें। सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जिस बुलन्दगी से कान्ट्रेक्ट को रिजेक्ट किया उस एक्शन के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मंत्रीजी के कारण वह कान्ट्रेक्ट खतम हुआ। एक साल से वह आदमी मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट से स्टे लेकर लोगों का शोषण कर रहा था। राजस्थान के राजकोष का अपव्यय कर रहा था।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री सी.पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, मैं संक्षेप में ही कह रहा हूं। यहां पर ही कहानी खतम नहीं हो जाती। कहानी तो शुरू अब होती है, सभापति महोदय, कहानी इसलिये शुरू होती है ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बड़े भाषण संक्षेप मे किये जा सकते हैं।

श्री सी. पी. जोशी : सभापति महोदय, यह भाषण नहीं, मैं तो पिन पाइन्ट क्वेश्चन कर रहा हूं। मैं किसी पर कोई एसपर्शन नहीं कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री रामसिंह बिश्नोई ...कान्ट्रेक्ट रद्द हुए हैं, बोलन से हो तो हुए हैं यह। फेमिन में जब पैसे ही नहीं होंगे तो क्या लगेंगे।

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, मैं सदन की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं, बहुत से माननीय सदस्यों को शायद मालूम नहीं है पाली से आने वाले माननीय सदस्य को भी शायद यह बात मालूम नहीं है जिस जोश से यह बात बोल गये, 4-9-80 से जो कहानी शुरू हुई

(श्री सी. पी. जोशी)

है उस कहानी में जब तक यह स्टे आया उसके पहले जो सबसे ज्यादा पैसा खाया गया, मेनुपुलेशन हुआ है उसमें कोई पोलिटिकल पार्टी नहीं है, उसमें पार्टी है हमारा डिपार्टमेंट।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री सी. पी. जोशी : डिपार्टमेन्ट के इन्जीनियर्स पार्टी हैं उस बात के लिये।

श्री सभापति : बहुत कुछ कहा जा चुका है।

श्री सी. पी. जोशी : सभापति महोदय, मुझे बोलने दीजिये। मैंने, सभापति महोदय, काल अटेन्शन मोशन दिया है उस काल अटेन्शन मोशन पर अध्यक्ष महोदय ने मुझे यह कहा था कि आप डिमाण्ड के समय बोलेंगे। इसलिये मैं अपना पूरा समय लूंगा और अपनी पूरी बात कहूंगा। सभापति महोदय, मैं कभी किसी पर एसपर्शन नहीं लगाता हूं। हर बात अपनी कहता हूं और ढंग से कहता हूं।

श्री सभापति : फिर भी माननीय सदस्य, आप समय का तो ध्यान रखें।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, समय का बिल्कुल ख्याल रख रहा हूं, मुझे बोलते हुए सात मिनट हुए हैं। सभापति महोदय, मुझे अपनी पूरी बात बताने दीजिए। सभापति महोदय, यह कहानी यहां से प्रारम्भ होती है। जब कान्ट्रैक्ट दे दिया उस आदमी के पास क्षमता नहीं थी, सरकार के पास गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया से पैसा आ गया तब विभाग वालों ने राजस्थान के बाहर से कान्ट्रैक्ट को लोन दिलवा कर 240 रुपया पर मीटर के हिसाब से काम करवाया। इन 12 पार्टीज को जब यह मालूम पड़ा कि विभाग वाले इस तरह से मेनुपुलेशन कर रहे हैं, उन आदमियों को 150 रुपये दे रहे हैं और गवर्नमेन्ट से 240 रुपये चार्ज कर रहे हैं तब वह आदमी कोर्ट से स्टे लेने गया। जब वह स्टे लेने गया तब से इसमें पोलिटिशियन्स का रोल आया। पोलिटिशियन कौन हैं पालिटिशियन्स कैसे हैं, इसके बारे में मुझे केवल एक बात कहनी है। यह भीलवाड़ा के ही सब आदमी आज हमको दिखते हैं। राजस्थान के दूसरे आदमियों के पास रिग्स क्यों नहीं है? आज क्या सारा धंधा भीलवाड़ा के अन्दर हो रहा है? जितनी नई एन्टरप्रिन्योर्स क्लास रिग्स के अन्दर डवलप हुई है वह एन्टरप्रिन्योर्स क्लास केवल मात्र भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की है और किसी डिस्ट्रिक्ट की एन्टरप्रिन्योर्स क्लास नहीं है। माननीय सभापति महोदय, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री जी ने जो एक्शन लिया उसके साथ इन दो-तीन चीजों की ओर ध्यान रखें। एक तो यह है, जिस टैक्निकल आदमी ने 260 रुपये की रिपोर्ट दी जिसके आधार पर कमेटी से यह कहा गया कि 240 रुपये टैक्निकल रिपोर्ट के अनुसार कम हैं इसलिए इन 12 पार्टियों को कान्ट्रैक्ट दे दिया जाय। साथ ही, उन आदमियों की फेक केपेसिटी थी उसके आधार पर जो कान्ट्रैक्ट दिया उसकी भी जांच करवाई जाय कि वह किसने प्रोड्यूस की? दूसरा, सभापति महोदय, कान्ट्रैक्ट उन 12 पार्टीज को दिया गया था उसके अन्दर यह क्लाज था कि डिपार्टमेंट के वर्क लोड की केपेसिटी को

(श्री सी॰ पी॰ जोशी)

प्रवेश करने के बाद काम जो बचेगा वह इन पार्टियों को इस हिसाब से देंगे। तो, सभापति महोदय, कान्ट्रैक्ट हुआ तब 30 रिग्स थी। तीस रिग्स के बाद रिग्स बढ़ती रही। उस केपेसिटी को इन्क्लूड करके उन्होंने कन्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया? इसलिए यह भी एक मोटा कारण है कि डिपार्टमेंट के आदमियों की मेलाफाइड इंटेन्शन था। डिपार्टमेंट की केपेसिटी बढ़ी, रिग्स जिस तादाद में बढ़ीं उनकी केपेसिटी के ही अनुसार उस तादाद में काम बंद नहीं किया। सभापति महोदय, कहानी यहां पर ही खतम नहीं होती है। जिन 12 पार्टीज को कान्ट्रैक्ट दिया उन्होंने केवल 10 डिस्ट्रिक्ट्स में काम शुरू किया है जहां पर कि राकी इलाका था, जहां कि कास्ट 240 रुपये थी। सभापति महोदय, आप यह जान कर आश्चर्य करेंगे, जिस जगह सैण्ड थी, जो पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य बात कर रहे थे, उस जगह पर हैण्डपम्प इसलिए नहीं खुद पाये कि उन लोगों को प्राफिट में इतना मार्जिन नहीं था इसलिए हैण्डपम्प उधर नहीं खोदे। सभापति महोदय, कान्ट्रैक्ट होने के बाद और उस पर स्टे आने के बाद आपको जान कर दुःख होगा इस काण्ट्रैक्ट को पार्टी के अलावा भी दूसरे लोगों को पाइन्ट मिले, यह किस आधार पर मिले? एक आदमी कोर्ट से स्टे ले आया, उस स्टे के आधार पर दूसरे आदमी को पाइन्ट नहीं मिलने चाहिये। तो विभाग ने कौन से कानून-कायदे के अनुसार उन दूसरे आदमियों को भी पाइन्ट दिये? सभापति महोदय, एक बात, इस बात से स्पष्ट हो जाती है, अभी लेटेस्ट जो टेण्डर हुए हैं, माननीय मन्त्रीजी, मैं शायद गलत नहीं हूं, उसकी रेट 1:8 रुपये पर मीटर आई है। यह आज की स्थिति है, आज राजस्थान के अन्दर जो टेन्डर हुए हैं उसकी रेट 158 रुपये पर मीटर आयी है। माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिये कहना चाहता हूं, जो हमने आज से 6 महीने पहले कहा, इसकी मैक्जिमम कास्ट 140 रुपये पर मीटर मान ली जाय तो भी 100 रुपये पर मीटर का इसमें बंगलिंग है। इसके साथ साथ एक क्लाज और था कि कान्ट्रैक्टर से अर्नेस्ट मनी लेंगे और जब यह टेस्ट कर लेंगे कि पानी निकल रहा है तब हम उनका पेमेंट करेंगे। मेरा स्पेसिफिक चार्ज है, माननीय मंत्री महोदय, आज भी 30 हजार हैण्ड पम्प में से बीस प्रतिशत हैण्डपम्प के अन्दर दस मीटर से लगाकर बीस मीटर की फेक ड्रिलिंग का चार्ज किया गया है और दस मीटर हम आइडियल मानें तो भी 2400 एक हैण्ड पम्प में दस मीटर के होते हैं, इस तरह से आप 20 प्रतिशत केलकुलेट करें। माननीय सभापति महोदय, मैंने रफ केलकुलेट किया है कि एक पाइन्ट पर 10 मीटर की गड़बड़ी हुई हो तो सबका खर्चा आता है, 59 लाख रुपये। यहां तक भी समझ में आता है लेकिन हैण्ड पम्प का जो प्लेटफार्म है, जिसकी कास्ट के बारे में यह कहा गया है कि बी.एस. आर. रेट्स थी, उसकी रेट में वेरियेशन जो एक्चुअल काम होता है उतना पेमेन्ट हुआ, उसमें 300 रुपए भी मानें और 30 हजार से मल्टीप्लाई करें 300 रुपये को, तो 9 लाख रुपये की गड़बड़ और हो गयी। सभापति महोदय, किसी पर राजनैतिक दृष्टि से लांछन लगाने की हमारी मंशा नहीं है लेकिन जिस विधान सभा में हम बैठे हुए हैं जिस विधान सभा में बैठ कर हम यह विचार करते हैं कि इतने करोड़ रुपये का बजट पास

(श्री सी.पी. जोशी)
किया जाय, मांग पास की जाय उस स्टेट के एक्सचेकर के साथ इतना बड़ा बंगलिंग शायद हिन्दुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य दो मिनट में।

श्री सी. पी. जोशी : आपने कहा, दो मिनट में बैठ जाओ। सभापति महोदय, दो मिनट में बैठने से काम सम्भव होगा नहीं। विधान सभा में हम अपने प्रश्न उठायें, सरकार जांच करने की मंशा भी रखे। मंशा रखने के बाद सरकार के बिहाफ पर कोर्ट में कम्प्रोमाइज हो जाय, यह हिन्दुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ी मजाक होगी। राज्य सरकार तो कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं और राज्य सरकार के नुमाइन्दे कोर्ट में जाकर कम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि इन पार्टियों को अगले पांच साल के लिये और काम दे दिया जाय। सभापति महोदय, इस सारे घटना क्रम में एक पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव होने के नाते मैं निवेदन करना चाहता हूं, हाउस सावरिन है, हमारी यह ड्यूटी है, हमारी अकाउन्टेबिलिटी है उस जनता के सामने जिसने हमको चुनकर भेजा है, यहां पर बैठ कर हम बजट पास करते हैं, ऐसा भविष्य में नहीं हो इसलिये हम चाहते हैं कि जो स्पेसिफिक पाइन्ट्स है उनके आधार पर काम करके जो आदमी रेस्पान्सिबल हैं उनके खिलाफ एक्शन लें। मैं इस बात को जानता हूं, इतना अर्सा होने के बाद अब हैण्ड पम्प का जो काम हो रहा है वह ठीक हो रहा है। अब उन्होंने नियम बदल दिये हैं कि 10 % ए.ई एन. करेगा, 20% एक्स. ई एन. करेगा, 30% एस. ई. करेगा। यह सिस्टम पहले लागू कर देते तो ड्रिलिंग में गलती नहीं होती। एक चीज और आपको मालूम नहीं होगी, इसके अन्दर यह लिखा हुआ है कि इण्डिया मार्क सैकन्ड का हैण्ड पम्प ही यूज किया जायगा। यह इण्डिया मार्क से रजिस्टर्ड है तो सैकण्ड यूनिसेफ या गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया से रजिस्टर्ड राजस्थान में कितने हैण्ड पम्प लगे हैं, 90% आई. एस. एस. से रिकमण्डेड हैं। जो जो रिकमण्डेड हैं उसका भी फ्लाइड करके चार्ज तो उस पैसे से किये हैं और सब स्टेण्डर्ड माल उन्होंने इन्स्टाल किया है। रिग्स का मैटीरियल जो यूज किया··

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब सारी बात आपने व्यक्त कर दी।

श्री सी.पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, अगर आप यह मानते हैं कि सारी बात मैंने व्यक्त कर दी है तो मैं इस विश्वास के साथ कि मेरे बात करने के बाद आप एक स्पेसिफिक नोट बनाकर माननीय मन्त्री महोदय को देंगे कि सदन आशा करता है कि जो हमारी अकाउन्टेन्सी पब्लिक के प्रति है उस आधार पर काम करें।

सभापति महोदय, अकाल राहत मंत्रीजी जब सबसे पहले अकाल राहत विभाग के मंत्री बने थे उस उत्साह और जोश के साथ काम कर रहे हैं तो सदन के सामने कहें। अन्यथा हम स्वयं जानते हैं, आज हालत यह हो गई है, कलेक्टर के पास काम सैंक्शन करने की पावर नहीं है। हम विधान सभा क्षेत्र से मंत्री महोदय के पास जाते हैं, काम सैंक्शन करो तो

(श्री सी. पी. जोशी)

यह कहते हैं कि 2 लाख की लिमिट कर रखी है, 5 लाख की लिमिट कर रखी है। काम एक भी सैंक्शन नहीं हो पा रहा। जितने काम सैंक्शन किए हैं, उन कामों से उतने लोगों को राहत नहीं मिल रही है, जितने लोग अकाल से पीड़ित हैं। मुझे विश्वास है इन बातों को ध्यान में रख कर हम अकाल राहत के काम भी ठीक करेंगे। माननीय मंत्री जी ने जिस साहस से टेण्डर को रिजेक्ट किया है उसके घोटाले के अन्दर जो रेस्पान्सिबल आदमी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : सभापति महोदय, मांग संख्या-27 से प्रारम्भ करता हूं। मैं जिस उदयपुर नगर से चुन कर आया हूं, लोगों का शायद दूर-दराज से यह सोचना है कि उदयपुर नगर झीलों की नगरी है इसलिए वहां इतना पर्याप्त पानी होगा कि लोग हमेशा उस पानी के दर्शन करके खुश होते होंगे। पिछले तीन साल से उदयपुर नगर में जो पेयजल की समस्या है वह विकट से विकटतम बनती जा रही है। इस वर्ष की स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि हमको इस समय पीने के लिए पानी आधा घण्टा भी नहीं मिल पा रहा है। शहर का लगभग तीस-चालीस प्रतिशत ऐसा हिस्सा है जहां पर लोगों को सड़क पर अपनी टोंटी खोलनी पड़ रही है, सड़क पर अपना नल लगाकर वहां से पानी लेना पड़ रहा है। पानी का डिस्ट्रिब्यूशन ऊंचाई से होने के कारण और पानी की कमी के कारण, उदयपुर का जो चालीस प्रतिशत हिस्सा है जो पहाड़ी पर है, साठ फीट की ऊंचाई पर, कहीं चालीस फीट की ऊंचाई पर है वहां लोगों को आधा घण्टा भी पानी नहीं मिलता। केवल पानी ही नहीं मिलता बल्कि हमारे साथ एक अजीब-सी मजाक चल रही है पिछले पांच महीने से। मेरा ऐसा अनुमान है कि राजस्थान में ऐसा कोई शहर नहीं होगा जहां रात को दो बजे पानी दिया जाता हो। रात के दो बजे से लेकर चार बजे, साढ़े चार, पांच बजे तक पानी आकर बन्द हो जाता है ऐसा केवल मात्र कोई शहर है तो वह उदयपुर है। उसके आधे हिस्से में पानी का डिस्ट्रिब्यूशन रात के दो बजे से प्रारम्भ होकर प्रातः काल पांच बजे सर्दी के दिनों में समाप्त हो गया। उन दिनों लोगों ने नींद भी ठीक प्रकार से नहीं ली। बाल्टी नल के नीचे लगाकर सोते थे और उसकी आवाज से जगते थे। उसके कारण पानी का भी बहुत वेस्टेज होता था। यह स्थिति किस कारण से हुई? इसका जो मुख्य कारण है हम लगातार कह रहे हैं कि उदयपुर की जनसंख्या जो 1971 में एक लाख इकसठ हजार थी वह इस समय उदयपुर के पांच गांव, जिनको हमने इसी से जोड़ रखा है पानी के लिए, को मिला कर 1981 की जनगणना के अनुसार तीन लाख हो गई है। हमारे वहां पर पानी देने की जो कैपेसिटी है वह सत्तर से पिचहत्तर लाख गैलन विभिन्न सोर्सेज से है, अलग-अलग टंकियों से है। उसके हिसाब से अगर हम वहां की जनसंख्या को पानी दें तो लगभग बीस से लेकर पच्चीस गैलन प्रति व्यक्ति पानी का डिस्ट्रिब्यूशन हमारे पांती में आता है। यह तो केवल आंकड़ों से है कि 70 से 75 लाख गैलन पानी हो, तो 70 लाख का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मंत्री

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

महोदय, जब आप जवाब दें तो केवल एक महीने का आंकड़ा बता दें कि उदयपुर में पिछले दिसम्बर महीने में आपने प्रति दिन कितना पानी सप्लाई किया है। वह पैंतालीस पचास लाख से ज्यादा नहीं हुआ। इसके कारण से यह जो समस्या है इसके लिए विभाग ने योजना भेजी है कि उदयपुर में पानी की समस्या विकट है और इसलिए हमें जयसमन्द से पानी लिफ्ट करके लेना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि किस बुद्धिमान ने यह योजना बनाई, क्यों बनाई? जयसमन्द झील का पानी भी उदयपुर के लोग ही लेते हैं, चाहे वह सलूम्बर के निवासी हों, चाहे सराड़ा के लोग हों। वहां से पानी 1110 फीट लिफ्ट करके चार जगह स्टेशन लगायेंगे। इसके पश्चात् पानी कितना सप्लाई करेंगे? 350 एम.सी.एफ.टी. पानी सप्लाई करेंगे। अभी 82–83 चल रहा है और सन् 2000 यानी केवल 17 साल तक हम 350 एम.सी.एफ.टी. पानी की सप्लाई कर सकेंगे। इसके लिये आप 18 करोड़ 20 लाख रुपये की योजना बना सकते हैं और उसे रिकमंड कर सकते हैं लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आया कि देवास योजना, जो आज से पहले आदरणीय सुखाड़िया जी ने पानी के लिये बनाई थी, जिसकी पहली स्टेज दो करोड़ पांच लाख में बनकर तैयार हो चुकी थी, की दूसरी स्टेज, जिसकी कीमत उस समय 8 करोड़ थी, को नहीं बना कर ड्राप क्यों कर दिया? आज जो उसकी कीमत निकाली वह 15 करोड़ है। इस 15 करोड़ की देवास योजना को नहीं बनाना चाहते जो हमारा पानी वेस्ट होकर गुजरात में जाकर कच्छ की खाड़ी में गिर जाता है, जो पानी समुद्र में जाकर मिल जाता है। हमारा पानी है उसको रोक कर 15 करोड़ की योजना बनाकर पानी लाना क्यों नहीं चाहते? जयसमंद झील का पानी लिफ्ट करके 18 करोड़ और 20 लाख की योजना हम जरूर प्रप्रोज कर सकते हैं। इससे मुझे यह लगता है, विभाग की शायद यह मंशा है कि जयसमंद का जो लिक होगा वह केवल पाइप लाइन से होगा। पाइप लाइन जितनी ज्यादा खरीदेंगे उतना ही इस डिपार्टमेंट को ज्यादा कमीशन मिलेगा। देवास की योजना, जिसे हमने नयी योजना के अनुसार वागन में परिवर्तित किया, वागन की जो योजना बनी है उससे 35 करोड़ में हम लगभग 1100 क्यूसेक्स पानी प्राप्त करेंगे। जो चौगुना पानी जयसमन्द में है वह हमें 35 करोड़ में मिल रहा है इस योजना को हम प्रप्रोज नहीं कर रहे हैं, हम जयसमन्द से लिफ्ट योजना को प्रप्रोज कर रहे हैं। मंत्री महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, यदि वास्तव में उदयपुर में पानी की समस्या का स्थायी निदान करना है तो आप जयसमन्द वाली 18 करोड़ की फिजूल की योजना न बनायें। 15–18 साल के बाद फिर इसके कारण से समस्या आ जायेगी और पानी की समस्या हल नहीं होगी। इससे अच्छा यह है कि हमारा जो पानी वेस्ट आ रहा है, गुजरात में होकर कच्छ खाड़ी में गिर रहा है, उसको हम डाइवर्ट करें।

श्री सभापति : वहां पर कोई स्टोरेज का साधन है?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हां है। उसी के लिये बांध बनाने के लिए 35 करोड़ है। वहां से पानी को डाइवर्ट करेंगे।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
12 किलोमीटर की चैनल पहाड़ी को खोद कर उसमें से टनल के द्वारा पानी उदयपुर की तरफ डाइवर्ट करेंगे । वह पानी उदयपुर आ जायेगा। मैं चाहूंगा कि उदयपुर की पानी की समस्या के लिए जो देवास और नाकल योजना बनाई हैं लेकिन दोनों विभागों का आपस में एक दूसरे से तालमेल नहीं बैठने के कारण, इरिगेशन डिपार्टमेंट इसको अपोज करता है; हम कहते हैं जयसमन्द से पानी लाया जाय। इसलिये आप इस पर विचार करिये ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य; बात कम करेंगे। माननीय सदस्य, जोर से बात नहीं करेंगे। शान्ति से सुनिये कृपया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया: दूसरी समस्या, सभापति महोदय, यह है इस समय उदयपुर में सीवरेज लाइन बिछाई जा रही है। लगभग दो करोड़ सत्ताइस लाख रुपये से चार साल में हम इस कार्य को पूरा करेंगे। हम बार-बार इस बात को कह रहे हैं कि उदयपुर में जो सीवरेज लाइन बिछाई जा रही है उसके अन्दर जो मेटीरियल काम में लाया जा रहा है वह ठीक नहीं है। उसके पाइप घटिया हैं। बार-बार कहने के बाद भी पता नहीं कोई असर क्यों नहीं होता है? यहां तक कि जितना खोदना है या लेवल होना चाहिए वह भी ठीक नहीं है। जो मजदूर हैं सात रुपये आठ रुपये प्रति दिन वाले, वह मजदूर जाकर उस पर किसी तरह से लीपा पोती कर देते हैं। सीमेंट जोइंटस बराबर नहीं लगाया जा रहा। इसके कारण से दो-तीन साल के बाद यह लाइन जाम हो जायेगी जिस सुन्दरता और अच्छाई के लिए हम इसको बना रहे हैं वास्तव में वे गटर जाम हो जायेंगे और लोगों का जिन्दा रहना मुश्किल हो जायेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, श्रीमन्, एक प्रश्न के जवाब में बताया था, उदयपुर झीलों की नगरी है और झीलों में गिरने वाली गन्दगी से झीलों को बचाने के लिए सुखाड़ियाजी मुख्य मंत्री थे, उस समय उन्होंने एक योजना बनाई थी। सारा गन्दा मलबा बह कर झीलों में जाता है, वही पानी हमको पीना पड़ता है, हम पीते हैं, उन्होंने 16 लाख की योजना बना कर झील के किनारे-किनारे ड्रेनेज बनायी थी वह ड्रेनेज कम्पलीट पूरी हो गयी। कम्पलीट होने के बाद इस डिपार्टमेंट को और हमको बड़ा आश्चर्य है कि कभी भी वह गन्दा पानी उस ड्रेनेज के द्वारा बाहर निकल कर नहीं आया। वह आज भी झील में गिर रहा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह दूसरी मांग से सम्बन्धित है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह इसी डिमान्ड से सम्बन्धित है। मांग सं. 27 के दो भाग हैं, सफाई भी उसी के साथ है। पेयजल और सफाई की सुविधा से सम्बन्धित है। इससे मैं पीड़ित हूं, इसके कारण से मेरी झील के पानी के अन्दर आज आपको कीड़े दिखाई देते हैं वह कीड़ों वाला पानी हमें सप्लाई हो रहा है और उससे उदयपुर के लोगों को बीमारियां हो रही हैं। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही निवेदन है कि यह जो ड्रेनेज का सीवरेज सिस्टम उदयपुर में बन रहा है कृपा करके उसको ठीक प्रकार से दिखाइये। आप अपने अधि-

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कारियों को निर्देश दें कि घटिया मैटीरियल प्रयोग न करें। इस घटिया माल के कारण आज नहीं, चार साल बाद, पांच साल बाद उदयपुर के लिए नरक सा जीवन हो जायेगा। हम 16 लाख रुपये पहले ही समाप्त कर चुके हैं उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि हैंड पम्प हमारे शहर में भी लगाये गये और सारे उदयपुर जिले में लगाये गये। मंत्री महोदय, आप थोड़ा बताने की कृपा करेंगे कि क्या उदयपुर जिले का कोई ऐसा गांव है जहां हैंड पम्प स्वीकृत हैं लेकिन राजनैतिक कारणों से वहां के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। वहां से चूंकि सरपंच हमारा जीत कर आ गया, आप चाहें तो मैं नाम लेकर स्वीकृति-पत्र बता सकता हूं, एक साल से हैंड पम्प स्वीकृत है कि इस गांव में हैंड पम्प लगाया जाय। हमारे अकाल राहत मंत्री जो घासा से आते हैं, लोग आज भी वहां दो-दो किलोमीटर से सिर पर घड़ा रख कर पानी ला रहे हैं। इतना बड़ा गांव है जिसकी जनसंख्या पांच हजार है लेकिन वहां स्वीकृति होते हुए हैंड पम्प नहीं लग सकता क्योंकि वहां सरपंच भारतीय जनता पार्टी का है। यह राजनैतिक भेद-भाव वाली बात छोड़ कर वास्तव में जहां पानी की आवश्यकता है वहां हैंड पम्प लगवायें।

ऐसा ही नहीं है, श्रीमन्, आज आपने हैंड पम्प लगाये बारह-बारह और सत्रह-सत्रह हजार का खर्चा करके लेकिन उनकी रिपेयरिंग नहीं होने के कारण 40 पर्सेन्ट हैंड पम्प डल पड़े हुए हैं। आप अनुमान लगाइये, उस रुपये को केलकुलेट करें तो उसके ब्याज के ही इतने पैसे का आपको नुकसान हो रहा है। आखिर हमने एक-एक पंचायत समिति में 26 लाख, 30 लाख के हैंड पम्प खोदे हैं क्या हम एक आदमी उनकी रिपेयरिंग के लिए नहीं रख सकते? 40 पर्सेन्ट हमारे हैंड पम्प डल पड़े हुए हैं। आपने 150 रुपया प्रति हैंड पम्प के हिसाब से दे दिया और पंचायत समिति को हैंड पम्प सौंप दिया। पंचायत समिति उस 150 रुपये में किस तरह से हैंड पम्प को ठीक करायेगी? मैं चाहूंगा कि आप इसके लिए निश्चित रूप से कोई डिपार्टमेंट बनायें और उसके अन्दर कोई टैक्निकल आदमी रखें। उसके लिए मोटर साइकिल की व्यवस्था करें जिससे वह व्यक्ति कम से कम महीने में एक बार हर गांव के पाइन्ट को देख कर अपनी रिपोर्ट लेकर उसको ठीक करके आये।

यही नहीं, अकाल राहत कार्य हमारे लिए पता नहीं वरदान हैं या अभिशाप हैं। ऐसा लगता है कि कहीं हमारे मन में कमजोरी है जिसके कारण से जैसे-तैसे एडजस्ट करके अकाल घोषित कर देते हैं कि राजस्थान के 33 हजार गांवों में से 22 हजार गांव अकाल में हैं। सन् 79 से चले आ रहे हैं। कभी 21, कभी 23, कभी 22 हजार गांवों में चार-चार साल से अकाल पड़ रहा है। अब किस तरह से पड़ रहा है यह तो भगवान ही जाने। लेकिन हम कभी इस बात पर विचार करते हैं कि आखिर इसका स्थाई हल क्या होगा। हम अरबों रुपये आज दिन तक खर्च कर चुके हैं, क्या हमने कोई इसका मास्टर प्लान बनाया कि किस एरिया को किस ढंग से डवलप किया जाय? आप उदयपुर के पहाड़ी एरिया को जिस

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तरह से डवलप करना चाहते हैं वह शायद हमारे पश्चिमी राजस्थान के लिए उपयुक्त नहीं होगा। पता नहीं, हमारे यहां एक नार्म्स बना है। क्या बनाना ? सड़कें बनाना, मुर्रा डालना। कभी कोई कह रहा है कि हम तो जंगल में खड्डे खुदा रहे हैं। मेरा यह कहना है कि उदयपुर जिले के लिए आप मास्टर प्लान यह बनायें, उदयपुर जिले में अगर आपको अकाल राहत के काम करने हैं तो केवल सिंचाई के छोटे-छोटे बांध बनाइये। उन सिंचाई के बंधों के आधार पर ही आप वहां के लोगों को पानी दे सकेंगे और सिंचाई के साधन उपलब्ध करा सकेंगे। हम ऐसे काम ही हाथ में लें कि जो एक साल में समाप्त हो जायें। दुर्भाग्य तो यह है हमारा कि हम इस बार मिट्टी डालते हैं और अगली बारिश में वह मिट्टी चली जाती है। हमारे सारे अधिकारी कहते हैं कि हम क्या करें, बारिश बहुत तेज हुई सब बह गई। अब कौन नाप करेगा, कौन उसका तोल कर सकेगा ? इसलिए इस अकाल के लिए कभी एक मास्टर प्लान इस राजस्थान का तैयार किया जाये जिसके कारण से हम कोई स्थाई हल निकाल सकें। हो सकता है, पश्चिमी राजस्थान के लिए सड़कें उपयोगी हों लेकिन कम से कम उदयपुर जिले के लिए सड़कों का उतना उपयोग नहीं है। यह ठीक है कि हमको लेबर किसी तरह से लगानी है, व्यक्ति को रोजगार देना भी आवश्यक है इस कारण से हम कार्य करते हैं लेकिन कृपा करके इनको छोड़ कर अगर आप अधिक से अधिक सिंचाई का काम करायें तो निश्चित रूप से उदयपुर के लिए और अकाल के लिए हल निकाल पायेंगे। उदयपुर आदिवासी क्षेत्र है, यह बात ठीक है कि पश्चिमी राजस्थान के लोग आकर कहते हैं कि अकाल है···

श्री सभापति : इरिगेशन में इतने लेबर नहीं लग सकते ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उसमें लगते हैं। बांध पर क्यों नहीं लगते ? मिट्टी ही तो डालनी है। बांध पर तो सबसे ज्यादा लेबर लग सकते हैं। आप अगर कोई सीमेंट वर्क करायेंगे तो उसमें लेबर कम लगेगा लेकिन मिट्टी के काम करायेंगे तो उसमें लेबर ज्यादा लग सकता है ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री सभापति : प्रपोर्शन नहीं बनता है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : प्रपोर्शन भी बन जाता है अगर हम करना चाहें तो। हम चाहते हैं कि अकेला डिपार्टमेंट इतना वजन नहीं उठा सकेगा, कैसे उसका काम होगा इस कारण से नहीं कर पाते।

श्रीमन्, यही नहीं, मिनिमम वेजेज यानी न्यूनतम मजदूरी के लिये हमने कह रखा है कि मिनिमम वेजेज 9 रुपये, 10 रुपये और 11 रुपये होगी। क्या, मंत्री महोदय, आप यह बतायेंगे कि ऐसी कौनसी परेशानी है, फेमिन में काम करने वाले व्यक्ति को सरकार द्वारा बनाये गये कानूनों का उल्लंघन करने का अधिकार दे रखा है ? उसको न्यूनतम वेतन क्यों नहीं मिल सकता ? इस बात को लेकर जब वह हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि इस को न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, हमारी सरकार इस बात की तैयारी कर रही है कि वह सुप्रीम कोर्ट में जायेगी कि उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल सकती। क्यों ? जब

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
किसी मालिक के यहां या सेठ के यहां नौकरी करने वालों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है तो हम उसके खिलाफ तो केस चालान कर सकते हैं, उसके खिलाफ लेबर कोर्ट में जा सकते हैं और उसको सजा दिला सकते हैं लेकिन जिस सरकार ने यह कानून बनाया वह सरकार उस कानून को तोड़े, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं किया जा सकता ? वह सरकार इससे आड़ लेने के लिये और बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही है। कृपा करके आप इसको ड्राप कीजिए। वास्तव में न्यूनतम मजदूरी उसको मिलनी चाहिए और मिल सकती है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है हमारे यहां ? हमारे यहां दुर्भाग्य यह है कि फर्जी मस्टर रोल बनते हैं। इस बात को कोई मैं अकेला नहीं जानता हूँ आप सब लोग जानते हैं। 50 लोग और काम पर लगे हुए हैं तो 70 लोगों की हाजिरी भरी जाती है। यह जो 20 लोग काम नहीं करते हैं उन लोगों को घर बैठे पैसे पहुंचते हैं या उसका डिस्ट्रिब्यूशन होना होता है, उन लोगों के कामों का भार जितना आता है वह उन 50 लोगों के ऊपर गिरता है। इसके कारण से जब हम नाप करने बैठते हैं तो उनकी मजदूरी कम बैठती है। आप कम से कम यह व्यवस्था करें कि पंचायत हैडक्वार्टर पर किस काम पर कितने मजदूर लगे हुये हैं उसकी एक सूची लगवा दीजिए। आने-जाने वाले व्यक्ति को कम से कम यह तो पता लगे कि इस पर कितने लोग लगे हुए हैं, कितने लोगों को काम पर लगाया हुआ है। मस्टर रोल कुछ और बन रहे हैं, हाजरी कोई और भर रहे हैं और अंत में बैठ कर उसका हिसाब हो जाता है। सच तो यह लगता है कि अकाल राहत कार्य नहीं है, यह उन गरीबों के लिये नहीं चलते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि राजस्थान में बड़े लोगों का, अधिकारियों का और राजनेताओं का पेट भरने का एक अकाल राहत कार्य है। यह बहुत कटु सत्य है। इसको कोई नकार नहीं सकता। आखिर इतना पैसा अरबों रुपया हमने लगाया उसको आज सड़कों और मैदानों में ढूंढने जायें तो उसका नामोनिशान नहीं मिलता कि वह कहां गया। आप आज दिन तक के सारे कामों की एक सूची प्रकाशित कीजिए, 20–22 वर्ष से जब से अकाल राहत कार्य चल रहे हैं उन पर आपने जो पैसा खर्च किया है उसकी कम से कम एक सूची शुरू से लेकर आखिर तक की हमको दीजिए। हम उस सूची को उठाकर देखें तो सही कि आखिर इस अकाल राहत कार्य में हमारी कान्स्टीट्यूएंसी में कौन-कौन सा काम हुआ और वह धरती पर है या आसमान में। तब हमको पता लगेगा कि वास्तव में सच क्या है और झूठ क्या है। मैं चाहूंगा कि अकाल राहत कार्यों को ठीक प्रकार से चलाया जाये। चाहे कितनी अच्छी वर्षा हो जाये हमारे आदिवासियों के एक फसली खेत हैं उनको दूसरी फसल के समय तो मजदूरी देनी ही पड़ेगी। उनके लिए आपको रास्ता निकालना ही पड़ेगा, चाहे आप अकाल राहत के काम से निकालो, चाहे कोई भी दूसरी व्यवस्था करो। या तो वह जंगल की लकड़ियां काटकर 5–5, 6–6, 7–7 और 10-10 किलोमीटर अपने सिर पर लाद कर शहर में बेच कर जायेंगे और अपने बच्चों का पेट भरेंगे। हो सकता है, पश्चिमी राजस्थान में आपको संकट हो लेकिन गरीबी का यह नंगा नृत्य जो हमारे क्षेत्र में हो रहा है वह आपने शायद नहीं देखा होगा। उन फटे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
चिथड़े लिपटे हुए लोगों के लिए तो हमेशा अकाल है। आप उनके लिए कोई न कोई व्यवस्था करें जिसके कारण से वह अपने खेतों में दोनों फसलें बो सकें और अपना पेट भर सकें। केवल सड़कों पर मिट्टी, जो बह जाती है, डालने से कोई लाभ नहीं होता है।

यही बात कहता हुआ, मंत्री महोदय, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उदयपुर में पीने के पानी की विकट समस्या बनी हुई है। मैंने यह भी सुझाव दिया कि पिछौला पर आपने टैंक बना रखा है, फतह सागर, जो कि बहुत बड़ी झील है, के ऊपर भी आप टैंक बनायें। आजकल जो फतेहसागर से पानी को लिफ्ट करके पिछौला में डाला जा रहा है वह वेस्टेज हो रहा है इसलिए आप दोनों झील पर अलग-अलग टंकियां बना दीजिए जिससे आधे शहर को पानी पिछौला से सप्लाई हो सके और आधे शहर को फतेहसागर की टंकियों द्वारा फिल्टर स्टेशन से हो सके। यह बहुत आसानी से हो सकता है। पानी उसमें पर्याप्त है। उस पानी को हम ऐसे संकट के समय में लिफ्ट करके पिछौला में डालते हैं उसके कारण से पिछौला का जो गंदा पानी है, पानी की डेप्थ कम रह गयी है, वह हिलने के कारण से पानी गंदा हो जाता है उससे पानी हमको अच्छी तरह से मिल नहीं पाता है।

मैं यही कहता हुआ फिर कहता हूँ, आप जयसमंद की योजना को ड्राप कीजिए और वागन योजना को प्रारम्भ कीजिए चाहे उसमें 5 साल लगें या 8 साल लगें। पहले फेज से हमको 400 क्यूसैक्स पानी मिल जायेगा और वह 10-15 साल के लिए पर्याप्त होगा। उसके बाद जैसे-जैसे आवश्यकता बढ़ेगी उसके अनुसार हमको पानी मिलेगा। यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय रतना रामजी।

(अनुपस्थित)

माननीय हेमाराम जी।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल): हमने आपको नाम दिया है। आप हमारा नाम लेते नहीं हैं और जो नाम नहीं देते हैं....

एक माननीय सदस्य: हमारा भी नाम है।

श्री बिहारीलाल पारीक:....उनको बुलवाते हैं। हमने स्लिप भी दी आपको फिर भी आप चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र की बात हम नहीं कहें, यह पक्षपात है...

श्री सभापति: अभी आपको समय दिया जायेगा। आर्डर, आर्डर।

श्री बिहारीलाल पारीक: हमको बोलने नहीं दिया जाता है....

श्री सभापति: आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य को बोलने दीजिये।

एक माननीय सदस्य: पहले हमें समय दिया जाये।

श्री भंवरलाल शर्मा: पाइन्ट आफ आर्डर, सर। माननीय सदस्य ने अभी यह कहा है कि आप इस बोलने के क्रम में हमारे साथ पक्षपात करते है, चेयर के प्रति इस प्रकार की बात कहना अनुचित है इसलिए मेरा नम्र निवेदन है....

श्री सभापति : इन्होंने आक्षेप के रूप में नहीं कहा है, माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : आक्षेप नहीं है तो क्या यह काम्पलीमेन्ट है ? मेरा यह निवेदन है कि इस शब्द को एक्सपंज किया जाये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऐसा नहीं किया जा रहा है। माननीय सदस्य, बिराजें।

माननीय हेमाराम जी। आपस में बात नहीं करेंगे। Kindly address to the chair

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : माननीय सभापति महोदय, आज अकाल व पेयजल की मांगों के ऊपर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। पहले तो मैं पेयजल के बारे में निवेदन करूं कि बाड़मेर जिले में पेयजल की जो समस्या है वह राजस्थान के अन्य सभी जिलों के मुकाबले में बहुत ज्यादा गम्भीर समस्या है। इसको मंत्री महोदय स्वयं मानते हैं। और मंत्री महोदय स्वयं को बाड़मेर जिले के एक-एक गांव की जानकारी है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से इसके बारे में यही निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले के लिये जो पेयजल योजनायें स्वीकृत हुई हैं, उनका जल्दी से जल्दी क्रियान्वयन हो और उन गांवों में पेयजल उपलब्ध कराया जाये जिससे कि स्वीकृत योजनायें हैं वह भी पूरी हों और वहां के लोगों को पीने का पानी मुहैय्या हो सके। इसके अलावा जिन गांवों के लिये योजनायें स्वीकृत नहीं हैं, योजनाएं जो स्वीकृत हैं लेकिन वह योजनायें मिनिमम नीड प्रोग्राम के तहत हैं ए. आर. पी. में नहीं हैं, . . .

श्री सभापति : माननीय सदस्य, धीरे-धीरे बात करें।

श्री हेमाराम चौधरी : मिनिमम नीड प्रोग्राम में पैसा नहीं होने की वजह से योजनाओं की क्रियान्विति नहीं हो पा रही है। इसलिए मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिन गांवों के लिये ए. आर. पी. की योजना स्वीकृत नहीं हैं उन गांवों के लिए रूरल वाटर सप्लाई स्कीम बनाकर ए. आर. पी. के तहत उनकी स्वीकृति करायें, तो उन गांवों के लिये योजनायें लागू हो सकती हैं और उन गांवों को भी पीने का पानी मुहैय्या हो सकता है। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व में पेयजल की जो योजनायें बनी हुई हैं उन योजनाओं का कार्य सुचारू रूप से चले, जिन गांवों की योजना बनी है उन गांवों में पर्याप्त मात्रा में पानी मिले इसके लिए मैं यह निवेदन करूंगा कि कई ऐसे गांव हैं जो टेल के गांव हैं, इस वजह से उन गांवों में महीने में एक दो बार पानी जाता है और कभी तीन चार बार जाता है, इससे ज्यादा पानी नहीं जाता है। यह पानी नहीं पहुंचने का कारण मैं तो यह समझता हूं कि अधिकारी लोग विशेष ध्यान नहीं देते हैं जिसकी वजह से टेल के गांवों में पानी कभी पहुंच नहीं पाता है। अगर वे इस बात का ध्यान दें कि इस योजना के तहत जितने भी गांव हैं उन सब को पानी देना है तो बीच के गांवों को कम पानी देकर उन गांवों में पानी पहुंचाया जा सकता है। लेकिन जो आखिर के गांव हैं वे पानी से हमेशा वंचित रह जाते हैं। मैं कुछ गांवों के नाम लेकर भी यहां निवेदन करना चाहूंगा, बाड़मेर जिले में मेरे ही क्षेत्र के गांव रावतसर, चवा, ओढू, रामसर का कुआ, भीमथल, लोहारवा, पाबूबेरा यह ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी योजनायें

(श्री हेमाराम चौधरी)
बनी हुई है लेकिन वहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है। इसके बारे में, मैं जिला अधिकारियों से एक बार नहीं अनेकों बार मिल चुका हूं। उनसे निवेदन भी किया है लेकिन फिर भी, अभी तक वह पानी की समस्या वैसी की वैसी बनी हुई है और उन गांवों में पानी नहीं पहुंच रहा है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप उन अधिकारियों को हिदायत दें कि गर्मियों के अन्दर जब पेयजल का भारी संकट पैदा हो जाय उस समय कम से कम उन गांवों में पीने का पानी उपलब्ध करायें। अकाल के समय में पीने के पानी की भारी समस्या हमारे यहां है। आपकी योजनायें बनी हुई हैं वह योजनाएं सही ढंग से चलें तो कम से कम पीने का पानी मिले।

सभापति महोदय, अब मैं अकाल के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। अकाल के नाम से सदन के··

श्री सभापति : माननीय सदस्य, धीमे बात करें।

श्री हेमाराम चौधरी : . . सभी माननीय सदस्य चिन्ता व्यक्त करते हैं लेकिन मैं यह निवेदन करूं, सही मायने में राजस्थान के अन्दर अगर कहीं भयंकर से भयंकर अकाल है तो वह बाड़मेर, शेरगढ़, फलौदी और जोधपुर का कुछ हिस्सा है· · ·

एक माननीय सदस्य : नागौर· · ·

श्री हेमाराम चौधरी : जिसके अन्दर भयंकर अकाल है। अभी जैसा बीच में नागौर से पधारने वाले माननीय सदस्य बोले, मैं निवेदन करूं, सभापति महोदय, आज बाड़मेर के अन्दर जितना चारा आ रहा है वह नागौर से आ रहा है और उसी वजह से हमारे को थोड़ी बहुत राहत मिली है। अगर वे भी यह बात कहें कि हमारे यहां अकाल है तो फिर हम कैसे विश्लेषण करेंगे कि कहां अकाल है और कहां नहीं है। मैं यह कहता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्यों की एक टीम बना दी जाये, एक कमेटी बना दी जाये। वहां कमेटी जाकर देखे कि नागौर के अन्दर अकाल है या बाड़मेर के अन्दर है। अकाल कहां पर है, उसकी गम्भीरता कितनी है अगर इस बात को आप अकाल राहत कार्य खोलते समय या मजदूरों की संख्या निर्धारित करते समय ध्यान में नहीं रखेंगे तो जो आदमी अकाल से ज्यादा प्रभावित हैं वे लोग तो वंचित रह जायेंगे और दूसरे लोग राजनैतिक प्रभाव से· · ·

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : 1200 गांव हैं· · ·

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बाधा नहीं डालें।

श्री हेमाराम चौधरी : जहां भयंकर अकाल की स्थिति नहीं है वहां ज्यादा मजदूरों की संख्या तय हो जाये और ज्यादा अकाल राहत कार्य खुल जायं, यह स्थिति नहीं हो। इसलिए मैं अकाल राहत मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे मजदूरों की संख्या निर्धारित करते समय और काम खोलते समय यह बात ध्यान में रखें। मंत्री महोदय, स्वयं बाड़मेर पधारे थे, आपने स्वयं यह स्वीकार किया है कि राजस्थान में कहीं अकाल है, तो सबसे ज्यादा बाड़मेर के अन्दर है। जब सबसे ज्यादा अकाल वहां पर

(श्री हेमाराम चौधरी)

है, मजदूर भी आपने वहां ज्यादा ही तय किये होंगे लेकिन फिर भी मैं यह चाहूंगा कि दूसरे जिलों में अकाल की इतनी चिल्लाहट हो रही है उससे ज्यादा अकाल हमारे यहां है। इसके लिये मैं निवेदन करूं सदन के जितने माननीय सदस्य हैं उनको एक दफा बाड़मेर दिखा दिया जाये और वहां का इलाका दिखा दिया जाये। मंत्री महोदय, उनको भेजें और अगर वे स्वयं यह महसूस करें कि आपके यहां अकाल है और आपको मदद मिलनी चाहिये तो हमें मदद दें। अगर सब माननीय सदस्य यह महसूस करें कि आपके यहां अकाल नहीं है तो कोई बात नहीं। हम बार बार इसलिये निवेदन करते हैं पिछले पांच साल से लगातार अकाल होने के कारण हम जब से विधायक बने हैं तब से बस अकाल के नाम पर ही ज्यादातर अपनी बात कहते हैं, यह हमारे लिये मजबूरी है। जब प्रकृति ने ही हमारा साथ नहीं दिया, बार बार हम कहते हैं तो हमारा भी सिर नीचे झुक जाता है कि हमेशा ही अकाल की बात कहें और हमेशा ही अकाल के नाम से सहायता मांगते रहें। जब प्रकृति ने ही हमारे साथ ऐसा धोखा कर दिया उसकी वजह से मजबूरी में हमें ऐसा करना पड़ रहा है।

सभापति महोदय, जब सेन्टर की स्टडी टीम राजस्थान के अन्दर अकाल का जायजा लेने के लिये आती है तो वह भी जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और पाली के हिस्से में जाती है। जहां तक मुझे जानकारी है सेन्टर की स्टडी टीम पिछले दो तीन साल से उस तरफ अकाल का जायजा लेने के लिये आती है। जब वह उन हिस्सों में अकाल का जायजा लेने जाती है तो इसका मतलब यह है कि वास्तव में अकाल उन क्षेत्रों के अन्दर है और उन्हीं क्षेत्रों के अन्दर ज्यादा अकाल राहत कार्य खोलकर लोगों की मदद करने की जरूरत है। जैसा आपने बताया, नागौर के अन्दर इतने गांव अकाल में हैं। मैं तो कहता हूं अकाल राहत मंत्री जी को या एक टीम बना देनी चाहिये उस ही को वहां जाकर देखना चाहिये कि वास्तव में वहां कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है। एक तो वह आदमी है जिस को सुबह-शाम खाना मिल जाये और वह आगे की बात सोचे या मजदूरी की बात सोचे, और, एक वह है जिनको एक टाइम का खाना मिलना मुश्किल हो गया है। लोगों को भूखा सोना पड़े, लोगों को समय पर भोजन नहीं मिले उसकी वजह से उनका स्वास्थ्य गिर जावे या उनके शरीर के अन्दर इस तरह की बीमारी हो जाये और लोग बीमार पड़कर मृत्यु के शिकार हो जायं, ऐसी स्थिति न हो, इसके लिये ध्यान देंगे तभी सही मायने में अकाल में सरकार जो मदद करना चाहती है, वह मिल सकेगी। जैसा न्यूज पेपर में अभी हमने पढ़ा, शेरगढ़ में इतने आदमियों की मृत्यु हो गई, मैं समझता हूं उन लोगों की जो मृत्यु हुई है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपके यहां वसूलियों का क्या हाल है ?

श्री हेमाराम चौधरी : सभापति महोदय, उसके बारे में भी मैं आगे निवेदन करूंगा। उनको समय पर भोजन नहीं मिलने, पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलने के कारण, भोजन की कमी रही इसकी वजह से, विटामिनों की कमी रही इसके कारण कुछ

(श्री हेमाराम चौधरी)

मौतें हुई हैं। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, यह स्थिति बाड़मेर में भी है। बाड़मेर के अन्दर इस तरह से जो लोग मर जाते हैं उनका डाक्टरी मुग्रायना होता नहीं है, वह शफाखाने तक पहुंचते नहीं हैं, गांवों के अन्दर कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है इसलिये उनका अता पता लगता नहीं है। शेरगढ़ चिकित्सा मंत्री जी स्वयं का क्षेत्र है इसलिये उन्होंने डाक्टरी जांच करा ली जिससे यह मालूम पड़ा कि इस तरह से लोगों की मौतें हो गई। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, शेरगढ़ से भी ज्यादा खराब हालत हमारे यहां है। फलौदी जोधपुर का हिस्सा और पाली का कुछ हिस्सा है वहां पर हालत बहुत खराब है। इसलिये आप यह बात ध्यान में रखें कि कहीं ऐसी स्थिति पैदा न हो जाये कि समय पर लोगों को भोजन नहीं मिलने के कारण उनकी मौतें हो जायं। सभापति महोदय, यह तो मैंने मनुष्यों के बारे में कहा है और यह स्थिति है आज। पांच साल से लगातार अकाल पड़ रहा है और उनको कोई काम मजदूरी मिले नहीं। उनका खर्चा ही खर्चा हुआ खेती के अन्दर-जितना सारा खर्चा किया उसके बदले उनको रिटर्न कुछ नहीं मिला। ऐसी स्थिति जब हम देख रहे हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा मदद की जावे। पशुओं के बारे में, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पशु बड़ी भारी संख्या में चारे के अभाव में मर रहे हैं। चारे के बारे में अभी तक सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जैसा आपने एक प्रश्न के जवाब में कहा, पंचायत समितियों को 50–50 हजार रुपये चारे के लिये दिये। पंचायत समितियों को 50–50 हजार रुपये आपने दिये लेकिन पंचायत समिति के पास नाडी का काम भी है, चारे का काम भी है। पंचायत समितियों के पास ग्राम सेवक नहीं है, कोई काम करने वाला है नहीं। हमने इसलिये सामुदायिक विकास मंत्री से अलग से कहा कि भाई, हमारे यहां ग्राम सेवक टेम्प्रेरी अपाइन्ट करने के लिये हमें इजाजत दिलाओ ताकि ठीक ढंग से काम चला सकें। पंचायत समितियों को ग्राम सेवक लगाने की इजाजत मिलती नहीं है इधर यह काम दे दें, तो फिर काम करें कैसे। अकाल राहत मंत्री जी जब जवाब देंगे तो वे यह कहेंगे मेरे से सम्बन्धित मामला नहीं है कि ग्राम सेवक लगाने हैं या नहीं लगाने हैं। तो मैं यह चाहूंगा, सरकार में सभी विभाग हैं, मंत्रिमण्डल में इस मामले को लायें। पंचायत समितियों को जब हमने यह काम सौंपा है, ग्राम सेवकों के पद हमारे यहां खाली पड़े हैं उनको टेम्प्रेरिली नियुक्त करने की हमें इजाजत दे दें। जब तक आप अन्य व्यवस्था न कर दें या कहीं से दूसरे ग्राम सेवक नहीं भेजें तब तक के लिये हमें इजाजत दे दें तभी इस काम को ठीक ढंग से चला सकते हैं। स्टाफ की कमी के कारण पंचायत समितियां काम शुरू नहीं कर पाईं। इसकी वजह से चारे की कोई व्यवस्था नहीं हुई।

दूसरा, मैं दाले के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, दाल के सैन्टर स्वीकृत तो कर दिये गये लेकिन कितने सैन्टर चालू हुए ? सभापति महोदय, यह जो अकाल की स्थिति है राजस्थान के अन्दर, केवल बाड़मेर

(श्री हेमाराम चौधरी)

में ही हैं और इस स्थिति के बारे में मेरा निवेदन करना बहुत जरूरी है। मैं पिछले समय में कभी दूसरी मांगों पर नहीं बोला हूं। यह मांग ऐसी है जिसका सीधा सम्बन्ध हमारे बाड़मेर जिले से है।

सभापति महोदय, तो दाला है उसके सैन्टर तो स्वीकृत हो गये लेकिन दाला वहां नहीं पहुंच पा रहा है। आज जब मंत्री जी जवाब दें तो यह बता दें कि कितनी गायों का आज दिन तक इस वर्ष में दाला उपलब्ध करा दिया गया है या उनको दिया जा चुका है। वही बात है जो दिया गया है वही मदद होती है। कागजों में आंकड़े बता दें कि इतने सैन्टर स्वीकृत कर दिये, इससे पशुओं को राहत मिल जायगी। तो, सभापति महोदय, इससे कोई राहत मिलने वाली नहीं है। मेरे प्रश्न के जवाब में अकाल राहत मंत्री जी ने बताया कि इतने वैगन चारा बाड़मेर में पहुंच चुका है। तो, सभापति महोदय, वह चारा तो प्राइवेट डीलर्स अपने हिसाब से लाते हैं, व्यापार की दृष्टि से लाते हैं। उससे वहां के पशु पालकों को क्या राहत मिली? आपने यह भी बताया कि बहुत सस्ती दर से चारा बिक रहा है। सभापति महोदय, सस्ती दर से नहीं बिक रहा है। 50) रु. क्विन्टल की दर से चारा बिक रहा है। आपने 40) रु. बताया वह 40) रु. वाली बात सही नहीं है। 50) रु. के हिसाब से चारा खरीदने की क्या उनकी क्रय शक्ति है? क्या किसानों और पशुपालकों की क्रय शक्ति है कि वह 50) रुपये क्विन्टल में चारा खरीद कर अपने पशुओं को खिलाकर उनको बचा सकते हैं? वह उनकी तरफ ध्यान देंगे या अपने स्वयं के पेट की तरफ, अपने बच्चों के पेट की तरफ ध्यान देकर पहले उनको बचाने की कोशिश करेंगे। जब ऐसी स्थिति है तो, सभापति महोदय, मैं यह चाहूंगा कि चारे की उपलब्धि ठीक ढंग से हो। इसके लिये कोई माकूल व्यवस्था करें। दाले की भी उपलब्धि हो, इसके लिये आप माकूल व्यवस्था करें। मैं तो यह समझता हूं, चारे की भी व्यवस्था आप नहीं कर पा रहे हैं। वह करना भी बहुत कठिन है क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में लाना पड़ता है लेकिन दाले की व्यवस्था की जा सकती है इसलिये आप दाले की व्यवस्था की तरफ ज्यादा ध्यान दें। हर पंचायत में कम से कम आप एक सैंटर दाले का खोल दें और हमारे वहां के पशुओं को प्रति दिन दाला मिल जाय तो हमारे वहां का पशुधन बच जायगा। हम उसको बचा लेंगे। सब्सिडाइज्ड आप चारा देंगे तो उसे वहां के किसान, पशु पालक खरीद सकेंगे। मैं यह चाहूंगा कि हर पंचायत में दाले का एक सैंटर स्वीकृत हो। स्वीकृत होकर कागजों में ही न रहे, वह चालू हो जाय और वहां दाला पहुंचे। ऐसी आप व्यवस्था कर दें तो यह सबसे ज्यादा लाभप्रद हो। मैं तो यह समझता हूं दाले का सैंटर खोलना मजदूरी देने से और सब बातों से भी ज्यादा जरूरी है। इससे हमारा पशुधन बच जायगा तो पशुधन से जो आमदनी होती है वह आने वाले समय में होती रहेगी, नहीं तो हम हमेशा के लिए पिछड़ जायेंगे क्योंकि जो एक मात्र सहारा पशुधन है वह समाप्त हो जायेगा। इसलिए, सभापति महोदय, इस तरफ आप ध्यान दें।

दूसरा मजदूरों की संख्या बहुत कम निर्धारित की है बाड़मेर जिले के अन्दर।

(श्री हेमाराम चौधरी)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वहां अकाल की जो स्थिति है, अकाल से जो जनसंख्या प्रभावित है उसको देखते हुए मजदूरों की संख्या बढ़ाने की कृपा करें। इसके साथ-साथ सभापति, महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पेमेंट समय पर नहीं होता है। पिछले वर्षों के पेमेन्ट बहुत सारे बाकी पड़े हैं। काम बन्द हो जाता है उसके महीने बाद पेमेन्ट होता है। वहां पर मजदूर रोज तो इन्तजार करेगा नहीं, वह कहीं इधर उधर चला जाता है, पेमेन्ट देने वाले सुबह जाते और शाम को वापस आ जाते हैं इसलिये बहुत सारे अनपेड पेमेन्ट पांच दिन बाद विभाग में लौट जाते हैं। अगर पिछले सालों का रेकार्ड देखें तो मेरे ख्याल से लाखों मजदूरों के पेमेन्ट अभी बकाया पड़े हैं जो अन पेड रह गए हैं। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा इतने सारे जो अनपेड पेमेंट हैं उनको आप पटवारी को वापस लौटायें ताकि जब अकाल राहत के काम चलें और दुबारा जब पेमेंट हो उसके साथ में उनका पेमेंट चला जाये। पिछले पांच साल के अकाल के समय में तो उन्होंने इतनी कठिन मजदूरी पेट पालने के लिए की है, उसका भी पेमेंट उनको नहीं मिला है। मंत्री महोदय, यह कहें कि पेमेन्ट कर दिया गया है तो मैं आपको नाम बता सकता हूं कि इन रोड का पेमेन्ट नहीं मिला है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री हेमाराम चौधरी : मंत्री जी को मैंने दो-तीन रोड के लिए लिख कर भी दिया है 22-2-83 को। उनको भी कोई पेमेंट नहीं हुआ है।

श्री सभापति : दो मिनिट में सारी बात कह दीजिये।

(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : बहुत जरूरी बात है, सभापति महोदय। मैं दूसरा यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां अकाल के मद से सामुदायिक विकास विभाग को कुओं और टांकों की मरम्मत और गहरा करने के लिए 17 लाख रुपये दिये थे। वह स्वीकृत हो गये। पैसा पंचायत समिति के पी. डी. अकाउन्ट में जमा हो गया, काम भी पूरा हो गया, आधा पैसा चैक के द्वारा उनको दे दिया गया लेकिन फिर पीछे से आर्डर आया और पेमेन्ट पर रोक लगा दी। यह पिछले साल की बात है। वह पैसा अभी तक नहीं मिला है। वह बेचारे मजदूर मजदूरी के लिए चिल्ला रहे हैं। तो यह अकाल पर अकाल पड़ता जा रहा है। आप पिछला पेमेंट नहीं कर रहे हैं। अब इस तरह की बात है, सामुदायिक विकास विभाग वाले कहते हैं कि फेमिन वालों ने पैसा विथड्रा कर लिया। वह हमें देवें। फिर कभी बताते हैं कि पी. एच. ई. डी. को हमने ट्रांसफर कर दिया। न जाने आपने कहां ट्रांसफर कर दिया। वह काम वहां पूरा हो गया। आपने उनको आधा पैसा दिया और आधे पैसे के लिए रोक दिया। किसी आदमी को आप खाना खिलाओ, जब वह आधा खाना खा ले और फिर उसको रोक दो कि अब इससे आगे मत खाओ, वह उनकी हालत कर दी है। इसलिये आप जो भी काम करें तो पैसा पूरा दें और उस काम को पूरा करें। सभापति महोदय, इसके अलावा मैं एक बात यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल

(श्री हेमाराम चौधरी)

राहत कार्यों के तहत कार्य करने वाले श्रमिकों की मजदूरी मिनिमम वेजेज एक्ट के अनुसार दें। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह होल्ड कर दिया है कि अकाल राहत कार्यों पर लगे मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दी जाए। नितान्त आवश्यक है . . .

श्री सभापति : मिनिमम वेजेज के लिये मिनिमम लेबर भी चाहिये, उनका वर्क भी चाहिये उसके लिये माननीय सदस्य, ऐसे क्षीण आदमी कैसे दे सकेंगे इतना लेबर।

श्री हेमाराम चौधरी : मैं निवेदन करना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट की रिट याचिका संख्या 6816, 1981 संजीव राम वर्सेज राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 20-1-83 के अन्दर सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड किया है कि अकाल राहत कार्यों पर लगे मजदूरों को उनके टास्क के बेसिस पर भुगतान न किया जाकर के उनको पर डे जो मिनिमम मजदूरी है उसके अनुसार भुगतान किया जाय।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मिनिमम वेजेज के लिये मिनिमम वर्क भी, टास्क भी चाहिये। वह मिनिमम टास्क ऐसे वीक आदमी दे सकेंगे ?

श्री हेमाराम चौधरी: मैं वही निवेदन कर रहा हूं। सभापति महोदय, यह मिनिमम वेजेज का मतलब ही यही है, टास्क नहीं है। मिनिमम वेजेज का मतलब यह नहीं है कि अमुक आदमी को इतना काम करना पड़ेगा। मिनिमम वेजेज का मतलब है उसको पर डे के हिसाब से इतनी मिनिमम मजदूरी देनी पड़ेगी। रहा काम का सवाल, यह तो एम्पलायर का काम है कि वह उससे काम ले। जब एम्पलायर स्वयं काम नहीं ले सकता हो और टास्क बता कर उनके पेमेन्ट में से रिडक्शन करता है तो यह रूल्स का वायोलेशन है, यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट ने माना है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आप नहीं मानोगे। 20-1-83 का फैसला है, उसके बाद आप अकाल राहत कार्यों पर लगे श्रमिकों को कम मजदूरी देते जाओगे तो यह कोर्ट के निर्णय की अवहेलना होगी। . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हेमाराम चौधरी : आप चाहें तो मेरे पास उस निर्णय का आपरेटिव पोर्शन है उसको मैं . . .

(व्यवधान)

इसलिये, सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि मिनिमम वेजेज कोर्ट के फैसले के अनुसार लागू करके दें। इतने सारी दुनिया भर के नौकर हैं, राजस्थान गवर्नमेंट के हैं, सेन्ट्रल गवर्नमेंट के हैं, मैं तो यह कहता हूं किसका आपने टास्क बना रखा है, किसको टास्क के आधार पर पेमेन्ट करते हैं ? आपको केवल अकाल राहत में लगे श्रमिक ही मिले जो कि आपने उनके लिये टास्क निर्धारित कर दिया है कि इतना काम करेंगे तो ही पैसा मिलेगा। आज जिस आदमी ने अपनी एक बार ड्यूटी दे दी, उसकी अटेन्डेन्स है तो उसको बराबर पे मिलेगी। 30 दिन की अटेन्डेन्स है तो उसको तीस दिन की तनख्वाह मिलेगी।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य ।

श्री हेमाराम चौधरी : सभापति महोदय, श्रमिक बेचारे गरीब हैं, अकाल में मजदूरी करने आते हैं । वह कोई कोर्ट्स में नहीं जा सकते, गवर्नमेंट को चेलेन्ज नहीं कर सकते । यह जो ऐसा मामला सामने आया है इसकी तरफ ध्यान दें । श्रमिकों के लिये यह जो मिनिमम वेजेज एक्ट लागू नहीं कर रहे हैं, उसको लागू करें । यह कोर्ट का फैसला है । इसको आप मानें । इन लोगों को बहुत कम मजदूरी मिल रही है । कहीं डेढ़ रुपया कहीं दो रुपया और कहीं 50 पैसे मिल रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : किसी को पांच पैसा भी है ...... ।

श्री हेमाराम चौधरी : इस तरह से जो मजदूरी मिल रही है । यह अकाल राहत श्रमिकों के साथ बड़ा भारी अन्याय है जब कि आप राहत देना चाहते हैं । दूसरा जो पूरा काम नहीं कर पाते, इसका क्या है ...

(व्यवधान)

जैसा आपने बताया, कुछ प्रभावशाली लोग अपना नाम लिखा देते हैं और औजार उसको मिलते नहीं हैं, काम पूरा उसको मिलता नहीं है । काम भी पूरा मिलता नहीं है जितना काम देना चाहिये उतना नहीं देते हैं ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बहुत सारी प्राब्लम्स हैं . ।

श्री हेमाराम चौधरी : आपका सुपरविजन कोई है नहीं, कोई व्यवस्था है नहीं, टाइम पर ऊपर देख रेख करने वाला कोई है नहीं । एम्पलायर स्वयं अपने मजदूरों से काम ले नहीं सके और मजदूरों को यह कह कर नहीं दे कि आपने अपना टास्क पूरा किया नहीं है, जो टास्क निर्धारित है बी.एस. आर. की रेट के मुताबिक आपने काम नहीं किया है यह ठीक नहीं है । आप इसकी तरफ ध्यान दें ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

धन्यवाद ।

श्री सभापति : माननीय श्री माणक मल जी मेहता ।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्रसिंह : सभापति महोदय, मेरा नाम आपने पुकारा था .... ।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, मैंने सबसे पहले दूसरे नम्बर पर नाम दिया है ।

अभी तक मेरा नाम नहीं आया है, दूसरों का आ रहा है ।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर । श्री माणकमल मेहता ।

व्यवस्था का प्रश्न

डीडवाना नगर में दिनांक 18 मार्च, 1983 को एक महिला की रहस्यमय मृत्यु व प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाने की घटना

श्री सभापति : ग्रार्डर, ग्रार्डर।

श्री बिहारी लाल पारीक : सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री भंवरलाल शर्मा : पाइण्ट ग्राफ ग्रार्डर, सर।

श्री सभापति : पाइण्ट ग्राफ ग्रार्डर ग्रापका ग्रा रहा है। माननीय सदस्य, विराजें।

श्री भंवरलाल शर्मा : पाइण्ट ग्राफ ग्रार्डर यह है, साहब, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय ने ग्राज यह व्यवस्था की थी...

श्री सभापति : जी ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय ने प्रातःकाल यह व्यवस्था की थी कि डीडवाना में जो गोलीकाण्ड हुग्रा, उस पर दो बजे सरकार का एक वक्तव्य ग्रायेगा। मेरा ग्रापसे निवेदन है कि दो बजे का समय हो गया है, मन्त्री महोदय यहां विराजमान हैं...

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, गृह): मैं तैयार खड़ा हूं। स्टेटमेंट हो जाय, उसके बाद ग्राप बोलें।

श्री भंवरलाल शर्मा : ग्रभी दिलवा दीजिए, ग्राप तैयार है तो।

कटौती प्रस्तावों पर बोलने वाले सदस्यों की सूची

श्री बिहारी लाल पारीक (मांडल): सभापति महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। ग्रगर ग्राप ग्रनुमति दें तो मैं निवेदन करूं ?

श्री सभापति : मन्त्री महोदय।

श्री बिहारी लाल पारीक : वह स्टेटमेंट दें उसके पहले मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री सभापति : उत्तर दे रहे हैं क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय करिये।

श्री बिहारी लाल पारीक : सभापति महोदय, मुख्य सचेतक जी हैं नहीं...

श्री सभापति : उसकी व्यवस्था हो रही है।

श्री बिहारी लाल पारीक : सभापति महोदय, वन मिनट। मैं प्रार्थना कर दूं ग्रापको कि मुख्य सचेतक जी हैं नहीं, उनको 2-2 काम दे रखे हैं। उनको हम नाम देते हैं, उस तरह से जैसे डिमाण्ड पर कट मोशन्स देते हैं तो हमने बराबर नाम दिये हैं...

श्री सभापति : यह कोई पाइण्ट ग्राफ ग्रार्डर नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री बिहारी लाल पारीक : उसके बाद दूसरा नम्बर मेरा था। यह प्रश्न इसलिये कर रहा हूं...

श्री सभापति : ग्राप थोड़ा धीरज रखिये।

श्री भंवर लाल शर्मा : यह तो फरियाद है, साहब, इनकी।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर।

श्री बिहारी लाल पारीक : हम यह चाहते हैं कि यह नाम आपके पास मुख्य सचेतकजी ने दिये हैं या अलग से दिए हुए आये हैं ? मैं प्रार्थना करता हूं कि आप व्यवस्था दें हम कभी-कभी बोलना चाहते हैं, क्या कारण है उस पर भी आप···

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : यह तो आपकी पार्टी में आपकी चलती है नहीं। सभापति महोदय, क्या करेंगे ! वहां व्यवस्था करके क्या करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : अयोग्य हैं तो आ जाओ हमारे यहां, हम बुलायेंगे।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

शासकीय वक्तव्य

डीडवाना नगर में दिनांक 18 मार्च, 1983 को एक महिला की रहस्यमय मृत्यु व प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाने की घटना

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, गृह): सभापति महोदय, प्राप्त जानकारी के अनुसार डीडवाना नगर में दिनांक 16-3-1983 को रुक्मणी देवी पत्नी श्री देवीलाल, निवासी-डीडवाना की जलने के कारण मृत्यु हो जाने के कारण डीडवाना के निवासियों ने दिनांक 17-3-1983 को जिलाधीश, नागौर के समक्ष डीडवाना में अपना विरोध प्रकट कर इस मामले को हत्या का मामला बताया। इस पर कत्ल का अभियोग थाना डीडवाना में पंजीबद्ध किया गया। 18-3-83 को डीडवाना के लोगों को यह मालूम होने पर कि अनुराधा, जो देवीलाल की कथित प्रेमिका है, देवीलाल के घर में मौजूद है, वे देवीलाल के मकान के सामने इकट्ठा होने लगे। पुलिस सुरक्षा हेतु देवीलाल और अनुराधा को थाना डीडवाना में ले आयी। इसी दौरान दो हजार, ढाई हजार की संख्या में भीड़ थाने की ओर बढ़ने लगी और यह मांग की कि देवीलाल व अनुराधा को उनके हवाले किया जाय जिससे उन दोनों का मुंह काला करके नगर में घुमाया जा सके। पुलिस के मना करने पर क्रुद्ध व्यक्तियों ने थाने पर पथराव शुरू कर दिया। थाने की दीवार को गिरा दिया, फाटक को तोड़ दिया और जबरन थाने में घुसने की कोशिश की। पथराव के कारण 10 पुलिसकर्मी घायल हो गये। स्थिति को देखते हुए आत्मरक्षा के लिए पुलिस द्वारा प्रथम लाठी-चार्ज किया गया परन्तु इसे विफल होते देख व पुलिसकर्मियों की संख्या में कमी होने के कारण अन्तिम विकल्प के रूप में गोली चलायी गयी जिससे 7 व्यक्तियों को चोटें आयीं। इनमें से दो व्यक्तियों की चोटें गम्भीर हैं। घायलों के उपचार हेतु जिला दण्डनायक ने डाक्टरों की एक टीम डीडवाना भिजवायी और उपचार का प्रबन्ध कर गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को उपचार हेतु एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर भिजवाया। घटना की सूचना मिलते ही जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक व डी.आई.जी. मौके पर पहुँच गये। स्थिति अब पूर्णतया नियंत्रण में है। ए. डी. एम., नागौर द्वारा इस मामले की प्रशासनिक जांच के आदेश दे दिये गये हैं और तफतीश का काम भी वृत्त अधिकारी, नागौर को सौंप दिया गया है।

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

घटना की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री सभापति : माननीय चतुर्वेदी जी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जितनी सरल घटना बतायी है और तथ्यों को जिस प्रकार छिपाने की कोशिश की है, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान उन बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि घटना 16 तारीख को घट गई। 16 तारीख को कब घटी, यह उन्होंने नहीं बताया। रुकमणी जिस समय मरी, उसकी सूचना, स्थान, समय क्या रहा, इसका कोई जिक्र उन्होंने नहीं किया। 16 तारीख की रात्रि के दो...

(2.15.म.प.)

(श्री माधवसिंह दीवान, सभापति, पदासीन)

से 4 बजे के बीच में इस रुकमणी देवी, जो देवीलाल की पत्नी है, को देवी लाल और अनुराधा ने जोर से पिटाई की। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूं, जैसा उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि अनुराधा देवीलाल की प्रेयसी है। वह उसी मकान में रहती है। अनुराधा उसी मकान में रहती है, किसी दूसरे स्थान पर नहीं रहती। इस रुकमणी की पिटाई दो से 4 बजे के बीच में 16 तारीख की रात को अनुराधा के कमरे में हुई। केवल पिटाई नहीं हुई, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वहीं गला घोट कर उसकी हत्या कर दी गयी। प्रातःकाल 10 बजे अध्यापक स्कूल जाते हैं, 17 तारीख को अनुराधा भी उसी वक्त अपने स्कूल जाती है। दोनों के स्कूल अलग अलग हैं। यहां जो कुछ था, घासलेट का बहुत बड़ा टिन पूरा छिड़क कर आग लगाकर यह लोग वहां से चले गये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जलने से मृत्यु बतायी गयी है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा, क्या इस मकान के आसपास रहने वाले जितने सारे व्यक्ति हैं, किसी ने भी चिल्लाहट उस महिला की सुनी है? जो व्यक्ति स्वयं जलेगा, अपने ऊपर आग लगायेगा, हो सकता है वह भावावेश में आग तो लगा दे किंतु आग लगाने के बाद वह झपटेगा, इधर-उधर जायेगा, स्वयं को बचाने की कोशिश करेगा और चिल्लायेगा, जैसे-जैसे आग उसके लगेगी। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि एक भी गवाह आसपास के सारे क्षेत्र में इस बात को नहीं कहते कि किसी ने भी चिल्लाहट सुनी, रोना सुना, भागना दौड़ना देखा। 17 तारीख को 10 और साढ़े 10 बजे के बीच में जब वे स्कूल चले गये उसके थोड़ी देर के बाद लोगों ने धुआं उठता देखा। धुआं उठने के बाद उसकी सूचना दी। सूचना देने के पश्चात्, जिस समय सूचना पहुंच गयी उसके पति को, यह पति पहले पुलिस में गया। 35 और 40 मिनट के बाद वह अपने घर में आया। महिला ऐसी उकडू बैठी थी, हाथ इस प्रकार की स्थिति में थे। जिस समय पिटाई हुई, जिस समय गला घोंटा उस समय यह स्थिति थी। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा, जब ऐसी स्थिति थी तो किसी प्रकार की जानकारी जो जलने की हुई तो पुलिस ने रिपोर्ट लिखी? रिपोर्ट तब लिखी गयी जब जिलाधीश महोदय वहां आ गये। डीडवाना की जनता ने

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

उनको एप्रोच किया । एप्रोच करके अपने मुंह से सारी घटना सुनायी । यह 17 तारीख की घटना है । 17 तारीख को यह बताने के पश्चात् जिलाधीश महोदय को, जैसा माननीय मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा, उन्होंने स्वयं पुलिस को कहा और धारा 302 इसके विरुद्ध लगायी गयी । मैं पूछना चाहता हूं, 17 तारीख को धारा 302 लगायी गयी है । और इतने लोगों ने एप्रोच किया कलेक्टर को उसके बाद पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज की गयी, तो क्या दो कलप्रिट थे ? जांच चल सकती थी । क्या उनको इमीजिएट गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था ? 302 में कलेक्टर के मार्फत इस प्रकार की एफ. आई. आर. दर्ज करने के पश्चात् भी अनुराधा और देवी लाल को गिरफ्तार नहीं किया गया । लोगों के मन में यह धारणा हो गयी कि पुलिस गिरफ्तार करने वाली नहीं है । 16 तारीख को रात को वह घटना होने के बाद 17 को प्रातःकाल गिरफ्तारी की, न दोपहर को की । सायंकाल कलेक्टर को बता दिया तब भी गिरफ्तारी नहीं की, 302 का केस दर्ज कर दिया तब भी नहीं की । इसलिए 18 तारीख को प्रातःकाल दस बजे भीड़ इकट्ठी निश्चित रूप से हुई, देवी लाल के घर पर हुई । अनुराधा वहीं रहती है । लोगों ने यह मांग की थी कि गिरफ्तारी की जाए । मैं आरोप लगाना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया होता इन दोनों मुलजिमों को, तो यह जो दुर्घटना हुई है गोलीबारी की, इसको टाला जा सकता था । पुलिस ने निष्क्रियता दिखाई, कलेक्टर ने स्वयं इस प्रकार की बात कही । भीड़ तो जरूर इकट्ठी हुई किन्तु मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि भीड़ इकट्ठी हो गई । जब वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई तो डी. वाई. एस. पी. वहां गए, पुलिस वाले वहां गए और इन दोनों व्यक्तियों को मकान में से निकाल कर थाने में ले गए । अगर जनता वायलेंट थी दो तीन हजार की संख्या में थी, तो वह काण्ड उसने उसी समय क्यों नहीं किया जिस समय यह डी. वाई. एस. पी. और पुलिस के लोग उस मकान से निकाल कर उनको थाने में ले जा रहे थे । माननीय सभापति महोदय, यह खबर पहुंची कि पुलिस उनको किसी कीमत पर गिरफ्तार नहीं करना चाहती है । वहां लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस पैसे खा गई । यह 16 तारीख की बात है । यह आरोप लगाया गया है कि जिसने मेडिकल रिपोर्ट दी है उस मेडिकल रिपोर्ट देने में भी उसने पैसे खाए हैं । यह आरोप जनता ने कलेक्टर पर लगाए । जब निकाल कर ले गई और यह बात पुलिस कह कर गई कि हम गिरफ्तार कर रहे हैं, लोगों के मन में धारणा पैदा हो गई कि पुलिस गिरफ्तार नहीं करना चाहती है, मामले को रफा दफा करना चाहती है । इसलिए वह जो भीड़ थी वहां से जुलूस के रूप में बाजार में होते हुए थाने पर गई । माननीय सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, दो दिन पहले घटना हो जावे, 17 तारीख को इस प्रकार की रिपोर्ट लिख दें, स्वयं डीवाई. एस. पी. लोगों को ले जावें और फिर कहें कि थाने में पुलिस की संख्या कम थी । तो या तो सरकार की इंटेलीजेंस नहीं है या कोई सी. आई. डी. नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर उस समय काफी संख्या में पुलिस

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

थी और जिस प्रकार की गोलीबारी हुई है, मैं स्वयं मरीजों को देख कर आया हूं, मुझे रात को ही घटना की जानकारी मिली थी। मैं स्वयं घायलों को देख कर आया हूं, एक के यहां पर गोली लगी है, एक के पीठ पर गोली लगी है जिसका अभी तक आपरेशन नहीं हुआ है और शायद अभी जल्दी में आपरेशन होना भी सम्भव नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि घायल होने में कौन लोग हैं। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि सात लोग हैं लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार 9 लोग घायल हुए हैं, जिनमें दो तो बच्चे हैं। 12 और 13 साल के बच्चे हैं जिनके गोली सीधे-सीधे लगी है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, जैसा उन्होंने कहा कि यह भीड़ उत्तेजित थी। यह बात सही है कि भीड़ ने पत्थर बाजी की है लेकिन गोली मारने की किसी ने सूचना नहीं दी। कोई भी दमदार पुलिस आफिसर सामने आकर ऊपर खड़ा होकर कह देता कि हम गिरफ्तार कर रहे हैं आप फिक्र मत करो, लेकिन जनता को भ्रम में रखा गया। जनता यह समझती रही कि गिरफ्तारी नहीं की जा रही है और केस को रफा दफा करने वाली बात है यह सब पैसे खाने की प्रक्रिया है, केस में इस तरह की स्थिति पैदा करेंगे। तब जाकर इस प्रकार की बात हुई, थोड़ी सी पत्थर बाजी हुई। लाठी चार्ज के बाद सीधी गोलीबारी हो गई। अखबारों में तो आया है कि अश्रु गैस के गोले छोड़े, ऊपर फायर हुआ। सभापति महोदय, ऐसा नहीं हुआ। सीधी-सीधी गोली सामने दागी गई। 9 लोग इससे आहत हो गए। क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे, जिन दस पुलिस वालों को घायल बताते हैं उनमें से कितनों का मेडिकल हुआ और कहां-कहां पर चोटें उन्हें लगीं? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, राजस्थान की पुलिस, राजस्थान का प्रशासन शायद यह समझता है कि हम प्रदेश पर गोलीं बारी करते रहें, हम भरतपुर में गोली काण्ड करके लोगों की जान ले लें, हम डीडवाना में गोलीकाण्ड करके लोगों की जान ले लें। क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन? क्या कर रहा है सी. आई. डी.? क्या कर रहे हैं वहां के लोग? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह सारा वक्तव्य निश्चित रूप से पुलिस को बचाने के लिए, डाक्टर को बचाने के लिए एक प्रकार की भूमिका है। कम से कम कलेक्टर महोदय, जो जिला प्रशासन का हेड है, की आज्ञा के उल्लंघन का सीधा-सीधा तरीका है। मुझे हर्ष होता, यदि माननीय मंत्री महोदय यहां खड़े होकर जिन पुलिस वालों ने इस प्रकार की स्थिति निर्माण की, इस प्रकार की पोजीशन निर्माण की, उनके विरुद्ध किसी प्रकार के एक्शन लेने की बात करते, कुछ लोगों को सस्पेंड करते और जिन लोगों के गम्भीर चोटें आई हैं, उनको कुछ राहत पहुंचाने की बात करते। यह कुछ नहीं किया गया केवल मात्र लीपापोती करने वाला एक वक्तव्य माननीय मंत्री महोदय ने यहां प्रस्तुत करने की कोशिश की है। मैं आरोप लगाना चाहता हूं, राजस्थान की पुलिस इतनी निरंकुश हो गई, वह आज जो मंत्रिमण्डल है, उसके काबू से निकल गई है। वह जो चाहती है, करती है क्योंकि एक भी एक्शन आज तक उनके विरुद्ध लेने की स्थिति में आप नहीं हैं, घबराते हैं,

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

डरते हैं, पता नहीं कौन-सी इनकी स्थिति बन गई है।

इन शब्दों के साथ कुछ मेरे स्पेसिफिक सवाल हैं, जो मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं। सवाल नम्बर एक, मंत्री महोदय बतायें, अनुराधा कहां रहती थी? माननीय मंत्री महोदय यह बतायें कि यह गणपत पेंटर, जिसे चोट लगी है, चोट लगने के बाद कहां पड़ा रहा? चोट तो लगी है पौने बारह बजे, साढ़े ग्यारह बजे। उसको ले गए अन्दर, थाने में पुलिस वाले ले गए। 2 बजे लोगों को सौंपा है इन्होंने। वह तो समझ रहे थे कि मर गये, लेकिन 2 बजे बाद सौंपा है। यह हालत थी। तीसरा सवाल, मैं यह पूछना चाहता हूं, जैसे पड़ोसियों की आपने चर्चा की, क्या एक भी गवाह आया है जिसमें पड़ोसियों ने चर्चा की हो कि हमने रोना चिल्लाना सुना है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस सारी घटना की जिस प्रकार की स्थिति बनी हो, उस घटना के बारे में आप पूरी जांच करिये। मुझे तो डर लगता है, जांच करने की स्थिति पुलिस विभाग में है या नहीं है। किसी सेंट्रल एजेंसी को सौंपिये। आप तो लीपापोती करेंगे, आप तो करते रहे हैं, राजस्थान के हर केस के बारे में ऐसा करते रहे हैं। इसलिए मुझे तो डर लगता है कि यह राजस्थान में गोली बारी होती रहेगी, गोली काण्ड होते रहेंगे, यदि कहीं न कहीं चेक नहीं लगा तो। यह अवसर है, माननीय मंत्री महोदय, इस काम को किसी इण्डिपेण्डेंट एजेंसी को, सेंट्रल एजेंसी को सौंप दीजिए। उनको जांच करने दीजिए। जांच करके पूरा निर्णय करने दीजिए। इतना ही मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

श्री सभापति : माननीय भंवरलालजी शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, इस घटना को यह कह कर टाला गया है कि यह आत्म-हत्या का केस है। कुछ ऐसे बिन्दु हैं जिन पर विचार करने से यह पता लगेगा कि यह आत्म हत्या नहीं, हत्या थी। जिस कमरे में यह घटना घटी है वह रुकमणी का कमरा नहीं है, अनुराधा का कमरा है। अनुराधा वह महिला है जिससे उसका वैमनस्य है। यह स्पष्ट है मास्टरजी की तो उसके कमरे में जाकर आत्म हत्या कैसे करेगी?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : हत्या का केस मान कर तो केस दर्ज कर लिया है 302 में और उसी का अनुसंधान हो रहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : वही मैं कहना चाहता हूं। यह जो आपने हत्या का केस आज माना है उन पुलिस अधिकारियों ने जब सबसे पहले सामने यह बात आई‥

श्री माणकमल मेहता (पाली) : आपके स्टेटमेंट से अनुसंधान प्रभावित होगा या नहीं?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप क्या बात करते हैं। अनुसंधान प्रभावित हो तो हम क्या करें। यह विधान सभा है।

श्री माणकमल मेहता : अनुसंधान के समय इन फेक्ट्स को अनुसंधान एजेंसी को तो बता दिया जाय, वह ज्यादा उपयुक्त रहेगा।

Page No 95

श्री भंवरलाल शर्मा : यह तो उनके सामने है, मै क्या वता दूंगा।

श्री सभापति : आप बोलिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : रुक्मणी का आत्म-हत्या करना अनुराधा के कमरे में जाकर के, यह इस बात को प्रमाणित करता है कि वह आत्म हत्या नहीं थी। फिर दूसरी बात यह है कि उस परिवार में और भी लोग रहते हैं। वह अकेले ही नहीं रहते हैं। जिस दिन यह घटना घटी उस दिन ये परिवार के लोग वहां नहीं थे। तो यहीं मौका देखा गया कि जब कोई भी गवाह उपस्थित नहीं रहे तब इसकी हत्या की जावे। इसलिये यह हत्या का संदेह हो गया। इन्होंने यह जो एफ. आई. आर. लिखाई है क्या उसमें कोई कारण बताये हैं कि आत्म-हत्या क्यों की ? अनुराधा तो कई दिनों से वहां साथ रह रही थी। उस दिन कौन-सा कारण बना था? कोई विवाद हुआ था, कोई नाराजगी हुई थी ? किस कारण से यह आत्महत्या करने की स्थिति में वह महिला आई ? इसलिये यह जो बातें हैं ये इस बात को प्रमाणित करती हूं कि यह आत्म-हत्या नहीं थी, हत्या का मामला था। या तो कलेक्टर साहब गलत है या फिर पुलिस वाले गलत है। जब कलेक्टर साहब ने 302 धारा लगाने का आदेश दिया तो पुलिस ने 302 का केस क्यों नहीं माना ? अगर पुलिस 302 का केस मान कर केस रजिस्टर कर लेती तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। लोगों ने कहा कि यह 302 का केस है, इसको रजिस्टर करो। तब नहीं किया। इन तथ्यों के आधार पर नहीं किया। कलेक्टर साहब ने कहा, तब नहीं किया। पुलिस इसको टालती रही। आखिर इस प्रकार से एक निर्मम हत्या कर दी जावे, साधारण पिटाई पर भी लोगों में जोश आता है तो आदमी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हत्या को आत्म हत्या कह कर टाल दिया जावे। उस महिला के साथ लगातार अत्या-चार हो रहा था। उसके मुकाबले में एक महिला को अपने घर में रखना, इससे बड़ा अत्याचार उस महिला के साथ क्या हो सकता है। उस अत्याचार से पीड़ित उस महिला की कोई इस प्रकार से हत्या कर दे तो क्या समाज बोलेगा नहीं ? समाज ने यही कहा कि जो अपराधी हैं उनको दण्ड दो। तब दण्ड नहीं दिया। कलेक्टर साहब ने जब आदेश दिया तब तो पुलिस को केस रजिस्टर करना चाहिए था। इसलिए यह पुलिस का सबसे बड़ा निकम्मापन रहा जिसके कारण से यह सारी घटना घटी। केस रजिस्टर कर भी लिया था, मान लीजिये, तो इमीजियेटली एक्शन यह होता है, जो लोगों की मांग भी थी, जो मुल्जिम हैं, जो वहां उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, सबसे पहला काम यह होता कि 302 के अपराधियों को तुरन्त गिरफ्तार किया जावे। हमारे यहां सूचना आती है कि एम. एल. ए. को 151 में गिरफ्तार कर लिया, 107 में गिरफ्तार कर लिया। एम. एल. ए., जो अपनी मांग लेकर जाता है, को तो आप 107 और 151 में गिरफ्तार कर लेते हैं, उसमें तो बड़ी तत्परता दिखाते हैं। माननीय सदस्यों को तो गिरफ्तार करने में आपको देर नहीं लगती। पर एक हत्या, जिससे सारा गांव, सारा कस्बा उत्तेजित है, के अपराधी आप गिरफ्तार नहीं करेंगे तो जनता उत्तेजित नहीं होगी तो क्या होगी। फिर उत्तेजना के बाद उन्होंने किया क्या ? यही

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कहा कि भाई आपको कलेक्टर साहब ने कह दिया उसके बाद भी आपने गिरफ्तार नहीं किया, अभी भी घर में दोनों आराम से आनन्द कर रहे हैं? इनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं आप ? उस समय भी गिरफ्तार नहीं किया। जिस समय पुलिस वहां पहुंची उस समय पुलिस ने यह कहा कि हम इनकी सुरक्षा के लिए थाने ले जाते हैं। वहीं से अगर गिरफ्तार करके ले जाते तो, मैं समझता हूं, बाकी लोगों को थाने पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहां भी गिरफ्तार नहीं किया। वहां लोगों ने पूछा कि भाई अब भी आपने गिरफ्तार कर लिया है क्या ? तब भी उनको यह उत्तर नहीं दिया गया कि यह 302 के अभियुक्त हैं, इनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। अगर आप और हम भी वहां होते तो ऐसी स्थिति में क्या करते···

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप तो पत्थर फेंकते।

श्री भंवरलाल शर्मा : पत्थर नहीं मांग करते। अगर मैं नहीं होता आप होते तो निश्चित रूप से पत्थर फेंकते। आप होते तो पत्थर फेंकते, यहीं पत्थर फेंकते हो,...

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : हमारी तो आदत है ....

श्री भंवरलाल शर्मा : पत्थर फेंकने वाली बात को लेकर आप इतनी बड़ी घटना को टालना चाहते हो ? मेरा यह निवेदन है कि इसमें सारी जो गलती रही है वहां के पुलिस के अधिकारियों की रही है। चाहे डोवाई. एस. पी. हो, चाहे बड़े अधिकारी हों, उनकी लापरवाही से सारी घटना घटी है। उसके परिणामस्वरूप ऐसे विद्यार्थी, जिनका इस घटना से कोई लेन-देन नहीं हो सकता, वह शायद तमाशा देखने गये होंगे, उनको गोली मार दी। सात लोग और घायल कर दिये। ऐसे 9 लोग घायलावस्था में पड़े हुए हैं। अगर पुलिस को यह शंका थी, क्योंकि यह उत्तेजना एक दिन में एकदम तो नहीं आई। 16 तारीख का किस्सा है, 17 तारीख को लोग कलेक्टर से मिले हैं उनसे निवेदन किया है। उनके घर में भी गये हैं, पुलिस में भी गये हैं। सबसे पहला नियम यह है, अगर आपको गोली चलानी पड़े तो वार्निंग दीजिये, अश्रु गैस का प्रयोग कीजिये। अश्रु-गैस का प्रयोग नहीं किया गया। सीधे ही गोली दाग दी गई। तो यह जो रिवेन्जफुल कार्य किया है, पहले अपना कर्तव्य पूरा नहीं करना, जनता जब मांग करे तो उस पर प्रतिशोध की भावना से गोली चलाना कहां तक उचित है ? लेकिन इस सरकार को यह सब कुछ बातें मंजूर हैं। यह यही करते रहते हैं ? इस विधान सभा में कितने गोली कांड की घटनाएं आपके सामने आई हैं। उस पर भी हमारे विरोध में बैठने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि जनता ने पत्थर फेंके हैं। क्या उनको पत्थर फेंकने चाहिये ? आपको तो इसकी भर्त्सना करनी चाहिये। आपको तो साहस से कहना चाहिये कि बहुत निन्दनीय कार्य है। आपकी सरकार को ठीक करना चाहिए, आप उल्टा उस जनता पर दोष लगाना चाहते हैं। आप पुलिस कर्मचारियों को यह प्रोत्साहन देना चाहते हैं कि वह आइन्दा भी

(श्री भंवर लाल शर्मा)

इसी प्रकार का कार्य करते रहें। मैं समझता हूं, आपके लिये अनुचित बात है इस प्रकार बात करना। अगर आप यह करते रहेंगे तो आप फिक्र मत करिये, जनता के साथ ही नहीं निपटेंगे यह पुलिस वाले, आपको भी देख लेंगे। यह किसी के सच्चे नहीं होते हैं।

एक माननीय सदस्य : हमको क्या करना चाहिये उसके लिये तो हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दे रखा है। माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहिये। हमको जो करना है वह हम करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय महादेवसिंह जी के साथ क्या हुआ, यह उसी का परिणाम है। विष्णु वजारी के साथ क्या हुआ ? यहां रोज शिकायत भी करते हैं, जब ऐसा मामला आता है तो आप बोलने का साहस नहीं करते। जो बोलते हैं उनको कमजोर करने की कोशिश करते हैं, यह ठीक नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप थोड़ा मजबूत होइये और पुलिस प्रशासन में इस तरह की कार्यवाही करने के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लीजिये। आपका स्टेटमेंट लीपापोती करके उनको बचाने का नहीं होना चाहिये। अगर यही रहा इस राजस्थान में लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन जो बिगड़ी हुई है, वह आपके कन्ट्रोल से बाहर आज भी चली गई है और बाकी भी चली जायगी।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी। आप स्पष्टीकरण चाहेंगे, माननीय राम रघुनाथ जी।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : मुझे कुछ कहना है, साहब, मेरे जिले का मामला है।

श्री सभापति : आल राइट।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : माननीय सभापति महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मामला बहुत खेदपूर्ण है। इस तरह की घटना अगर किसी भी शहर में घटे, पुलिस ध्यान न देकर मुल्जिमों से मिल जाये तो उसके बाद जनता में रोष और असंतोष होना स्वाभाविक है। माननीय मंत्री महोदय ने जो डिटेल्स हमें इस सदन में बतायी हैं वह तो वही हैं जो डिटेल्स इनको पुलिस अधिकारियों ने वहां से भेजीं। मंत्री महोदय तो इस घटना के बाद वहां देखने के लिये पधारे नहीं, अगर मंत्री महोदय वहां जाते तो जो कुछ अभी आपने सदन में कहा है, निश्चित तौर पर इससे आपकी जानकारी भिन्न होती। मैं बहुत कुछ माननीय सदस्य ललित किशोर जी चतुर्वेदी से सहमत हूं, उन्होंने जो इस घटना के बारे में बताया वह काफी सत्य है। यह मामला आत्म-हत्या का कतई नहीं माना जा सकता। निश्चित तौर से हत्या का मामला है। आस-पास के मोहल्ले के लोग अच्छी तरह परिचित थे कि कुमारी अनुराधा और श्री देवीलाल अध्यापक में बड़े लम्बे अर्से से प्रेमालाप चल रहा था। गृह कलह जैसी होती है, उनके घर में इस तरह पारिवारिक छोटी मोटी बातें होती रहती थी। कोई भी पत्नी यह नहीं चाहती कि उसके पति के साथ संबंध रखने वाली कोई औरत उस मकान में रहे। इस तरह की कोई दुर्घटना हो, ऐसे हालात वहां बने हों, ऐसी स्थिति उस

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

मोहल्ले में नहीं थी। पर अचानक ही इन अध्यापक और कुमारी अनुराधा ने मौका देखकर गला घोंट कर हत्या की, उसके बाद मिट्टी का तेल डालकर कुमारी अनुराधा के कमरे में उसको जलाया गया। यह निश्चित तौर से हत्या है, आत्म हत्या हो ही नहीं सकती है। कुछ तथ्य आपको बता दिये हैं इसलिये मैं उनको न दोहरा कर आपको निवेदन करना चाहता हूं, पुलिस को जब यह जानकारी मिली तो उसका कर्तव्य बनता था कि वह मोहल्ले में जाकर मोहल्ले वालों से सारी पूछताछ करके जिस हालत में मृत औरत का शव प्राप्त हुआ था, वह हालत को देखकर पता लगाते कि यह आत्म हत्या का मामला हो सकता है या हत्या का हो सकता है। लेकिन वह मुल्जिम से मिली हुई थी इसलिये उसने जानकारी करने का प्रयत्न नहीं किया। इसलिये अशांति होना स्वाभाविक था। संयोगवश जिलाधीश महोदय वहां आये। उस इलाके के संभ्रांत लोग, समझदार लोग, जो किसी तरह का झगड़ा नहीं चाहते थे, किसी तरह अशांति पैदा करना नहीं चाहते थे, जिलाधीश महोदय के पास जाकर 17 तारीख को निवेदन किया कि हमारे यहां पर इस तरह से हत्या हुई है, यह हत्या का मामला है। हमें जानकारी है, हम जानते हैं लेकिन पुलिस वाले मिले हुए हैं और हमें इन पुलिस वालों से कोई उम्मीद नहीं है। जिलाधीश महोदय ने मामले की गंभीरता को जानते हुए, महसूस करते हुए तुरन्त यह आदेश दिये कि 302 में केस दर्ज करके मुल्जिमों को गिरफ्तार किया जाये। यही नहीं, वहां जो एस. डी. एम. हैं श्री मूलचन्द, उनको भी आगाह किया कि इस मामले में पूर्ण तौर से जनता को सहयोग दें और पुलिस पूरी जांच कर मुल्जिमों को गिरफ्तार करें। सभापति महोदय, न तो एस. डी. एम. ने कोई कार्यवाही करने के लिये जनता को संतोष दिलाया, न पुलिस वालों को आगाह किया, जिलाधीश महोदय यह कह कर चले गये हैं कि मुकदमा दर्ज किया है तो तुरन्त मुल्जिम गिरफ्तार होने चाहिये। जब 18 तारीख को सबेरे तक कुछ नहीं हुआ और दोनों मुल्जिम, अध्यापक देवीलाल और अध्यापिका कुमारी अनुराधा अपने घर में साधारण व्यक्ति की तरह ऐशो आराम से रहते रहे, तो लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि जिस घर में इस तरह अर्थी उठी हो, हत्या कर दी गई हो वह लोग गिरफ्तार नहीं किये जायं। यह जनता कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। लिहाजा वहां लोग इकट्ठा होना शुरू हो गये थे, यह तथ्य भी सही है। लेकिन जब पुलिस यह कह कर उनको ले गई कि कहीं और मामला बढ़ नहीं जाये इसलिये हम उनको ले जाते हैं, यह और दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई। जब 302 में 17 तारीख को मुकदमा दर्ज हो गया था और मुल्जिम घर में मौजूद थे, तो क्या कारण बनता था कि पुलिस ने उनको 18 तारीख को 9 बजे तक गिरफ्तार नहीं किया? क्या कारण बनता था कि पुलिस ने उसी रात को जब मुकदमा दर्ज किया था उसके तुरन्त बाद उनको गिरफ्तार नहीं किया? पुलिस को यह मान लेना चाहिये था, चूंकि जनता में रोष पैदा हो रहा है इसलिये उन मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लेना चाहिये। इसका मतलब यह है कि अंत तक पुलिस के थानाधिकारी, श्री हिम्मत सिंह और पुलिस के उप अधीक्षक, दोनों यह

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

चाहते थे किसी तरह से मुल्जिमों की मदद की जाय। क्योंकि यह उनसे मिले हुए थे इसी कारण से उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। इसके बाद जब ले गये, भीड़ इकट्ठी हुई उनके मकान पर तो किसी भी व्यक्ति ने गाली-गलौच नहीं की, किसी व्यक्ति ने रोष जाहिर नहीं किया, किसी व्यक्ति ने पत्थर नहीं फेंके। बहुत शांति से लोग खड़े हुए थे। दोनों अध्यापक और अध्यापिका को पुलिस थाने पर ले गयी। मुझे आप बताइये, जनता में कैसा तो रोष था, कैसा असन्तोष था? रोष मात्र एक बात के लिये था कि इनको गिरफ्तार करके आगे कार्यवाही की जाय। इनका जुडिशियल लाक अप कराया जाय। सिर्फ इतनी साधारण सी बात थी। पुलिस उनको प्रोटेक्शन देना चाहती थी। थाने में ले जाने के बाद कठघरे में बंद न करके उनको कमरे में इस तरह बैठाया जैसे कोई महमाननवाजी करनी थी वहां। मुझे आप बतायें, किसी गांव में, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी तरह के लोगों में यह असंतोष फैलना स्वाभाविक है या नहीं। अगर इस तरह का बहुत बड़ा हत्या का मामला हो गया हो और पुलिस प्रोटेक्शन में लगी हो वह भी कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना करके, तो मुझे समझ में नहीं आता कि पुलिस के थानाधिकारी, उप अधीक्षक किस तरह का काम वहां करते रहे हैं? क्या न्याय जनता को दे सकते हैं और क्या जनता की सेवा कर सकते हैं, मुझे यह बात समझ में नहीं आती।

मैं अन्त में यह निवेदन करना चाहता हूं, उसके बाद भीड़ थाने पर गयी। एस.डी.एम. के मकान के सामने से गुजरी। मुझे जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार यह है कि एस.डी.एम. को चाहिये था कि वह जनता के सामने जाकर, मामला पुलिस के खिलाफ था एस.डी.एम. के खिलाफ कुछ नहीं था, सांत्वना देने की कोशिश करता, उसको समझाने की कोशिश करता। बजाय इसके कि वह उनको समझाता, जनता को कुछ राहत देने की, समझाने की बात करता, जीप लेकर वहां से गांव में चला गया। जब कि उसका मुख्य कार्य यह था खास तौर से, जिस वक्त जिलाधीश वहां मौजूद नहीं थे वह जिलाधीश का कार्य कर रहा था। उसके जाने के बाद जब भीड़ थाने पर गई तो भीड़ की कोई मंशा नहीं थी कि पत्थर फेंके या कुछ भी करें। भीड़ एक मीटिंग करके, नारे लगा कर अपना रोष प्रदर्शित करना चाहती थी। उस माहौल में लाठी चार्ज कर दिया गया। उसमें कुछ इस तरह के जवान लोग हों, जिनको यह बात गवारा नहीं हुई हो तो दस बीस पत्थर फेंक भी दिये हों तो क्या हुआ। कोई पत्थर मारने से पुलिस मरने वाली नहीं थी; थाने का दरवाजा बंद था। उसके बावजूद गोली चलादी। इससे उनको संतोष हो गया, ऐसी बात नहीं है। सभापति महोदय, जो लोग यहां अस्पताल में भर्ती हैं जिनके सिर पर, रीड की हड्डी पर और पांव में गोली लगी जिनके बचने की संभावना नहीं है, जो रात के दो बजे भर्ती कराये गये थे, आज सवेरे दस बजे तक डाक्टर ने कोई उनका आपरेशन करने, गोली निकालने या इलाज करने की कार्यवाही नहीं की। यहां आने के बाद लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य रामधनजी ने श्रीमान् स्वास्थ्य मंत्री जी को कहा तो उन्होंने टेलीफोन किया जब जाकर डाक्टरों में चुस्ती आई। मुझे बताइये, आपके प्रशासन और स्वास्थ्य

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

विभाग दोनों के बारे में कि वे लोग कितने सतर्क हैं ? जिनको तुरन्त चिकित्सा देकर गोली निकालनी चाहिये थी। पुलिस के अधिकारी इतना ही करके ठहर गये हों, ऐसी स्थिति नहीं है। वे श्री गणपत पेंटर को घसीट कर थाने में ले गये, उसके पांव में और सिर में गोली लगने के बाद उसको डण्डों से उस वक्त तक पीटा है जब तक वह बेहोस नहीं हो गया। एक बात समझ में आती है, गोली चलाई, गोली लग गई। गोली चलाना जायज था, नाजायज था वह एक जांच का विषय है। मुझे समझा दीजिए, जिसको दूर से गोली लगी उसको डण्डे कैसे लगे ? डण्डे भी इतनी संख्या में जो आदमी देख कर खुद ही कह सकता है कि कोई आदमी नजदीक आकर ही इतनी मार पीट कर सकता है। कोई दूर से डण्डा फैंक कर तो पीटा नहीं जा सकता। इसलिए बहुत ही गम्भीर विषय है। सिर्फ इतना ही सोच कर कि थाने में भीड़ गई थी और भीड़ उग्र रूप धारण कर चुकी थी इसलिए यह घटना घट गई, यह न तो विश्वास के काबिल है और न इससे सन्तोष होता है।

एक और निवेदन है, दूसरा आदमी मालचन्द, माली जिसके गोली लगी है वह तो जुलूस में था ही नहीं। वह तो अपनी पाडा-गाड़ी में लकड़ियां लेकर उधर से गुजर रहा था। मुझे आप बताइये, अगर उनका गोली चलाने का इन्टेन्शन यह होता कि भीड़ को डरा कर वहां से हटा दिया जाय, भीड़ गोली के डर से भाग जाय तो जो आदमी छकड़ा-गाड़ी में लकड़िया लेकर जा रहा था जिसका जुलूस से कोई सम्बन्ध ही नहीं था उसको कैसे गोली लग गई ? गोली भी इतनी भयानक रूप से लगी है, वह यहां भर्ती है उसके बचने की कोई आशा नहीं है। इसलिए इसको आप इन सारे तथ्यों के साथ में देखें।

इसके अलावा जो मुझे अन्त में सूचना मिली है वह यह है, एस.पी. महोदय भी डेगाना में थे, मैं भी डेगाना में था, उनको टेलीफोन से सूचना मिली तो तुरन्त डीडवाना पहुंचे। उन्होंने जिलाधीश, नागौर को टेलीफोन किया कि डीडवाना पहुंचें। वह दो बजे तक डीडवाना पहुंचे होंगे। दो बजे तक तो जनता अपने आप ही शान्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने सम्बन्ध स्थापित किये होंगे गृह मंत्री जी से या गृह सचिव महोदय से। लेकिन उन्होंने तुरन्त कार्यवाही यह की कि थानाधिकारी हिम्मतसिंह और डी.एस.पी. दोनों को लाइन हाजिर कर दिया और जांच ए.डी.एम. को सौंप दी। मुझे जरा बतायें, जिसमें डी.एस.पी. लेवल का प्रशासन इन्वाल्व हो उसकी जांच क्या ए.डी.एम. न्यायपूर्ण तरीके से कर पायेगा? क्या सिर्फ इस आदेश से दोनों को फिलहाल लाइन में भेज दिया है, कोई न्याय मिल सकता है ? मेरा बहुत स्पष्ट निवेदन है गृह मंत्री जी से, सभापति महोदय, आपके द्वारा इन दोनों आदमियों को अविलम्ब निलंबित कीजिये। पूरे थाने के जो भी कान्स्टेबल या हैड कान्स्टेबल इसमें इन्वाल्व हैं, उनको तुरन्त वहां से हटाइये। यह जांच किसी उच्च अधिकारी या जुडिशियल अधिकारी से करवाइये।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इन थानाधिकारी के सम्बन्ध में पहले भी कई रिपोर्ट मंत्री महोदय को प्रस्तुत हुई हैं। मैंने भी एक शिकायत की थी कि इस थाना-

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

अधिकारी का आचरण अच्छा नहीं है, जनता के साथ इसका रिश्ता ठीक नहीं है। यहां पर किसी तरह की घटना हो सकती है। इस सन्दर्भ में निवेदन करना चाहूंगा कि 77-78 में यही थानेदारजी इसी डीडवाना के पास खुनखुना के थानाधिकारी थे। वहां पर उन्होंने नाजायज गोली चलाई थी रिवाल्वर से उनके खिलाफ आज भी कोर्ट में केस चल रहा है। जिस थानेदार ने इसी इलाके के पास में, इसी डी.एस.पी. सर्किल में इस तरह की घटना की हो उस व्यक्ति को उससे भी बड़े थाने में लगा देना कहां का न्याय है? कम से कम पुलिस के उच्च अधिकारियों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये थी कि जिस थानेदार ने उसी इलाके में इस तरह की घटना की हो, जिसके खिलाफ न्यायालय में कोई केस चल रहा हो उस आदमी को उसी डी. एस. पी. सर्किल में या पास के इलाके में लगाना कौनसा न्याय है?

यही नहीं, उसके खिलाफ 30-7-82 का एक अलग मुकदमा है। उसने कोरिया गांव में बिना किसी आदेश के पुलिस के सिपाहियों को ले जाकर अपनी ताकत दिखाने के लिये नाजायज तरीके से एक मकान को गिराया, तबाही मचाई और मारपीट की। इस तरह का थानेदार, जिसने इस तरह के कृत्य पास के इलाके में किये हों, इतने बड़े थाने में लगाकर यह सरकार और गृह मंत्री जी किस तरह का न्याय देने और शांति रखने की आशा करके चलते थे?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि थानेदार और डी.एस.पी. दोनों को निलंबित किया जाय और यह जांच किसी बड़े जुडिशियल आफिसर से कराई जाय ताकि न्याय मिल सके।

श्री सभापति : माननीय रामधन जी।

श्री रामधन चौधरी (लाडनूं) : माननीय सभापति महोदय, मेरे सब डिवीजन का मामला है। बड़े दुःख की बात है, 16 तारीख को साढ़े दस बजे मास्टर देवीलाल के पास कोई बच्चा जाता है घर से कि आपकी बीबी घर में जली हुई पड़ी है। यह घटना वहां होती है, कुमारी अनुराधा एक अध्यापिका है और वह पिछले दो साल से उसी मास्टर के कमरे में रहती है। जो कमरा अनुराधा को दिया गया है उसी कमरे के अन्दर इस मास्टर की औरत रुक्मणी की लाश मिलती है। वहीं वह जली हुई पाई गई। इससे साफ जाहिर है कि हत्या की गई है, उसने आत्महत्या नहीं की। इसके बाद एस. एच. ओ., डीडवाना को उस अध्यापक ने घर पर आकर, कमरे को दरवाजे तक देख कर वापस जाकर थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। तारीख 16 को साढ़े ग्यारह बजे से लेकर 17 तारीख तक, जबकि कलेक्टर ने आदेश दे दिया, उसके घर के आगे उसका पोस्ट मार्टम हो गया, उस लाश को जला दिया गया, अध्यापक और कुमारी अनुराधा को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इससे यह बात तो अनजान आदमी को ही जंच जाती है कि हत्या की गई है।

सभापति महोदय, मैं तो यह चाहता हूं, अगर यहां से पांच विधायकों की टोली जाकर मोहल्ले में पता लगाये तो उसके रोंगटे खड़े हो जायेंगे। इस तरह की करुण कहानी

(श्री रामधन चौधरी)

है। डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। सुबह 8 बजे मैं एस. एम. एस. हास्पिटल गया वहां पर खुनखुना थानेदार मुलजिम के साथ में आये हुए हैं। खुनखुना थाने का एक कांस्टेबल भी आया है, उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने एक आर. ए. सी. का या कौन सा जवान बताया, जिस के पत्थर की चोट लग गई। खुनखुना थाने का कांस्टेबल थाने में मौजूद था, डीडवाना थाने के कांस्टेबल और अधिकारी मौजूद थे। यह सारी व्यवस्था पहले से क्यों की गई थी? गणपत पेंटर कलेक्टर के वहां जाने से पहले जब थाने में गया, और कलेक्टर को सारी स्थिति समझाई तो थानेदार हिम्मतसिंह ने उससे कहा कि तुम पहले वाली बातें भूल जाओ, इस केस में अगर आगे आने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। मैं सुबह उनके साथ आये हुए एक निष्पक्ष और ईमानदार बुजुर्ग आदमी से बात करके आया हूं जिन्होंने हकीकत में वाकया मुझे बताया है। मैंने देखा, उनके सुबह दस बजे तक कोई मरहम पट्टी तक नहीं की गई। साढ़े दस बजे मैंने आकर राम रघुनाथ जी से कहा कि हालत खराब है, यार, कोई डाक्टर पहचान का हो तो आप कहो ना। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई डाक्टर बात करने तक को तैयार नहीं है। फिर मैंने हमारे हैल्थ मिनिस्टर से कहा कि आप टेलीफोन कीजिये। वह अध्यक्ष जी के कमरे मे थे। मैंने मेरी तरफ से सब जगह कोशिश की।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय और पुलिस विभाग के अधिकारियों पर ज्यादा लांछन और आरोप लगाने में विश्वास नहीं रखता, इतना विश्वास चाहता हूं कि तुरन्त प्रभाव से उस एस. एच. ओ. हिम्मतसिंह को अगर निलंबित नहीं किया गया तो मुझे लगता है कि यह एक भरमाने वाला जाल होगा और जनता के साथ अन्याय होगा। वहां की घटना का आप इससे अन्दाज लगा सकते हैं कि 40 हजार की आबादी वाला शहर 18 तारीख को दिन भर बन्द रहा। हो सकता है कि कुछ आदमियों को रंजिश हो लेकिन क्या हम मान लें कि पूरे का पूरा शहर नाराज था एस. एच. ओ. से? जरूर उसमें कुछ न कुछ कमी थी। 16 से 18 तारीख तक मुल्जिम को गिरफ्तार न करें, इसका कारण समझ में नहीं आता। जो अध्यापक और अध्यापिका हैं, स्कूल में, रोज हाजिरी लगाते हैं। ऐसे अधिकारियों के साथ इस तरह की रियायत बरतना न्यायोचित नहीं होगा। जिनके साथ अन्याय हुआ है, मैं चाहूंगा किसी बड़े अधिकारी से इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी करवायें। जिस अधिकारी को जांच दी है उससे कतई उम्मीद नहीं है कि वह जांच कर सकेगा। ए. डी. एम., डी. एस. पी. और थानेदार की जांच करके उनके खिलाफ रिपोर्ट दे देगा। यह कतई उम्मीद नहीं है वह उसी जिले का अधिकारी है।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि मेरा सब डिवीजन है, मुझे अच्छी तरह से जानकारी है इसलिये मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि इंसानियत के नाते ऐसे थानेदार को तुरन्त टर्मिनेट करें या निलंबित करें। अगर हकीकत में बात सही है तो किसी सज्जन अधिकारी से निष्पक्ष जांच करायें, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह का जो अन्याय

(श्री रामधन चौधरी)

किया गया है, उस पेंटर को पीटा गया है आप जाकर स्वयं देखें अस्पताल में, गोली लगने के बाद उसकी पिटाई की गई है कि अब भी गिरफ्तारी चाहते हो क्या ? जब कुमारी अनुराधा और देवीलाल को पुलिस वाले लेकर आये तो वहां पर 10-20-50 आदमी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि गिरफ्तार क्यों नहीं करते, 302 के मुल्जिम हैं ? पुलिस वालों ने कहा, थानेदार हम हैं तुम नहीं हो और जीप में बिठाकर ले गये। जुलूस इसलिए गया कि उनको वे 302 का मुल्जिम नहीं बनाना चाहते थे। उनको कमरे में क्यों बिठाया गया ? लोगों ने कहा, इनको बाहर निकालो, और दिखाओ कि वह है कहां। यह मांग जनता जरूर कर रही थी। इसके सिवाय और कोई उद्देश्य नहीं था। वहां पर पत्थर फेंकने या अन्याय करने का जनता का कोई उद्देश्य नहीं था। जिन लोगों के लाठी, गोली लगी है, घायल लोगों की उम्र देखिये 15 साल, 17 साल। स्कूल के बच्चे भी साथ हो गये। मैंने आज मूलचन्द जुट से बात की तो उसने कहा, मेरे बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ, गाड़े में लकड़ी लेकर आ रहा था, भीड़ भाग रही थी और पीछे से मेरे किसी ने गोली मारी। भगवान जाने, मुझे नहीं मालूम। गणपत पेंटर कहता है, मुझे इस थानेदार से बचाओ। उससे मैंने पूछने की कोशिश की, तुमको क्या तकलीफ है, गोली कहां लगी है। उसकी चोटें मैंने देखी हैं परन्तु वह दूसरी कोई बात नहीं बताता है। उसे यह डर है कि वह थानेदार उसे मारेगा जिन्दा नहीं छोड़ेगा। इसके सिवाय उसकी जुबान पर कोई बात नहीं है। अतः सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे बदनीयत अधिकारी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये। उसको तुरन्त निलम्बित करके जुडिशियल इन्क्वायरी करावें किसी ऐसे अधिकारी, मंत्री महोदय, जिस पर विश्वास करते हों, से निष्पक्ष और सही जांच करवालें। धन्यवाद।

श्री सभापति : मंत्री महोदय। माननीय सदस्य, काफी स्पष्ट हो गया है मामला ...

श्री भैरोंसिंह गुर्जर (खारची) : चूंकि यह डीडवाना का मामला है अतः सभापति महोदय, मास्टर दीपचन्द जी को बोलने का अवसर दें।

श्री दीपचन्द (सादुलपुर) : सभापति महोदय, घना पक्षी विहार के बाद डीडवाना में भी यह जघन्य अपराध हुआ है। घना पक्षी विहार के अन्दर पशु चराने वाले बूढ़े, बच्चों पर गोलियां चलायी गयीं लेकिन आज दिन तक किसी को सस्पेन्ड नहीं किया गया जिससे आफिसरों को भय नहीं रहा और उन्होंने जाकर रंगमंच लगा दिया डीडवाना में। आज घना पक्षी विहार के अन्दर दोषी पुलिस कर्मचारियों का 302 में चालान कर दिया जाता और हाईकोर्ट के जज से जांच कराने की घोषणा पहले ही हो जाती तो यह डीडवाना का काण्ड नहीं होता। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि डीडवाना के अन्दर इस तरह से पुलिस के लोगों ने अत्याचार और जुर्म किया है। घना पक्षी विहार के पशु चराने वाले लोगों के गोली लगा दी सभापति महोदय, डीडवाना के अन्दर जिन्होंने जघन्य अपराध किया है उनको गिरफ्तार करो, उनका काला मुंह करो। उनका समाज विरोध कर रहा था, इसलिये उनके गोली लगा दी। निर्दोषों पर गोली चलाई

(श्री दीपचन्द)
है, दोनों काण्डों के अन्दर। मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि राजस्थान सरकार कमजोर है और वह राजस्थान के प्रशासन को नहीं संभाल सकती है।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : माननीय सभापति जी, जैसा मैंने पूर्व में अपने वक्तव्य में बताया है, यह घटना कल घटित हुई। कल ही मैंने इस बात की कोशिश की, रात तक कि इसकी विस्तृत जानकारी मुझे प्राप्त हो। कुछ जानकारी, जो मैं प्राप्त कर सकता था, वह मैंने सदन के सामने रखी है। सुबह मैं खुद भी जो गम्भीर रूप से व्यक्ति गणपत पेन्टर और मूलचन्द एस. एम. एस. अस्पताल में दाखिल हैं, उनसे मिलकर आया हूं। कल रात को भाई रामधनजी एम.एल. ए. साहब ने जब मुझे बताया कि यह लोग यहां भेजे जा रहे हैं, मैंने उसी समय एस.एम.एस. अस्पताल के अधीक्षक को टेलीफोन करके उनके इलाज की उचित व्यवस्था करने का निवेदन किया। मैं आपको और सदन को बतलाना चाहता हूं कि अधीक्षक ने उसी समय उनके इलाज की पूरी व्यवस्था की। माननीय सदस्यों को शायद यह मालूम नहीं है कि रात को तीन बजे गणपत पेंटर का एक्स-रे लिया गया, उसके कहां-कहां चोटें हैं। मूलचन्द की हालत उतनी खराब नहीं है जितनी गणपत पेंटर की है। माननीय सदस्यों के दिमाग में जो यह बात है कि उनका इलाज नहीं किया जा रहा है मेरे साथ अधीक्षक डाक्टर मेहता भी थे, डाक्टर मेहता से मैंने पूछा कि इनका जो कुछ भी उपचार करना है आप जल्दी कीजिये। उन्होंने कहा कि हमने एक्स-रे लिया है। एक्स-रे लेने के बाद गोलियों के छर्रे कहां-कहां लगे हैं, आइडेन्टिफाई करके, लोकेट करके यह चिकित्सकों के हाथ में है कि कब, कौनसा उपचार किया जाय। इसलिए यह कहना कि उनका उपचार करने की तुरन्त व्यवस्था नहीं की गई है, मैं समझता हूं, गलत है।

दूसरी बातें करीब-करीब एक ही मुद्दे पर उठाई गई हैं। जब यह घटना 16 तारीख को हुई तो जिस तरह से किसी आदमी की जल जाने से मृत्यु हो जाती है तो 174 में इसकी कार्यवाही करते हैं, तो पुलिस 174 में कार्यवाही कर ही रहे थे। मेडिकल रिपोर्ट जो आई है वह रिपोर्ट जो हत्या का मामला था उसको ताइद नहीं करती थी। इसलिये हत्या के केस को दर्ज करने में कुछ समय लगा। सभापति महोदय, आप खुद कानून के जानकार हैं। जब तक पर्याप्त साक्ष्य न हो किसी आदमी के विरुद्ध खास तौर से डाक्यूमेंटरी एवीडेन्स खिलाफ जा रही हो, ऐसे आदमी को यदि गिरफ्तार भी कर लिया जाता है तो कोर्ट उसको रिहा कर देती है। इस तरह से कई केसेज में हुआ है। इसलिये इस बात के सबूत इकट्ठा करने के लिए 17 तारीख को, 18 तारीख को कार्यवाही की। जब 17 तारीख को कलेक्टर महोदय ने इन बातों को सुनकर आदेश दिया कि 302 का मुकदमा दर्ज किया जाय, उनकी आज्ञा की अनुपालना में 302 का मुकदमा दर्ज किया गया। 18 तारीख को पुलिस वहां जाकर जब मौके का मुआयना कर रही थी, हालात का जायजा ले रही थी, बयान ले रही थी, उसी समय गणपत पेन्टर और कुछ लोग आये और

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

कहा, आप उन लोगों के गले में जूते की माला डाल कर, काला मुंह करके बाजार में घुमाइये और हमारे हवाले कर दो। इस पर पुलिस ने इन्कार किया और कहा कि हम कानून के अधीन ऐसा नहीं कर सकते। हम इन्हें थाने में ले जा रहे हैं। जब पुलिस ने देखा कि वातावरण खराब हो रहा है तो वे उनको थाने में ले गये। उस समय वहां कोई ज्यादा भीड़ नहीं थी लेकिन जैसे ही शहर में यह खबर फैली, सारे लोग इकट्ठे होकर जुलूस के रूप में बाजार से होते हुए पहले एस. डी. ओ. के यहां गये। एस. डी. ओ. साहब पहले ही दौरे पर गए हुए थे। जब भीड़ एस. डी. एम. साहब के यहां से थाने में आई तो उसने थाने पर पत्थर ही नहीं फेंके, थाने का गेट तोड़ दिया थाने की दीवार तोड़ दी और एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि जो वहां पर स्टाफ था उसके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि भीड़ को भगाने के लिए गोली चलाये। गोली चलाने से पहले लाठी चार्ज किया गया। लाठी चार्ज के बाद हवा में हवाई फायर भी किये गये। उसके बाद भी जब भीड़ नहीं मानी और पुलिस ने देखा कि थाने का घेराव करके वहां के हथियार वगैरह छीन कर भीड़ ले जा सकती है तब उसने यह काम किया है। माननीय सदस्यों ने जो जानकारी दी, मैं भी इस बात को मानता हूं कि पुलिस को ऐसे सनसनीखेज केस में अपने आप कार्यवाही करनी चाहिए थी और जो मुलजिमान थे उनको गिरफ्तार करना चाहिए था। इसके लिए ही · ·

श्री सभापति : तत्परता कुछ कम बरती।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : ए. डी. एम. को जो जांच का काम सौंपा है, जांच का काम ही नहीं सौंपा है बल्कि मुझे जानकारी दी गई है कि उन्होंने आज उसकी कार्यवाही भी चालू कर दी है। इसके अलावा जो कुछ भी प्रशासन उस समय कर सकता था, जितने भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी थे, सब मौके पर पहुंच गये। अभी मुझे जानकारी दी गई है उसके अनुसार अब वहां पर कोई तनाव नहीं है। बाजार वगैरह खुले हुए हैं। यहां अस्पताल में जो व्यक्ति भर्ती है, जिनके लिए कहा जा रहा है कि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं हैं उन लोगों को भी मैंने खुद देखा है।

(व्यवधान)

एक मिनट मेरी बात सुन लीजिये।

श्री अनंग कुमार जैन : आप इन दोषी अधिकारियों को, पुलिस वालों को बचाना चाहते हैं। आप अपने पूरे स्टेटमेन्ट में यह कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने अच्छा किया, आपके स्टेटमेन्ट से यह जाहिर है। उन पुलिस वालों ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलायी। दस आदमियों को घायल कर दिया उनको मरणासन्न स्थिति में पहुँचा दिया (व्यवधान) हैड कांस्टेबल जिस तरह का बयान देता है मंत्री महोदय उस तरह का बयान दे रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं विधान सभा के अन्दर, सिवाय इसके कि उन पुलिस अधिकारियों को बचाना चाहते हैं। हम रोज एतराज करते हैं, पुलिस ज्यादतियां कर रही हैं · ·

श्री सभापति : अंकित न हो · ·

श्री अनंगकुमार जैन : . . . XXX ।

XXX माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सभापति : आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य अंकित न हो।

(व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अनुशासन में रहें।

श्री अनंग कुमार जैन : ×××

श्री सभापति : आप अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं, इसका मुझे बहुत खेद है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक मिनट आप बिराजें।

श्री सभापति : मंत्री महोदय, बोल चुकेंगे उसके बाद में आपको समय दूंगा। मंत्री महोदय को पहले बोलने दीजिए।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आपके द्वारा यह कहना शोभा नहीं देता कि मंत्री भी पुलिस से मिले हुए हैं। आप भी माननीय सदस्य हैं, मैं भी माननीय सदस्य हूं। जो इत्तला मुझे प्राप्त हुई है ....

(व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अंकित न हो।

श्री अनंग कुमार जैन : ×××

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मंत्री आपके कहने से कुछ नहीं करेगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : शान्त रहें, माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : तो फिर किसी कहने से करेगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अनुशासन में रहें। अंकित न हो।

श्री अनंग कुमार जैन : ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप आवेश में आ रहे हैं। अनुशासन में रहें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री अनंगकुमार जैन : ×××

श्री सभापति : अंकित न हो। माननीय सदस्य, बहुत कुछ कहने को है लेकिन फिर भी अनुशासन का पालन तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा, न करेंगे तो व्यवस्था बिगड़ती है। मैं आशा करता हूं कि आप अनुशासन का पालन करेंगे। पहले मंत्री महोदय को बोलने दें उसके बाद में मैं, आपको एकाध प्रश्न के लिये समय दे सकता हूं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : सभापति महोदय, किसी भी कार्य को करने के लिये, झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य खुद वकील हैं, उनको मालूम है कि कोई भी कार्यवाही करने से पूर्व एक प्रक्रिया को निभाना पड़ता है उस प्रक्रिया के निभाने के बाद ही कोई कार्यवाही की जा सकती है। इस तरह से उत्तेजित होने से, उद्वेलित होने

×××माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गोविन्द सिंह गूर्जर)

से मैं कोई यहां घोषणा कर दूं, इस बात में मैं समर्थ नहीं हूं। मैं आपसे, सभापति महोदय, निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्यों ने जिस बात के लिये ज्यादा आग्रह किया है वह यह है कि आत्महत्या का मामला नहीं था। हत्या का मामला था इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए माननीय जिलाधीश महोदय ने हत्या का मामला प्राइमाफेसी मानते हुए 302 में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये हैं। उस पर कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ-साथ ही और जो बातें कही गई, मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं वे काफी सही हो सकती हैं और अपने भी सदस्यों, जो वहां के स्थानीय प्रतिनिधि हैं जिले के रहने वाले हैं, एम. एल. ए. साहबान ने भी बात कही हैं यह नहीं कहता आपसे कि उन्होंने कोई गलत बात कही है। इस जांच को जल्दी करा कर एक दो दिन में रिपोर्ट आने के बाद यदि आवश्यकता हुई तो और उससे उच्च अधिकारी, जिसको भी हम समझेंगे कि इस केस की गम्भीरता को देखते हुए आदमी से जांच कराई जानी चाहिये, ए. डी. एम. की रिपोर्ट आने के बाद वह जांच हम करवायेंगे। मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं किसी भी आदमी, चाहे वह कितना ही बड़ा हो, को बचाने की हमारी मंशा नहीं है। जैसे ही इस बात के सबूत मिलेंगे कि पुलिस ने काम में कोई अनदेखी की है, लापरवाही की है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। सम्बन्धित अधिकारियों को वहां से हटाकर पुलिस लाइन में भेज दिया गया है और अगर जरूरत हुई तो सस्पेन्ड भी किया जायेगा और नौकरी से भी हटाया जायेगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, कुछ प्रश्न, मैंने उठाये, माननीय मंत्री महोदय ने उन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया। पुलिस तो नाकामयाब रही, 17 तारीख तक केस रजिस्टर करने में धोखा....

श्री सभापति : यह मान लिया है प्राइमाफेसी मान लिया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : प्राइमाफेसी से क्या हुआ। पुलिस की इन्टेंशन थी। अध्यापक से मिली हुई थी, पैसा खाया हुई थी इसलिये केस दर्ज नहीं कर रही थी 302 का।

श्री सभापति : यही तो जांच का मसला है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : डॉक्टर ने कह दिया। यह बात मैंने बतायी। इसके बाद जिलाधीश महोदय, कोई विरोधी दल के सदस्य नहीं हैं, वे विरोधी दल के नेता भी नहीं हैं, उन्होंने 302 में केस दर्ज करवाया, पुलिस ने दर्ज नहीं किया। उसकी मंशा भी नहीं थी। फिर भी, उन पुलिस अधिकारी को बचा रहे हैं। देखेंगे, दो तीन दिन बाद करेंगे। डर रहे हैं। आप, डरपोक हैं। राजस्थान की सरकार डरपोक है XXX

(व्यवधान)

श्री गोविन्दसिंह गूर्जर : यह गलत है, जो आपने कहा।

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं समझ नहीं पा रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, ऐसे ग्लेयरिंग काण्ड इस प्रकार के वहां हो गये। यहां हो रहे हैं। किस बात से डर रहे हैं। क्या बात है? कोई आज तक की घटना देखें, यह तो ऐसा क्लियरकट केस हो गया है उस भरतपुर काण्ड के बाद, जिसमें सारी घटना सुनकर और घटना की जानकारी करने के बाद पहला काम होता डी.वाई.एस.पी. और थानेदार को सस्पेंड करने का। पहला काम होता धारा 302 में 17 तारीख को गिरफ्तार करने का। उसके बाद कहने वाली बात होती, दरवाजा तोड़ दिया, यह तोड़ दिया। मंत्री महोदय, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, दरवाजा कैसे टूटा है, दीवार कैसे टूटी है वह देखने आप भी चलो, मैं भी चलता हूं, मुझे भी डीडवाना में रहने का मौका मिला है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि असत्य बात आप कह रहे हैं दीवार तोड़ दी, दरवाजा तोड़ दिया। धक्का मुक्का थोड़ा सा लगा उसको और कुछ हो गया, इतना सा दरवाजा टूट गया पुलिस ने बयान दिया और आपने दे दिया। लीपापोती कर रहे हैं, आप? मैं आरोप लगा रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से किसी एक भी आदमी से नहीं पूछा गया। मंत्री महोदय, जवाब क्यों नहीं दिया इस बात का कि पड़ोसी के किसी व्यक्ति ने भी इस प्रकार कि शिकायत की है कि रोना हुआ, चिल्लाना हुआ? 16 तारीख को घटना हो गई और अब आप हत्या मान रहे हैं? हत्या भी मान रहे हैं फिर भी कोई पोजिशन नहीं हत्या कौन कर सकता है। जांच करेंगे, देखेंगे। 302 का मामला स्वयं ने दर्ज कर दिया, 24 घंटे के बाद भी कहते हैं कि देखेंगे, तफतीश कर रहे हैं। क्या कोई बाहर से आकर उसकी हत्या कर गया?

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सरकमसटांशियल हैं, सीधा-सीधा है। दोनों व्यक्ति हैं। देवीलाल, अनुराधा है। उनके ऐसे संबंध है। इस प्रकार की स्थिति हैं हत्या उनके सिवाय कोई कर नहीं सकता फिर आप समझ रहे हैं कि उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। पुलिस की नेग्लीजेंसी रही है। मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि जिस तरह से आप परम्परा चला रहे हैं, मंत्री महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, यह परम्परा राजस्थान में पुलिस के हौसले बढ़ा रही है। उसके कारण राजस्थान की जनता आंक्रांत हो गई और राजस्थान का निकम्मा मंत्रिमन्डल उसके विरुद्ध एक्शन लेने में घबरा रहा है। घबराकर वह किसी भी प्रकार की स्थिति में नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : स्थिति स्पष्ट हो गयी है।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या स्पष्ट हो गया?

श्री सभापति : आश्वासन दे दिया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या आश्वासन दे दिया है? आप सदन की जानकारी के लिये दोहरा दें। क्या आश्वासन दिया है?

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) : बहिष्कार नहीं कर रहे हैं आप?

श्री सभापति : स्पष्ट यह है कि अब इस केस में तत्परता बरती जायेगी। यह बात है जो आप यह कह रहे हैं कि तत्परता नहीं बरती है। अब इसके अन्दर विशेष तत्परता बरती जायगी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जिसने तत्परता नहीं बरती उसको तो सस्पेंड करो। आपका कहना बिल्कुल सत्य है। I definitely agree with you, Sir.

श्री दीपेन्द्र सिंह : बहिष्कार की इजाजत दे दी।

श्री अनंग कुमार जैन : पुलिस वालों के साथ मिलकर यह कर रहे हैं, सभापति महोदय···

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : सांठ गाठ कर रखी है।

श्री अनंग कुमार जैन : राज्य मंत्री ने पूरा बयान पढ़कर सुनाया है और डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य ने····

श्री सभापति : माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो। व्यवस्था को बनायें।

श्री अनंग कुमार जैन : XXX

श्री हीरालाल आर्य : XXX

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ! बैठिये।

श्री हरीश शर्मा XXX :

श्री सभापति : प्राथमिकता नहीं हो सकती। पहले आप बोल रहे हैं। आप बोलियेगा। माननीय सदस्य, बिराजें। श्री अनंग कुमार जैन।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय सभापति महोदय, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो स्थिति बतायी, डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जो स्थिति बतायी, गृह राज्य मंत्री का बयान उस लाइट में देखा जाय तो यह बात निर्विवाद रूप से, स्पष्ट रूप से साबित हो चुकी है कि पुलिस के द्वारा जान बूझकर फायरिंग की गयी और निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलायी गयी। जो स्थिति उन्होंने बयान की कि एक आदमी पाड़ा-गाड़ी पर जा रहा था उसको गोली मार दी। वो सभापति महोदय, वह आदमी तो पत्थर मारने नहीं पहुंच गया था वहां पर जो स्थिति बनी उससे सब स्पष्ट है। अब इसमें कौनसी जांच की गुंजाइश रह जाती है। एक तरफ तो 302 का मुकदमा दर्ज करने के बाद उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। दूसरी तरफ जिन लोगों ने 9 आदमियों को गोली से चोट पहुंचाई, दो आदमी उससे मरणासन्न स्थिति में हैं, मैं कहता हूं, सभापति महोदय, इससे पहले तो वे डी. वाई. एस. पी. और थानेदार अभियुक्त हैं। क्या उनके खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज करवाया ? क्या आपने उनको सस्पेंड किया ? क्या सरकार उनको सस्पेंड करने का विचार रखती है ? यह जवाब और दिलवा दीजिये, सभापति महोदय···

एक माननीय सदस्य : क्या स्पष्ट कर दिया है ? आप बता दीजिये।

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : वे जनता के द्वारा निर्वाचित हैं या पुलिस के द्वारा निर्वाचित हैं।

XXX शब्द माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किये गये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, प्रश्न के रूप में कहेंगे।

श्री हरीश शर्मा : जनता जो कह रही हैं उसको सच नहीं मान रहे हैं और पुलिस वाले जो कह रहे हैं उसको सत्य मान रहे हैं। तो आप त्याग-पत्र देकर पुलिस वालों के साथ चले जाइये। आप स्वयं बतायें, किन के द्वारा निर्वाचित हैं। आप जनता द्वारा निर्वाचित हैं या पुलिस द्वारा निर्वाचित हैं।

एक माननीय सदस्य : इनको पुलिस में भर्ती कर दो।

श्री सभापति : माननीय रामरघुनाथ चौधरी। एक प्रश्न पूछने का आपको भी समय दूंगा।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : सभापति महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया था, उस के संदर्भ में ही यह जानना चाहता हूँ कि थानेदार जी, श्री हिम्मत सिंह जी जब खुनखुना थाना, जो पास ही है, में थे, तब भी इसी तरह का एक गोलीकांड किया था जिसका न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। उसके पास के थाने में दुबारा इस प्रकार की घटना घटी है तो मंत्री महोदय को क्या दिक्कत है उनको निलम्बित करने के बाद जांच करायी जाय?

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, मैं यह मानती हूँ कि मंत्री महोदय को बड़े कठिन कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ रहा है। लेकिन सामाजिक अपराधी दंडित हो और साथ ही जो पुलिस निरकुंश होती जा रही है उस पर भी अंकुश लगाया जाय। जिनके हाथ में लाठी है, डंडा है, गोली है उनको संयम रखना भी आना चाहिए जैसा सब पढ़ा, यहां सुना ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी कि गोली चलायी जाय। जो निरकुंश होकर लोगों पर अत्याचार करें, मार डालने की कोशिश करें व दंडित किया जाय, मान्यवर, मंत्री महोदय, किस को बचा रहे हैं? जो सामाजिक अपराध के अपराधी हैं उनको दंडित करने के लिए और जो अपना दायित्व छोड़ कर निरकुंश हो गये उनको दंडित करने के लिये मंत्री महोदय को तत्काल तत्पर होना चाहिए। जिससे पूरा सदन चिंतित है उन परिस्थितियों से मंत्री महोदय को चिन्ता नहीं होगी तो समाज की स्थिति क्या बनेगी? मंत्री महोदय, स्पष्ट करें। आपको न्यायिक जांच करानी चाहिये। उनको सस्पेंड करना चाहिये।

श्री सभापति : मंत्री महोदय, कुछ कहना चाहें तो।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं कह चुका साहब।

(व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : राजस्थान के विधान सभा के पटल पर यह बात निर्विवाद रूप से साबित हो चुकी है। ये हिम्मत सिंह थानेदार×××उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्या रिलेशन है इनका उससे?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : जिस तरह के जो आरोप लगाये गये हैं उनको कार्यवाही से निकाला जाय।

×××अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की।

एक माननीय सदस्य : अरे, तो सस्पेंड करो ना। आरोप का प्रश्न नहीं है। डर क्यों रहे हो? डर किस बात का है आपको?

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुयी।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : पाइंट आफ आर्डर।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्य, श्री चतुर्वेदी जी ने अपनी बात की तो पीछे की एक लाइन को ही···

(व्यवधान)

आप गौर से सुनना पहले, टोकना मत उन्होंने यह बात कही कि मंत्री निकम्मा है और आपने तुरन्त कह दिया, बात स्पष्ट हो गयी। मुझे यह बता दें कौन सी बात के लिए आपने कहा, स्पष्ट हो गयी। मंत्री निकम्मा है उस बात के लिये कहा या कि और बात के लिये कहा?

श्री सभापति : It is not a point of order. बात को सिक्वेंस में देखिये, माननीय सदस्य।

मांग संख्या 34 व 27 पर विचार

माननीय माणक मल मेहता।

श्री माणकमल मेहता (पाली): सभापति महोदय, आज सदन में प्राकृतिक आपदाओं से राहत और पेयजल योजना पर कट मोशन्स दिये गये हैं जिन पर वाद विवाद चल रहा है। मैं इन दोनों मांगों पर अपने विचार इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, आपको और हम सब को यह मालूम है कि···

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज़!

श्री बिहारी लाल पारीक : हम तो अनुशासन में रहने वाले आदमी हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको इनके बाद अवसर दिया जा रहा है। पहले इन माननीय सदस्य का नाम बोला गया था। इसलिये ये माननीय सदस्य ही पहले बोलेंगे।

श्री माणक मल मेहता : राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख 42 हजार किलोमीटर है। इसकी जो कुल जनसंख्या है उसमें से 24 हजार 968 लोग गांवों में रहते हैं। 72 लाख 201 शहरों में रहते हैं। 24 हजार 37... ग्राम समस्याग्रस्त घोषित किये जा चुके हैं। मैं, सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस राजस्थान का हम इस देश में क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा स्थान गिनते हैं उसमें पीने के पानी की समस्या, जल की समस्या सदैव रही है। यह दुर्भाग्य है कि इस राजस्थान में हमेशा से जल का अभाव रहा है। यहां पर हमेशा से ही अकाल पड़ता आया है। "जल है वहां जगदीश है" यह जो कहावत है, वह दुर्भाग्य से राजस्थान में कभी चरितार्थ नहीं हो पाई। हम राजस्थान के बाहर हिमाचल प्रदेश की ओर जाते हैं तो कलकल बहती हुई जल की सरितायें और हिमाच्छादित पहाड़ हमें नजर आते हैं लेकिन राजस्थान के सुदूर गांवों में जब हम पश्चिमी राजस्थान की ओर देखते हैं, और उस इलाके में भ्रमण करते हैं तो बड़ा दुःख होता है यह देखकर कि मीलों तक

(श्री माणक मल मेहता)

विरानियत है, इन्सान का बंदा नजर नहीं आता, पशु-पक्षी नजर नहीं आते, पेड़ पौधे नजर नहीं आते। किन्तु जब राजस्थान के भरतपुर और अलवर के क्षेत्र को देखते हैं तो वही हरियाली नजर आती है। विडम्बना कैसी है, राजस्थान में जब अकाल घोषित किया जाता है तो वह इलाके जहां पर जल की समस्या नहीं है, जो जल प्लावित क्षेत्र हैं या जो हरे भरे इलाके हैं उनको भी हम अकालग्रस्त घोषित कर देते हैं। हमारा पश्चिमी राजस्थान, जिसे हमेशा दुर्भाग्य के थपेड़ों को सहना पड़ता है, के समकक्ष उनको मान-कर चलते हैं यह एक बड़ी विडम्बना है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा जिन मंत्री महोदय के पास यह विभाग है और जिनके पास राजस्व विभाग है उनसे भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस समय हम इस बात का असेसमेंट करें की वर्षा कम हुई या ज्यादा हुई या जब हमें अकाल ग्रस्त इलाका घोषित करना पड़े उस समय राज-नैतिक दृष्टिकोण नहीं रखें। जैसा अभी भाई हेमारामजी ने बाड़मेर का जिक्र किया, उनसे पहले कुछ लोगों ने पश्चिमी राजस्थान की बात कही। मैं पूरे पश्चिमी राजस्थान के लिये आपसे निवेदन करना चाहूंगा। जल की समस्या है, उसके लिये आप 1/4 बजट केवल पूर्वी राजस्थान के लिये रखें बाकी बजट सभी योजनाओं का 3/4 आपको पश्चिमी राजस्थान के लिये रखना चाहिये। धोरों वाली धरती जब तक पश्चिमी राजस्थान धरती में कलकल निनाद करती हुई जल की गंगा नहीं बहेगी उस वक्त तक हमारा वह बहुत बड़ा इलाका, जहां कोई पैदावार नहीं होती, सरसब्ज नहीं हो सकेगा, लहलहाता नहीं बन सकेगा। इसलिये बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, नागौर, जालोर ये जो जिले हैं उन जिलों के लिये मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार जल प्रदाय योजनायें और जो दूसरे बांधों के लिए गुजरात से एग्री-मेंट हो रहे हैं, नर्मदा का तमाम पानी बाड़मेर, जालोर क्षेत्र में ला रहे हैं, उसी प्रकार राजस्थान कैनाल का पानी इस क्षेत्र में लाना चाहते हैं तो उसके लिये आपको द्रुत गति से काम करना चाहिए। सारी योजनायें एक तरफ छोड़ कर इस बात का प्रयत्न करना चाहिए। पश्चिमी राजस्थान, जो राजस्थान का सबसे बड़ा इलाका है, में अगर हम खेती करने लगेंगे और वहां पैदावार होने लगेगी तो वहां की तो इकोनामी ठीक होगी ही वह सारे राजस्थान की इकानामी को ठीक करेगी। आज यह कहते हुए कोई संकोच नहीं होता है कि पश्चिमी राजस्थान के लिए जितनी भी योजना बनती है उन योजनाओं को क्रिया-न्वित करने के लिए हमेशा धन का अभाव हमारे सामने रखा जाता है। मैं समझता हूं कि जल सबसे बड़ी आवश्यकता है। माननीया प्रधान मंत्रीजी ने इस बात को कहा है, पेयजल की जो समस्या है उसको सबसे पहले हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम में उन्होंने लिया है। अगर पेयजल की समस्या नहीं सुलझती राजस्थान का इन्सान, पश्चिमी राजस्थान का इन्सान अगर पीने के पानी की सुविधा प्राप्त नहीं कर सकता तो हमें इस राज को लोक कल्याणकारी राज्य कहने में संकोच होने लगेगा। आज आजादी के इतने वर्ष पश्चात्, 35 वर्ष राजस्थान को आजाद हुए हो गये, हम हमारे तमाम समस्याग्रस्त गांवों तक पानी नहीं पहुंचा सके, पानी की समस्या साल्व नहीं कर सके,

(श्री माणकमल मेहता)

हमारी रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम या पाइप लाइन की स्कीम पूरी नहीं कर सकें, इसलिए मैं समझता हूं कि हमने कोई बहुत बड़ा अचीवमेन्ट नहीं कर लिया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं जिस इलाके से आता हूं, पाली शहर से, उसमें पाली पंचायत समिति और रोहट पंचायत समिति दुर्भाग्य से ऐसा ही समस्याग्रस्त इलाका है। सभापति महोदय, आपका विधान सभा क्षेत्र निकट होने की वजह से, आपके यहां भी ऐसे समस्याग्रस्त कुछ गांव हैं जिनको आप स्वयं जानते हैं, आप स्वयं इस बात को स्वीकार करेंगे कि रोहट पंचायत समिति एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पानी की समस्या इतनी विकट और विषम है। आज तक उसका पूरा हल राजस्थान सरकार के द्वारा नहीं निकाला गया। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बार आपके सामने उन गांवों की जो रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम्स आई हैं उनको स्वीकृति देकर आप इस बात को प्रमाणित करेंगे कि आप सक्षम हैं। राजस्थान के इस इलाके, जहां फ्लोराइड ज्यादा है, जहां का पानी ब्रेकिश है, जहां पानी पीने के लिए लोगों को तरसना पड़ता है और एक गांव से दूसरे गांव को जाना पड़ता है, दस-दस मील जाकर वे लोग पानी लाते हैं उसके बाद भी उनको खारा पानी मिलता है। यह जिन गांवों में रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम बनी हुई हैं उन गांवों के टेल एण्ड्स पर पानी नहीं पहुंचता है उसकी वजह से उनको हमेशा तृषित रहना पड़ता है। जो स्कीम अभी बना कर भेजी गई हैं वह आपके समक्ष विचाराधीन हैं। मैं उन सारी स्कीम्स को पढ़ूं इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

आपके सामने वे स्कीम हैं, उनको देख कर आपको स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए क्योंकि इस बार हमने राजस्थान में सबसे ज्यादा समस्याग्रस्त गावों की पेयजल समस्या का समाधान करने का सोचा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कम से कम 25-30 गांवों में टेन्कर्स के द्वारा पानी भेजना पड़ता है। टेन्कर्स भी इतनी पूरी संख्या में नहीं हैं कि जिलाधीश, पाली के उन गांवों में टेंकर्स भेज सकें। मैं आपसे निवेदन करूंगा समुचित मात्रा में टेन्कर्स वहां दिये जाने चाहिए। जब तक आप इन समस्याओं को सुलझा नहीं पाते हैं जब तक पूर्णतया: परमानेन्टली ये समस्या साल्व नहीं हो जाती हैं उस वक्त तक टैंकर्स से जिन गांवों को पानी दिया जा रहा है उनके लिये समुचित व्यवस्था इस बात की करनी कि टैंकर्स अवेलेबल हों। एक गांव में एक टैंकर जाता है। अगर वह खराब हो जाता है तो 2–3 दिन तक उस गांव को प्यासा मरना पड़ता है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि टैंकर्स की व्यवस्था समुचित रूप से की जाय। जिन स्थानों पर टांके बने हुए हैं उन टाकों को रिपेयर करके ठीक करवाना चाहिये। इसके लिये पैसा भी आपको अलग से रखना चाहिये और कलेक्टर को भी रिजर्व रूप में इन टाकों की रिपेयर के लिये पैसा अलग से रखना चाहिये। ताकि जब भी बरसात हो उस समय वे टांके भर जायं तो उस गांव के लोगों को पीने के पानी की सुविधा मिल सकें।

दूसरा, मेरा यह निवेदन है, कि जनरेटिंग सैट्स और बिजली की व्यवस्था इन रीजनल पाइप लाइन स्कीम के लिए पी.एच.ई.डी. से स्पेशली की जानी चाहिये। वहां पर आप जन-

(श्री माणकमल मेहता)

रेटिंग सेट्स नहीं देंगे तो नोर्मल कोर्स में जो हमको पावर सप्लाई होती है उस पावर सप्लाई में जब कमी हो जाती है उस वक्त बड़ी कठिनाई हो जाती है, उन पाइप लाइन में पानी जाने में। जब हम जाकर पूछते हैं तो वह कहते है कि 3–4 दिन बिजली नहीं मिली। इस हालत में उनको पानी पहुंच नहीं पाता और 4–5 गांवों के इन्सान पानी के बगैर प्यासे रहते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि उनकी क्या हालत होगी... जिनको पीने का पानी नहीं मिलता हो, मयस्सर नहीं होता हो।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री माणकमल मेहता : यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। अपने इलाके की जो सबसे विकट समस्या है उसके लिए मैंने आपसे निवेदन किया। मैं कुछ थोड़ा सा अकाल की स्थिति के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। जो पानी की कमी के कारण अकाल की स्थिति हमारे इलाके में होती रही है उसके लिए मैं निवेदन करूंगा, रोहट पंचायत समिति का ऐसा इलाका है पाली पंचायत समिति का ऐसा इलाका है कि जहां पर फेमिन के वर्क्स जो लास्ट टाइम अधूरे रह गये थे उनको आपने इस बार दुबारा शुरू कराया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अकाल मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी वर्क्स हम प्रपोज करते है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के जरिये, मंत्रिमण्डल से यह निवेदन है आपके माध्यम से कि उसी कमेटी को सक्षम बना दीजिये, इस बात के अधिकार उस कमेटी को दे दीजिये कि कलेक्टर लेवल पर उन वर्क्स को वह सेंक्शन कर सकें। आप एक सीमा बता दीजिये कि इतनी सीमा तक के वर्क्स हम वहां पर सेंक्शन कर सकते हैं। आपके पास जब वहां से कागजात भेजते हैं तो समय लगता है। जब तक उन बेचारे मजदूरों को कोई मजदूरी नहीं मिलती। उस इलाके के लोगों को जब कोई काम नहीं मिलता तो उनके लिए बड़ी विडम्बना हो जाती है. बड़ी समस्या बन जाती है। इसलिए आपको एक पालिसी निश्चित करनी पड़ेगी कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इतनी वेल्यू तक के वर्क्स सेंक्शन करने की इजाजत दें। इसके अलावा एक बात और है जो वर्क्स पंचायत समितियों और पंचायतों से हमारे पास आते हैं उनको वहां पर सेंक्शन करने की जब आप इजाजत देंगे तो यहां पर आर्बीट्रेरी या डिस्क्रेशन के ऊपर छोड़ने के लिये हो सकता है। मैं एक काम को पसन्द करूं लेकिन वह काम विधायक पसंद करते हुए भी, अगर उससे पंचायत समिति और पंचायत के लोगों को अधिक लाभ नहीं होता तो मैं समझता हूं कि उस की कोई उपादेयता नहीं रहती। इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उन वर्क्स को सेंक्शन करने की इजाजत दी जाय। उसके लिए ईयर मार्क आप कर सकते हैं कि इस ईयर में इतना अमाउन्ट तक का वर्क सेंक्शन हो सकता है।

इसके अलावा चारे के डिपो के लिए 50 हजार रुपये पंचायत समिति को देने की बात कही गई है, लेकिन अभी तक वो रुपया, जैसा बताते हैं, पूरी तरह से उनके पास नहीं पहुंचता है। इसके अलावा एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेन्ट है वह यह है, जो वेजेज मिलती है। जैसा अभी हेमाराम जी ने जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, मैं भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपको मिनि-

(श्री माणकमल मेहता)
मम वेजेज तय करनी पड़ेगी जिससे आदमी कम से क्रम अपना भरण-पोषण कर सकें। 5 या 7 रुपये की मजदूरी एक आदमी को मिलती है। आप जो टास्क बेसिस पर मजदूरी देते हैं उसको आपको रिवाइज करके दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा जिससे एक आदमी को मिनिमम 7–8 रुपये की मजदूरी मिल सके और वो दो रोटी से अपना गुजारा कर सके।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सभी बात आप बोल देंगे तो फिर पीछे के लोगों को बोलने के लिए तो कुछ रहेगा ही नहीं।

श्री माणक मल मेहता : मैं थोड़ी सी बात अर्ज कर रहा हूं। आप यह फरमा रहे हैं कि मैं जल्दी समाप्त कर दूं। मैं समझता हूं पाली जिले के दूसरे विधायकों को आप समय देंगे। दूसरी बाकी की बात वे निवेदन कर देंगे इसके साथ-साथ मैं यह तो निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्राब्लेमेटिक विलेजेज हैं, जो समस्याग्रस्त गांव हैं पाली जिले के हैं, विशेष तौर पर रोहट पंचायत समिति के, उनमें आप 5–4 किलोमीटर में चाहे पुराने काम शुरू करवायें लेकिन साइमलटेनियसली दूसरे नये काम भी शुरू करवायें। हर पंचायत, पंचायत समिति के उस एरिया जो समस्याग्रस्त है, को सेचुरेशन करने के लिए या उनकी लेबर पोटेन्शियल, जो वहां पर हैं, को काम में लेने के लिए, मजदूरी पर लगाने के लिए आपको तीन-तीन, चार-चार मील पर एक काम निश्चित रूप से खोलना पड़ेगा, चाहे आप पुराने काम खोलें चाहे नये काम खोलें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि आपने जो समय दिया और मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद अर्पित करता हूं।

श्री सभापति : श्री बिहारी लाल पारीक आप बोलिये, शुरू करिये।

श्री बिहारी लाल पारीक (माण्डल) : सभापति महोदय, राजस्थान राज्य में वास्तव में अलग-अलग स्थान पर अकाल की अलग-अलग स्थिति है। कई माननीय सदस्यों ने अकाल की समस्या पर प्रकाश डाला, मैं उन बातों की ओर नहीं जाकर मेरे क्षेत्र की समस्या रख रहा हूं क्योंकि घन्टी बजा देंगे, आप, बड़ी मुश्किल से समय दिया है। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि · · · · ·

श्री सभापति : अभी तो शुरू करने के पहले ही घन्टी की बात करने लग गये।

श्री बिहारी लाल पारीक : दिसम्बर, 82 से काम चालू किए और आपने कुछ स्थिति जमा दी। पिछले सत्र अकाल राहत मंत्री जी आप ही थे जब जिलाधीशों को पावर थी कि जिलाधीश क्षेत्रीय समस्या देखकर काम सेंक्शन कर देते थे। मैं जन-प्रतिनिधि हूं मेरे क्षेत्र का, इसलिये जन प्रतिनिधि के नाते मैंने वहां की अभाव स्थिति देखकर प्रपोजल भेजे। मैं अकाल राहत मंत्री जी से चित्तौड़ जाकर भी मिला जब मुझे मालूम पड़ा कि जहां पर समस्या है वहां पर स्वीकृतियां नहीं दी जा रही हैं। जहां पर हालत भयंकर रूप से खराब है,

(श्री बिहारी लाल पारीक)

वहां पर किसी प्रकार का काम नहीं दिया गया। जो गत साल के काम अधूरे हैं वह काम पूरे नहीं हुए। बरसात कुछ समय के लिए आयी किन्तु इतनी जबर्दस्त आयी कि कई एक तालाब टूट गये। सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र के ऊपर एक लकड़ी बांध है. वह भर गया। अचानक बरसात होने से नीचे के तालाब टूट गये। सभापति महोदय, मैंने जिलाधीश की मार्फत माननीय अकाल राहत मंत्री जी को प्रपोजल भेजे वह तालाब अब तक स्वीकृत नहीं हुए। नये नये काम, जो पूरे नहीं हो सकेंगे, स्वीकृति हुई। मैं समझता हूं, इसका कारण यह है कि या तो माननीय अकाल राहत मंत्री जी पहले जब हमारे क्षेत्र में पधारे और बीच की स्थिति कुछ ऐसी रही या ये जो नही पाये। मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूं अकाल राहत मंत्री जी का कि वास्तव में माण्डल की स्थिति खराब है। वहां स्थिति इसलिए खराब है कि जो मेजा डेम भरता है उसका पानी भीलवाड़ा की अन्य कई तहसीलों में जाता है किन्तु माण्डल क्षेत्र को उसका कोई लाभ नहीं मिलता। माण्डल का तालाब भरता है तो उसका कुछ ही पानी माण्डल के किसानों को मिलता है बाकी पानी दूसरे क्षेत्रों को मिलता है। फिर भी इस क्षेत्र को अभावग्रस्त नहीं माना जाये? मैं समझता हूं कि अभावग्रस्त मानने में भी राज्य सरकार की एक पालिसी रही है। माण्डल का जो इलाका है, जो गांव हैं, जो नगर पालिका क्षेत्र है उसको अभाव-ग्रस्त घोषित नहीं किया। 13 तारीख की घटना पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं। गत दिनांक 13–3–83 को कई लोगों ने घेराव किया और मुझसे यह पूछा कि आपको हमने जनप्रतिनिधि बनाकर भेजा है, क्या आपको इसलिए भेजा है कि अकाल पड़ने पर भी 2 साल से काम नहीं दिला रहे हैं? मैं आपकी मार्फत अकाल मंत्री का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, ये जो छोटी छोटी नगरपालिकायें हैं, उनको अभाव ग्रस्त घोषित करें यह आपकी मर्जी की बात है। मैं मेरी आवश्यकता प्रकट कर रहा हूं कि उन लोगों को काम मिलना चाहिए जो कि सन् 80 से लगाकर 83 तक बराबर अकाल की पीड़ा में हैं।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : दोनों ही मंत्री जाने कहां मशगूल हैं बातों में।

श्री बिहारीलाल पारीक : आप अकाल राहत की समिति बनाते हैं। मैंने आपकी एक किताब पढ़ी है जो आपके अफसरों ने बनाकर दी है उसमें लिखा है कि उस समिति में विधायक, जिला परिषद् के····

श्री सभापति : बोलिये, आप कृपया आसन को सम्बोधित कीजिए····

श्री बिहारीलाल पारीक : जिला प्रमुख सदस्य होते हैं। यह भी सही है। आपकी जो किताब है वह मैंने पढ़ी है। माननीय अकाल राहत मंत्री जी बिराजे हुए हैं, मैं आपकी मार्फत उनसे प्रार्थना करूंगा····

श्री सभापति : उनके कान आपकी तरफ हैं, आप बोलिये····

श्री बिहारीलाल पारीक : क्षेत्रीय सलाह-कार समिति में हमने प्रपोजल दिये उस क्षेत्रीय सलाहकार समिति की मीटिंग आज तक नहीं हुई। आप 13 तारीख को मीटिंग रख रहे थे, उसमें अकाल राहत मंत्रीजी नहीं

(श्री बिहारी लाल पारीक)

आये। मैं समझता हूं कि दिसम्बर से लगाकर मार्च जा रहा है, जहां जहां आपने काम खोल दिये आज वहां तो काम चल रहे हैं, लेकिन उनमें अनियमितता बरती जा रही है। मैं एक जानकारी और देना चाहूंगा, अकाल राहत मंत्री जी इसको नोट करें। आप हर तहसील को सड़क से जोड़ना चाहते हैं। माण्डलगढ़ क्षेत्र को ले लीजिए, गुलाबपुरा, बनेड़ा को ले लीजिए वहां पर कितने ही कारखानें लग रहे हैं, कितने ही मजदूर उनमें काम करते हैं। आप सहकारिता मंत्री रहे हैं आज भी आप सहकारिता मंत्री हैं, सहकारिता पर आपको खूब ध्यान है लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा एक भी कारखाना माण्डल क्षेत्र में है? आपके सारे कारखाने अन्य क्षेत्र में खुल रहे हैं, सारे कारखानें अन्य क्षेत्रों में खोले गये हैं। कई करोड़पतियों ने कारखानें लगा लिये उनमें लेबर लगे हुए हैं। क्या माण्डल क्षेत्र में कारखाने नहीं लग सकते? मैं आशा करूंगा कि आप वहां कारखाना लगायेंगे। सभापति महोदय, आज की तारीख में जो श्रमिक संख्या आप निर्धारित करते हैं मैं निवेदन करूंगा, जहां कारखाने नहीं हों वहां की स्थिति भयंकर विस्फोटक है। वहां के लिए कम से कम एक सी पॉलिसी निर्धारित मत करिये। माण्डल ऐसी जगह है जहां पर एक साइड में बांध बना हुआ है उसमें पानी एक भी किसान को मिलता नहीं है। वहां पर छोटे छोटे तालाब हैं, कोई बड़ा तालाब नहीं है जो बरसात में भर जाय और पीछे खेती हो सके। मैं जब चुनकर आया हूं तब से भयंकर स्थिति है। यह बात सही है कि आप पर 2 अकालों की मार पड़ी है। यह भी सही है कि 77 से 80 तक दूसरों का राज रहा, उन्होंने जो कांग्रेस सरकार का इकट्ठा किया हुआ धन था, उसको हर दृष्टि से लुटाया उसके कारण आपको विपदाओं का सामना करना पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु 80 से भयंकर स्थिति है। मैं जानकारी दूं कि मार्च 82 में भीलवाड़ा जिले में कितने लेबर लगे हुए थे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं अलग विषय पर नहीं जा रहा हूं। मेरे क्षेत्र की बात कह रहा हूं, आपने घंटी बजा दी।

श्री सभापति : घंटी का मतलब तो यह है कि जो समय निर्धारित किया है, उसमें से आप काफी समय ले चुके हैं।

श्री बिहारीलाल पारीक : मार्च में 3 लाख लेबर लगे हुए थे राजस्थान में, उसमें भीलवाड़ा जिले में मेरे क्षेत्र में कितने लेबर लगे हुए थे ग्यारह हजार लेबर लगे हुए थे। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं, मंत्री जी को आप कहें। क्या वहां पर ऐसी स्थिति हो गयी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल अकाल कम है क्या पिछले साल स्थिति ज्यादा खराब थी और इस साल ज्यादा खराब नहीं है, पिछली बार स्थिति ठीक नहीं थी, इस साल आपने सारे गांव अभाव ग्रस्त घोषित किये इससे साबित हो जाता है कि वहां पर भयंकर अकाल है फिर भी, आपने आज की तारीख में वहां पर केवल 3 हजार लेबर लगा रखें हैं वहां 46 पंचायतें हैं। 46 पंचायतों के एक एक गांव आप जोड़िये तो 450 गांव हैं। 450 गांवों में अगर उस

(श्री बिहारी लाल पारीक)
लेबर को बांटते हैं तो प्रत्येक गांव के हिस्से में कितने आदमी आते हैं ? इस तरह की व्यवस्था आपने क्यों कर रखी है ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपके क्षेत्र में ग्यारह हजार लेबर लगे हुए थे, इतनी तो बाड़मेर जिले में एक क्षेत्र में भी नहीं थी।

श्री बिहारी लाल पारीक : सभापति महोदय, वहां की हालत बाड़मेर से भी ज्यादा खराब है। बाड़मेर में तो एक बार बरसात हो जाये, श्रीमन्, तो वहां पर 3 साल तक किसान की पैदावार होती है, ऐसा मैंने सुना है।

श्री सभापति : वहां जाकर देखिये, सुनने से कुछ नहीं होता है।

श्री बिहारी लाल पारीक : हमारे यहां बरसात होने के बाद अगर 4 महीने बरसात नहीं बरसे तो, श्रीमन् वहां पर कोई चीज पैदा नहीं हो सकती। वहां की स्थिति बाड़मेर से भी विस्फोटक स्थिति है।

श्रीमन् भीलवाड़ा पर बड़े आक्षेप लगाये जाते हैं मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मैं तो निवेदन कर रहा हूं कि हम फिर भी पीछे हैं। इसका मतलब, मैं ध्यान लगाऊं, माण्डल पर माननीय अकाल राहत मंत्री जी की अबकी बार कृपा नहीं है, पहले तो बहुत थी। मैं उनका आभारी हूं कि जब ये अकाल राहत मंत्री थे तब हमारे क्षेत्र का दौरा किया। उससे जनता को लाभ हुआ।

श्री सभापति : आपने अपना पाइन्ट काफी एम्फेसाइज कर दिया है....

श्री बिहारी लाल पारीक : मैं निवेदन करूं कि प्रभाकर साहब पहले अकाल राहत मंत्री थे और अब जो अकाल राहत मंत्री बने, उसके बीच में कितना पीरियड निकल गया लेकिन उन मजदूरों का पेमेन्ट आज तक नहीं हुआ। एक भुवाना पंचायत है उसके 80 लेबर के पेमेन्ट के बारे में कई बार मैंने जिलाधीश को भी कहा। इस सम्बन्ध में यहां पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है, मैं समझता हूं कि उसका तो नम्बर आना नहीं है इसलिए इस मौके पर मैं अकाल राहत मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। उनको डेढ़ दो रुपया मिलेगा, जो भी मिलेगा, वह है लेकिन एक दो बरस तक पेमेन्ट नहीं मिले उसके लिए वहां के सरपंच, प्रधान, एम. एल. ए., सरकार के अधिकारी के पीछे चक्कर काटें ? क्या कारण है कि उनको अभी तक पेमेन्ट नहीं दिया गया ?

मैं पेयजल योजना पर आना चाहता हूं, सभापति महोदय, इसकी हालत बड़ी खराब है...

श्री सभापति : दो मिनट में पेय जल की बात समाप्त कर दें।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण) : दो मिनट तो बहुत कम हैं, साहब।

श्री बिहारीलाल पारीक : डी. एस. स्कीम जनता पार्टी ने लागू की। क्या जनता पार्टी ने यह समझ कर डी.एस. स्कीम लागू की कि इन गांवों में पानी की समस्या नहीं है ? सभापति महोदय, अलग अलग इलाकों में फर्क है। हमारे यहां पर कुएं गहरे हैं उनमें बिजली की कोई व्यवस्था होती नहीं

(श्री बिहारी लाल पारीक)

है। बिजली समय पर आती नहीं है। इसलिए डी. एस. स्कीम 77 से लगाकर 80 तक तब भी कामयाब नहीं रही और 80 से 83 तक अब भी कामयाब नहीं रही। 1980 में मैं सरपंच था उस समय भी मैंने ध्यान आकर्षित किया था जनता पार्टी वालों का। इन्होंने तो ध्यान नहीं दिया परन्तु अब अपनी सरकार है, मैं आपकी मार्फत अपनी सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि डी.एस. स्कीम इसलिए लागू की थी कि जल की समस्या समाप्त हो जायेगी, लोग सुव्यवस्थित तरीके से पानी पी सकेंगे। आज वहां पर डी.एस. स्कीम होने से उन गांवों को केवल 2–2 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं; मैं प्रार्थना करूंगा कि उस डी.एस. स्कीम को समाप्त करें, उन गांवों को पर्याप्त संख्या में हैण्ड पम्प लगाने की कृपा करें। रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम के अन्तर्गत 3 पंचायतों में मेरे जो गांव है उनमें एक पाइप लाइन बिछा दी गई है और 13–13, 14–14 किलोमीटर पर गांवों को जोड़कर एक-एक टूंटी लगा दी गयी है। मैं प्रार्थना करूंगा कि रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम लागू करने का यह क्या तरीका है, मेरी समझ में नहीं आया। मैंने अपने जिले व अधिकारियों का भी ध्यान आकर्षित किया था कि क्या कारण है, जब आप पानी देते हो, इंजन भी आपने लगा रखे हैं। तब क्यों नहीं कुआं बनाकर टंकी लगाकर गांव वालों के लिए पर्याप्त मात्रा में टूंटियां लगा कर पानी दिया जाय। मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरे क्षेत्र में धुमाला, चीताम्बर, ज्ञानगढ़ ऐसी जगह हैं जो कि ऊंचाई पर हैं। वहां पर बरसात कम होती है जैसे बाड़मेर में कम होती है। पूरे जिले में सबसे कम बरसात होती है। भयंकर अकाल वहां पड़ता है और पानी बहुत गहराई में है कुआ भी खोदा जाय तो पानी नहीं मिलता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम को बदलकर इसको दूसरा रूप दिया जाये। दूसरी मेरी प्रार्थना है कि मेरे क्षेत्र में एक स्कीम और है रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम की तरह ही इन्होंने उसमें कर दिया पानी की टंकी नीचे बना रहे हैं। एक कुआं इन्होंने बना दिया उससे पानी गांव वालों को मिल नहीं सकेगा। मैं निवेदन करूंगा कि टंकी तो आप बना ही रहे हो, चार खम्भे 25-30-40 फीट के बनाकर उस पर टंकी रखने में क्या तकलीफ है ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री बिहारी लाल पारीक : क्या मैं, सभापति महोदय, कोई सही बात नहीं कह रहा हूं ?

श्री सभापति : सही बात का यह मतलब नहीं कि घण्टे-घण्टे बोलते जायेंगे। सभी माननीय सदस्य सही बातें कहने के लिये आते हैं और सही बातें ही कहते हैं परन्तु हरेक को अपने समय की मर्यादा में तो रहना पड़ता है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आपको कहने का मतलब यह तो नहीं है कि इनके जिले मुख्य मन्त्री हैं इसलिए उनको कह दें आपको नहीं कहें।

श्री सभापति : नहीं, नहीं। काफी बातें ये कह चुके हैं।

श्री बिहारीलाल पारीक : मैं एक छोटा सा निवेदन कर दूं, सभापति महोदय, मेरे यहां पर एक ऊमरी गांव है जहां जगदीश भगवान का अच्छा मन्दिर है। वहां पर कई लोग आते हैं। मैंने उस रोड़ के लिए प्रपोजल दिया किन्तु वह रोड़ स्वीकृत नहीं हुई। मैं आज भी निवेदन कर रहा हूं आपकी मार्फत, ऊमरी से लगाकर ज्ञानगढ़ चौराहे तक अगर वह रोड़ स्वीकृत कर दें। काफी मेटीरियल पड़ा हुआ है आपका 40-60 पर्सेन्ट का जो रेशयो आपने बना रखा है यह अफसर आपको चक्कर देते हैं मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप वह रोड स्वीकृत कर देंगे तो मेरी 6 पंचायतों को लाभ मिलेगा। उस पर व्यवस्थित तरीके से अगर आज मजदूर कम भी लगायें तो कोई चिन्ता की बात नहीं पर कम से कम आप पक्षपात नहीं करें जो दूसरी तहसीलें हैं उनसे ज्यादा मजदूर माण्डल क्षेत्र में दें।

श्री सभापति : मन्त्री महोदय आपकी बातों पर विचार करेंगे। कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बिहारीलाल पारीक : सभापति महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं छोटी सी एक प्रार्थना और कर रहा हूं हैण्ड पम्प के बारे में क्वेश्चन माननीय सदस्य उठाते हैं। अधिकारी न जाने किन किन को भेज रहे हैं हैण्ड पम्प के जो पाइन्ट लगे हुए हैं उनको चैक करने में आजकल अधिकारी लगे हुए हैं। वे क्या करते हैं कि नीचे राड अगर पूरी लगी हुई, गांव वालों को परेशान करने के लिये उसकी दो दो राड काटकर बाहर रख देते हैं। वे हैण्ड पम्प जो ठीक चल रहे थे उनकी हालत भी खराब कर दी। 40 पर्सेन्ट हैण्ड पम्प की स्थिति खराब है। सभापति महोदय, सरकार ने पंचायतों में एक व्यवस्था की बताते हैं कि ये सारे हैण्ड पम्प ठीक करने का बजट सरकार ने पंचायत समितियों को दे दिया मेरा निवेदन है, बजट नहीं दिया, गया है। हालत उनकी खराब है। अभी मार्च का महीना चल रहा है। अप्रेल मई में स्थिति भयानक हो जायगी। में प्रार्थना करूंगा कि बजट उनको दें। नगरपालिका की स्थिति तो और भी खराब है। एक मिनट में नगरपालिका के बारे में निवेदन करूंगा। नगरपालिका मेरे क्षेत्र में एक ही है मैंने कोई ज्यादा मांग नहीं की है। मैंने माननीय मदेरणा साहब से निवेदन किया, मुख्य मन्त्रीजी को भी ने निवेदन किया आपकी मार्फत प्रभाकर साहब को भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि अकाल राहत के बजट में से बजट लेकर कृपा करके कार्य करायें। नगरपालिका की हालत खराब है, नगरपालिका क्षेत्र बहुत पीड़ित है। 19 गांवों को मिला एक नगरपालिका बनाई गई है। सभापति महोदय, वहां की स्थिति इतनी दयनीय है कि वह स्कूल नहीं बनवा सकती। अकाल राहत मन्त्री जी, कृपा करके अकाल के बजट से उन गांवों में स्कूल बिल्डिंग बना दें। एक प्रार्थना करूंगा कि 19 गांवों में. . .

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल पारीक : 19 पम्प दे दें जिससे वहां की स्थिति ठीक हो जाय। यही प्रार्थना करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि अकाल राहत मंत्री जी मेरे क्षेत्र में निश्चित तौर पर कल परसों ही माननीय मदेरणा साहब को कह कर पम्प स्वीकृत करायेंगे।

(श्री बिहारीलाल पारीक)
धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल।

(व्यवधान)

विरोध पक्ष से तो कई बोलेंगे।

एक माननीय सदस्य : पंडितजी जब सभापति के पद पर विराजमान थे उस समय मेरा नाम पुकारा गया था। मैं बाहर चला गया था, अब मुझे बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री सभापति : सब का नाम आयेगा।

एक माननीय सदस्य : मेरा पहले है। पंडितजी ने मेरा नाम पुकारा था।

श्री सभापति : आपकी समस्या विकट है....

एक माननीय सदस्य : कृपया इनके बाद में अवसर दें।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : उधर एक ही आदमी है पूरी पार्टी में, उसको टाइम दिया जाता है और इधर नहीं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। सभी को बोलने का मौका दिया जायेगा। संक्षेप में हरेक आदमी बोले तो सभी को मौका मिले।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 और मांग संख्या 34 पर आज सदन में विचार विमर्श चल रहा है। इन दोनों मांगों के सम्बन्ध में मेरे क्षेत्र की जो समस्यायें हैं उस सम्बन्ध में मैं भी सरकार के सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, तहसील खण्डार के ग्राम बालेर को नल योजना में चुन रखा है। सन् 67 से लगातार बालेर की नल योजना के लिये मैं प्रार्थना करता रहा हूं। जिला योजना समिति के माध्यम से भी सरकार के सामने इस ग्राम की योजना के बारे में कई दफा प्रस्ताव फस्ट प्रायोरिटी देकर के भेजे हैं। सभापति महोदय, ग्राम बालेर में एक बरसाती तालाब है। उस तालाब के चारों तरफ हर समाज ने अपनी अपनी बेवरियां बना रखी हैं। इस तालाब का पानी मई–जून के महीने में बिलकुल सूख जाता है। पूरे 500 घरों की बस्ती में सिर्फ एक भूतपूर्व जागीरदार का कुआं है उस कुएं पर सारा गांव पानी भरने के लिये जाता है। छोटे वर्ग के जो आदमी हैं, जैसे मेहतर, बैरवा समाज के लोग हैं उनको उस कुएं पर पानी भरने के लिये नहीं चढ़ने दिया जाता है। पशुओं के लिए जो खेली भरी जाती है जिसमें कुत्ते, बिल्ली, ये सारे जानवर पानी पीते हैं उस खेली से पिछड़े वर्ग के लोग अपना मटका भरकर लाते हैं। इस सदन के 5 आदमियों की कमेटी मेरे साथ भेजी जाय। मेरे गांव के अन्दर सिर्फ यही कुआं है। सन् 67 से उस नल योजना के लिये प्रयास करता चला आ रहा हूं लेकिन सारे गांव प्राब्लेमेटिक हैं, पूरी खण्डार तहसील के अन्दर आज वहां कुआं बनायें तो एक कुआं पचास हजार की लागत से कम में नहीं बन सकता। छोटे वर्ग के आदमी अपना निजी कुआं नहीं बना सकते और स्वतंत्र रूप से पानी नहीं ले सकते इसलिए मजबूर होकर जहां पशु पानी

(श्री चुन्नीलाल)

पीने जाते हैं कुत्ते पानी पीते हैं उस खेली में से उनको पानी पीना पड़ता है। इसके सम्बन्ध में सरकार ने यह मान रखा है कि उस एरिया में किसी भी प्रकार की कोई प्रोब्लम नहीं है। कुओं में पानी अगर आप देखेंगे तो 200 फीट से ऊपर पानी नहीं मिलेगा तो वह जिन गांवों में समस्या है उनको तो सरकार देखती नहीं और जहां आवश्यकता नहीं होती ऐसे स्थानों पर नल योजना स्वीकृत कर देती है, हैण्ड पम्प दे देती है। उस गांव को, सभापति महोदय, हैण्ड पम्प योजना में भी शामिल नहीं किया। मैंने हैण्ड पम्प के लिए भी लिखकर भेजा था। अगर नल योजना आप स्वीकृत नहीं करना चाहते तो कम से कम उसकी आबादी के अनुसार हैण्ड पम्प तो लगा दीजिये। लेकिन हैण्ड पम्प भी वहां नहीं लगाये। पूरा सर्किल अभाव में है। जब सरकार मनुष्यों को पानी ही नहीं दिला सकती तो और व्यवस्था क्या कर सकती है। पी.एच.ईडी. मन्त्री पहले जब बनवारीलाल जी थे तब मैंने उनसे कहा था, साहब, कि आप वहां नल योजना स्वीकृत करिये। तो मेरे से कहने लगे कि उस गांव के अन्दर बिजली है क्या? वह पूरा क्षेत्र बिजली से वंचित है। उन्होंने कहा, आप बिजली के लिए कोशिश करिये। सभापति महोदय, सरकार तो वह लेकर बैठे है मैं बिजली कहां से लाऊं? दूसरी बात यह है कि प्रॉपर खण्डार की जो नल योजना है वहां इस तरह पाइप लाइन बिछाई है, सभापति महोदय, कि उससे पूरी रोड पर पांच-पांच, छः-छः फीट के गड्ढे हो गये हैं। 6-6 फीट के गड्ढों में लोग मटके लगाते हैं। एक मटका भरने में कम से कम आधा घण्टे का समय लगता है। आधा घण्टे में भी एक मटका नहीं भर सकता। ऐसी योजना लागू करने से कोई मतलब हल नहीं होता। इसके बारे में वहां के जो अधिकारी हैं उनसे समय-समय पर सम्पर्क किया कि पाइप लाइन बड़ी डालिये या इसकी कुछ सफाई करवाइये। सभापति महोदय, खण्डार के कुछ भाग के अन्दर लोगों को पानी मिलता है बाकी जो पहाड़ के दामन में बसे हुए लोग हैं उनको पानी नहीं मिलता है। ऊपर की मंजिल पर तो पानी जाने की बात छोड़ें लेकिन मेन रोड पर 6-6 फीट के गड्ढे हैं। कोई मेरे साथ चलना चाहें तो मैं आज ही उनका निरीक्षण करवा दूं। इसके सम्बन्ध में जिलाधीश से भी कई दफा अर्ज किया। जिले की कमेटी की जो मीटिंग होती है उसमें हमने कई दफा सुझाव रखा लेकिन सरकार इधर से सुनती है उधर से निकाल देती है। ऐसी मेरे क्षेत्र में कई योजनायें हैं, जैसे चौथ का बरवाड़ा, भगवतगढ़, ईसरदा, सारसोप, सिवाड़, इन गांवों के अन्दर जो जल योजना चालू की थी उस समय सब जगह हरिजन बस्ती को कट आफ रखा। जब गांवों के अन्दर लाइन बिछाई जाती है तो हरिजन बस्तियों को साथ ही क्यों नहीं जोड़ा जाता? हरिजन बस्ती के लिये कह देते हैं कि इसका बजट समाज कल्याण से आयेगा। समाज कल्याण से जब बजट आयेगा उससे हरिजनों के लिये पाइप लाइन बिछाई जायगी। आज ईसरदा के अन्दर जो मेहतर समाज के लोग हैं उनको कुओं पर नहीं चढ़ने देते हैं। वह अपना निजी कुआं नहीं बनवा सकते हैं। उनके लिये एक पी. एच. सी. के लिये कई दफा लिखा। मैंने कहा कि कम से कम मेहतर समाज की बस्तियों में एक पी.एच.सी. तो आप दे दें। लेकिन एक पी.एच.सी.

(श्री चुन्नीलाल)
भी सरकार नहीं दे सकती। सरकार ने सार्वजनिक पी.एच.सी. देने का एक क्राइटेरिया बना रखा है कि एक हजार की पापुलेशन पर एक पी.एच.सी. दी जायगी। एक हजार की पापुलेशन पर एक पी.एच.सी. देंगे, सुबह से शाम तक लोग मटका लेकर खड़े रहेंगे, लोगों में झगड़े होंगे।

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के नाम निर्देशन वापस लेने की तिथि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है उसमें आंशिक संशोधन करते हुए माननीय सदस्यों द्वारा नाम निर्देशन वापस लेने की तिथि दिनांक 24 मार्च, 1983 के अपरान्ह 4 बजे तक के लिये बढ़ाई जाय। चुनाव यदि आवश्यक होंगे तो दिनांक 25 मार्च, 1983 को होंगे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि माननीय मुख्य सचेतक जी द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है उसको माना जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का 19 वां प्रतिवेदन

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : पढ़ने का कष्ट करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पढ़ रहा हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक शनिवार, दिनांक 19 मार्च, 1983 को मध्यान्ह 1–00 बजे माननीय अध्यक्ष के के चैम्बर में हुई। समिति सिफारिश करती है कि दिनांक 25 व 26 मार्च 1983 को सदन में लिए जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में समय का बंटवारा निम्न प्रकार से किया जाय:—

शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च, 1983

1. पशु चिकित्सा सम्बन्धी सरकारी संकल्प।
2. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 1981–82 पर विचार।

शनिवार, दिनांक 26 मार्च, 1983

आयुक्त, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 26 वें प्रतिवेदन, वर्ष 1978–79 पर अग्रेतर विचार।

श्री भंवरलाल शर्मा : आर. एस. ई. बी. के बजट का क्या हुआ ?

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : अगले सत्र में होगा उस पर विचार।

श्री सभापति : कृपया आप प्रस्ताव कीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट करने का जो प्रस्ताव मुख्य सचेतकजी द्वारा रखा गया है, उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

मांग संख्या 34 व 27 पर विचार

श्री चुन्नीलाल : सभापति महोदय, मैं पानी के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा था। जैसे सरकार ने हैण्ड पम्प योजना चालू कर रखी है। हैन्ड पम्प की सब जगह से यह रिपोर्ट है कि वह सुचारु रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। हैन्ड पम्प में जितना पाइप डालना चाहिए था उतना न डाल कर पाइप में बड़ी कटौती की है। जब पाइप पानी तक नहीं पहुंचेगा तो लोगों को पानी कहां मिलेगा ? इस सम्बन्ध में एक निवेदन और करना चाहूंगा कि अलापुर गांव है। दो वर्ग का झगड़ा है वहां 6 हैण्ड पम्प स्वीकृत थे, उनमें से 4 हैण्ड पम्प तो लगा दिये लेकिन 2 हैण्ड पम्प, सरपंच का जिस समाज से झगड़ा है उस इलाके में वह नहीं लगाने दे रहा है। इसके बारे में जिलाधीश महोदय क्या, अधिशासी अभियन्ता क्या, हैण्ड पम्प लगाने वाले ए. ई. एन. सबको कहा। 40-50 घरों की बस्ती है। जब सारा गांव पानी पी रहा है तो फिर 40–50 घरों को क्यों वंचित रखा जा रहा है ? साल भर तक प्रयास करने के बावजूद भी ग्राम अलापुर के अन्दर आज तक हैण्ड पम्प नहीं लग पाया है। मैं अभी 15-20 रोज पहले जिलाधीश महोदय का पत्र लिखवाकर एक्स. ई एन. के पास पहुंचा। एक्स. ई एन. ने जे. ई एन. को दे दिया, जे. ई. एन. ने ए. ई एन. को दे दिया। कम से कम उनको पानी की कोई व्यवस्था तो करनी चाहिये।

सभापति महोदय, सवाई माधोपुर की नल योजना के बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं। सवाई माधोपुर के लिए जो पानी लिया जाता है वह सवाई माधोपुर की सीमेन्ट फैक्ट्री से लिया जाता है। सीमेन्ट फैक्ट्री से सरकार का 9 लाख गैलन पानी का पर डे का एग्रीमेन्ट है। 9 लाख गैलन में से सवाई माधोपुर शहर के लिए 2 लाख गैलन पानी भी फैक्ट्री नहीं देती है। वहां पानी की इतनी किल्लत रहती है कि एक घन्टा भी लोगों को पानी नहीं मिलता है। कभी कभी तो पानी आता ही नहीं। बिल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। समय पर बिल जमा नहीं करायें तो कनेक्शन कट जाते हैं। उसका एक्स्ट्रा चार्ज और देना पड़ता है। यह सारी समस्या सभी गांव में हैं। मखाना गांव में भी ऐसी ही समस्या है। सभापति महोदय, महीने में पांच दिन उनको पानी मिल जाय तो बड़ी किस्मत की बात है। बिल आयेगा पूरा हम शिकायत भी करें तो कोई सुनने वाला नहीं है। कनेक्शन काटने को तैयार हो जाते हैं।

दूसरा, मुझे अकाल राहत के बारे में तो...

श्री सभापति : जल्दी समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री चुन्नीलाल : 3–4 साल से राजस्थान में अकाल पड़ रहा है। सवाई माधोपुर जिले के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, हमेशा अकाल की स्थिति होते हुए भी उसे अकाल से कट आफ कर देते हैं। एक पैसे का भी अकाल राहत कार्य वहां नहीं चलाया जाता है। पूरे जिले की यह स्थिति है। आज मेरे खण्डार कान्स्टीट्यूएन्सी में कुल 23 गांव अकालग्रस्त हैं। गांव के लोग घर छोड़कर चले गये हैं। एक गांव की ऐसी स्थिति नहीं है सारे गावों की ऐसी स्थिति है। ऐसी स्थिति में, सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि जो इस तरह की बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुये सरकार को काम करना चाहिये। खास करके जो बालेरा की नल योजना है, अगर सरकार में मानवता है तो कम से कम उसके बारे में ध्यान दे। कुत्ते बिल्ली जिस खेली से पानी पीते हैं उसी खेली से मनुष्य पानी पीते हैं। अगर नल योजना लागू करना नहीं चाहते हैं तो कम से कम एक हैन्ड पम्प तो आप लगायें।

श्री सभापति : श्री रामनारायण डूडी।

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, पहले मेरा नाम पुकारा गया था।

श्री सभापति : आपको इनके बाद में···

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, शहरों में तो पानी की कोई समस्या नहीं है।

श्री सभापति : सभी माननीय सदस्य एक साथ तो बोल नहीं सकते।

श्री दिनेश डांगी (राज्य मंत्री, आयुर्वेद): जयपुर शहर में तो पानी की कोई कमी नहीं है···

श्री भंवरलाल शर्मा : कैसे नहीं है..

श्री सभापति : दोनों माननीय मंत्री महोदय यहां बैठे हुये हैं वह आप सब की बातें सुनकर आपको सैटिस्फाई करेंगे।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : सभापति महोदय, कल भी मुझे टाइम नहीं दिया।

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा) : सभी माननीय सदस्यों का नाम आ जायगा मुझे बोलने दीजिये दो मिनट।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप चालू रखिये···

श्री रामनारायण डूडी : सभापति जी, आज मांग संख्या 34 और 27 - प्राकृतिक आपदाओं से राहत और पेयजल पर सदन में विचार-विमर्श हो रहा है। राजस्थान का यह दुर्भाग्य है कि सदैव किसी न किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से जूझता रहा कभी बाढ़ और कभी अकाल। अकाल ने तो न जाने अपना परमानेन्ट रहवास ही राजस्थान की भूमि पर कर लिया है।

सभापति जी, खास करके मैं पश्चिमी राजस्थान की भयंकर स्थिति के बारे में पहले निवेदन करना चाहूंगा। पिछले 5 सालों से जोधपुर में अकाल पड़ता आ रहा है। उस अकाल के अन्तर्गत कुछ कार्य भी हुये हैं और हो रहे हैं। मैं इस विषय पर केवल राज्य सरकार को यह सजेशन देना चाहूंगा कि जो कार्य अकाल राहत कमेटी के जरिये से प्रस्तावित किये जाते हैं उन्हीं कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाय, न कि दूसरे कार्यों को। इस बार अकाल राहत कमेटी ने जो काम प्राथमिकता

(श्री रामनारायण डूडी)

के आधार पर प्रस्तावित किये उनको स्वीकृत न करके काफी दूसरे कार्य किये गये। जहां कार्यों की जरूरत थी, जहां अकाल की स्थिति बनी थी उस जगह को ध्यान में नहीं रखा गया। हमने सड़कों के प्रस्ताव भेजे, एनीकट्स के प्रस्ताव भेजे और खड़ीनों के प्रस्ताव भेजे मगर उन एनीकट्स और खड़ीनों की स्वीकृति नहीं आई। जिन सड़कों की स्वीकृति आई वह बहुत ही मामूली हैं। मैं अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मार्च निकल रहा है, पूरे राजस्थान के अन्दर जहां करीब एक करोड़ छियत्तर लाख जनता अकाल से प्रभावित है वहां करीबन 2 लाख 50 हजार श्रमिक अभी तक काम पर रखे गये हैं। यह कितना पर्सेन्ट है? केवल 5–6 पर्सेन्ट जनता को हम काम दे पाये हैं। उसमें भी राजस्थान में जोधपुर के बारे में निवेदन कर दूं, जोधपुर में भी अपनी कान्स्टीट्यूएंसी तक ही सीमित रहूं तो केवल 1 पर्सेन्ट श्रमिक अभी तक जोधपुर काम पर लगे हुये हैं। 5–6 पर्सेन्ट श्रमिक राजस्थान में काम पर लगे हुये हैं जबकि करोड़ों लोग प्रभावित हैं। 5 साल से लगातार अकाल पड़ता आ रहा है उनके पास किसी प्रकार का दूसरा जरिया नहीं है, बाहर जाने की शक्ति नहीं है। यदि हम इस मार्च के महीने में ज्यादा से ज्यादा रोजगार लोगों को उपलब्ध नहीं करा पायेंगे तो स्थिति बहुत भयंकर हो जायगी। इसके साथ-साथ आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जब अकाल के अन्दर आपने सिचाई के लिए खड़ीनों को प्राथमिकता दी है तो जो भी प्रपोजल आये उनको आप अविलम्ब स्वीकृत कर दें। लेबर की सीलिंग जो लगी हुई है उसमें कुछ रिलेक्सेशन कीजियेगा, कुछ संख्या बढ़ाइयेगा। जो एक पंचायत है, हालत यह है कि एक पंचायत के अन्दर चार-चार और पांच-पांच और सात-सात गांव आते हैं उनमें से प्रति गांव से 10-10 लेबर काम के लिये लिये जाते हैं। इससे वहां पर हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि लोगों को काम नहीं मिलता। मेरा निवेदन है कि आप सीलिंग की संख्या बढ़ायें। साथ ही जो पुराने समय के हमारे यहां पर अकाल राहत के कार्य खोले गये थे उन अकाल राहत कार्यों को पक्का करने की आवश्यकता थी पर वह पक्के नहीं हुए। इसमें 60 और 40 पर्सेन्ट का रेश्यो आपने निर्धारित किया है मैं चाहूंगा कि आप इस रेश्यो को हटायें। जो सड़क बननी चाहिये थी उसके बदले काज-वे और पुलिया बना दी गई। मेरा निवेदन है कि उन कच्ची सड़कों पर अर्थ वर्क किया जाय या ग्रेवल रोड बनायी जाय नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि यह जो 60:40 का जो रेश्यो है डिस्ट्रिक्ट वाइज तय होना चाहिये। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही तय कर दिया जाना चाहिये और काम को पूरा कराया जाना चाहिये। दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि जो मेटीरियल टूटा हुआ पड़ा है रोड पर। मेरा मतलब है कि जिन रोड पर मेटीरियल पड़ा है और जो रोड पंचायत मुख्यालयों को जोड़ती हैं या ग्राम मुख्यालयों को जोड़ती हैं, जो आबादी को जोड़ती हैं, वह रोड पहले मेटल रोड बनायी जायं और उनका कन्सो-

(श्री रामनारायण डूडी)

लिडेशन किया जाय। अगर आप डामर नहीं कर सकते हैं, अगर आप इस अवस्था में नहीं है कि आप डामर उपलब्ध करा सकें तो आपको कन्सोलिडेशन करना चाहिये और 6-6 इंच ग्रेवल स्प्रेड कराना चाहिये। ताकि मेटल रोड़ नहीं हो तो ग्रेवल रोड तो हो ही जाय। नहीं तो स्थिति ऐसी है कि वहां पर लोग चल नहीं सकते हैं। उन मेटल रोड को आप मेटल रोड न कह कर टायर फोड रोड कह दें तो उचित होगा।

तीसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि रेट के सम्बन्ध में आज जगह-जगह पर शिकायत आती है। यह कहा जाता है कि रेट कम है। रेट जो कम आती है लेबर की वह इसलिए आती है कि प्रोपर चैकिंग नहीं है। जो लेबर लगा हुआ है उनको जितना टास्क, काम कर देना चाहिये उतना काम नहीं है और जो काम है उसका प्रोपर चैकिंग नहीं है। प्रोपर चैकिंग नहीं होने के कारण ही यह होता है। जो एक्स. ई.एन. और ए. ई. एन. हैं या जे.ई.एन. हैं वह समय-समय पर जाकर चैकिंग नहीं करते हैं। उनको जाकर देखना चाहिये कि पूरा काम हो रहा है या नहीं। आज आपने 20 मजदूरों का ग्रुपिंग किया या आपने 60-60 लोगों की गैंग बना रखी है या आपने 100-100 लोगों की गैंग बना रखी है। उन लोगों को टास्क बेसिस पर जितना काम दे रहे हैं उतना काम उनको करना चाहिए अगर वह लोग काम नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह है कि अधिकारियों की नेग्लीजेन्स है। इस कारण कम रेट आती है यह नेग्लीजेन्स उन अधिकारियों की है कि उन्होने जाकर नहीं देखा कि काम इतना कम क्यों हुआ है जिसके कारण लोगों को एक रुपया या डेढ़ रुपया या दो-दो रुपये मिल रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस-जिस जगह पर एक रुपया या डेढ़ रुपया दो-दो रुपया रेट मजदूरी की आ रही है वहां-वहां प्रोपर चैकिंग कराया जाय और प्रोपर चेकिंग कराकर पूरा काम कराया जाय। आज, सभापति महोदय, जब सात रुपये या दस रुपये रोज एक मजदूर मजदूरी लेता है तो फिर एक रुपया या डेढ़ रुपया या दो दो रुपये ही क्यों रेट आती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, अधिकारियों की लापरवाही के कारण और प्रोपर चेकिंग नहीं होने के कारण ऐसा होता है।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा थोड़ा पेयजल योजनाओं के बारे में। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र के अन्दर सन् 1971 और 70 में जो पेयजल की क्षेत्रीय योजनायें प्रारम्भ की गयी थीं उन क्षेत्रीय जल योजनाओं के तहत लम्बी-लम्बी लाइनें गांवों को जोड़ने के लिए लगायी गई किन्तु जहां पर पानी की कमी थी आज भी वहां पर पानी की कमी है क्योंकि वहां पर स्थानीय स्रोत नहीं हैं। उसका नतीजा यह होता है कि जो आखिर का गांव है उसमें पानी नहीं पहुंच पाता है। मेरा यह निवेदन है कि वहां पर जगह-जगह पर बूस्टर लगाये जायें और उन गांवों को पानी पहुंचाया जाय।

साथ ही मैं थोड़ा निवेदन ड्रिलिंग के बारे में और हैण्ड पम्पों के बारे में करना चाहूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में कहें।

श्री रामनारायण डूडी : हां साहब, समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय, जिस तरह हैण्ड पम्प और दूसरी चीजों के अन्दर घोटाले हुए हैं। जिन कान्ट्रेक्टर ने घोटाले किये राज्य सरकार ने उनके कान्ट्रेक्ट को टर्मिनेट कर दिया उसके लिये तो मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस सम्बन्ध में निर्णय लेना बहुत ही जरूरी था क्योंकि जिस वक्त रेट बहुत ही कम आ रही थी उस वक्त कान्ट्रेक्ट करके बहुत अनियमितताएं की गयीं। लेकिन केवल कान्ट्रेक्ट टर्मिनेट करने से ही कुछ नहीं होगा जिन अधिकारियों से मिलकर कान्ट्रेक्टर ने अनियमिततायें की हैं उनके खिलाफ में भी एक्शन लिया जाना चाहिए।

इसके साथ ही यहां पर माननीय सदस्यों ने गड़बड़ियों के जो मसले और मुद्दे उठाये हैं उनकी थोरो चैकिंग करके जो भी अधिकारी दोषी पाये जायें उनके खिलाफ कार्यवाही करें। साथ ही कान्ट्रेक्ट से कोई राशि रिकवरेबल हो तो रिकवरी भी की जाय। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री देवेन्द्र कुमार।

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, मेरा नाम पुकारना था।

श्री सभापति : पहले हां पक्ष के दो माननीय सदस्य बोल लें फिर आपके पक्ष को अवसर दूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां पक्ष के दो माननीय सदस्य तो बोल लिये हैं।

श्री सभापति : एक ही माननीय सदस्य बोले हैं।

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। इनके बाद आपको बोलने का मौका दिया जायेगा।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा) : सभापति महोदय, सौभाग्य से उदयपुर जिले के आदिवासी क्षेत्र...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में बोलें।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : सभापति महोदय, बिलकुल ही संक्षेप में।

सभापति महोदय, पिछले चार साल से हमारे यहां पर लगातार अकाल की स्थिति बनी हुई है। इस साल भी भयंकर अकाल हमारे यहां पड़ा हुआ है। हमारे यहां चौमासे की फसल भी नहीं हुई है। वैसे हमारे यहां पर अधिकतर मक्का की फसल पैदा होती है। लेकिन अकाल के कारण वह भी नहीं हुई है। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा क्षेत्र है वह पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर अकाल के समय काम चला था। उससे भी बहुत ज्यादा अकाल इस साल है, दुगना अकाल है। वर्तमान में जो अकाल राहत मन्त्री हैं इनके पास उस समय भी यही विभाग था। उस समय जहां पर अकाल था उस जगह अकाल राहत कार्य भी खोले गये, काफी काम हुआ लेकिन मुझे इस बात का खेद है कि पिछले पांच छः महीनों से हमारे यहां पर अकाल है और फसल बिल्कुल ही नष्ट हो गयी है, उनालो फसल बिल्कुल ही नष्ट हो गयी है फिर भी मेरे क्षेत्र सराड़ा में बहुत ही कम काम

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)
शुरू हुए हैं क्योंकि हमारे यहां पर एक धन्धा है।

सरकार काम नहीं खोलेगी तो वहां के आदिवासियों और अन्य लोगों, जो अकाल के समय मजदूरी पर निर्भर करते हैं, को काम नहीं मिलेगा। मैं इस मौके पर आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि तारीख 28 को राहत कार्य शुरू करने की सूचना राज्य सरकार ने दी, परन्तु जो स्वीकृत काम हुए हैं उसमें से एक भी काम शुरू नहीं हुआ। इससे इस क्षेत्र के आदिवासियों में काफी असंतोष फैला हुआ है। मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि आपने सिलिंग का बेन लगा रखा है कि राजस्थान में इतने मजदूर लगेंगे, लेकिन मेरे यहां आप बेन लगायेंगे तो हम लोगों को कठिनाइयां हो जायेगी। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर पानी का अभाव है, खाने का अभाव है, उस जगह पर आम मजदूर नहीं लगायेंगे तो वहां के लोगों में जो असंतोष है उसको नहीं निकाला जा सकता।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा अकाल के बारे में और भी कहना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र सराड़ा में मैं अभी गया हूं वहां काम शुरू हुए हैं। वहां जाने पर पता लगा कि सरकार की तरफ से उनको न तो औजार दिये गये हैं, न तगारी दी गई है। अपने घर से सामान लाकर वह काम करते हैं तब जा कर उनको पेमेंट होता है। पेमेंट कितना होता है, डेढ़ दो रुपया। तो, मंत्री जी, दिन भर मजदूर काम करता है, अपने औजार लाता है, आपने औजार उसके पास हैं और पेमेंट करते हैं दो रुपया। उससे क्या होता है। एक आदमी का दो रुपये से पेट नहीं भर सकता। उसके परिवार में 10 आदमी होते हैं एक आदमी काम करने वाला होता है, कैसे परिवार का निर्वाह कर सकता है।

मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो रोड के काम और रिलीफ के कार्य कराये हैं, उनमें से बहुत काम अधूरे रह गये हैं। उनमें हजारों-लाखों रुपया लगा हुआ है वह बेकार गया। निवेदन करना चाहता हूं कि जो पहले काम हुए हैं उन कामों को पूरा कराने लिऐ ज्यादा से ज्यादा मजदूर वहां लगायें, उससे मजदूरों को रोजगार मिलेगा और काम भी पूरा होगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कई रोड ऐसी हैं जैसे खेलड़ी से सराड़ा होकर जो रोड जाती है, उसकी 28 तारीख को गवर्नमेंट से स्वीकृति मिल चुकी है। उसके बाद से पांच-छः रोड़ की स्वीकृति होते हुऐ भी आज तक उन पर काम शुरू नहीं हुआ। मैं अधिकारी के पास गया। उन्होंने कहा कि हम क्या करें, आप सरकार का आर्डर दिलायें, हम मजदूर लगा सकते हैं। इस प्रकार दर - दर फिरते हैं। अधिकारी के पास बेन होता है वह कुछ नहीं कर सकता। सरकार का बेन होगा तो अधिकारी भी काम को हाथ में नहीं ले सकता। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर भंयकर अकाल स्थिति है वहां सरकार का कितना भी खर्चा हो वह अकाल राहत कार्य खोले। सरकार अगर मजदूरों की तरफ ध्यान नहीं देगी तो वहां पर अशान्ति फैलेगी, उसकी जिम्मेदारी सरकार पर है।

अब मैं पेयजल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि सराड़ा का क्षेत्र पहाड़ी है। वहां पर इतना कठोर पत्थर होता है कि उसे तोड़ नहीं सकते। इसलिये हैण्ड पम्प नहीं लगा सकते। आज दो–

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

दो मील से हमारे गांव के लोग पानी लाते हैं। पानी की वहां बहुत गम्भीर समस्या है मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि पानी की ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था कीजिए। हमारे उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि जयसमंद का पानी लाओ। हम लोग जो सराड़ा में रहते हैं, क्या पानी नहीं लेंगे ? सुखाड़िया जी ने एक बड़ी योजना दी थी उसको नहीं मानोगे आप। वह पानी समुद्र में जा रहा है, हमारे यहां के जो आदिवासी हैं वह पानी पर निर्भर करते हैं। जयसमंद के पानी को आप लाना चाहते हैं वहां से और हमको बेकार करना चाहते हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने जो फैसला किया है पानी के बारे में, उससे बहुत बड़ी क्रांति हो जायेगी, इसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय दिया।

श्री सभापति : श्री भंवर लाल शर्मा।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवा महल) : सभापति महोदय, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह बड़ा ही महत्व का है। संसार में ऐसा कोई भी जीवन्त प्राणी नहीं होगा जिसको हवा और पानी की जरूरत न हो। हवा की व्यवस्था तो भगवान ने अपने हाथ में रखी है, सरकार को अभी तक नहीं दी है। अगर दे दी होती तो जनसंख्या की वृद्धि की जो समस्या है वह नहीं रहती। पानी की व्यवस्था आपके पास है उसका हाल यह है कि आपके विभाग में गुटबाजी है और भ्रष्टाचार है। उसकी चर्चा करने का मैं लाभ नहीं समझता हूं, क्योंकि कई माननीय सदस्यों ने आपका ध्यान इसकी ओर आकर्षित किया है। आप ऐसे मंत्री हैं आप को इस बात की जानकारी होगी, मैं इस बात को मानकर चलता हूं कि आपके विभाग में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है या गुटबाजी है, आप उससे ठीक प्रकार से परिचित होंगे। आप उसको कैसे ठीक करेंगे, यह यह आपका विषय है, मैं इस पर कुछ अधिक नहीं कहना चाहता। मैं केवल अपनी बात जयपुर नगर तक सीमित रखूंगा। आप जब उत्तर दें तो बतायें कि जयपुर नगर में जो स्रोत जल के रियासत के समय थे उसके बाद कितने स्रोत ऐसे उत्पन्न किये जिससे आप यहां पानी उपलब्ध करा सकेंगे ? जो पानी की आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए आपने कितने कदम उठाये और आगे आपकी क्या योजना है ? आप शायद यह बतायेंगे कि आप बनास की योजना ला रहे हैं। यह बात सुनते-सुनते कई हमारे बुजुर्ग तो ऊपर चले गये, कुछ और चले जायेंगे और आप पानी नहीं ला सकेंगे। इसलिए आप कृपा करके ऐसी व्यवस्था कीजिए कि जो पानी यहीं जयपुर के अन्दर, इस धरती के नीचे है उसे निकालिये। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जयपुर शहर में जो पुराना जयपुर है उसमें आपको स्थान-स्थान पर कुएं मिल जायेंगे।

(4.18 म. प.)

(श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, सभापति, पदासीन)

नल योजना से पहले जयपुर के लोग बहुत बड़ी मात्रा में कुओं का उपयोग करते थे और आज भी जब नल बन्द हो जाते हैं तो निश्चित रूप से कुएं लोगों की सेवा करते हैं।

(श्री भंवर लाल शर्मा)

अब दिक्कत यह है कि कुएं चलते हैं तो आप का विभाग यह जांच नहीं करता कि यदि आप कुओं में पम्प लगाते तो और पानी आता। वह सोचते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि जो पुराने कुएं हैं वह बैठ जायें। इस प्रकार की एकाध घटना हो चुकी है। इस लिए जनता आपको कुएं सुपुर्द करने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, आप कुएं लेते हैं जनता से तो आप उनको पत्र लिखकर धन्यवाद भी नहीं देते कि यह कुआं आपका है। इतनी भी कर्ट्सी आप नहीं दिखाते इसलिए जनता का सहयोग भी आपको नहीं मिलता। आप जांच भी नहीं करते हैं कि कौन-कौन कुओं से जल की पूर्ति हो सकती है। मेरे पास जानकारी है, आपके अधिकारियों को समय हो तो वह मेरा भी उपयोग लेंगे तो मैं मंत्री महोदय को कहूंगा कि मैं मदद कर सकता हूं। ऐसे कुएं हैं जिनसे जल की पूर्ति हो सकती है, अगर आप कृपा करके काम करायें।

दूसरे, जो जयपुर में लाइन पड़ी हुई है वह काफी पुरानी है, उसमें लीकेज हो गये हैं, उससे पानी बरबाद होता है और प्रेशर नहीं बनता। अगर प्रेशर नहीं बनता तो जयपुर की इस प्रकार की रचना है कि यहां मल्टी स्टोरी मकान हैं, नीचे किरायेदार हैं और ऊपर मकान मालिक, फिर तीसरी मंजिल में और कोई, किरायेदार नल खोल लेता है प्रेशर नहीं बनने से मकान मालिक को पानी नहीं मिलता। किरायेदार नल खोलकर रखता है उसको परेशान करने के लिए। दो घण्टा आप पानी देते हैं, वह चीखता चिल्लाता रहता है किरायेदार मकान खाली नहीं करेगा, मकान मालिक मकान खाली करेगा, ऐसी स्थिती पैदा कर दी है। इस स्थिति में आप प्रेशर दे सकें, ऐसा इन्तजाम कीजिए। प्रेशर आता तो है पर कब आता है? जब विधान सभा का प्रेशर होता है तब आपके पानी का प्रेशर बढ़ता है। जब विधान सभा चलती है तब यह प्रेशर रहता है और जैसे-जैसे विधान सभा का प्रेशर खतम होता है आपके पानी का प्रेशर भी खतम हो जाता है। यह समझ में नहीं आता कि क्या दिक्कत है आपकी? इस समय जयपुर शहर में कोई शिकायत नहीं है पानी की। पानी ठीक चल रहा है और प्रेशर भी आ रहा है। जैसे ही 26 तारीख को विधान सभा की बैठक स्थगित होने की घोषणा होगी वैसे ही प्रेशर भी चला जायेगा····

श्री महाराम चौधरी : यह प्रेशर गांवों में जाने दो ना। शहर के शहर में क्यों रोक रहे हो। यहां तो बहुत कादा आ गया है।

श्री भंवर लाल शर्मा : अगर जयपुर का पानी गांव में जाता है तो ले जाइये आप। कोई दिक्कत नहीं है।

तो यह हमारी समझ में नहीं आता कि जब विधान सभा चलती तब आपका प्रेशर कैसे ठीक रहता है और कोई शिकायत नहीं करता। वरना हम अधिकारियों से पूछते हैं कि पानी क्यों नहीं आया तो कहते हैं, साहब, आज बिजली नहीं आई थी रात को इसलिए पानी नहीं आया। जब विधान सभा चलती है तो बिजली भी आती रहती है और पानी भी खूब मिलता रहता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधान

(श्री भंवर लाल शर्मा)
सभा का प्रेशर है जिसके कारण से पानी आता है। यह प्रेशर आप बनाये रखिये अपने विभाग के ऊपर....

श्री रतनाराम चौधरी : विधान सभा को ही चालू रखिये।

श्री भंवर लाल शर्मा : ...प्रेशर बना कर रखिये। पानी देते रहिये लोगों को। यह प्रेशर साल भर बना रहे तो बहुत सारे लोगों की दिक्कतें दूर हो सकती हैं। आप यह बतायें कि इसका कारण क्या है, ऐसी कौनसी स्थिति बनती है कि एक एरिया में आप लगातार 15 दिन तक तो पानी ठीक देते हैं, और 15 दिन के बाद आप 7 दिन तक उस एरिया में पानी नहीं देते। यह सिस्टम हमारी समझ में नहीं आया। आप उत्तर दें तो यह समझायें कि किस कारण से तो वहां 15 दिन पानी आता है, फिर चार दिन गायब हो जाता है और फिर अधिकारियों पर दबाब देते हैं और जनता थोड़ा शोरगुल करती है तो फिर पानी का प्रेशर आ जाता है। इसका मतलब तो यह है कि आपसी झगड़े हैं वह वहां प्रकट होते हैं। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। आपके जो अधिकारी हैं उनमें से बहुत सारे एफीशियेन्ट भी हैं और तत्परता से काम भी करते हैं। उनकी तत्परता के बावजूद क्या कारण है कि यह व्यवस्था नहीं होती है और अगर होती भी है तो टेम्प्रेरी होकर फिर खतम हो जाती है? तो, माननीय मंत्री महोदय, मैं जानता हूं कि आप बड़ा लम्बा जवाब देंगे और बड़े कड़ककर जवाब देंगे लेकिन इस पानी के मामले में फिर जरा ढीले हो जायेंगे। मुझे आप कनविन्स करें कि आपको क्या दिक्कत है? कहां परेशानी है? पानी नहीं आ सकता है तो नहीं आयेगा; समझ में आ गया लेकिन तीसरी मंजिल पर दस दिन पानी चढ़ता है और 11वें दिन नहीं चढ़ता, 12वें दिन नहीं चढ़ता, आखिर इसका क्या कारण है? यह समझाइये आप। कनविन्स तो कीजिए आप इस बात से।

मेरा सुझाव एक तो यह है कि अपनी जो पाइप लाइन डाली हुई है वह बहुत पुरानी है, छोटी भी बहुत है और जितनी कैपेसिटी की पाइप लाइन चाहिए उतनी की नहीं है। इसलिये आप उसको बदलवाइये। दूसरे डिपार्टमेन्ट को चिन्ता नहीं है चाहे पानी कितना भी बहता रहे। चाहे आप कहीं भी चले जाइये। गटर टूटा हुआ और पाइप से जगह-जगह पानी बहता हुआ आपको जयपुर में मिल जायेगा। नल से बहता तो नहीं मिलेगा। नल खोलेंगे तो शूं शूं हवा निकल कर के रह जायेगी। पानी सड़क पर बहता हुआ जरूर मिल जायेगा। कई बार तो ऐसा होता है कि जब पानी निकलता है तो उसके पास किसी हलवाई की दुकान होती है वहां गन्दा पानी इकट्ठा हो जाता है। कोई मोटर आती है तो उसके दबाव से सारे छींटे उछलकर हलवाई की दुकान में चले जाते हैं वह मिठाई को पोंछ-पांछकर बैठ जाता है। फैंक थोड़े ही देगा वह; बेचारा। हम पानी के ऐसे संकट में हैं। पानी नहीं मिलने से संकट और मिलने से संकट। यह दोनों संकट हमारे सामने खड़े हैं। इसका कोई समाधान करें। आप ऐसी कोई टीम लगायें, पार्टी लगायें कि जहां भी लीकेज होता है वहां ठीक करें। अव्वल तो आपको पता ही नहीं होता लीकेज का और जनता सूचना देने जाती है कि वहां

(श्री भंवर लाल शर्मा)

पानी लीक हो रहा है तो दस-दस दिन सूचना देने के बाद भी कोई नहीं देखता है। तो आखिर क्या करें हम, यह बताइये। जनता कितना सहयोग करे आपके साथ? इसकी कुछ आप ऐसी व्यवस्था बिठायें कि जिससे यह संकट दूर हो।

दूसरे क्या है कि एक आपने डोमेस्टिक और एक कार्मशियल दो रेट लगा रखी हैं। जो घर में पानी पीयेगा उसकी रेट तो आधी है या कम है और जो दुकान पर पानी पीयेगा उससे आप 1॥ गुना या दुगना पैसा लेंगे। इसके पीछे लाजिक क्या है? हां, जिसकी दुकान ऐसी है या किसी का ऐसा व्यवसाय है कि वह पानी का उपयोग करता है, उससे डेढ़ गुनी या दुगुनी रेट लें समझ में आ सकती है लेकिन मान लीजिए कि दर्जी है तो दर्जी पानी का क्या उपयोग करेगा? आप भी कपड़े सिलवाते हैं दर्जी की दुकान पर, वह पानी का क्या उपयोग करेगा। नाई है वह सिवाय दाढ़ी के पानी लगाने के और पानी का क्या उपयोग करेगा? उससे भी आप 1॥ गुना चार्ज करते हैं। मोची है वह जूते बनाता है अब पानी का आप उससे कैसे दुगना चार्ज करते हैं? आपकी क्या व्यवस्था है समझाइये तो सही। अगर वकील ने दफ्तर खोल लिया, अगर घर में ही दफ्तर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है और अगर अलग दुकान खोल ली तो उससे आप पैसा ज्यादा चार्ज करते हैं। कोई डाक्टर है आखों का और आखों का इलाज करता है लेकिन क्योंकि वह डाक्टर है और उसने नल का कनेक्शन ले रखा है तो कभी हाथ धोता होगा साबुन से, इससे आप दुगना चार्ज करते हैं। तो इसका राज तो समझाइये या इसको करेक्ट कीजिए आप। हां, ऐसी कोई इन्डस्ट्री है जिसमें पानी का बहुत उपयोग होता है और पानी उसमें एक तरफ से रा मेटीरियल के नाते या एडिशनल मेटीरियल के नाते कन्ज्यूम किया जाता है तो समझ में आ सकता है लेकिन बेचारे नाई धोबी-धोबी के लिए तो आप कह देंगे कि वह कपड़े धोता होगा लेकिन मोची है जूते बनाता है, कोई पत्तल बनाता है या कुछ भी करता है इसने एक पैसे का सौदा बेच दिया, एक पैसे का भी इसका व्यापार हो गया तो आपकी रेट दुगुनी हो जाती है। इसको जरा देखिये।

फिर आपके बिल जमा कराने की व्यवस्था बड़ी विचित्र है। पहले तो आप अनाप-शनाप पैसा लगा ही देंगे। फिर जमा कराने कहां जायें। पूरे जयपुर में थोड़े से सैन्टर बना रखे हैं वहीं जमा होंगे। फिर आपने उसका टाइम भी तय कर रखा है। अब दफ्तर में जाने वाला कोई 8 बजे तो बिल जमा करायेगा नहीं, आप जमा करेंगे तो 10 बजे करेंगे। दफ्तर का टाइम 10 बजे और आपका बिल जमा कराने का टाइम भी 10 बजे होता है और 150-200 और 300 लोगों की लाइन लगी हुई रहती है। तो वह पैसा आपको देने के लिए तैयार है तो उसके लिए सुगमता तो कर दीजिए। पहले बैंक के द्वारा जमा करते थे। अब उसमें कहां दिक्कत हो गयी? फिर इसका अकान्ट फोर नहीं होता। फिर एरियर्स चढ़कर आते रहते हैं क्योंकि बिल दे नहीं पाते हैं। मेरा जो मकान है उसमें मेरी माताजी के नाम है पानी का कनेक्शन। मैं सुबह कचहरी जा रहा था तो दो सज्जन आये आपके वाटर वर्क्स के और कहने लगे, साहब, आपका 8 महीने का बिल बाकी है मैंने कहा कि अभी

(श्री भंवर लाल शर्मा)
अभी तो बिल जमा कराया है उसमें कहीं एरियर नहीं है। यह मेरे पास बिल जमा है। कहने लगे, नहीं साहब, यह दिसम्बर का होगा हमारा तो पहले के 3 महीने का बाकी है। मैंने पूछा, फिर क्या होगा ? कहने लगे या तो रसीद दो नहीं तो आपका कनेक्शन काटेंगे। मैंने कहा कि यकायक इस समय कहां से बिल लाकर दिखाऊं। बिल जमा कराने के लिए जयपुर में कुछ एजेन्सीज हैं जो एक बिल पर दस पैसा, 20 पैसा लेकर बिल जमा कराती हैं। पैसे हम उनको दे देते हैं अब बिल किसके पास होगा। वह कहने लगे नहीं, आपका कनेक्शन काटकर जायेंगे। मैंने कहा कि काट दो। तो वह थोड़ा झिझके। फिर मैंने अधिकारियों से बात की इस संबंध में तो मेरा कनेक्शन तो बच गया फिर पता लगा कि आपका तो बाकी नहीं है, आपके पास चले कैसे गये। मैंने कहा, इसका जवाब क्या मैं दूंगा। यह तो आप उनसे पूछे कि कैसे चले गये। तो यह स्थिति है आपके यहां। अब किसी का कनेक्शन काटने के लिए अगर कोई चला जाये और कोई व्यक्ति घर में नहीं है और महिला मिल जायें तो आप कल्पना कीजिए कि क्या होगा। तो ऐसे मामलों में जब तक उनकी भेंट पूजा नहीं होती होगी तब तक परेशान ही करते होंगे। तो ऐसी छोटी-छोटी बातें हैं जो कि बहुत तकलीफ पैदा करने वाली हैं। यह मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं।

एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं। कम से कम एक काम तो कर दो कि आप लोगों को पानी पिलायें या नहीं, जिन्दा लोगों को पानी दें या नहीं मगर मरों को तो दे दो। अपनी हिन्दू परम्परा के हिसाब से मरों को तो पानी देना ही है। राजस्थान में जितने शमशान हैं वहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। कम से कम वहां एक आध हैण्ड पम्प तो लगवा दीजिये। नहीं तो हमारे राजस्थान में ऐसे भी इलाके हैं और कई शहरों में भी ऐसे इलाके हैं जहां शमशान में आप जायेंगे तो कहीं एक किलोमीटर से और कहीं आधा किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। आपको यह जानकारी है कि जब अपने यहां मृत्यु हो जाती है और शव का दाह संस्कार करते हैं तो तीसरे दिन उसकी चिता को शान्त करते हैं लेकिन वहां पानी नहीं है····

श्री सभापति : हैण्ड पम्प लगवा दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : कुछ भी कर दें। हैण्ड पम्प भी लग सकते हैं। जो भी कर सकते हैं वह करें। अगर आप ऐसा कर देंगे तो कम से कम ऐसा तो कहा जायगा कि परसरामजी ऐसे मंत्री आये थे जो हर मसान में एक-एक हैण्ड पम्प लगवा गये और पानी की व्यवस्था कर गये····

श्री असलम खां : कब्रिस्तान में भी लगवाइये।

श्री भंवरलाल शर्मा : बिल्कुल सभी आ गये उसमें। चाहे श्मशान हो या कब्रिस्तान हो सब बराबर हैं। इसलिए कम से कम आप यह तो काम कर दीजिये जिससे लोग यह तो कहें कि जिन्दों को तो पानी नहीं दे सके मरों को तो दे दिया। जो हमारी संस्कृति में लिखा हुआ है···

श्री रतनाराम चौधरी : आपने ऐसे हैण्ड पम्प लगाये अपने काल में ?

श्री भंवरलाल शर्मा : हमने जाने क्या-क्या किया। अभी मुझे दो घण्टे बोलना पड़ेगा। उस बात की चर्चा कराओगे तो आप।

श्री सभापति : आपने ऐसे सुझाव नहीं दिये थे तब।

श्री भंवरलाल शर्मा : जो काम हमने नहीं किया वह आपसे भी नहीं हो सकता तो दुबारा मौका दो हम कर देंगे। आप हाथ ऊंचा कर दो कि हमसे नहीं हो सकता तो हम कर देंगे।

मेरा, सभापति महोदय, यही निवेदन है कि इस पर बोलने को तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन उनका कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। जयपुर शहर की समस्यायें थीं मैंने तो वह बहुत संक्षेप में रखी हैं इस भावना से कि आप नागरिकों का सहयोग लें कि कहां-कहां ऐसे कुए हैं जो पानी पैदा कर सकते हैं। यह सब कुछ हो सकता है तो निश्चित रूप से आपकी समस्या, जल समस्या जयपुर की कम से कम हल होगी। जयपुर में आप बिराजते हैं, जयपुर का पानी पीते हैं, गांव का तो पीते नहीं हैं। तो जयपुर को पानी ठीक से मिले यह भी आपकी जिम्मेदारी है। आप भी one of the consumers हैं जयपुर शहर के क्योंकि आप यहां विराज रहे हैं। आपको तो ऐसा सशक्त मंत्री माना जाता है कि आप चाहें जो कर सकते हैं। अगली बार फेर बदल नहीं हो और हमको यह चर्चा नहीं करनी पड़े। यह बात निवेदन करता हूं। आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : मेघराज तावड़।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : सभापति महोदय, आज एक महत्वपूर्ण मांग पर विचार किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, मैं सदन का समय बरबाद नहीं करना चाहता भ्रष्टाचार की बात कहकर···

श्री सभापति : विषय पर आयें।

श्री मेघराज तावड़ : विषय पर ही आ रहा हूं, सभापति महोदय, यहां तो कुए में भांग घुली हुई है जो भी पीते हैं वह सब पागल हो जाते हैं···

एक माननीय सदस्य : आप तो नहीं हुए ?

श्री मेघराज तावड़ : मैं तो नदी का पानी पीता हूं। बहती हुई नदी का पानी पीता हूं।

सभापति महोदय, इस विषय पर ना जाकर इतना ही कहूंगा, हैण्ड पम्प के मामले में जो भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ है वह गत सत्र में जबरदस्त, जोरदार शब्दों में उठाया जा चुका है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सक्षम हैं आपने विभाग में सुधार लाने की कुछ कोशिश भी की है फिर भी माननीय मंत्रीजी, आपकी पकड़ इतनी स्ट्रिक्ट होने के बावजूद आपके विभाग की पकड़ मछली की तरह से छूटती जा रही है। सभापति महोदय, मैं केवल एक नीति का प्रश्न बताना चाहता हूं। आपने जो ठेके के काम दिये थे वह बन्द कर दिये, हाई कोर्ट का फैसला हुआ उसके अनुसार बन्द करवा दिये लेकिन अभी आपकी जानकारी में है कि नहीं कि बड़े-बड़े लोग हैं, इस सदन में मंत्री भी हैं और और लोग भी हैं उनकी फर्में काम कर रही

(श्री मेघराज तावड़)

हैं। मैं उदाहरण के तौर कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, एक बोरिंग मशीन श्री महेश भारद्वाज से सम्बन्धित है जिसका संबंध मुख्य मन्त्री जी के साले देशबन्धु वर्मा से है। वह सवाई माधोपुर जिले में इसी रेट पर काम कर रही है। सभापति महोदय, दो मशीनें रहीम रोलिंग कम्पनी भीलवाड़ा की हैं जिसका सम्बन्ध मुख्य मन्त्री के सलाहकार जिला प्रमुख श्री हबीब मोहम्मद से है। वह जिला चितौड़गढ़ और सवाई माधोपुर जिलों में कार्य कर रही हैं। तीसरी मशीन, सभापति महोदय, जयश्री बोरिंग कम्पनी की है जिसका सम्बन्ध कृषि मन्त्री श्री देवेन्द्रसिंह जी से है। वह सवाई माधोपुर जिले में कार्यरत है। छठी मशीन है पशुपति ड्रिलिंग की है जिसका सम्बन्ध अधिशासी अभियन्ता पी. एच. ई. डी. चितौड़गढ़ से है। वह भी सवाई माधोपुर जिले में कार्य कर रही है। इसके अलावा साउथ की बहुत सारी कम्पनियां हैं उनकी इसी रेट पर काम कर रही हैं। सभापति महोदय, मैं बहुत ज्यादा इसमें जाना नहीं चाहता। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार अपने विभाग से काम क्यों नहीं काम कराना चाहती ? क्यों सरकार के खजाने को खाली करते जा रहे हैं केवल प्राइवेट पार्टियों को देकर ? इसके बाद क्या उचित है कि मिनिस्टरों और बड़े-बड़े लोगों से सम्बन्धित पार्टियों से आज कोर्ट के आदेश के खिलाफ, स्टे के खिलाफ किसके आदेश से यह काम करा रहे हैं। क्या मंत्रीजी को मालूम नहीं है ? सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं इतना बड़ा जो घोटाला हुआ उस घोटाले के के अन्दर श्री नागर को सस्पेण्ड किया। मैं कहना चाहता हूं कि यह क्या हालत है, मंत्री जी ? मैं आपको सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं श्री नागर का निलम्बन होने के बाद भी वह डिपार्टमेंट में जायेंगे। इनको आप वहां से अगर नहीं हटायेंगे या दूसरी जगह से नहीं हटायेंगे; वह वहां रहेंगे तो फाइलें धीरे-धीरे उनका जो पी. ए. है किशन उसके माध्यम से गायब हो रही हैं। और होंगी, यह मैं निश्चित रूप से कहता हूं। इस पर रोक लगाइये। यही नहीं मैं आपको सूचित करना चाहता हूं, सभापति महोदय, इस विभाग में जो इन्जीनियर हैं, अन्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के जो इन्जीनियर हैं मैकेनिकल इन्जीनियर हैं वह बेकार बैठे हुए हैं उनसे काम नहीं लिया जा रहा है, इनसे आप काम नहीं करवा रहे हैं। आप के पास अगर मशीन नहीं है तो आप पड़ोसी राज्यों से मंगाइये, किराये पर मंगाइये, सरकार से किराये पर लीजिये कोई बात नहीं लेकिन प्राइवेट कान्ट्रेक्टर से बन्द कराइये। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से अर्ज करना चाहता हूं मैं तो भरोसा करके चलता हूं, कम से कम राजस्थान की कैबिनेट में माननीय मदेरणा साहब पर इतना तो भरोसा करता हूं कि जब भी कोई डिपार्टमेंट इनके हाथ में आता है, कोई गलती होती है उसका एक्शन लिये बिना नहीं रहेंगे। लेकिन मैं समझता हूं अभी जो हो रहा है अधिकारियों के द्वारा मिस गाइड किया जा रहा है। इसलिये मैं चाहता हूं मंत्रीजी इस ओर ध्यान दें। यही नहीं, सभापति महोदय, नागर कितने लम्बे समय से बैठा हुआ है ? चार जून को उसका ट्रांसफर किया, क्या कारण है एच आर. मेहता चीफ मिनिस्टर से कहलवा कर उनका ट्रांसफर कैन्सल करवाया ? मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि नागर को नहीं हटाने

(श्री मेघराज तावड़)
का क्या कारण है ? मंत्री महोदय आपके पास जानकारी है कितने लोगों के प्रमोशन हुए हैं ? राधेश्याम शर्मा का प्रमोशन हुआ है, क्या आपकी जानकारी में है ? क्या चीफ सैक्रेटरी से इसकी सलाह ली गई थी। एडीशनल चीफ सैक्रेटरी से सलाह ली गई थी, आप किसी को पूछते नहीं हैं और इस कारण से केस हाई कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं। यह बड़े शर्म की बात है। चाहे एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर की पोस्ट हो, चाहे असिस्टेंट इन्जीनियर की पोस्ट हो, आपने कभी डी.पी.सी. नहीं बैठाई। डी.पी.सी. नहीं बैठाई इस कारण से सीनियर और योग्य व्यक्ति का हक मारा गया है। हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल में उनके केसेज हैं। आज सरकार का पैसा इस तरह से बरबाद हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय, मैं कहना चाहता हूं जो व्यक्ति बैठे हैं उनमें से किन-किन को बाई पास किया गया है, इसकी जांच कराई जाय। आप जांच करें तो आपको मालूम पड़ जायेगा कि किन लोगों को बाई पास करके सीनियर लोगों, जो योग्य लोग हैं, को छोड़कर कैसे प्रमोशन हो गया ? क्या सरकार को मालूम नहीं ? मैं कहना चाहता हूं, मंत्री महोदय, आप इसकी जांच करें और जिनके गलत प्रमोशन किये हैं उनको रिवर्ट करें और ऐसे अधिकारी, जिन्होंने यह फाइलें निकाली हैं और जिन उच्च अधिकारी की नालेज में हैं, के खिलाफ कार्यवाही की जाय ताकि यह घोटाला हुआ है वह वापस न हो। यही नहीं, सभापति महोदय, जो पी. ए. है अगर उसको नहीं हटाया गया तो किशन पी.ए. द्वारा, मैं कहना चाहता हूं, कई महत्वपूर्ण फाइलें गायब हो गई हैं। आज भी सभापति महोदय, घोटाले की बात मैं कहना चाहता हूं जैसा मैंने पहले कहा कुएं में ही भांग घुली हुई है। सारा कोर्ट का डिसीजन, कहां कौन पार्टी है, मेरे पास है। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि 79-80 में जितना दिया सरकार की तरफ से, 83-84 में जो दिया है, 12,600 बोरी और प्राइवेट ठेकेदार को 17,400 और वह भी हाई रेट पर। सभापति महोदय, आज आपके देवेन्द्रसिंह से सम्बन्धित ड्रिलिंग मशीन है 4 इंच की ड्रिलिंग है, पैसा 6 इंच के नाम से लिया जा रहा है। जब 4 इंच ड्रिलिंग होती है तो 6 इंच का कैसे चार्ज किया जाता है ? आप जांच करा लीजिये। सभापति महोदय, मैं ज्यादा इस पर ज्यादा न कह कर केवल मंत्री जी से नीति की बात कहता हूं ठेकेदारी की प्रथा बन्द करिये।

श्री देवेन्द्रसिंह (राज्य मंत्री, कृषि) : सभापति महोदय, कौन सी मशीन की बात कर रहे हैं, थोड़ा स्पष्ट कर दें।

श्री मेघराज तावड़ : वह तो सब आपको मालूम है। आप चाहेंगे तो मेरे पास है, मैं देने को तैयार हूं। मेरे पास सब है। हाउस में रखने के लिए तैयार हूं, रख दूंगा हाउस में...

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्रसिंह : आप रख दीजिये।

श्री मेघराज तावड़ : मैं कह रहा हूं। अगर आप चाहते हैं तो मेरे पास फाइल है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : मैं दावे के साथ कहता हूं आपका सम्पर्क किससे है ? आपको

(श्री मेघराज तावड़)
मिनिस्टर बने कितने साल हो गये ? मशीन कहां से आ गई ? कहीं से लोन लिया। ये सारी बातें हैं। मंत्री महोदय, बिराजें आप...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य...

श्री मेघराज तावड़ : यह आयेगा हाउस के सामने। जब लोक आयुक्त को सौंप दिया जायेगा तब यह सामने आ जायेगा. .

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपके पास कोई स्पैसेफिक चार्जेज हैं...

श्री मेघराज तावड़ : मेरे पास जो हैं मैं रखने के लिए तैयार हूं। अगर आप चाहें तो जो इससे सम्बन्धित हैं आप उनकी जांच करा लीजिये...

श्री देवेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, आप इसको रखवा दीजिये, मैं एक्सप्लेनेशन, दे दूं, देखकर।

श्री सभापति : आपके पास जो सूचनाएं हैं उसको सदन में प्रस्तुत कर दें।

श्री मेघराज तावड़ : मैं पूरी फाइल ही सदन के सामने रख दूंगा।

सभापति महोदय, इसके साथ अब मैं अकाल के बारे में बात कहना चाहता हूं। हमारा उदयपुर जिला पहाड़ी इलाका है। सरकार की नीति रही है कि चाहे अकाल की स्थिति हो, चाहे बाढ़ की स्थिति हो, आज सरकार के पास साधन हैं लेकिन इनका सदुपयोग नहीं करती है। सुनियोजित नीति नहीं होने की वजह से आज प्राकृतिक आपदाओं का सामना नहीं कर पा रही है। सभापति महोदय, वही बात हुई कि एक तरफ तो पानी बेकार जा रहा है और दूसरी तरफ लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। पानी को बान्धने के लिए सरकार के पास कोई नीति नहीं है। दूसरी तरफ इंजीनियर, ओवरसियर बेकार फिरते हैं। यह तो वही बात हुई, सभापति महोदय एक तरफ डाक्टर बेकार बैठा है जो मरीज से मिलना चाहता है और दूसरी तरफ मरीज तड़फ रहा है और डाक्टर से मिलना चाहता है लेकिन सरकार की नीति नहीं है कि डाक्टर और मरीज दोनों को मिला दें। नीति नहीं है, न इनके पास योजना है, इस कारण प्राकृतिक आपदाओं से हर साल देश की जनता को नुकसान उठाना पड़ता है, तबाह होना पड़ता है।

सभापति महोदय, आज अकाल राहत मंत्रीजी विराजे हुए हैं। आज मजदूरों को पैसा दिया जा रहा है लेकिन पहली बात तो यह है पूरी तरह काम खुले नहीं हैं और जितने काम खुले हैं वे ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हैं। सभापति महोदय, आप पता लगा लें कितने लोग ऐसे हैं उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो गांव छोड़कर नौकरी दूसरी जगह तलाश करने जा रहे हैं ? आज मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, रिलीफ का जो काम करवाने जाते हैं उसमें आप टास्क बेसिस पर काम करवाते हैं। यह कौन सा आपका तरीका है। मैं तो कहता हूं, शर्म नहीं आई सरकार को, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि फेमिन कोड के हिसाब से मजदूरी नहीं दी जाय, राजस्थान सरकार का जो मिनिमम वेजेज एक्ट है, उसके अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाय।

(श्री मेघराज तावड़)

सभापति महोदय, आपको ताज्जुब होगा कि टास्क बेसिस पर काम कराते हैं लेकिन न तो आपका ओवरसियर टाइम पर पहुंचता है, न आपका इंजीनियर टाइम पर पहुंचता है, न और कोई पहुंचता है। अपने घर पर बैठे बैठे ही मेजरमेंट कर दिया जाता है और मजदूरी का एक रुपया, डेढ़ रुपया दे दिया जाता है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं आज 1) रु., 1।) रु., दो रुपये में होता क्या है? तीन रुपये किलो तो गेहूं मिलता है, पांच रुपये किलो घासलेट मिलता है और तेल का क्या भाव है, मिर्ची का क्या भाव है। आज तक लोगों को मजदूरी पर नहीं लगाया जा रहा है और न पूरी मजदूरी ही दे रहे हैं। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं क्या कोई एक दो रुपये में अपने परिवार के चार-पांच सदस्यों को पाल सकता है। मंत्री महोदय, जब सुबह उठते हैं तो कितने रुपये का नाश्ता करते हैं, उस नाश्ते में कितना खर्च होता है। फिर उसके बाद खाने में प्रोटीन चाहिये, सभी तरह के विटामिन चाहिये। लेकिन, सभापति महोदय, गरीब आदमी को समय पर पानी नहीं मिलता, समय पर खाना नहीं मिलता, यह सरकार पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर सकती है। यही नहीं, सभापति महोदय, आज हमारे इलाके में टी. बी. के मरीज हैं उनके पास खाने को नहीं है, दवा की कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरह के गरीब आदमी मरने लगे हैं, उनकी हालत खराब हो रही है, उनके शरीर में खून नहीं है इस कारण उन्हें तरह-तरह की बीमारियां लगी हुई हैं।

सभापति महोदय, ज्यादा वक्त न लेकर एक बात और कहना चाहता हूं। यह जो आपका फेमिन कोड है, इसको वापस लिया जाय, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है, उसको लागू किया जाय। मैं जानता हूं मंत्री महोदय उदयपुर से पधारते हैं, वे आदिवासी इलाके के हैं और आदिवासियों से पूरी तरह परिचित हैं, उनकी आदिवासियों से हमदर्दी भी है लेकिन मैं चाहूंगा पूरे राजस्थान की जो गरीब जनता है जो रिलीफ वर्क्स में काम करने जाती है उसको पूरा पैसा दिया जाय, मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत उसको पैसा दिया जाय। जो अभी तक काम शुरू किये हैं वे नहीं के बराबर हैं–ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। कहीं ऐसा न हो कि काम के अभाव में लोग गांव छोड़-छोड़ कर चले जायं। इसलिये मेरा निवेदन है कि काम भी ज्यादा खोलिये। सभापति महोदय, इसके साथ-साथ जो सड़कें आप ले रहे हैं और जो भी काम ले रहे हैं, मैं चाहूंगा जितने काम लें उनको पूरा करवायें ताकि राजस्थान सरकार का पैसा बेकार नहीं जाय। कहीं एक लाख का काम करवा दिया और रिलीफ वर्क खतम हो गया, ऐसा न करें, उसको पूरा करवायें। नहीं, तो जो सड़कें बनाई हैं वे भी बह जायेंगी, आपका डेढ़ दो लाख खर्च हो गया और उसका उपयोग भी नहीं होगा। तो सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं जो भी काम किया जाय, वह पक्का किया जाय, ज्यादा से ज्यादा काम खोले जायं और मजदूरों को पूरा पैसा दिया जाय।

इसके साथ मैं मंत्री महोदय को एक बात कहना भूल गया, वह भी निवेदन कर देना चाहता हूं। सभापति महोदय, मेरे इलाके में कड़दा में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की जा रही है। कड़दा मेरा गांव है, वह ऊंचाई पर है वहां पीने का पानी नहीं है।

(श्री मेघराज तावड़)

मैंने बार-बार सरकार को लिखा है। 7 हैण्ड पम्प मंजूर किये गये जिसमें से तीन में पानी आया है। आस पास पानी नहीं होने की वजह से 6 औरतें मर गईं। कुओं पर पानी लेने गई थीं। सभापति महोदय, वह पानी में डूबकर नहीं मरीं, किसी का सिर फूटा, किसी का क्या फूटा। ऐसे 6 औरतें मर गईं। उस इलाके में पानी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कोटड़ा, गोगुन्दा में 7 पाइन्ट लगाये गये हैं जिसमें 80 प्रतिशत पाइन्ट आज भी बेकार पड़े हैं, आज भी उनमें पानी नहीं है। कड़दा ऐसा गांव है जिसमें मिडिल स्कूल है, आबादी भी ज्यादा है वहां आप नल योजना शुरू करें, सार्वजनिक कुए बनवायें और कुए सर्वे करा कर बनाये जायं। मैं कहना चाहता हूं आज जो हैण्ड पम्प लगाये जा रहे हैं उनमें पानी नहीं आ रहा है। उसके फैल होने के कारण हैं। आपके पास जियोलोजिकल सर्वे का डिपार्टमेंट हैं जो इस काम में एक्सपर्ट है। उसको उन कामों में लगाइये ताकि साइन्स से पता लग सके। अगर जियोलोजिकल सर्वे द्वारा आपको जमीन बताने के बाद भी पानी उसमें नहीं आता है तो हम यह मानेंगे कि साइन्स फेल हो गई···

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री मेघराज तावड़ : एक मिनिट में समाप्त करता हूं, सभापति महोदय।

तो, मैं कहना चाहता हूं कि जियोलोजिकल विभाग से सर्वे करा कर उसके बाद ही बोरिंग करवायें ताकि आपका पैसा बेकार नहीं जाय। सभापति महोदय, कड़दा गांव है उसमें हैण्ड पम्प और लगाये जायं ताकि वहां की जनता को पीने का पानी मिल सके। यही नहीं साहिरा जो गांव है उसमें कुल दो कुएं हैं उसमें एक घन्टे पानी नहीं चलता है। एक घन्टा जो पानी चलता है वह भी पूरे गांव में नहीं पहुंच पाता है। इस कारण उस कुएं को गहरा करा कर पूरा किया जाय। सभापति महोदय, यही नहीं कलेक्टर के पास जन प्रतिनिधियों की कोई कदर नहीं। उनके पास जन प्रतिनिधि जाते हैं वे उनकी बात की कोई परवाह ही नहीं करते हैं। जन प्रतिनिधि के नाते मैं वहां बोरिंग करवाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठा। आपको टेलीग्राम दिया, चीफ मिनिस्टर को टेलीग्राम दिया, राज्यपाल महोदय को दिया लेकिन मेरे पास कोई इन्फार्मेशन नहीं आई। मजबूर होकर मुझे भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा तब जाकर वे गाड़ियां बोरिंग के लिए गईं, उसके पहले नहीं। कलेक्टर ने यह तक नहीं पूछा, आप क्यों बैठे हो। कलेक्टर ने बाद में कहा जन प्रतिनिधि भूख हड़ताल पर बैठे। तो पूछना चाहता हूं कलेक्टर बड़ा है या जन प्रतिनिधि बड़ा है, कौन बड़ा है? कलेक्टर सरकार के खजाने से पैसा लेता है···

श्री सभापति : समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : एक बात और कहना चाहता हूं उस इलाके की, सभापति महोदय, साहिरा के पास एक गनावल करके गांव है जिसमें पीने के पानी की किल्लत है। न तो अभी तक हैण्ड पम्प लगाये न दूसरी कोई नल योजना है। मेरे इलाके में जो नल योजना के तीन-चार गांव हैं वे हैं सेमल, कड़दा, पगराडा और दोय कमोय। दोय कमोय की योजना तो राज्य सरकार के पास पहले ही पड़ी है उसको शीघ्र लागू करवाया जाय

(श्री मेघराज तावड़)
और वहां की जनता को राहत दिलवाई जाय। यही कह कर मैं समाप्त कर रहा हूं। आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत।

श्री देवेन्द्र सिंह : ग्रान ए पाइन्ट ग्राफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन। माननीय सदस्य से मैंने प्रार्थना की थी कि जो कागज रेफर किये हैं, वह सदन की मेज पर रखें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : वह तो इनकी इच्छा है कि रखें या नहीं।

श्री देवेन्द्र सिंह : ग्रापने यह व्यवस्था दी थी कि यह समाप्त करेंगे, उसके बाद मेज पर रखेंगे, इन कागजों को····

श्री सभापति : रख देंगे, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, जो मेरे पास कागज ग्राये हैं, वैसे तो दूसरे हैं, पोल तो भले ही सारी खोलूंगा। जो मामला मेरे सामने ग्राया है, ट्यूबवैल के कुछ केसेज....

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : घोटाले किये उसके बावजूद भी ग्रभी··

श्री सभापति : नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।

श्री मेघराज तावड़ : नहीं कर रहा हूं मैं, सभापति महोदय।

श्री सभापति : ग्रापने यह कहा था कि भाषण देने के बाद में रख दूंगा। मैंने ग्रापको····

श्री मेघराज तावड़ : यह मेरे पास कागज है ग्रौर में रख देता हूं।

श्री देवेन्द्र सिंह : ग्रापने जो रेफर किये हैं कागज उन पर माननीय सभापति महोदय ने व्यवस्था दी है...

श्री मेघराज तावड़ : मैं, माननीय सभापति महोदय, टेबिल पर रख देता हूं।

श्री देवेन्द्र सिंह : वह रख दें ग्राप।

श्री सभापति : ग्राप एक्सप्लेनेशन बाद में दे दीजिये।

श्री देवेन्द्र सिंह : ग्रच्छा।

श्री सभापति : श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत।

(ग्रनुपस्थित)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय सदस्य, कृपया समय का ध्यान रखिये।

एक माननीय सदस्य : ग्राप हमेशा इनको पहले ही कह देते हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मंत्री, संसदीय कार्य) : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि सदन का समय 8 बजे तक बढ़ा

(श्री खेतसिंह राठोड़)

दिया जाय। 7 बजे तक माननीय सदस्य बोल लें उसके बाद रिप्लाई शुरू करा दीजिये।

श्री भरूं सिंह गुर्जर : आप 6 बजे तक बढ़ा दें।

श्री सभापति : नहीं, कार्य सूची बहुत लम्बी है।

श्री खेतसिंह राठोड़ : आप दो घण्टे बोल लीजिये।

(व्यवधान)

एक घण्टे में रिप्लाई हो जायेगा।

आपकी बहुत कृपा है। 6 बजे तक माननीय सदस्य बोल लें और 6 से 7 बजे तक रिप्लाई का समय रख दीजिये।

श्री सभापति: बाद में देख लीजिएगा। सदन की अनुमति से सदन का समय 7 बजे तक के लिये बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 34 व 27 पर विचार

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़): आदरणीय सभापति महोदय, प्राकृतिक आपदाओं से लोगों को राहत पहुंचाने का जहां तक ताल्लुक है, उसको हमने बहुत सीमित दायरे में ले रखा है। मैं चाहता हूं कि सरकार को दायरा बढ़ाना चाहिये क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं में न केवल बाढ़ है, न केवल अनावृष्टि है बल्कि ओलावृष्टि भी है, सर्दी से फसलें बर्बाद होती हैं, पाला आदि से वह भी प्राकृतिक आपदाओं में आता है, टिड्डी आदि से जो फसलें नष्ट होती हैं, अनायास ही प्राकृतिक कारणों से जो बीमारियां होती हैं फसलों को, वह भी प्राकृतिक आपदा में ही आता है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि दूसरे प्रकार की जो प्राकृतिक आपदायें खास तौर से कृषि पर आती हैं, उनसे प्रभावित लोगों को भी हमको राहत कार्यों में शामिल करना चाहिए। इस प्रकार से यदि किसी की फसल को नुकसान होता है तो उसको हमको राहत पहुंचानी चाहिए।

जहां तक अकाल राहत कार्यों के ऊपर पैसे लगने का सवाल है, इसके बारे में मेरा यह निवेदन यह है कि राजस्थान सरकार के साधन बहुत सीमित हैं। ऐसी स्थिति में हमेशा पड़ने वाले अकाल का मुकाबला करना, हमारे वित्तीय साधनों के कारण सम्भव नहीं रहता। हमेशा इस बात की शिकायत रहती है कि राजस्थान में अकाल राहत कार्य ढंग से नहीं चलाये जा रहे हैं, पर्याप्त नहीं चलाये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि यह अकाल राहत कार्य प्राकृतिक आपदाओं से राहत पहुंचाने का जो कार्य है..

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, मैंने सदन की टेबिल पर कागज रखा था वह माननीय मन्त्री महोदय ले गये। एक मिनट। मैंने सदन के टेबल पर कागज रखा था; माननीय मन्त्री महोदय ने ले लिया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, वह सदन की सम्पत्ति है। आपको सदन पर विश्वास रखना चाहिये, वह यहीं रहेगा, कहीं नहीं जायेगा।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था····

श्री मेघराज तावड़ : वह एक्सप्लेनेशन देंगे। उन पर आरोप स्पष्ट नहीं थे, वह लग गये।

एक माननीय सदस्य : आपको आसन से अनुमति ले लेनी चाहिये।

श्री सभापति : हां, अनुमति है, मौन सहमति है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आप किस-किस बात पर मौन सहमति देते रहेंगे।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : प्राकृतिक आपदाओं से जो राहत पहुंचाने का बहुत बड़ा कार्य है उसमें खास तौर से अकाल का कार्य आता है। इसको हमको राष्ट्रीय जिम्मेदारी घोषित करवाना चाहिये। हर प्रकार भेदभाव और राजनैतिक भेदभाव को छोड़कर हमको मजबूती से इस बात के लिए केन्द्र सरकार को कहना चाहिये कि यह काम राजस्थान के सीमित वित्तीय साधनों में सम्भव नहीं है। इसलिये अकाल से राहत में जो कुछ भी पैसा लगता है, उसकी सुविधा हमको राष्ट्रीय योजना के तहत मिलनी चाहिये।

जहां तक अकाल राहत के कार्य शुरू किये हैं, उनके सम्बन्ध में एक तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिये। जिस क्षेत्र को आप अकालग्रस्त घोषित करते हैं, उसमें निश्चित परिधि में और निश्चित जनसंख्या के आधार पर आपको कार्य शुरू करना चाहिये। कार्य शुरू करते समय यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां आप काम शुरू करते हैं अकाल पीड़ित लोगों को कितने मील जाकर काम करना पड़ेगा। कहीं यह तो नहीं कि आसपास 20 किलोमीटर तक काम नहीं है। यदि इस प्रकार की स्थिति हुई तो मजबूर आदमी वहां पहुंच नहीं सकेगा और पीड़ितों को लाभ नहीं मिल सकेगा। इसलिए यह जरूरी है कि हम कुछ ऐसा तय कर दें कि इतने किलोमीटर के भीतर अकाल राहत कार्य खोले जायं। जैसे पश्चिमी राजस्थान में लम्बी दूरी है। पूर्वी राजस्थान में माइलेज के हिसाब से तो दूरी कम है लेकिन वहां आबादी बहुत अधिक है, थोड़ी दूर में अधिक आबादी प्रभावित होती है। इस तरह से हमको कुछ सिद्धान्त तय करने पड़ेंगे कि इतनी आबादी के हिसाब से एक राहत कार्य, इतनी लम्बी दूरी के हिसाब से एक कार्य हो। जब तक यह तय नहीं करेंगे तब तक शिकायतें बरकरार रहेंगी। एक तरफ तो बहुत अधिक काम खुल जायेंगे और दूसरी तरफ काम कम रहेंगे और लोगों को पूरी राहत हम नहीं दे पायेंगे। जहां तक जयपुर जिले का प्रश्न है, जयपुर जिले में बहुत बड़ी आबादी लगातार तीन साल से अकालग्रस्त है। मेरा निवेदन है कि गये साल बहुत कम यानि आखिरी टाइम पर जून के आस पास काम शुरू किये गये और जुलाई में बन्द कर दिये गये। एक प्रकार से यह बड़ा भारी जयपुर जिले के साथ अन्याय हुआ। माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन यह है कि अभी आपने काम जल्दी शुरू किये, इसके लिये तो आपको धन्यवाद परन्तु आप अपने हिसाब से देखिये कि राजस्थान के अन्य जिलों के हिसाब से आपने जयपुर जिले में कितने काम शुरू करवाये हैं। मैं आशा करता हूं कि आप जल्दी ही स्वयं दिलचस्पी लेकर जयपुर जिले की विभिन्न तहसीलों में अकाल राहत कार्य में कमी चली आ रही है, उसको अवश्य पूरा करेंगे।

मैं अकाल राहत कार्यों का कुछ विश्लेषण करना चाहूंगा, वैसे तो आपकी प्रायोरिटी बनी हुई है फिर भी हमको अलग-अलग

(श्री भैरूं लाल भारद्वाज)

जिलों के हिसाब से अकाल राहत कार्य तय करने पड़ेंगे। जैसे जयपुर जिले के हिसाब से आपको सिंचाई के छोटे कार्य, जिनको एनिकट और बांध कहते हैं, भू-संरक्षण के कार्य, जिनसे भूमि कटाव रुकता है और जिनसे गांवों में पानी भी बढ़ सकता है, को प्राथमिकता देनी चाहिये। गये साल बाढ़ के अन्दर जयपुर जिले के हजारों ग्रामीणों ने तालाब और छोटे बांध पंचायत समिति के सहयोग से और श्रमदान से बनाये थे, वह सारे टूट गये हैं। छोटे बांधों और तालाबों में बिल्कुल सुधार नहीं किया गया है, इर्रीगेशन के अन्दर जो बांध बड़े आते थे, केवल उन्हीं में से कुछ को सुधारा गया है। मेरा निवेदन है कि बाढ़ से टूटे हुए जो नाले और ग्रामीण तालाब हैं उनकी लिस्ट है कलेक्टर के पास, जो पहले से टूटे हुए हैं, नाले, बांध और तालाब की, उन सबको ही स्वीकार कर देना चाहिए ताकि जो टूटे हुए छोटे-छोटे एनिकट वगैरह हैं, वह बनाये जा सकें। मैं नये एनिकटों के निर्माण के बारे में भी यह निवेदन करूंगा कि गये साल बी.सी. रेश्यो का मामला हटा दिया गया था, माननीय मंत्री महोदय, वह बी.सी. रेश्यो इस साल भी सामने आ गया है। अकाल राहत में बी.सी. रेश्यो, जो गये साल हटाया था, को आप इसको फिर हटाइये। इसके बिना एनिकट नहीं बन सकते एनिकट के अलावा बी.सी. रेश्यो है वह 60:40 के बजाय मेरा निवेदन है कि आपको 50:50 करना चाहिए। यदि आप बहुमत और अल्पमत भी करना चाहें तो 51:49 करना चाहिए। बाकी 60:40 रेश्यो है, वह अन्य किसी दूसरे कार्यों में उपयोगी नहीं है। उससे नुकसान यह होता है कि रुपया लगने के बाद भी ठोस कार्य अधूरे रह जाते हैं और वह रुपया काम नहीं आता। इसलिए बी.सी. रेश्यो को आपको बदलना पड़ेगा। मेरा तो सुझाव है कि 50-50 जनरल कामों में हो, एनिकटों पर कोई पाबन्दी नहीं हो, बी.सी. रेश्यो की। यह आपको करना चाहिए। जहां तक बाढ़ से टूटे हुए कोई सार्वजनिक स्कूल, भवन, औषधालय भवन, पंचायत घर भी हैं, वह पक्के काम गांव वाले बना नहीं सकते इसको भी हमको प्रायोरिटी पर अकाल राहत में करना चाहिए ताकि वह पक्के काम हो सकें। उनमें बी.सी. रेश्यो के हिसाब से आपको पाबन्दी नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि इतने छोटे-छोटे पक्के इमारती काम हैं उन पर इस रेश्यो से काम नहीं चल सकते। उनका भी हमको प्रायोरिटी में लेकर पुर्ननिर्माण करना चाहिए। जहां तक सड़कों का सवाल है, इसमें एप्रोच रोड को लेना बहुत जरूरी है। हमने सिद्धान्ततः यह तय भी किया है कि हम ग्राम पंचायतों के हैड क्वार्टर को सड़कों से जोड़ेगे अकाल राहत के तहत। हमको इस बात को ध्यान मे रखना चाहिए कि हम अधिक से अधिक पंचायतों को सड़कों से जोड़ सकें। जयपुर जिला राजधानी जिला होते हुए भी यहां से बड़े-बड़े....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

नेशनल हाई वे जाते हैं, उनके आसपास गांवों में आप जाकर देखिए। माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं मंत्रीजी को निमंत्रण देता हूं, वैसे तो वह जयपुर जिले के ही जन्मे हुए हैं इसलिए वे जानते हैं कि जयपुर जिले की क्या स्थिति है। पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर जिले में जाकर देखें कि रोड की क्या हालत है। गांवों में बिल्कुल

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

अप्रोच रोड नहीं है। योजना तो यह थी कि बड़े बड़े कस्बें, पंचायत हैड क्वार्टर सड़कों से जोड़े जायेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए जो अकाल राहत कार्य हैं उनमें इन अप्रोच रोड़ के लिए खास तौर से काम शुरू करना चाहिए।

जहां तक वृक्षारोपण का सवाल है हमको वृक्षारोपण के कार्यों को अकाल राहत में प्रायोरिटी देनी चाहिए। यह केवल मात्र काफी नहीं है कि पहाड़ों के ऊपर आप केवल कंटूर बंडिंग करवा दें या आप पत्थरों की दीवार खिचवा दें। बल्कि आपको पहाड़ों के ऊपर पेड़ लगाने के लिए खड्डे खुदवाने चाहिए और पहाड़ों के ऊपर भी पत्थर तुड़वा कर पेड़ लगाने, ऐसे पेड़ जो बारह मासी पेड़ हैं लगवाने चाहिए पहाड़ी इलाकों में पेड़ लगते हैं वे ऐसे लगते हैं कि जो बरसात में तो हरे होते हैं बाद में शुष्क प्राय: हो जाते हैं। मेरा निवेदन है कि अकाल राहत के तहत ऐसे पेड़ लगाने की योजना हमको चलानी चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : एक मिनट साहब।

जहां तक पेयजल का सवाल है उसके बारे में मेरा निवेदन यह है कि जिन गावों में ढाई ढाई हजार रुपये दस-दस साल से जमा हैं, जयपुर जिले में दुर्भाग्य से ऐसे गांवों का भी नम्बर नहीं आया है। पूरे जिले में ऐसे हर तहसील के अन्दर बहुत सारे गांव हैं जिन्होंने अपने हिस्से का पैसा जमा करा रखा है किन्तु उनका आज तक नम्बर नहीं आया है, उनको प्रायोरिटी में पेयजल उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

बड़ी टंकियों की पहले योजना बड़े कस्बों में चलती थी। गये साल से इस योजना को बदल कर यह छोटी योजना चालू की है. यह पूर्वी राजस्थान के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। यह पश्चिमी राजस्थान के लिए तो उपयुक्त हो सकती है कि एक जगह कुआ बना कर एक टंकी बना दे और लोग दूर से आकर पानी ले जावें। जो बीस मील से पानी लाते थे वह एक-एक, दो-दो मील से आकर ले जायं इसलिए उनको तो यह आकर्षक लग सकता है परन्तु जयपुर जिले के लिए और पूर्वी राजस्थान के अन्य जिलों के लिए यह कतई उपयुक्त नहीं है। इसके लिए वही टंकियों की पुरानी योजना चाहिए। किसी बड़े कस्बे में आप बड़ी टंकी लगाइये और पूरे मोहल्ले में और सब जगह पानी की व्यवस्था कीजिए। इसलिए यह जो व्यवस्था में नया परिवर्तन किया है उसको बदल कर बड़ी टंकियों से पूरे मोहल्लों में और बड़े गांवों में पानी देने की पुरानी योजना को आपको नए सिरे से चालू करना चाहिए।

श्री सभापति : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : आपकी इस पेयजल योजना में एक बहुत बड़ी शिकायत भ्रष्टाचार की सामने आती है। इस बात में आखिर कुछ दम भी है। जब इतनी बात आती है तो इसको सुधारने का सबसे बड़ा तरीका यही है, मैं आपसे निवेदन करूं कि

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)
जो ठेकेदारी प्रथा है वह भ्रष्टाचार की बड़ी भयानक जड़ है। हमारी पेयजल की योजना के अन्तर्गत हमने जिन लोगों को ठेके दे रखे हैं वह ठेकेदार ढाई सौ फीट का पैसा चार्ज करते हैं। हमारे इंजीनियर मिल कर डेढ सौ फीट वाले को ढाई सौ फीट मान करके पैसा दिला देते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि गांव का कोई आदमी उसको उखाड़ कर दुबारा चैक नहीं करा सकता। यह पुरानी भ्रांति जो फैली हुई है इसमें कुछ न कुछ दम है। इसलिए इसका तरीका यह है कि प्रत्येक कांस्टीट्यूएन्सीवाइज आप जन प्रतिनिधियों को पूछ कर कम से कम दस हैंड पम्पों की जांच करवा लीजिये। आप देख लीजिए कि कितना खड्डा है। यह तो साधारण बात है। ऊपर का पम्प हटाते ही कोई चीज रस्सी से डालकर उसका पैंदा नापा जा सकता है। जहां तक उनके लोहे के पाइपों का सवाल है कुछ को उखाड़ लीजिए और देख लीजिए कि क्या स्थिति है। इतनी सी बात से यदि इतना बड़ा शोर शराब दूर हो जायगा, या जो पोल है वह मालूम पड़ जाएगी, अगर नहीं है तो हमारे ऊपर इतना बड़ा चार्ज जो लगाया जाता है मैं समझता हूं कि उसकी बहुत सफाई होगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे वह विपक्ष के हों, हमेशा इस बात को लेकर उन लोगों के पास शिकायतें आती हैं...

श्री सभापति : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : शिकायतें खास तौर से इसलिए बनती हैं कि बहुत से हैंड पम्प काम ही नहीं कर रहे हैं। हैंड पम्पों का पैसा पूरा चुकता लगा दिया, लेकिन हैंड पम्प गांवों में बन्द पड़े हैं। इससे न केवल वह रुपया बर्बाद हुआ है बल्कि हमारे राज्य की इमेज खराब हुई है। लोग कहते हैं कि देखो किस प्रकार का इनका मिला हुआ घोटाला है। जब जन प्रतिनिधि इस गांव से गुजरता है जहां हैंड पम्प लगने के बाद उनसे पानी नहीं चलता तो उनके लिये जवाब देना मुश्किल होता है। इसलिये मैं तो पुरजोर शब्दों में माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे हैंड पम्पों की जांच जरूर कराई जानी चाहिए ताकि दोषी लोगों को सजा दिलाई जा सके। इससे हमारी सरकार की छवि उज्जवल होगी और बिना काम उंगली उठाने वालों को ठीक जवाब, माकूल जवाब मिल सकेगा।

श्री सभापति : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : जहां तक मेरे क्षेत्र का सवाल है, मैं कुछ गांवों के नाम लेना चाहता हूं जहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि उन गांवों में जल्दी व्यवस्था कायम की जाये। एक कस्बा है बहुत बड़ा रायसर, गठवाडी, घुला, थाल, डूगरवाडा, थौलाई, बूज, चांवडिया, बिरासना मातासूला, भामोद, छारता, खरबां और खोरा लाडखानी...

श्री भैरूं सिंह गुर्जर : धीरे-धीरे बोलो, नोट कर रहे हैं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : ऐसे गांव हैं, बड़े-बड़े कस्बे हैं जहां अभी तक पानी की व्यवस्था नहीं है। मेरी पूरी तहसील में केवल

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

तीन गांवों में नल योजना है। वह भी पूरी नहीं है। जमवारामगढ़ खास, जो जयपुर ग्रामीण क्षेत्र का खास बड़ा कस्बा है, में बहुत वर्षों से, पुराने जमाने से योजना लग रही है मगर आज भी हरिजनों के मोहल्लों में पानी की व्यवस्था नहीं है। आंधी और ताला मेरे चुनाव क्षेत्र के गांव हैं उसमें अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति का बहुत बड़ा हिस्सा बसता है। उनमें योजना भी बनी हुई है परन्तु समय पर पर्याप्त पानी नहीं मिलता है। आंधी से तो गांवों में पानी मिलता है, बाकी मोहल्लों में खासतौर से पिछड़े लोगों के मोहल्लों में पानी की व्यवस्था नहीं है। मेरा निवेदन है कि जिन गांवों में पहले से योजना चल रही है उनके सब मोहल्लों में पानी पहुंचना चाहिए। पूरे क्षेत्र में जो पानी की योजना से विहीन गांव हैं उसके लिये जल्दी ही पानी की योजना बनानी चाहिए ताकि लोगों को भेदभाव मालूम न पड़े, लोगों का असंतोष न बढ़े।

मैं इस मौके पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय कम से कम यह तो ध्यान रखें कि जमुवारामगढ़ तहसील में जो खेतों के लिए जमुवारामगढ़ में रियासत काल में जो बंधा बना था, लेकिन खेतों को सूखा कर पेयजल की योजना के अन्तर्गत जयपुर शहर को उसका पानी आता है। आखिर थोड़ा बहुत तो लिहाज होना ही चाहिए। मुझे तो अफसोस है कि जमुवारामगढ़ बंधे का पानी पीने वाले मंत्री लोगों को भी, और अफसरों को और हमारे एम. एल. एज. बन्धुओं को भी इस बात का लिहाज नहीं होता कि जमुवारामगढ़ का पानी तो पी जाते हैं आराम से और उस इलाके के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इसकी तरफ अवश्य ध्यान देंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको मालूम होना चाहिये कि उस पानी को पीने से पेट में कीड़े हो जाते हैं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : वह कीड़े इसलिए होते हैं, साहब, अहसान फरामोशी करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस रोज आप लोग अहसान चुका देंगे, जमुवारामगढ़ क्षेत्र की गरीबी को दूर करके पेयजल संकट को दूर करके तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कीड़े पेट में नहीं पड़ेंगे किसी मित्रों के में।

श्री सभापति : समाप्त कीजिए माननीय सदस्य।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : धन्यवाद आपका।

श्री सभापति : श्री असलम खां।

(व्यवधान)

पहले माननीय मंत्री महोदय को बोलने दीजिए। आप पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री देवेन्द्र सिंह, राज्य मंत्री, कृषि का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण।

श्री देवेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, कृषि) : सभापति महोदय, मेरा पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। माननीय गोगुन्दा से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे पर चार्ज लगाया। मैं समझता हूं

(श्री देवेन्द्र सिंह)
कि वे चले गए हैं, क्योंकि वह जवाब सुनने को ही तैयार नहीं हैं। वे जानते हैं कि वह बात गलत है...

श्रीमती उजला अरोड़ा : उनको आने दीजिए।

श्री देवेन्द्र सिंह : इसलिए वे चले गए हैं।

श्री सभापति : आप बाद में जवाब दे दीजिए। श्री असलम खां जी।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : ऐसे चार्जेज से क्यों घबराते हो हम यहीं पर हैं।

श्री असलम खां : आदरणीय सभापति महोदय, आज सदन में विशेष जो दो मुद्दे चल रहे हैं...

श्री परसराम मदेरणा : एक्सप्लेनेशन जो दिया जाता है वह इस सदन के सदस्य की हैसियत से दिया जाता है। यह नहीं है कि कोई माननीय सदस्य किसी पर आरोप लगा कर यहां से भाग जायें या वे यहां बैठे नहीं रहें। उनको बुलाइये। यहां पर कोई कन्फ्रन्टेशन नहीं है। अगर माननीय सदस्य अभी देना चाहते हैं तो अभी दे सकते हैं, इसके बाद में देना चाहें तो बाद में भी दे सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : हम तो समझते थे कि हमारे मंत्री जी चुप बैठे रहें यही अच्छा है।

श्री सभापति : मंत्री महोदय, आप कब देना चाहते हैं।

श्री देवेन्द्र सिंह : मैं तो अभी देना चाहता हूं। आप अनुमति दें तो...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, शांत रहें। बोलिये।

श्री देवेन्द्र सिंह : मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिस तरह से उन्होंने कागजों का पुलन्दा दिखाया यहां पर उससे मैं यह समझ रहा था...

श्री बालचन्द्र आर्य वीर : वह आ जायं तभी कहें तो अच्छा रहेगा ..

(व्यवधान)

श्री सभापति : उनको जो कहना था कह दिया, अब इनको कहने दीजिये। क्यों समय बर्बाद करते हैं।

श्री देवेन्द्र सिंह : जिस तरह से उन्होंने कागजों का पुलन्दा दिखाया था, मैं ऐसा समझता था कि शायद मैंने या मेरे परिवार में से किसी ने कहीं से सरकार से बोरिंग कराकर कोई बिल्स उठा लिए हों। ऐसा कुछ हो, लेकिन जो कागज सदन की मेज पर रखा गया है उसमें छः सात आरोप अलग-अलग लोगों पर लगाए गए हैं। इसमें एक आरोप मुझ पर यह लगाया गया कि एक मशीन है जय श्री बोरिंग कम्पनी की, जिसका सम्बन्ध कृषि मंत्री श्री देवेन्द्र सिंह से है तथा सवाई माधोपुर जिले में यह चल रही है। सारे कागज जो रखे हैं उसमें एक पैराग्राफ यह है। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं आज की तारीख में मशीन मेरे पास, मेरे या मेरे परि-

(श्री देवेन्द्र सिंह)

वार के किसी के पास भी नहीं है। एक कील भी नहीं है मशीन की। मैं जिन्दगी भर यह मशीन नहीं खरीदूंगा। इतना आश्वासन आपको दे सकता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि इस मशीन में कोई सच्चाई नहीं है।

मांग संख्या 34 व 27 पर विचार

श्री असलम खां (बाली) : सभापति महोदय, आज सदन में जिन मांगों पर विचार चल रहा है उनके लिये मैं विशेष निवेदन करूंगा। माननीय सभापति महोदय, हमने भी किताबों में पढ़ा है और पूर्वज भी यह बात कहते थे कि भारत में पहले दूध की नदियां बहती थीं। मैं, सभापति महोदय, यह निवेदन करूं कि हमारा नसीब और हमारी तकदीर ऐसी है कि आज हमें पानी भी नसीब नहीं है। मैं सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय से विशेष निवेदन करूंगा कि जैसे ही गर्मी बढ़ती जा रही है गांवों में पानी की समस्या दिन दिन बढ़ती जा रही है राज्य सरकार अनाज तो बाहर से ले आयेगी मगर हकीकत यह है कि जमीन में पानी नहीं होगा तो बाहर कहां से आयेगा ? चाहे आप ट्यूब वैल लगायें, चाहे आप हैण्ड पम्प लगायें आप पानी की व्यवस्था करें। कई दफा ऐसा देखा गया है, मेरे क्षेत्र में कई दफा ऐसा हुआ है हैण्ड पम्प भी सूखे निकले हैं डेढ़ डेढ़ सौ, दो दो सौ फीट तक नीचे जाने के बाद भी पानी नहीं आया माननीय मंत्री महोदय, इस प्राकृतिक विपदा से निपटने के लिए हमें कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, इसके लिये सोचना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण आपको और दूं, हमारे बुजुर्ग जब किसी को आशीर्वाद देते थे, सास अपनी किसी बहू को आशीर्वाद देती थी जो यह कहती थी दूधो नहाओ पूतो फलो। अब नहाने के लिये पानी ही नहीं मिलता तो दूध से नहाने का सवाल ही पैदा नहीं होता और पूत तो हम पैदा करने ही नहीं देते, उस पर भी रोक लगाई हुई है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में एक ही रीजनल योजना है, जो चावण्डेरी, वीरमपुर, कोटार और सेल्डा गांव तक आती हैं। वहां पर हालत यह है कि कभी भी 6-7 दिन में एक दफा अगर गांव वाले पानी देख लेते हैं तो बड़े खुश होते हैं। हमारे वहां के अधिकारियों से जब मिलते हैं तो एक ही बात बताते हैं, और यह हकीकत भी है, मैं उनको दोष नहीं देना चाहता हूं, वह एक ही बात कहते हैं, साहब इसका सर्किट अलग नहीं है। हमारे को सिर्फ चार या पांच या छह घंटे बिजली मिलती है एक गांव तक पानी पहुंचता है कि टैंक खाली हो जाता है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यह सुझाव दिया और मेरा भी यह सुझाव है, रीजनल योजनाएं हैं वहां पर यदि जनरेटर सैट दे दिया जाये तो कुछ समस्या हल हो सकती है। साथ ही मेरा एक निवेदन और है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है कुओं का जल स्तर गिरता जा रहा है। मेरे क्षेत्र में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उन कुओं की यह हालत है, मुझे बड़ी इस बात की फिक्र होती जा रही हैं, आने वाली गर्मी में हमारे गांव में उन कुओं में पानी नहीं होगा तो आखिर कहां से पानी लायेंगे ? मेरा बाली

(श्री असलम खां)

क्षेत्र है, माननीय मंत्री महोदय, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था, वहां ज्यादातर कुओं में पत्थर इस तरह का आया हुआ है- कि जब तक ब्लास्टिंग कार्य नहीं होगा, पत्थर नहीं टूटेगा तो पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा, कुएं खोद तो सकते हैं, सरकार के पास ब्लास्टिंग मशीनें अवेलबल नहीं है, सरकार बाहर से या पड़ोसी राज्यों से मशीनें मांग कर सब कुओं के पत्थर तुड़वाये, यह मेरा विशेष सुझाव है।

हमारे गोडवाल क्षेत्र में जितने भी गांवाई पेंचके हैं, आप हमारे क्षेत्र में पधारते रहते हैं, हर गांव में एक पेंचका होता है जिसमें एक हौद बनाया होता है। बहुत सी जगह हमने जी.एस.एस. की मोटरें लगायीं मगर उन कुओं की यह हालत है उनमें पत्थर आ गया। आज किसी में एक घंटे किसी में दो घंटे पानी आता है। हमारे जलदाय विभाग के जितने भी कुएं हैं मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी कुआं ऐसा नहीं है, जिसमें चार या पांच घंटे से ज्यादा पानी आता हो।

मेरे क्षेत्र में फालना, बाली, नाना, बेडा, बीजापुर, सेलड़ा लुनावा सभी योजनाओं के अन्दर हकीकत यह है कि किसी कुएं में दो घंटे का पानी है, किसी में तीन घंटे का पानी है सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप विशेष रूप से इस पर ध्यान दें। आने वाले समय में जो परेशानी का सामना करना पड़ेगा जनता को, इसका सामना करने की अभी से तैयारी करेंगे तब जाकर के छुटकारा मिलेगा। मेरे क्षेत्र में एक आदिवासी गांव है अर ड़वा। मुझे खुद समझने में नहीं आया, अरड़वा में करीब ढाई सौ तीन सौ घर की आबादी है, हांलाकि बहुत से माननीय सदस्य इस बात से खुश होते हैं कि मेरे क्षेत्र में पांच लाख की योजना स्वीकृत हुई, किन्तु अरड़वा के आदिवासी क्षेत्र में पांच लाख की योजना स्वीकृत हुई है, उसमें आदिवासियों के घर काफी दूर दूर हैं, वह योजना कैसे स्वीकृत हुई यह मुझे कतई समझ में नहीं आया। मैं माननीय मंत्री महोदय, आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : किस योजना की बात कर रहे हैं?

श्री असलम खां : अरड़वा, 145 कोड नम्बर।

अभी सुमेरपुर में एक ए. ई. एन. हैड क्वार्टर स्थापित हुआ है। सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने वहां ए. ई. एन. का हैड क्वार्टर करवाया है, मगर उससे मेरे लिए बड़ी मुसीबत हुई है। मेरे क्षेत्र की आधी पंचायत, आधी नल योजनाएं सुमेरपुर ए. ई एन. को दे दी गई, मेरे ए. ई एन. के पास सिर्फ दो तीन योजनाएं रखी गईं। उनको रानी क्षेत्र दिया गया, कुछ सेंदड़ा का दे दिया गया। माननीय मंत्री महोदय, मैं आप से यह निवेदन करूंगा, एक क्षेत्र में अगर एक ही ए. ई एन. रहे। तो उसको हमारी तकलीफ किसी वक्त भी जाकर कह सकते हैं। मैं बाली की प्राब्लम बाली ए. ई एन. के पास लेकर जाऊं, मेडा की जो प्राब्लम होगी वह सुमेरपुर के ए. ई एन. के पास लेकर जाऊं, यह मामला जमने वाला नहीं है। इसलिये, मंत्री महोदय, आप इस पर गौर करें।

श्री (असलम खां)

हमारे अकाल राहत मंत्री जी बिराजे हैं, उनसे मेरा विशेष निवेदन है, मेरे क्षेत्र में आदिवासियों के करीब 25 घर हैं। आप अभी हमारे यहां जब दौरे पर पधारे थे मैंने आपसे निवेदन किया था, हमारे बहुत से सदस्य आदिवासियों के लिये कहते हैं। मेरा एक विशेष निवेदन है वहां कुछ योजनाएं अलग से काम चलायें ताकि उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा मजदूरी मिले। अकाल राहत मंत्री जी, मेरा एक विशेष निवेदन है, गत वर्ष के अधूरे कार्यों के लिये आपको लिख कर दिया था, उनको आप स्वीकृति प्रदान कर देंगे तो आपके बड़े आभारी रहेंगे।

अभी हमारे माननीय सदस्य ने एक बात कही, मैं भी उसके लिये निवेदन करना चाहूंगा, मजदूरों को रेट्स बहुत कम मिलती है, हकीकत में यह बात सही है। मेरा तो इसमें एक सुझाव है, जब हम कोई काम नाप तौल देते हैं उसकी नाप तौल टाइम से नहीं होगी तो इसमें बड़ी गड़बड़ नजर आयेगी। एक ओवरसियर एक पंचायत समिति में नहीं रहता। दो दो, तीन तीन पंचायत समिति में एक एक ए. ई. एन. जे. ई एन. होता है। वह महीने दो महीने से नाप तौल करने जायगा तो नाप कभी सही नहीं आयेगा। उसमें बड़ी गड़बड़ रहती है। अकाल राहत मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इस पर भी आप जरूर ध्यान दें। मैं अकाल की इस भयंकर स्थिति से निपटने के लिये, सभापति महोदय, हमारे जलदाय विभाग के मंत्री से विशेष निवेदन करना चाहूंगा, इस आने वाली गर्मी के लिये आप अभी से युद्ध स्तर पर काम चलायें तो हम आगे जाकर जनता को पानी पहुंचा सकेंगे। नहीं तो हमारी हालत बड़ी खराब रहेगी। इसलिये मुझे समय दिया, उसके लिये बहुत धन्यवाद।

जयहिन्द

श्री सभापति : श्री सुन्दर लाल।

श्री नाथूराम : नम्बर किस हिसाब से है ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य बिराजें।

श्री नाथूराम : क्या बिराजें साहब यों हम समय सात बजे बाद नम्बर आता है। पहले नाम भेजा है हम सबने एक साथ।

श्री सुन्दर लाल (सूरतगढ़) : माननीय सदस्य बिराजिये। कभी कभी बोलते हैं, माननीय सदस्य, कृपया उनको सहयोग प्रदान करिये।

श्री सुन्दर लाल : माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा कहना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में अकाल राहत कार्य अभी तक कोई नहीं चला है। शायद अपने झुन्झुनू जिले में नहीं चला होगा। मैं अकाल राहत मंत्री से आपके द्वारा निवेदन करूंगा, कलेक्टर से कह कर अकाल राहत कार्य चालू करवाओ। जब इस वक्त ही लोगों के लिये मजदूरी नहीं है, अगले महीने बाद चने और गेहूं की लावणी लग जायगी तो मजदूर वहां चले जायेंगे। दो महीने से गरीब भूखे मर रहे हैं। इस वक्त आप विचार नहीं करते हो और आप अप्रेल में काम शुरू करोगे अगस्त में कह दोगे, बरसात आ गई अब बंद कर दिया जायगा।

(श्री सुन्दर लाल)
इसलिये आपसे निवेदन है कि इसी वक्त अकाल राहत कार्य चलाये जायं।

हमारे जिले में सबसे बड़ी समस्या चारे की है। उसके लिये हमने कई बार लिख कर भेजा है। दो साल से चारे की व्यवस्था नहीं है। इसलिये आपसे निवेदन है कि इस साल हमारे क्षेत्र में कहीं 15-20 कि.मी. पर चारे की व्यवस्था करायें ताकि लोग पशु-पालन के साधन जुटा सकें। आज इस जमाने में 5-6 हजार की भैंस और 2 हजार की गाय आती है। भूख से पशु मर जाते हैं फिर भी उनके चारे की व्यवस्था नहीं होती है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वक्त अकाल राहत के काम चलाये जायं और चारे की व्यवस्था करावें।

इसके अलावा पी.एच.ई.डी. मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, मैंने कई बार लिख कर भेजा है कि मेरे क्षेत्र में एक तो सिघाना गांव है। उसकी 16 हजार की आबादी है। उसका पानी कोपर प्रोजेक्ट की वजह से 6 साल से खराब हो गया है। आपके विभाग ने लिख दिया कि पानी खराब है इस पर भी वही पानी पिलाया जा रहा है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सिघाना में पानी की व्यवस्था के लिये घोषणा करें। कब तक इन 16 हजार आदमियों को साफ पानी पिला सकेंगे, या यही बाढ़ का पानी पिलाया जायेगा? जो कोपर से खाद निकलती है उसका पानी उस गांव में जाता है जिसको वे पीते हैं। सबको पता है। मंत्री महोदय भी 17 फरवरी को वहां गये थे तब भी मैंने मंत्री महोदय को दिखा दिया था कि इस नाले से पानी जाता है और गांव वालों को पीना पड़ता है। मेरे क्षेत्र के 27 गांवों के पानी की व्यवस्था झारोड़ा में बनाई हुई है जिसमें बरेला का पानी जाता है। अप्रेल, मई, जून-तीन महीनों में कुएं का जो आदमी पानी पीते हैं उनको हैजा हो जाता है। 15-15 आदमी हैजे से मर गये। मैंने 1973 में इस सवाल को उठाया था कि 17 आदमी हैजे से एक ही दिन में मरे। उसके बाद उस पानी को टैस्ट करके डिपार्टमेंट ने कहा कि कोई भी इन महीनों में इस कुएं का पानी पियेगा तो हैजा होगा। एक लाख की टंकी बने 6 साल हो गये हैं लेकिन पानी की एक बूंद नहीं मिली है। नलके लग गये ठेठ झाड़ोल से बरेला तक लेकिन पानी नहीं मिलता है। एक लाख की टंकी बड़वर में बनी हुई है उसमें भी एक दिन पानी चालू करके दिखा दिया और यह लिख दिया कि पानी चालू कर दिया है लेकिन उसके बाद पानी नहीं है बड़वर में। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन कुओं में पानी की व्यवस्था बन गई है, टंकी बन गई है, या तो टंकी नीचे बन गई उनके नीचे पशु बाड़ेगे लोग सदियों में या कुछ और करेंगे। पानी मिलता नहीं है तो फिर और क्या करेंगे? पानी की व्यवस्था आप ही नहीं बिठा सकते। मेरे खुद के गांव के नजदीक ढाका, माण्डी कलवा, बासड़ी चार गांवों की स्कीम बने दो साल हो गये। तीन गांवों में टंकी बनी हुई है, नलके लगा कर टंकी तक पहुंचा दिये हैं लेकिन उनमें पानी नहीं है। इसलिये मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि जिन गांवों में कुओं की टंकी बन गई, पाइप लाइन बिछा दी गई क्या उन गांवों में पानी की व्यवस्था

(श्री सुन्दर लाल)

करने की मुख्य मंत्री जी घोषणा करेंगे? उन गांवों में 28 मार्च को होली है, 28 मार्च तक धुलण्डी खेलने के लिये पानी दे दिया जायेगा, ऐसी घोषणा होनी चाहिये ताकि लोगों के लिये पानी की व्यवस्था हो सके। मैं ज्यादा भाषण देना नहीं चाहता। मेरे क्षेत्र में पानी की समस्या है लेकिन पानी की टंकी बना दी गई है, पाइप लाइन बिछा दी गई है, उसके बाद भी पानी नहीं मिल रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन गांवों के नाम मैंने बताये हैं बेड़ला, बड़वर, ढाका, माण्डी, कलुवा, बासड़ी और सिंघाना में टंकी बनी हुई है। पानी बदलने के लिये कई बार आदेश गया है कि इसका पानी बदला जायेगा लेकिन आज तक उस पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है। मैंने इस सम्बन्ध में क्वेश्चन भी दे दिया है, पिछले साल भी मैंने कहा था परन्तु 16 हजार की आबादी के लिये पानी की व्यवस्था नहीं कर सके हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि सिंघाना, बड़वर और बरेला के लिये आज ही घोषणा हो कि इनको पानी दिलाने की व्यवस्था कर दी जायेगी। यही कहना चाहता हूं।.

श्री सभापति : श्री नाथूराम !

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : सभापति महोदय, मैं डूंगरपुर जिले के अकाल राहत कार्य और पेय जल व्यवस्था के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। डूंगरपुर में लगातार अकाल पड़ता आ रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद दिये बिना नहीं रहूंगा क्योंकि उन्होंने काम तो खूब मन्जूर कर दिये पर मजदूर लगाने के बारे में सीलिंग लगा रखी है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस महीने में कम से कम 20 हजार लेबर की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाय जिससे मजदूरों को लगाया जा सके। आखिर में जाकर 30–40 हजार के करीब स्ट्रेंथ हो जायेगी तो हमारी समस्या का हल होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या को हल करने के लिये मजदूरों की स्ट्रेंथ बढ़ानी बहुत जरूरी है। इसके साथ ही हजारों; लाखों रुपये खर्च होते हैं अकाल के नाम से लेकिन मेरे से पूर्व माननीय सदस्य ने बताया कि जो 60–40 का रेश्यो है वह कम करके 50–50 कर दिया जाय ताकि पक्के वर्क, पुलिया, रपट के काम पूरे किये जा सकें और रकम का सदुपयोग किया जा सके। इसलिये जहां भी ऐसे काम मन्जूर किये हैं वहां पर इस तरह की व्यवस्था की जाय जिससे सदा के लिये अकाल की समस्या दूर हो सके।

इसके साथ ही मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हर साल जून के बाद मजदूर कम कर दिये जाते हैं। इस साल समस्या भारी है इसलिए कम से कम अगस्त तक मजदूरों को लगाये रखें तो समस्या अच्छी तरह से सुलझ सकती है। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां जो मजदूर काम करते हैं उनको केवल जंगलात विभाग को छोड़ कर दूसरे जितने भी कार्य हैं उन पर डेढ़, दो, ढाई रुपये से ज्यादा मजदूरी नहीं मिलती। अकाल राहत कार्य में काम कराने की छूट होनी चाहिये। इस तरह से दो ढाई रुपये में मजदूरी कराना कहां तक ठीक है, कहां तक इससे निर्वाह हो सकता है। इसलिये इस ओर भी ध्यान दिया जाय, अकाल में कम से कम छूट दी जाय और

(श्री नाथूराम अहारी)
कस कर काम कराने की प्रवृत्ति है वह न रखी जाय, यही मेरा सुझाव है।

पेयजल के बारे में बताना चाहता हूं, बराबर अकाल पड़ने के कारण पेयजल की समस्या भारी है। वाटर वर्क्स की योजना के अन्तर्गत, आबादी के काइटेरिया के अन्तर्गत जो भी गांव आ जाते हैं उन गांवों में बिल्कुल कुएं सूख गये हैं। वहां के कर्मचारी बैठे बैठे वेतन ले रहे हैं। मैंने यहां तक देखा, सवघट गांव में चुल्लू भर पानी नहीं है और कर्मचारी लगा हुआ है, मशीन लगा रखी है। इस तरह के कई गांव हैं जिनमें जो पुराने कुएं हैं उनके नाम से पैसा उठ जाय, पर्याप्त पानी मिले नहीं, वहां इस तरह की योजना लागू नहीं करनी चाहिये। वैसे हमारे पालों में तो इसकी कोई उपयोगिता नहीं। जहां बड़े गांव हैं उनमें इसकी उपयोगिता है। इसलिये जिस गांव का चयन किया गया है उसमें पूरी व्यवस्था होनी चाहिये ताकि पेयजल की समस्या दूर हो सके। कई गांवों में योजना बना कर दी हुई है उसकी भी स्वीकृति नहीं मिली है हमारे यहां आसपुर में भी इसी तरह की भारी समस्या है, पशुओं को पिलाने के लिये और मनुष्यों के लिये पीने का पानी नहीं है इसलिये इस ओर बहुत ज्यादा ध्यान देकर उस योजना को जल्दी से जल्दी सफल बनाया जाय।

इसके साथ ही जहां वाटर वर्क्स के काम हैं वहां हैण्ड पम्प वाले मना कर देते हैं हैण्ड पम्प लगाने से, कि यहां तो वाटर वर्क्स के काम हैं हम यहां नहीं लगाते लेकिन हमारे यहां जो 30-40 घरों की ढाणियां हैं जो रेवेन्यू विलेज नहीं हैं लेकिन वे फले हैं वे ज्यों के त्यों रह जाते हैं। इसलिए इस ओर भी ध्यान देकर वाटर वर्क्स की योजना होते हुए भी जहां 20-30-40 घरों की बस्ती है वहां हैण्ड पम्प लगाये जाने चाहिये ताकि उनकी पेयजल की समस्या हल होगी। लोगों को शायद यह मालूम है कि ये ट्यूब वेल केवल गांवों के लिये हैं, बिखरी हुई आबादी के लिये नहीं है। इस बारे में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां जहां इस तरह के गांव रह गये हैं, जो फले रह गये हैं उनमें यह योजना ज्यादा से ज्यादा लागू करवानी चाहिये।

इसके साथ ही वहां पर पानी का लेवल तो ऊपर है। परन्तु इन ट्यूब-वैल्स को पर्याप्त गहरा नहीं खोदा जाता है। सौ फीट या ज्यादा से ज्यादा डेढ़ सौ फीट खोद कर छोड़ दिया जाता है। इसलिये कई हैण्ड पम्प सूख गये हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हैण्ड पम्प खोदे गये हैं उनको किसी तरह से और गहरा किया जाये तो उसका सदुपयोग हो सकेगा। वरना जो हैण्ड पम्प खोदते हैं वह सूख जाते हैं तो दूसरा खोदा जाता है। मेरी मान्यता है कि पानी आने के बाद भी कम से कम 50, 60, 70 फीट और गहरा खोदा जाये तो कोई कारण नहीं कि एक-दो अकाल पड़ जाने पर पानी सूख जाय। हैण्ड पम्प में पानी आ जाने के बाद केवल 15-20 फीट गहरा ही खोदा जाता है और उसको बंद कर दिया जाता है। हजारों की संख्या में इस तरह के हैण्ड पम्प है जो बेकार हो गये हैं। इनको वापिस गहरा करने की स्कीम तैयार की जाये जिससे कि उनका फायदा हो सके। यह मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं। पंचा-

(श्री नाथूराम मृहारी)

यतों को यह काम सुपुर्द किया गया है। पंचायतों के द्वारा यह काम हो सकेगा, इसमें मुझे शंका है क्योंकि पंचायतों के पास कोई टैक्निकल हैण्ड नहीं है। कुछ पैसा आपने एक हैण्ड पम्प के पीछे तय कर रखा है। उससे लगता है कि यह समस्या हल नहीं होगी। क्योंकि जो आफिसर हैं वे मनमानी करते हैं। जो स्थानीय सरपंच है वह जहां बनाते हैं वहां न लगा कर जो आदमी उनके पास चला जाता है उसके यहां हैण्ड पम्प लगा दिया जाता है। जो सजग और सबल होता हैं उसके यहां पर हैण्ड पम्प लग जाता है। इससे लोगों पर बुरा असर पड़ता है। वे यह सोचने लगते हैं कि यह तो उन लोगों के लिये हैं जो सक्षम हैं। इसलिये इस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिये ताकि अव्यवस्था न हो। मैं इस मौके पर यही सुझाव देता हूं। आशा है जो मैंने सुझाव दिये हैं उन पर ज्यादा ध्यान देकर इसे सफल बनाया जायेगा। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री रामकंवार बैरवा !

श्री मांगीलाल आर्य (जालौर) : हमारे को भी समय मिलेगा। ...

श्री सभापति : आप अपने सचेतक महोदय से बात करिये। ...

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : सभापति महोदय, प्राकृतिक आपदाओं और पेयजल समस्या की मांगें आज मंजूर होने जा रही हैं। इस पर सभी मेम्बरों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों की समस्या और सरकार की जो दोषपूर्ण नीतियां हैं उनके ऊपर प्रकाश डाला है। सभापति महोदय, पेयजल की समस्या कई गांवों में है। वहां पर पक्के कुएं बना दिये जाते तो यह समस्या आसानी से हल हो जाती। कई ऐसी जगह हैं जहां पर गहरा पानी है वहां पर नल योजना का निर्माण बड़े बड़े कस्बों के लिये किया जाता है। पिछले दो साल से हैंड पम्प की व्यवस्था चल रही है। सभापति महोदय, इसमें वैसे तो बहुत घोटाला हुआ है लेकिन जो हैण्ड पम्प गांवों में लगाये गये हैं, उनको लगाते समय सोचा तो यह गया था कि बहुत से साधन सम्पन्न लोग तो अपने मकान में अलग से कुएं का निर्माण कर लेते हैं, परन्तु गांवों के गरीब लोग, अनुसूचित जाति के लोग, आदिवासी सारे मिल कर भी एक कुएं का निर्माण नहीं करवा सकते हैं और दूर दराज कुओं से गांव वाले पानी लाकर अपनी प्यास बुझाते हैं। इसलिये ऐसे लोग, जिनके यहां पीने के पानी की तंगी है और जिन बेचारे गरीब लोगों को पानी उपलब्ध नहीं होता है, के लिये हैण्ड पम्प लगाये जायं। जो हैण्ड पम्प मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं उन को मैंने कई कम्पलेन्ट्स लिखी हैं। जहां गांव में कुआं पहले से बना हुआ था उसमें पीने का मीठा पानी है, पानी की कोई कमी नहीं है, उससे पानी खींच कर लोग पानी पी सकते थे किन्तु उसके किनारे पर ही जो दूसरा एक हैण्ड पम्प लगा दिया गया है उससे अनुसूचित जाति के लोगों को सवर्ण लोग पानी नहीं लेने देते हैं जब कि वह सरकार की तरफ से लगा है। इस प्रकार वे लोग वैसे के वैसे ही पानी से वंचित रह गये हैं। यह दुःख की बात है। हिन्दुस्तान जब से आजाद हुआ, बीच में ढाई साल छोड़ कर कांग्रेस का ही राज रहा, तब से हरिजन लोगों को आपकी अव्यवस्था के कारण गांव

(श्री रामकंवार बैरवा)

के सवर्ण लोग पीने का पानी कुएं से नहीं लेने दे रहे हैं, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, क्या आप यह आश्वासन अपने उत्तर में देंगे कि वे लोग भी इन हैण्ड पम्प से पानी पी सकेंगे ? यदि वे हैण्ड पम्प पर पानी लेने जाएंगे और गांव के लोग उनको मारेंगे तो उनको बचाने की क्या पूर्ण जिम्मेदारी सरकार लेगी ? यह आश्वासन क्या आप हमें दे सकते हैं ? अगर आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो मेरा क्षेत्र नजदीक ही है, मैंने अकाल राहत मंत्री जी को निवेदन किया था, वे मेरे क्षेत्र की दशा देख कर भी आये हैं, सिर्फ एक घंटा खर्च होता है एक घंटे में आप वापिस आ सकते हैं, आप वहां जाकर देख लें कि राजस्थान की राजधानी में इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है। मेरा आप से निवेदन है कि आप कृपया इस डिपार्टमेन्ट के काम पर गौर करें। मुझे इस बात की जानकारी मिली है कि आपके डिपार्टमेन्ट वाले मशीन लेकर हैण्ड पम्प लगाने जाते हैं, या तो प्रेशर होगा या और कोई बात होगी वे हैण्ड पम्प पास में ही लगा देते हैं। मशीन लगाने वाले से वे लोग पूछते हैं कि क्या हमारे लिये पीने के पानी की व्यवस्था की गई है तो वे यह कहते हैं कि तुम भी इससे पानी पी सकते हो। इसके बाद स्थिति वैसी की वैसी ही रह जाती है। मेरा यह निवेदन है कि जहां जहां भी हरिजन बस्तियां हैं वहां वहां हैण्ड पम्प की पूरी व्यवस्था करें। आपने जो इसका माप-दण्ड रखा है वह बिल्कुल ही गलत है। अगर अनुसूचित जाति के लोगों को गांव वाले पानी नहीं पीने देते हैं या उनमें हैण्ड पम्प से पानी लेने की हिम्मत नहीं है तो इस क्राइटेरिया को कम करके ऐसी बस्तियों में आप को पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिये।

दूसरा मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में विशेष कर पूरी तहसील में 75 प्रतिशत हिस्से में एक ही फसल पर किसान निर्भर करते हैं। नीचे जमीन में पत्थर आता है। आपको मालूम है वहां कभी भी किसान एक फसल अच्छी तरह से नहीं ले पाते हैं। इसलिये इस वर्ष जो अकाल घोषित किया गया है उसमें पक्षपात हुआ है। पूरी तहसील में जिला अधिकारियों के इशारे पर, केवल राजनीतिक कारणों से 50 प्रतिशत नुकसान की घोषणा की गयी है। यदि 50 प्रतिशत के ऊपर 60, 70 या 75 प्रतिशत खराबा, नुकसान दिखाया जाता तो वहां पर भी अकाल घोषित हो जाता। इसलिये सांगानेर तहसील, फागी तहसील और सिकराय तहसील में अकाल घोषित करने में पक्षपात किया गया है और वहां के जो गरीब लोग हैं, जो केवल मजदूरी पर निर्भर करते हैं, रोजगार से वंचित रह गये हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल के जहां जहां भी काम चल रहे हैं उनमें सम्पन्न लोग काम करने कभी नहीं जायेंगे, काम करने वे लोग जायेंगे जो गरीब हैं, मजदूरी करते हैं और जिनके पास किसी प्रकार का कोई सहारा नहीं है। केवल मजदूर टाइप लोग ही जाते हैं। अकाल पड़ने की वजह से किसानों के खेत में कोई भी काम नहीं होता है इस कारण उन गरीब लोगों को अकाल राहत कार्य में काम करना पड़ता है। इसलिए फागी तहसील को दुबारा दिखाया जाय। इसके साथ साथ चाकसू तहसील के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 14 ग्राम पंचायतें हैं। तीतरिया, पंचायत है

(श्री रामकंवार बैरवा)
क्वार्टर का नाम बता रहा हूं, टुन्टोली, थली गादेड़ा, कामड़िया, टूमली का वास माधोसिंह पुरा, कोथून लालपुरा, मण्डाला, बड़ोदिया, बापू गांव व निम्बालिया, छाण्डेकलां और नगरपालिका क्षेत्र चाकसू है। चाकसू में दो साल पहिले बाढ़ आई थी, काफी जान माल की हानि हुई थी। इस वर्ष पूरे के पूरे 288 गांव अकाल ग्रस्त घोषित हैं लेकिन वहां पर एक भी नये पैसे का काम नहीं खोला गया है। जो विधान सभा क्षेत्र के पास लगते हैं उसमें सारे काम खोल दिये गये हैं, सारी सड़कों का जाल बिछा दिया गया है फिर भी वहां मजदूर नहीं आ रहे हैं क्योंकि एक जगह पर काम अधिक संख्या में खोलेंगे तो जो लोग उनसे सिर्फ 2—3 के कोस पर होंगे वे ही काम पर जा सकेंगे, सारी दुनिया के लोग वहां जाकर काम नहीं कर सकेंगे। यह मेरा निवेदन है अकाल राहत मंत्री महोदय से विशेष रूप से। इसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगा जब जिला जयपुर की मीटिंग में बिराजे थे उस समय हम लोगों को जो लिस्ट दी थी उसमें मेरे निर्वाचन क्षेत्र की 14 ग्राम पंचायत और कस्बा चाकसू के लिए एक नये पैसे का काम नहीं था इसलिए मैं उसका बहिष्कार करके आपके सामने आया था। मुझे यह मालूम नहीं है कि मेरे पीछे से इस बात पर आपने नाराजगी जाहिर की या नहीं, जिलाधीश से पूछा या नहीं पूछा। मुझे तो आपकी तरफ से आज तक कोई सन्तुष्टि नहीं हुई है। मेरा यह निवेदन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिये जो अकाल राहत कार्य घोषित है वह काम खोले जायं। पहले अकाल राहत कार्य के लिए मीटिंग समय समय पर होती रही है उसमें मैंने सुझाव दिये हैं कि इन गांवों की सड़कों की मांग पिछले काफी अर्से से जनता की तरफ से है और जिलाधीश कार्यालय से डिपार्टमेंट में सुझाव कई दफा भेजे जा चुके हैं, लेकिन सबको निरस्त किया जाता रहा है। मेरा आपसे यह निवेदन है पुरजोर शब्दों में कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो गांव हैं उनके अन्दर जल्दी से जल्दी अकाल राहत के कार्य खुलवाने के जिलाधीश को निर्देश दें।

इतना ही कहकर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हरीश शर्मा।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : माननीय सभापति महोदय, गये दशहरे पर देश का प्रसिद्ध मेला कोटा में भरा था। कड़ाके की सर्दी थी। अतिवृष्टि हुई एकदम लाडपुरा तहसील का जो गूजरों का गांव है जहां अधिक बस्ती है वहां 4 हजार पशु अतिवृष्टि से मरे और सड़ते रहे। जिलाधीश कोटा से बात की कि पशु सड़ रहे हैं, उनको वहां से हटाया जाय। जिलाधीश कोटा ने नेता से कहा, पत्रकारों से कहा लेकिन पता नहीं क्या हुआ। वहां तो कुछ काम नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, आश्चर्य की बात है कि दूसरे दिन जब राजस्थान पत्रिका में फोटो दिये, तो सारा विवरण आया तो कलेक्टर ने स्वीकार किया कि वास्तव में ऐसा हो चुका है। लेकिन फिर भी पशु वहां से नहीं उठाये गये। परिणाम यह हुआ कि प्राकृतिक आपदा से मरे पशुओं की दुर्गन्ध से जो रोग फैला उससे पशुओं और मनुष्यों में भी कई बीमारियां व्याप्त हो गईं। यही नहीं पूरे रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र में

(श्री हरीश शर्मा)

भीषण अकाल लगातार चार साल से पड़ता आया है किन्तु अकाल के नाम पर कुछ भी काम नहीं किये जा रहे हैं यह बडे दु:ख की बात है। मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि रामगंज मण्डी से कुमकोड़ तक की सड़क अकाल राहत में चालू की थी लेकिन उसको बीच में ही छोड दिया गया। आप और कुछ नहीं करें तो कम से कम उसे तो पूरा कर दें। अभी तक आधी सड़क बिना बनी पड़ी हुई है।

इसी तरह से मैं विशेष तौर से एक सलाह दूंगा अकाल राहत मंत्री जी को, अगर आप अकाल का प्रभाव आंशिक रूप से रोकने के लिए परमानेन्ट काम करना चाहते हैं तो राजस्थान प्रदेश में जहां नदी नाले 11–12 महीने बहते हैं वहां पर आप आंख मूंद कर एनीकट बना दीजिये आपकी एक छाप रह जायेगी। जहां एनीकट बनाये जायेंगे वहां हरियाली हो जायेगी कुओं का जल स्तर बढ़ जायेगा। किन्तु सरकार यह निर्णय नहीं कर पाई कि एनीकट कौन बनायेगा। सिंचाई विभाग कहता है कि विकास विभाग बनायेगा और विकास विभाग कहता है कि पी. डब्ल्यू. डी. बनायेगा। आखिर सरकार एक जिम्मेदार इकाई है या 2–3 इकाई हैं। आज जवाब दें कि एनीकट बनाने की कौन से डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, कौन सा डिपार्टमेंट एनीकट बनायेगा? इसको सरकार महत्व भी देती है या नहीं?

सभापति जी, अकाल राहत में मेरे क्षेत्र में कोई काम नहीं खोला जबकि रामगंजमण्डी तहसील के एक गांव को छोड़कर सारे गांवों को सरकार ने अकालग्रस्त घोषित कर दिया है। इसमें शंका नहीं कि वहां से विपक्ष का उम्मीदवार जीतेगा, जीतता रहेगा। इसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं है यह तो प्राकृतिक विपदा है।

सभापति महोदय, मंत्री महोदय से कहूंगा कि जहां भी अकाल राहत कार्य खोले गये वहां मजदूरों को मजदूरी का भुगतान करने की जो आपकी प्रक्रिया है वह बहुत जटिल है। पहले यह होता था कि सरपंच भुगतान करता था। आज सरपंच भुगतान नहीं कर सकता। मजदूर द्वारा काम करने के बाद पंचायत समिति का जे. ई. एन. कार्य नापेगा और सरपंच को रिकमन्ड करेगा, पी.डब्लू.डी. को रिकमन्ड करेगा फिर उसको भुगतान मिलेगा। आखिर आप बतायें कि मजदूर सुबह से शाम तक काम करे तो उसे भुगतान क्यों नहीं मिले? पहले यह होता था कि मजदूर जैसे ही काम करके निपटता था सरपंच उसको हाथों-हाथ भुगतान दे देता था। क्या यह मजदूरों के ऊपर दोहरी मार नहीं है। एक तरफ मजदूर भूखा रहे, दिन भर काम करे फिर भी उसे मजदूरी नहीं मिले।

मैं विशेष रूप से कहूंगा कि मेरे क्षेत्र में आपने चारे के डिपो नहीं खोले हैं। वहां चारे की बहुत कमी है। मेरा गुढ़ा क्षेत्र पशु-बहुल क्षेत्र है जहां गूजर जाति के लोग बहुत हैं। मेरे विचार से आपको जानकारी होगी। कि कोटा में जो दूध आता है वह गुढ़ा क्षेत्र से आता है। कोटा में जो दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति है वहां भी सारा दूध मेरे यहां से सप्लाई होता है किन्तु फिर भी घास की व्यवस्था नहीं की गई है और न ही गूजरों को सहायता के रूप में कोई अनुदान दिया

(श्री हरीश शर्मा)

है। मैं चाहूंगा कि आप उनको राहत पहुंचा कर अनुदान देकर पुन: सक्षम करें।

इसके अलावा मैं पेयजल के सम्बन्ध में बात करूंगा। माननीय सभापति महोदय, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि सरकार जल्दीबाजी में बचकाना निर्णय लेती है। यह सब जानते हैं, मंत्री जी भी जानते हैं, आपने भावुकतावश नाम कमाने के लिए पी.एच.ई.डी. से हैण्ड पम्प लेकर के पंचायत समिति को दे दिये। मंत्री महोदय, आप बतायें कि क्या हैण्ड पम्प सरपंच ठीक कर सकेगा या ग्राम सेवक ठीक कर देगा। हैण्ड पम्प खराब होने के बाद उसको ठीक करने के लिए कोई तकनीकी व्यक्ति चाहिए। तकनीकी व्यक्ति पंचायत समिति को आपने दिये नहीं और हैण्ड पम्प आपने उनके हाथ में दे दिये। परिणाम यह हुआ कि आज प्रधान, सरपंच जूते खा रहे हैं, गांव वालों की गालियां सुन रहे हैं। अधिकतर हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं। पी.एच.ई.डी. के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि हम नहीं जानते, हमारे हाथ हैण्ड पम्प नहीं रहे। यह बड़ा गलत निर्णय है मेरी यह सलाह है कि आप इस निर्णय पर वापिस पुनर्विचार कीजिये और सारे हैण्ड पम्प पी.एच.ई.डी. को वापिस दे दीजिये अन्यथा आपकी भारी बदनामी होगी। वहां पर हैण्ड पम्प खराब होंगे उनसे आपकी बदनामी होगी। यही नहीं, माननीय सभापति महोदय, जब पहले जल प्रदाय योजना और हैण्ड पम्प वहां प्रारम्भ किये गये थे जहां के लिए जिला आयोजना समिति प्रस्ताव भेजती थी। आजकल जिला आयोजना समिति को छोड़कर सरकार जिला परिषद् से प्रस्ताव मंगवा लेती है। मैं मंत्री महोदय जी से यह पूछना चाहूंगा कि जो जिला परिषद् ने प्रस्ताव भेजे। क्या वास्तव में वह मान लिये आपने? कोटा के प्रस्ताव नहीं माने आपने, मेरे क्षेत्र के जो प्रस्ताव भेजे थे वह आपने नहीं माने और हैण्ड पम्प नहीं लगे। गत सत्र में भी यह सवाल उठाया था उसका आपने जवाब दिया था कि गोयनदा मण्डा मंडली भावपुरा में हैंड पम्प लगा दिये गये हैं। मैंने खुद जाकर देखा है एक भी हैण्ड पम्प नहीं लगा है, बोरिंग नहीं हुआ है, मशीनें तक नहीं पहुंची हैं। ऐसी हालत में इस प्रकार का गलत और निराधार जवाब देने से आपको क्या लाभ मिलता है? उसका क्या परिणाम रहा? यह जो पंचायत समितियों में हैंड पम्प चले गये हैं आज उनकी हालत खराब है। मेरे क्षेत्र में 80 प्रतिशत से ज्यादा हैण्ड पम्प खराब हैं। इस बारे में लोगों ने काफी शिकायतें की हैं। मंत्री महोदय से भी शिकायत की है। लगातार दो सालों से बराबर सूचना देते आये है कि वे ठीक हो जायेंगे लेकिन अब तक ठीक नहीं हो पाये हैं।

माननीय सभापति महोदय, गोगुंदा, डेम, बांध बांधकर रामगंज मंडी को पानी देने की योजना बनायी उसका सर्वे भी करा लिया गया था। पी.एच.ई.डी. के सेक्रेटरी जब कोटा आये थे तो वहां पर मौखिक स्वीकृति भी दे आये थे और यह भी कहा था कि वितीय स्वीकृति दे दी जायेगी। किन्तु आज तक इसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं दी गयी है। निमाड़ा गांव में इन्डस्ट्रियल एरिया में पानी सप्लाई करने के लिये बोरिंग किया था पाइन्ट हो चुका था लेकिन पानी आज तक सप्लाई नहीं किया जा रहा है। अधिकारियों से जवाब मिलता है कि हमारे पास लाइन डालने के लिये पैसा नहीं है। यही

(श्री हरीश शर्मा)

है। यही नहीं निम्बाड़ा गांव में भी पानी नहीं दिया जा रहा है जहां पर आपने बोरिंग किया। उस गांव में मैंने कह दिया है कि आयंदा पी. एच. ई. डी. वाले आये तो उनको गांव में बड़ने मत देना। यह तो उस गांव का मौलिक अधिकार है कि उनको पानी मिले। क्यों नहीं पानी सप्लाई करते हो? पहले बोरिंग क्यों किया था? अब पानी क्यों नही दिया जा रहा है?

एक माननीय सदस्य : समय काफी हो गया है। 15 मिनट हो गये हैं।

श्री हरीश शर्मा : कहां 15 मिनट हो गये हैं?

श्री सभापति : यह देखना मेरा काम है, माननीय सदस्य। आपने जो सुझाव दिया है जब आप बोलेंगे तो ध्यान रखूंगा। 2 मिनट में ही समाप्त करने को कहूंगा।

श्री सुजान सिंह यादव : बात तो समझ में आती नहीं है। टाइम खराब कर रहे हैं।

श्री सभापति : यह कैसे कहते हैं कि समय खराब कर रहे हैं। वे बोल रहे हैं। माननीय सदस्य, आप बोलिये।

श्री हरीश शर्मा : सभापति महोदय, यह बात सही है कि मेरी आवाज खराब है। लेकिन क्या बोला वह बात हम दोनों कमरे से बाहर कर सकते हैं। मैं वायदा करता हूं मैं बता दूंगा कि कौन की बात किस की समझ में आती है; कौन किसको समझता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आवेश में न आयें और आसन को संबोधित करें।

श्री हरीश शर्मा : मेरी आवाज पर आक्षेप क्यों? चांद की चांदनी पर थूकेंगे तो क्या होगा? बताओ आप।

श्री सभापति : धीरज रखें। संक्षेप में अमूल्य सुझाव दीजिये।

श्री हरीश शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मुझे बहुत दुःख है कि जन स्वास्थ्य के लिये जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण बहुत हानिकारक है। बहुत दुःख की बात है कि जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण करने वालों को कोई डर नहीं है। उनके खिलाफ कोई कानून बनाने की योजना है या विचार है परन्तु ये बना नहीं सकते हैं। उसका कारण सभापति महोदय, यह है, वायु प्रदूषण करने वाले और जल प्रदूषण करने वाले जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वे सरकार की जेब भरते हैं। इसलिए सरकार उनके खिलाफ कानून बनाने की हिम्मत नहीं कर सकती है। उनकी आत्मा नहीं मानेगी उनका मन नहीं मानेगा। रामगंज मंडी में एक फैक्ट्री है जो अपना सारा मलवा पानी में डालती है जिससे कि पशु मरते है, उनका स्लो पाइजन होता है। इन स्लो पाइजन देने वालों के खिलाफ कोई कानून है?

माननीय सभापति जी, एक जे.ई.एन. को पैसा मिला था अनुसूचित जाति के मोहल्ले में लाइन के लिये। उसने अनुसूचित जाति के मोहल्ले में तो लाइन डाली नहीं और अपनी जाति के मोहल्ले में लाइन डाल दी। जब पानी की भयंकर समस्या हुई तो उनको तो अच्छा पानी पिला दिया और जो उसकी जाति के नहीं थे उनको बेकार पानी पिलाया। उसकी शिकायत की गयी, एस.ई. को शिकायत की गयी किन्तु

(श्री हरीश शर्मा)

उस पर कार्यवाही नहीं की जा रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उनको किस तरह से पानी पिलाना चाहते हैं।

मैं निवेदन करूंगा, विशेष तौर पर ध्यान दिलाऊंगा कि जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के लिये आपने एक बोर्ड तो बना रखा है लेकिन अब तक आपने कोई कानून नहीं बनाया है। जब तक कानून नहीं बनायेंगे तब तक यों ही प्रदेश का वातावरण खराब होता रहेगा और अकाल पड़ता रहेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जैसी आपकी भावना थी; 5 मिनट सब बोलेंगे तो 4 मिनट के बाद में घंटी बजा दूंगा। 5 मिनट में समाप्त हो जाना चाहिए।

श्री रतनाराम चौधरी।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, आज अकाल राहत और पेयजल की मांग पर विचार-विमर्श चल रहा है। मैं भी अपने जालोर जिले की समस्या अकाल राहत मंत्री जी को निवेदन कर देना चाहता हूं। जालोर जिला, बाड़मेर जिला, नागौर जिला और जो पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं वह अकाल से जूझते रहते है। जालोर में दो तीन साल से अकाल है। जैसा हमारे भाई ने पहले कहा, सारा जालोर पीड़ित है। जालोर में चारा 70 रुपये क्विंटल बिका है, ज्वार की कड़ब 70 रुपये प्रति क्विंटल बिकी है। आज भी लोग 70 रुपये प्रति क्विंटल में लेकर अपने पशुओं को बचाने के लिये अपना तन-मन और धन न्यौछावर कर रहे हैं।

आपने पंचायत समिति को अकाल राहत कार्य की व्यवस्था दे रखी है जैसा आपने यहां फर्माया कि 50,000 रुपये का बजट पंचायत समितियों को दिया है, योजना दी है। लेकिन पंचायत समिति के पास कोई इन्तजाम नहीं है। हम सदैव आपसे निवेदन करते आये हैं और लिखित में भी निवेदन किया है कि हमारे जालोर जिले में विशेष तौर से रानीवाड़ा क्षेत्र में इस वर्ष अगर आप सबसे ज्यादा सड़कें स्वीकृत कर दें तो गरीबों को, मजदूरों को कम से कम रोजगार तो मिल जाये वे अपना पेट पाल सकें और अपने पशु-धन को बचा सकें। इसके लिये मैंने सर्वप्रथम लिखित में दिया, मैंने कई बार निवेदन किया और आपने आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी सड़कों के काम की स्वीकृति दी जायेगी। परन्तु जलोर जिले में फेमिन रिलीफ वर्क में मजदूरों की लिमिट बहुत कम रखी है केवल 8,000 रखी है। तो 8,000 लोग तो एक विधान सभा क्षेत्र में ही काम करने के लिए तैयार हैं। पूरे जिले के लिये जो 8 हजार की लिमिट रखी है वह बढ़ाकर करीब 25,000 रखी जाय।

हमारे रामसीण जसवंतपुरा में फेमिन के कार्य में मेटल बिछाया गया था वह मेटल डालना बेकार रहा है। इस वर्ष उस पर डामर करा दिया जाय तो जो पैसा लगाया है उसका सदुपयोग हो सकेगा। पंचायत समिति जसवंतपुरा में पुलिस थाना है। अब तक सड़क पर डामर कार्य नहीं कराया है। वह पंचायत समिति हैड क्वार्टर है इसलिए इस काम को सर्वप्रथम हाथ में लेना चाहिए।

दूसरा हमारे जन स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा आपका विभाग ट्यूबवेल

(श्री रतनाराम चौधरी)

खोद रहे है, उनकी स्वीकृति दे रहे हैं। मेरे यहां पर बड़े बड़े बेरे हैं। जिस गांव में जनरेटर लगाकर या पम्प सैट लगाकर काम चल सकता है वहां पर ट्यूबवेल की जरूरत नहीं है उसमें लाखों रुपया बरबाद करने की क्या आवश्यकता है हमारे यहां पर ग्राम मन्दारडी कुआं है वहां एक दफा एक गुजराती चौधरी ने एक पम्पसेट लगाया था वहां पर चार इंच का पाइप चलाया था, किन्तु उसके बाद भी पानी 3-4 फीट से ज्यादा नीचे नहीं गया था। इतना पैसा आप ट्यूब वैल में क्यों खराब कर रहे हो? अब जो सेवाड़ा, मुखातरा, कूड़ा में किया है तो वहां पर तीन दिन में एक दिन पानी मिलता है तो फिर उसका क्या फायदा है इससे तो अच्छा है गांव के जो लोग अपने कुओं को देने के लिये तैयार हैं पहले तो उन गांव वालों को पम्प सैट दीजिये और टंकी बनवाइये जिससे पानी का पूरा उपयोग हो सके और हमारे बेरो का भी सुधार हो सके। जैसे हमारे गांव गान्दणा...

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

गान्दणा में 2 साल पहले एक कुएं का पानी भयंकर बहुत खराब हो गया, जिस से गांव में करीब 10–12 आदमी मर गये। आपके अधिकारियों ने उसकी जांच करवायी। जांच करने के बाद यह पाया गया कि पानी पीने लायक नहीं है गांव वालों को कहा कि इसका उपयोग मत कीजिए, नहीं तो और लोग भी मर सकते हैं। वह सलाह तो दे दी परन्तु उन गांवों में पीने के पानी का कोई इन्तजाम नहीं किया। इसलिए मेरा आप से निवेदन है कि जैसे ग्राम रामसीण में पाइप लाइन डाल दी, परन्तु 2–3 दिनों में मामूली 10-15 मिनट पानी आता क्योंकि पानी के जो स्रोत हैं, उनमें पानी है नहीं, जैसे बीटण में कुआं खोदा है, उसमें पानी बहुत है इसलिए बीठण से पानी रामसीण को दिया जाये। जसवंतपुरा में जनसंख्या को देखते हुए जो पानी की टंकी मौजूदा बनी है उसकी बहुत थोड़ी कैपेसिटी है। उसका कैपिसिटी बढ़ाई जाये। डिगाव के अन्दर टांके बने है, जैसे बाड़मेर में हैं, ठीक उसी तरह के हैं, उनकी साइड में एक किलोमीटर की दूरी पर पाइप लाइन है, उस पाइप लाइन से टंकी में पानी दे दीजिए, ताकि उस टंकी में पानी आ सके और गांव वाले उस से निकाल कर पी सकें। टांका बना दिया और बरसात नहीं होती, वह टंकी भरती नहीं, इसलिए जो पाइप लाइन है, उसका टंकी से कनेक्शन दे दीजिए ताकि गांव वालों की प्राब्लम पीने के पानी की है, उसका समाधान हो सके।

श्री सभापति : श्री कनक राज मेहता।

श्री कनक राज मेहता (सांचोर) : सभापति महोदय, मैं आपका ज्यादा समय न लेकर मेरे क्षेत्र तक ही मेरी बात सीमित रखूंगा अकाल और पानी के संबंध में। अकाल के लिए निवेदन यह करना है कि इस साल अकाल की भयंकर स्थिति है, मेरे क्षेत्र के अन्दर। पर वहां पर कम काम चालू हुए हैं। मेरा निवेदन यह है कि पश्चिमी क्षेत्र जहां कि चौथे वर्ष अकाल है, में पीने का पानी नहीं है, लोग मजदूरी के लिए तड़प रहे है। उस क्षेत्र के अन्दर काफी जगह गरल खोदे पड़े हैं। पिछले साल के अन्दर कुछ कार्य भी हुए हैं, लेकिन अधूरे कार्य हुए हैं, मेरा निवेदन है कि आप जल्दी कार्य शुरू करें। तो मेरे क्षेत्र के अन्दर वहां लोग काफी लाभान्वित हो

(श्री कनकराज मेहता)

सकते हैं। उनको ज्यादा मदद देने की जरूरत नहीं है।

दूसरी बात मेरे क्षेत्र के अन्दर अनाज की बड़ी भारी कमी है, किल्लत है। गत चार सालों से अनाज पैदा नहीं हो रहा है, लोगों की मांग बाजरा और ज्वार की बहुत भारी है। मेरा यह भी निवेदन है कि गरीब लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बाजरे और ज्वार की व्यवस्था कर दें तो वे लोग आपका बहुत अहसान मानेंगे क्योंकि इन लोगों को भूख का सामना नहीं करना पडेगा। वह लोग बाजरा और ज्वार खाने के आदी हैं। या वह लोग मजदूरी करने वाले हैं, गेहूं खाने के आदी नहीं हैं, इसलिए ज्वार-बाजरे की व्यवस्था करें।

तीसरी बात यह है कि जानवरों के चारे के लिए घोषणा की गयी थी। पंचायत समिति स्तर पर कुछ पैसा दे देंगे लेकिन आज दिन तक पैसा नहीं मिला है। वह व्यवस्था तो शीघ्र करवा दें क्योंकि मार्च तो खतम होने आया 2–3 दिन रहे हैं, वह पैसा मुहैया करें ताकि पंचायत समिति अपने स्तर पर चारे की व्यवस्था कर सके।

दूसरी बात यह है कि पशुओं के लिए दाना फीड भी मुहैया कराके तहसील लेवल पर खोले जायें तो मेरे ख्याल से काफी जानवर, जिनकी हैल्थ डैटीरियोरेट दिनों दिन होती जा रही है, को बचाया जा सकता है।

पानी के संबंध में मेरा यह निवेदन है कि साचोर क्षेत्र के अन्दर काफी बड़ी बड़ी पाइप लाइनें लगी हुई हैं। मेरे क्षेत्र के अन्दर काफी गांव रह भी गये हैं, मुझे यह समझ में नहीं आया, जो काफी गांव रह गये, वह क्यों रह गये हैं? मुझे मालूम पड़ता है कि अधिकारी लोगों का पूरा ध्यान नहीं होने के कारण मेरे क्षेत्र में काफी गांव आज दिन तक पानी से वंचित रह गये हैं। जिनकी लिस्ट मैं मंत्री महोदय को दे चुका हूं। जो गांव पाइप लाइन से जुड़ नहीं पाये हैं ऐसे 22 गांवों की सूची दी है मेरा निवेदन यह है कि इस साल के अन्दर सम्भव नहीं हो तो अगले साल के अन्दर समस्याग्रस्त गांव पाइप लाइन से जोड़ दिये जायें ताकि वे पेयजल से वंचित नहीं रहें।

टैंकरों की व्यवस्था है, आपकी तरफ से 2–3 टैंकर लगे हैं लेकिन दिक्कत यह है कि धूल के अन्दर टैंकर चल नहीं पाते। कई टैंकर खराब करके बैठ जाते हैं। उसका यह नतीजा होता है कि जिस क्षेत्र के अन्दर पानी पहुंचाने के लिए टैंकर लगाये जाते हैं, उस क्षेत्र के अन्दर बराबर पानी नहीं पहुंचने के कारण वह लोग लाभान्वित नहीं हो सकते। मेरा यह निवेदन है कि आप इंस्ट्रक्शन दीजिए जिस क्षेत्र के लिए टैंकर लगाया जाता है, वह अमुक क्षेत्र के अन्दर पानी पहुंचाने में फेल हो जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए या निर्धारित समय के अन्दर टंकियां पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए कारगर कदम उठाना बहुत आवश्यक है।

तीसरी बात यह है कि मंत्री महोदय की मेहरबानी से हमारे क्षेत्र के अन्दर 10–12 गांव साकड योजना से जुड़े हुए थे, उनके अन्दर तो पानी है, दूसरे ट्यूबवैल से कनेक्शन होने से मीठा पानी उपलब्ध हो गया है लेकिन हेमागुढ़ा क्षेत्रीय योजना है, वहां पर पानी बहुत खारा है। मैं पहले भी निवेदन

(श्री कनकराज मेहता)
कर चुका हूं, इतना खारा है कि मेरे गांव में सरकारी साहब रहते हैं, वह भी दुखी हैं। वहां हायर सैकण्डरी स्कूल खुल गये हैं, सफाखाना भी है, क्षेत्र के अन्दर काफी संस्थान हैं लेकिन पानी पीने के काबिल नहीं। मेरा निवेदन है कि सर्वे भी हो चुका मेरे क्षेत्र का, जहां जहां मीठे पानी के स्रोत हैं वह भी टेप कर लिये गये हैं, मेरा यह निवेदन है कि 10-12 गांव खारा पानी पी रहे हैं उनको मीठे पानी के स्रोत जहां डिसकवर कर लिये गये हैं, जल्दी से जल्दी जोड़ दिया जाये, ताकि वह लोग, क्षेत्र मीठे पानी से लाभान्वित हो सकें। अपनी योजना भी यही है कि मीठा पानी लोगों को देना चाहिए। खारा पानी देने का कोई औचित्य भी नहीं है, मेरा मंत्री महोदय से यह भी निवेदन है कि आधा क्षेत्र तो मेरा सांवड योजना का है, वह तो आपने लाभान्वित कर दिया, उसका तो अहसान मानता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं, साथ ही, दूसरी लंबी योजना है, इसमें भी आप मीठे पानी से ...

श्री परसराम मदेरणा : कौन सी ?

श्री कनक राज मेहता : हेमागुढा और भाव अगर कर देंगे। करने के चांसेज भी बहुत है, अभी मालूम हुआ है कि कई गांवों के अन्दर अड़ोस-पड़ोस में मीठा पानी निकला है, वह हो जाये तो 12 गावों का कल्याण हो जायेगा।

मेरा आप से यह भी निवेदन है कि सांचोर क्षेत्र में क्षेत्रीय योजना चल रही है, काफी दूर तक पानी आता है। अधिकतर नगरपालिका का क्षेत्र होने के कारण नगरीय और ग्रामीण योजना अलग-अलग बनना बहुत जरूरी है। सांचोर के अन्दर नगरीय योजना के तहत ट्यूब वेल खुद चुके हैं, वहां का पानी मीठा है लेकिन अब तक टंकी की स्वीकृति न होने के कारण सांचोर का जो 20-25 मील दूर तक पानी जाता है, वह पानी वहां पर अवरुद्ध हो जाता है ...

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

... क्योंकि नगर बहुत बढ गया है, नगर के अन्दर पानी की काफी मांग रहती है मेरा यह भी निवेदन है कि नगरीय और ग्रामीण योजनाओं को अलग करने के लिए ट्यूब वेल बनकर तैयार हो गये हैं, एक टंकी बनना बहुत आवश्यक है। टंकी बन जाये तो लोगों की गांव के अन्दर पानी की जो कमी आ रही है, वह बिल्कुल मिट जायेगी। मेरा यह निवेदन है कि यह टंकी निर्माण सांचोर के अन्दर नगरीय योजना के अन्तर्गत जल्दी करा दिया जाये ताकि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जिन ग्रामों तक समय पर पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उनमें समय पर पहुंचावे। जो पहले के गांव हैं, जो क्षेत्रीय योजना से वंचित रह गये हैं, वह भी कवर हो जायेंगे।

अब ज्यादा समय नहीं लेकर, समय के पूर्व ही आपको एक बार धन्यवाद देकर अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री सभापति : श्री जगदीश प्रसाद निवाड़ी।

(अनुपस्थित)

श्री सैयद मोहम्मद अयाज महाराज।

(अनुपस्थित)

श्री अमान खा।

(अनुपस्थित)

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदय, पहले बोलने वालों को तो बहुत समय मिल जाता है, और हमको कम मिलता है।

माननीय सभापति महोदय, आज हम राजस्थान प्रदेश में व्याप्त अकाल और पेयजल की समस्या के बारे में प्रस्तुत मांगों पर विचार कर रहे हैं। राजस्थान को प्राकृतिक रूप से देन है कि हर दूसरे तीसरे वर्ष यहां अकाल पड़ता है। उसके कारण पेयजल की समस्या भी लगातार बढ़ती है। किसी भी कल्याणकारी सरकार के लिये यह आवश्यक है कि अकाल की स्थिति में लोगों के जीवन यापन के लिए समुचित सहायता प्रदान करें और ऐसे स्थायी कार्य प्रारम्भ करें जिनसे आने वाले वर्षों में लोगों को कष्ट कम उठाना पड़े। इस दृष्टि से मैं कुछ बातें निवेदन करना चाहूंगा।

मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं सरकार को कि इस वर्ष अन्य वर्षों के अपेक्षा गांवों में जल्दी गिरदावरी कराकर अकालग्रस्त घोषित करके राहत कार्य प्रारम्भ किए। इसके लिए तो अकाल राहत मंत्री निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं किन्तु इसके साथ साथ जो आपने राजस्थान के और जिलों के लिए श्रमिकों की संख्या निर्धारित की है उस ओर मैं समझता हूं आपका ध्यान गया नहीं। जहां आपने मार्च में 347 लाख श्रमिक राजस्थान में लगाने का निर्णय किया था उसके मुकाबले अभी 2,79,587 कुल श्रमिक लगे हुए हैं। इस तरह आपने जो संख्या निर्धारित की उसमे 67413 आज के दिन कम काम कर रहें हैं। मैं जिस जिले से आता हूं उस जिले में जो आपने काम स्वीकृत किए हैं उनकी 56 हजार के लगभग आपने क्षमता निर्धारित की थी। इन कामों को पूरा करने के लिए आज के दिन जो श्रमिक लगे हुए हैं, भीलवाड़ा में 13 लाख की जनसंख्या है, लगभग 35 हजार के आसपास श्रमिक लगे हुए हैं जिनमें से 21 हजार श्रमिक जो आपने स्वीकृत किए हैं उनको कामों पर लगाने की क्षमता होते हुए भी नहीं लगाने से काफी स्थिति गंभीर है। जैसे जो प्रतिवेदन आपने हमको प्रस्तुत किया आपने परिशिष्ट–च में वर्णित किया है। इसके अतिरिक्त एक समस्या सन् 1979–80, 1980–81, 1981–82 और 1982–83 की जो अनपेड गांवों की, श्रमिकों की रह गई। स्पष्ट तौर से मेरे सामने उदाहरण आए थे, अभी उन श्रमिकों ने पैसा प्राप्त नहीं किया। प्रशासन गांवों की ओर गया तो उनके अंगूठों की निशानी लगाकर पता नहीं किस ने पेमेंट उठा लिया। बहुत सा पेमेंट बिना अंगूठे की निशानी के आज भी बकाया है। तो पिछले वर्षों के जो अनपेड हैं, जिन श्रमिकों ने काम किया उनको मिलना चाहिए। इस बात की ओर विशेष तौर से ध्यान दें।

एक समस्या यह आ रही है जो 25 हजार से नीचे की अथवा 15 हजार से नीचे की नगरपालिकायें हैं वे भी एक तरह से गांव हैं। आपने राजस्व गिरदावरी करते समय गिरदावरी में उनको अकालग्रस्त माना है। वे निश्चित रूप से अकाल से प्रभावित हैं। तो आपकी यह नीति किसी भी तरह से वाजिब नहीं है कि जिसको आप अकालग्रस्त गांव घोषित कर दो उसके श्रमिकों को राहत

(श्री रतन लाल ताम्बी)

कार्यों पर न लगायें, यह मैं समझता हूं अभिशाप की बात होगी। आज ही अकाल राहत मंत्री इस बारे में निश्चित घोषणा करें कि 25 हजार से कम वाले नगरपालिका क्षेत्र हों या इससे भी कम आप 15–20 हजार मान लें, उनके श्रमिकों को निश्चित रूप से अकाल राहत कार्यों पर लगाकर, उनको राहत देने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिए।

पिछली बार मैंने निवेदन किया था कि आपके जो अकाल राहत कार्य चलते हैं ये योजनाबद्ध ढंग से नहीं चलते हैं। प्रत्येक तहसील का मास्टर प्लान बनाकर, स्थाई मास्टर प्लान बनाकर उसके आधार पर आपको काम चलाने चाहिए। हर वर्ष काम चलते हैं, वह काम अधूरे रह जाते हैं। ऐसा कई वर्षों से चलता आ रहा है कि काम पूरे नहीं होते। इसलिए इस बारे में ऐसी स्थाई नीति निर्धारित करके आपको चलना होगा।

मैं यह निवेदन करते हुए अब पेयजल की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राजस्थान में जैसा मैंने निवेदन किया, पेयजल की समस्या बहुत गंभीर है। किसी भी कल्याणकारी सरकार के लिए आवश्यक है कि वह दूर-सुदूर गांवों में बसने वाले लोगों के लिये पेयजल की समुचित व्यवस्था करे। राजस्थान के पिछले वर्ष के बजट पर हम विहंगम दृष्टि डालें तो करोड़ों रुपये हमने पेयजल के नाम पर खर्च किये हैं उसके बाद भी यह समस्या यथावत है। आपने इस बार कहा कि छठी पंचवर्षीय योजना में 24 हजार गांवों को पेयजल सुलभ करेंगे और आपने लगभग 14–15 हजार गांवों की समस्या का समाधान भी मान लिया। अगर ऐसा ही समाधान आप मान रहे हैं तो राजस्थान में कहीं 10 हैण्ड पम्प लगा दिए, कहीं 6 लगा दिए उनमें से 40 पर्सेन्ट हैण्ड-पम्प आज के दिन खराब पड़े हैं, वे बिल्कुल काम नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे दो तीन कारण हैं। एक कारण तो गहराई का है, वह उतने पूरे गहरे खोदे नहीं जाते हैं जितने गहरे खोदने के लिए कहा जाता है। इसलिए एक दो वर्ष चलने के बाद उन हैण्ड पम्पों में पानी नहीं रहता है, वे सूख जाते हैं। दूसरी समस्या है कि प्रायः उनमें खराबी हो जाती है। आपने उनकी पंचायतों को व्यवस्था सौंपी। मैंने अभी गांवों में घूमने के बाद इस बात का अनुभव किया है कि पी. एच ई. विभाग पहले जो संभाल कर हैंड पम्प डालता था उससे भी स्थिति ज्यादा दयनीय हो गई है। इसलिए आपको ट्रेन्ड व्यक्ति जे. ई. एन. हर पंचायत में लगाकर इसकी समुचित व्यवस्था करनी पड़ेगी तब जाकर समस्या का समाधान होगा वरना आज के दिन 40 पर्सेन्ट हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं और उनका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है।

करोड़ों रुपये लगाने के बावजूद भी आज समस्या जहां की तहां है। उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। आपके विभाग के माध्यम से जो यह काम हो रहा है इस काम के मामले में कई प्रकार की बातें हमारे सामने आती हैं। 12,600 इन तीन वर्षों में हैण्ड पम्प विभाग के माध्यम से खोलने का, खुद खुदवाने का और 17,400 निजी व्यवसायी या फर्म्स से खुदवाने का आपने निर्णय किया था। मैं निवेदन कर रहा था कि जब आपने विभाग के माध्यम

(श्री रतन लाल ताम्बी)

से 12,600 खुदवाने के लिए तय किया है तो आपके पास 98 मशीनें ...

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, थोड़ा समय दीजिए। मैंने बहुत तैयारी कर रखी है।

श्री सभापति : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल ताम्बी : बहुत संक्षेप में ही, थोड़ी महत्वपूर्ण बातें आपसे अर्ज करूंगा।

मैं निवेदन कर रहा था कि जिस विभाग के पास 98 मशीनें हों उसके पास आप 12600 पाइंटस रखें और निजी व्यवसायी या फर्म्स, जिनके पास 30 मशीनें हैं, को 17400 के आसपास पाइंटस दिए थे, मेरी समझ में यह नहीं बैठा। इतनी बड़ी संख्या में आपके पास एक तरह से बोरिंग मशीनें उपलब्ध थीं तो ज्यादा काम विभाग को करना चाहिए था। वह क्यों नहीं किया? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं। इस संबंध में जो कुछ बातें हमारे सामने आती हैं वह बातें बहुत गम्भीरता से सोचने के लायक है। एक तो विभाग ने इस वर्ष जो जी.आई. पाइप खरीद किए गए हैं सवा इन्च के उस बारे में बात बड़ी असमजंस की नजर आती है। बाजार में जो पाइप 20 रुपये मीटर मिल जाता है वह आपके विभाग ने बिना किसी टेंडर के 30) रुपये मीटर पर खरीदे हैं। इस प्रकार पाइप में करोड़ों रुपये ज्यादा लगे हैं। इसमें अनियमितता घोटाले होने की बात जब सामने आती है तो मैं समझता हूं पी. एच.ई.डी. के मंत्री, जिनकी इन्टेग्रिटी के बारे में, जिनकी ईमानदारी के बारे में आज तक छाप है, इस बात को देखें कि क्या मामला है। राजस्थान में करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से पानी की समस्या मिट नहीं सकती, यह समस्या यथावत बरकरार रहेगी। इसलिए इस मामले की आपको खास तौर से उच्च स्तरीय जांच कराने की आवश्यकता है। गत सितम्बर में भी, माननीय जन स्वास्थ्य मंत्री ने यहां घोषणा की थी कि इसकी जांच करवाई जाएगी। एक कमेटी तकनीकी अधिकारी या आई.ए.एस. अधिकारियों की बनाई थी, वह कमेटी कहां गई, जांच कहां गई? इसका परिणाम तो सामने आया नहीं लेकिन पाइप खरीदने के जो परिणाम सामने आ रहे हैं उससे मालूम होता है कि इसमें काफी गड़बड़ चल रही है। एक सवाई माधोपुर जिले का उदाहरण सामने आया, जहां 150) रुपये मीटर के बजाय 240) रु. मीटर की रेट पर दक्षिण भारत की किसी कम्पनी को 112 पाइंटस खोदने के लिए दिए गए। 50) रुपये प्रति मीटर पर करीब-करीब खुदाई होती है। इसमें मुझे लाखों रुपये की अनियमितता नजर आती है। इसके साथ-साथ यह भी आज देखने की आवश्यकता है कि इस प्रकार 150) रुपये मीटर की रेट खुदाई की मानकर इसके बजाय आप 240 देते हैं और वह भी दक्षिण भारतीय एक कम्पनी को। 112 पाइंटस खुदवाते हैं और उसकी खुदाई का आकार होता है उसमें भी अंतर आता है तो आखिर इसमें क्या मामला है, इसको देखने की बड़ी आवश्यकता है।

(श्री रतन लाल ताम्बी)

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की मशीनें जो आपके यहां चलती हैं उनकी व्यवस्था को देखने की आवश्यकता है। जो फेल्योर पाइंटस हैं, सरकार की मशीनों द्वारा खोदे जाने वाले फेल्योर पाइंट्स का प्रतिशत लगभग 80 आता है और निजी का यह बहुत बड़ा अन्तर क्यों है? आज यह भी एक बहुत गंभीरता का विषय बना हुआ है प्लेटफार्म लगाने का जो मामला है विभाग की रेट है वह 1250) रु. है और कान्ट्रैक्ट रेट 390) रु. है। लगभग 870 का अंतर...

सभापति : समाप्त कीजिए।

श्री रतनलाल ताम्बी : समाप्त करने जा रहा हूं।

एक कम्पनी है जो जयपुर की है। सीकर, झुंझुनूं जहां से आप आते हैं, में पहले खुदाई का काम किया हुआ था उसने वह काम पूरा नहीं किया। ब्लेक लिस्टेड होने और इस पर पेनल्टी लगने के बाद उसी कम्पनी को फिर उन्हीं जिलों का 40 से 50 प्रतिशत से ज्यादा की रेट पर ठेका दिये जाने की बात सामने आती है। तो आखिर यह क्या मामला है? इस प्रकार की बातें होती हैं। मैं माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यहां सदन में कई चर्चायें उठती हैं, कुछ राजनेताओं को भी उससे जोड़ा जाता है। राजस्थान में यह एक बहुचर्चित विषय हो चुका है, आखिर इसमें क्या है, इसके लिए आप उच्चस्तरीय न्यायिक जांच करायें जिससे सारा मामला सामने आ सके। बाकी राजस्थान में यह चर्चा का विषय बनता रहे और राजस्थान सरकार बदनाम होती होगी केन्द्र के सामने, राजस्थान में ऐसा क्या है, इतना रुपया लगाने के बाद में भी समस्या क्यों है. यह चर्चा हमारे सामने क्यों आती है। इसलिये मदेरणा साहब जैसे व्यक्ति से मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहूंगा, वैसे मेरे पास कहने को बहुत था लेकिन समय के अभाव को देखते हुए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, जैसा मैंने निवेदन किया, माननीय पी. एच. ई. डी. मंत्री महोदय को व्यक्तिशः जानता हूं 28-30 सालों से उनकी इन्टेग्रिटी और ईमानदारी के बारे में मुझे शक नहीं है पर मेरी यह बात समझ में नहीं बैठी है कि इतने इन्टेलिजेन्ट सर्वाधिक होशियार व्यक्ति होते हुए इस विभाग पर उनकी पकड़ कैसे ढिली होती जा रही है जिससे आज यह चर्चा बहुत ज्यादा चल रही है। मैं समझता हूं उनके इस विभाग पर लोग कई प्रकार के आरोप लगाते हैं, समाचार-पत्रों में न्यूज आती है तो यह बात सही जनता के सामने लानी पड़ेगी। इसलिए एक न्यायिक जांच कराकर सारे मामले को स्पष्ट करें ताकि राजस्थान में इस प्रकार की जो स्थितियां पैदा होती हैं और जो कई प्रकार की बातें सामने आती हैं, जैसे यह भी बताया जाता है कि एक बार रेट कान्ट्रैक्ट दे दिया, उसके बाद उससे काम करवाया उस काम में शिकायतें घोटाले की सामने आईं, उसके बाद कोर्ट में चला गया, कोर्ट से कोई स्टे हो गया, उसके बाद फिर स्टे वेकेट हो गया, कई स्टे अभी भी चल रहे हैं इस प्रकार की कई अलग बातें सामने आती हैं तो आप भी सारे मामले को गम्भीरता से लें। जो जन चर्चायें सामने आती हैं, आप जैसे व्यक्ति के हाथ में

(श्री रतनलाल ताम्बी)
जब यह विभाग है तो मैं समझता हूं आपको इस बारे में साफ स्थिति करने की आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने क्षेत्र की तीन चार बातें कहता हूं।

श्री सभापति: समाप्त कीजिये।

श्री रतनलाल ताम्बी: सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मैं जिस इलाके से आता हूं उसमें एक नगरपालिका है। 1 लाख 75 हजार के आस पास गांवों में जनसंख्या है, पहाड़ी भी है मैदानी इलाका भी है वहां पेयजल की समस्या गम्भीर है। जहाजपुर नगर में, माननीय सभापति महोदय, आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा, नादादी नदी है उसके पास पी. एच. ई. डी. ने कुआ खुदवाया वह कुआ खुदा नहीं उससे पहले ढह गया। वहां पर पानी पर्याप्त होते हुए भी जहाजपुर की जनता संकट में है। वहां पर ट्यूब वैल खुदवाने चाहिये। दूसरी चीज बहुत वर्षों पहले बनी हुई, नई आबादी काफी बसी हुई है। कुछ तो लाइन का विस्तार करके और ट्यूब वैल लगाकर इस समस्या का समाधान करना आवश्यक है। जहाजपुर के नगर में हर वर्ष काफी गंभीर समस्या आती है। गत वर्ष भी काफी झगड़ा हो गया, आपके जे. ई. एन. के साथ काफी पिटाई हो गई और कई प्रकार की बातें हुई। इसलिए समय रहते इसकी स्थाई व्यवस्था करें।

टी.एस.एस. गांवों में नहीं चल रही हैं। टी.एस.एस. के नाम से आपने कह दिया कि वहां पर व्यवस्था हो गई। वस्तु स्थिति यह है, चल ही नहीं रही है। आपके रिकार्ड में टी.एस.एस. लिखते ही आपने लिख दिया कि टी.एस.एस. से पानी की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो राजस्थान के विकास की बात नहीं होगी। मैं समझता हूं, मेरे इलाके की जितनी टी.एस.एस. हैं एक भी नहीं चल रही है। सब गांवों के लिये कह दिया कि जो पेयजल समस्याग्रस्त गांव हैं, उनको दे रहे हैं, यह बहुत बड़ा अन्याय है उस क्षेत्र की जनता के साथ।

एक मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जिस गांव में मैं रहता हूं पन्डेर मेरा गांव है उसके पास बनास नदी है। पानी काफी उसके पास बह रहा है। वहां से पन्डेर में आपने पानी सप्लाई किया। सोर्स आ सकता है, कन्ट्रोल नहीं होवे इतना पानी है उसके पास तीन-चार गांव बड़े-बड़े हैं गम्भीरा, टीटोडी, टीटोड़ा। उनके लिए क्षेत्रीय योजना के लिये, माननीय मदेरणा साहब, आपको लिखा भी था, व्यक्तिशः भी निवेदन किया था कि बनास नदी में सोर्स उपलब्ध है, लोग प्यासे मर रहे हैं, इसलिये इस बारे में ध्यान देने का कष्ट करेंगे।

एक पीपून योजना के बारे में बार बार निवेदन करता आ रहा हूं। मेरे पास टेलिग्राम आया, मैं प्रधान था उस समय, मैंने तत्काल जाकर पैसा जमा कराया, 13 साल 14 साल हो गये हैं, आज तक उस योजना की स्वीकृति नहीं हुई। आपने मुझे आश्वासन तो दिया था पिछली बार कि इस साल निश्चित रूप से स्थाई स्वीकृति हो जायगी। मैं समझता हूं उसकी ओर भी आपका ध्यान जायगा।

इसी तरह से मेरे इलाके में बिलिया राबी एक गांव है वहां पेयजल की समस्या

(श्री रतनलाल शाम्बी)

गम्भीर है। मैं समझता हूं, उस ओर भी आपका ध्यान जायगा।

टीटोड़ा गांव है उसके पास खोवड़ा बहुत बड़ा गांव है वहां की नल योजना को आप विस्तृत कर दें। टीटोड़ा बांध बंध गया, उसमें पानी का सोर्स बहुत है। वहां से उस गांव की समस्या हल हो सकती है। पूरा ट्राइबल का गांव है, बहुत बड़ी जनसंख्या उन गांवों में रहती है।

मैं समझता हूं इस प्रकार के जो मैंने कुछ सुझाव दिये हैं उनके ऊपर गम्भीरता से विचार करेंगे। जो समस्यायें हैं, जो प्रश्न सामने आये, अनियमितता, घोटाले, गड़बड़ी जो भी आपके सामने आती हैं, आप बहुत मजबूत व्यक्ति हैं और डरने वाले नहीं हैं इसलिये उनका आप समाधान करके राजस्थान की जनता का विश्वास इस मामले में अर्जित करेंगे, अधिक से अधिक पेयजल की समस्या का समाधान करेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री देवदत्त तिवाड़ी। समय का ध्यान रखेंगे।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : माननीय सभापतिजी, यह बात स्पष्ट है, दूसरों को समय देंगे उसके पास समय नहीं रहेगा। माननीय मंत्रीजी भी इसको अपनी निगाह में कर लें।

अकाल का जहां तक प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा का प्रश्न हमारे जिले में यह है कि कभी कभी बाढ़ आती है और कभी ज्यादा अकाल पड़ता है। बाढ़ के लिए तो हम ईश्वर से प्रार्थना करें तभी आ सकती है। हम यह चाहते हैं कि ऐसी प्रार्थना हमको न करनी पड़े क्योंकि जब तक तीन चौथाई राजस्थान नहीं डूबता है तब तक हमारा नम्बर बाढ़ में नहीं आता है इसलिए ऐसी प्रार्थना हम नहीं करना चाहते। लेकिन अकाल तो हमारे यहां अवश्य पड़ जाता है। मैं सरकार का ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि उनका अकाल घोषित करने का जो तरीका है और अकाल राहत कार्य चालू करने का जो तरीका है वह दो तरह का है, समान रूप से नहीं करते हैं। अगर यह समान रूप से करें तो सारे राजस्थान में इतना भीषण अकाल नहीं पड़े जितनी अकाल की भीषणता जैसलमेर और बाड़मेर जिले में होती है। अगर सही मायने में देखा जाय तो पश्चिमी इलाके के तीन चार जिले ही ऐसे हैं, मैं निर्भीक होकर कहूंगा, उनमें ही केवल अकाल की छाया रहती है दूसरे इलाके में नहीं रहती, इनके खुद के नार्म के अनुसार नहीं रहती। ये क्या करते हैं कि जहां बरसात नहीं होती है, माननीय सभापतिजी, बरसात फेल हो जाती है तो वहां यह अकाल घोषित करते हैं। ठीक है यह बात सही है लेकिन जहां दो साखिया गांव है सारे राजस्थान में वहां पर बरसात दिसम्बर और जनवरी में होती है तो फिर क्या कारण है वहां पर सुकाल नहीं कहा जाता ? वहां पर भी अकाल ही कहा जाता है। कम से कम वर्षा के होने से और साख अच्छी होने से यदि अकाल नहीं गिना जाता है और सुकाल गिना जाता है तो कम से कम राजस्थान के इस 3/4 हिस्से में अकाल घोषित करना चाहिये। पश्चिमी इलाके में जहां वास्तव में अकाल पड़ता है वहां अकाल घोषित करना चाहिये। यदि यह कहा जाय कि वर्षा के हो जाने से अकाल खत्म हो

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

जाता है तब तो यह बात आती है कि उन इलाकों में जहां बरसात हो जाती है वहां एक बरसात होने से कोई अनाज थोड़े ही बरस जाता है। चार-चार पांच-पांच साल से जहां अकाल चला आ रहा है जैसे जैसलमेर बाड़मेर वहां इतने बड़े लम्बे पीरियड तक अकाल चलता है फिर भी उसी तरीके से काम चालू किये जाते हैं। यह कहते हैं टेस्ट वर्क चालू करके हम वहां पर देखेंगे। टेस्ट वर्क में 8 हजार आदमी लगेंगे 9 हजार आदमी लगेंगे। टेस्ट वर्क चालू करके क्या करना है। 1 लाख 25 हजार आदमी आपने पहले छोड़े हैं, जुलाई में खेतों के अन्दर अनाज किसान ने डाला है अपने घर से बीज वगैरह डाला है वहां पर क्रोप फेल होने से क्या पैदा हो गया है जिसकी वजह से कि आपको फिर से टेस्ट वर्क करने पड़े हैं, लेबर लगानी पड़ती है। वहां पर आपको इमिजिएटली 1 लाख 25 हजार आदमी लगाने चाहिये। मैं आपसे निवेदन करूं कि हम राजस्थान की स्थिति को भी देखें। उसके लिहाज से मन्त्री महोदय को धन्यवाद दूंगा उन्होंने जाकर 50 करोड़ मांगा, 10 करोड़ 12 करोड़ उनको मिला। मन्त्री महोदय भी इतनी हिम्मत से काम चला रहे हैं, वहां पर काफी लेबर उन्होंने अभी तक लगाई। मैं इसके लिये उन्हें धन्यवाद दूंगा लेकिन आपने एक तरफ यह आवाज उठायी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का फैसला कर दिया है, आप इसके अनुसार बराबर 9–9 रुपयें दीजिये और पांच रुपये दीजिये, यह 9 रुपये और सात रुपये के नार्म फिक्स किये तो इसमें तो गवर्नमेंट फेल हो जायेगी इसलिये वह कहते हैं न पैसा होगा, न लेबर होगी और गवर्नमेन्ट अपने आप फेल होगी। मेरा निवेदन है दोनों बातें नहीं हो सकती कि हमें इतने लेबर लगाने चाहिये सभी जगह सारे राजस्थान में। तो मैं यह कहता हूं कि कोर्ट के फैसले को आप मानिये, हम कब कहते हैं कि आप कोर्ट के फैसले को नहीं मानिये, लेकिन जहां आपके लाखों-लाखों, करोड़ों-करोड़ों आदमी काम पर लगाने हैं वहां झूठे तरीके से नहीं लगायें। ये लोग इस तरह में अपने यहां अकाल घोषित कराते हैं कि उनके यहां जो बीगोड़ी वसूल की जाती है, उनके यहां जो लगान वगैरह वसूल किया जाता है वह वसूल नहीं किया जाय, और जो दूसरी वसूलियां होती हैं वह वसूल न हों। केवल इस एडवान्टेंज के लिये वह अपने यहां काम खुलवाते हैं। यह बिल्कुल फाल्टी तरीका है। सही मायने में आप डिक्लेयर करिये, भले ही आप फिर 9–9 रुपये दीजिये, तो भी पूरे पड़ सकते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि 9 रुपये दीजिये, 10 रुपये दीजिये मगर थोड़े आदमी लगाइये। जहां रिक्वायरमेंट हैं वहां लगायें और उनका काम देखें। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि फिर भी जो आपका फेमिन कोड है उसमें आपको यह चेन्जेज करनी पड़ेगी। यह सब चेन्जेज इसलिये करनी पड़ेगी, आप एक नार्म्स बांध देंगे कि इतना पैसा मिनिमम देना ही पड़ेगा, तो मिनिमम पैसे के लिये आपको मिनिमम उससे काम भी लेना पड़ेगा। यह कभी भी नहीं हो सकता है कि काम सारे दिन वह नहीं करे और उसको नो रुपये दिये जायें।

मैं आपसे निवेदन करूं कि ऐसी तरकीब विरोधी दल वाले चलाते हैं कि यही रुपये दिये जायं, तो मैं पिछले टाइम्स से कई दफा कहता चला आ रहा हूं, यह निवेदन करना

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

चाहता हूं, आपको कन्विन्स किया है, हाउस में बराबर कन्विन्स किया है कि आप घर बैठे 25 रुपये हमें उधार दे दीजिये, हम 25 रुपये से हमारा यह दुष्काल निकाल देंगे। अगर आपको यह स्कीम भी मंजूर नहीं है, आप 25 रुपये हमें उधार भी नहीं देना चाहते हैं। फिर आप यह कहते हैं कि हम आपका पूरा लेबर भी नहीं लेना चाहते। लेबर के लिये विरोधी दल वाले उदाहरण देना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से हमको डरने की क्या आवश्यकता है? वह तो हमारी मदद में है। वह तो सही फैसला दे रहा है। उनकी हम तारीफ करते हैं। यदि उसके मुकाबले में चलेंगे तो जहां लेबर नहीं लगनी चाहिये वहां लेबर नहीं लगाई जायेगी, यह बात भी निश्चित तौर से आपको डिक्लेयर कर देनी चाहिये।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां अनाज का अकाल पड़ता है, घास का अकाल पड़ता है, लेबर का भी अकाल पड़ता है और जल का भी अकाल पड़ता है। ये 4 अकाल इकट्ठे हमारे यहां पड़ते हैं। दूसरी जगह राजस्थान में 4 अकाल इकट्ठे कहीं नहीं पड़ते हैं। हमारे यहां फोर टाइम्स अकाल की विभीषिका होती है। अनाज हमारे यहां बिल्कुल नहीं मिलता है। बाजरी स्टेपल फूड है। एक माननीय सदस्य अभी निवेदन कर रहे थे कि हमारे यहां बाजरे का इन्तजाम करिये। वहीं से गेहूं ले आये सड़ा हुआ, जिसको हमारे आदमी नहीं खरीदते हैं, न खा सकते हैं। आप सस्ते धान की व्यवस्था करियेगा। घास के लिये मैंने आपसे पहले निवेदन किया है माननीय मंत्री जी, जो कन्सेप्ट है जानवर रखने के लिये वह सब फाल्टी है। इन्होंने कभी नहीं देखा है कि 2-4 जानवर किसी के यहां रहते हैं और किसान जो है...

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य मेरी तरफ इशारा कर के कह रहे हैं बार-बार। मैं कहना चाहती हूं कि मेरे यहां घास की और जानवर की कोई समस्या नहीं है।

(व्यवधान)

श्री देवदत्त तिवाड़ी : पश्चिमी राजस्थान के इलाके में 2सौ, 3सौ, और 4–4सौ जानवर किसान रखते हैं। ऊंट वगैरह के लिये चारा कभी वह मांगता भी नहीं है। यह आप फिर भी समझ लें कि ऊंट के लिये नहीं मांगता है, गधों के लिये नहीं मांगता है, चारा वह गाय और बैलों के लिए ही मांगता है। किसान 400–400 जानवर अपने पैसे से नहीं चरा सकता है। वह तो जंगल में चराता है, मुफ्त में चराता है और वहीं चरा सकता है, इसके लिये कुछ मेहरबानी करें। पिछले साल जानवरों को बाहर लेकर गये हैं, सैकड़ों, हजारों, लाखों–लाखों बाहर गये हैं। गुजरात में उनको रोक दिया जाता था, उसके लिये लड़ लेता था। कुछ जैसलमेर में भी जानवर गये थे। लेकिन अफसोस की बात है कि जहां 10 जानवर रख सकते हैं वहां 20 जानवर थोड़े ही रख सकते हैं, उनकी भी लिमिटेशन होती है। वहां भी अकाल पड़ता है। हमारे यहां दो जिलों में से एक जिले में अकाल पड़ता है तो दूसरे जिले में पाड़ देते हैं। यह मुसीबत है हमारे। इसलिये उन जानवरों को बाहर ले जाना नितान्त आवश्यक है। पाला के

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

लिये कोशिश की थी, पाला आपसे मांगा था और आपने बड़ी मेरवानी की, मेहरबानी की क्या बात है, अपने रिसोर्सेज को देखते हुए बहुत कुछ दे डाला। हमने 70 केन्द्र खोलने के लिये निवेदन किया था और आपने 120-125 दिये। लेकिन इससे भी कुछ नहीं होगा। कम से कम हमारे इलाके में दो सौ ढाई सौ खोलने होंगे। जो खोले हैं उनमें भी पाला नहीं मिल रहा है। मैंने सवेरे इसके लिये कहा था माननीय रामसिंह जी विश्नोई से कि आप इसका प्रबन्ध कर सकते हो? मैंने बहुत ही चिन्ता के साथ यह निवेदन किया था कि उनके यहां इतना प्रबन्ध नहीं हो सकता है और दूसरी जगह से भी प्रबन्ध करियेगा तभी हम हमारे इलाके के जानवरों को बचा सकते हैं। और कोई दूसरा साधन नहीं है। यह तो मैंने निवेदन किया अकाल के बारे में कि आप हमें 25 रुपये घर बैठे दे दीजिये उसी से हम काम चला लेंगे किन्तु वह भी आप नहीं देना चाहते हैं।

जहां तक पेयजल की व्यवस्था का प्रश्न है मैं आप से निवेदन करूंगा कि हमारे इलाके को देखते हुये, सरकार को मान्यता को देखते हुये सरकार ने अभी और 10 करोड़ रुपये ग्रान्ट किये हैं बाड़मेर जिले के लिये। हमारे यहां आप बहुत बढ़िया इन्तजाम करिये। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने नार्म्स को स्ट्रिक्ट करिये, आपके जो नार्म्स हैं उसमें आप यह भी व्यवस्था करें कि हमारे यहां जो ओल्ड सोर्सेज हैं, इलाके में जो स्कीमें लगी हुई हैं उन स्कीमों का नतीजा यह होता है कि आदमी पुरानी जगह से पानी प्राप्त करता था वहां से पानी प्राप्त करना बन्द कर देता है। हमारे यहां गांव में नम्बर बाई नम्बर एक एक आदमी एक एक घर सारे गांव को पानी पिलाता है। वहां नये साधन कायम होते ही पानी की सप्लाई बीच में ही बन्द कर देते हो तो त्राहि-त्राहि मच जाती है। बिजली भी जितनी आप देते हो कारखाने के लिये, वह छोड़िये, माफ करिये आप तो हमें पानी के लिये बिजली दे दें तो ही काफी है। जो पानी की व्यवस्था कर रहे हैं 1.6 किलोमीटर के अन्दर तो हमारे जानवरों को गिन लीजिये। क्यों हमारे ट्रेडिशनल रिसोर्सेज बन्द हो जाते हैं, वैसे ही पानी नहीं मिलता है तो तब यह सवाल निश्चित रूप से खड़ा होता है कि जानवरों को पानी कहां से पिलायें? हमारे साधन नहीं हैं, दूसरी बात नहीं है। हमारे यहां जितने भी जानवर हैं उन जानवरों को इसमें इन्क्लयूड कीजिये। 1.6 किलोमीटर का आपने जो नार्म्स रखा है, यह निश्चित बात है कि इसके लिये पैसा रखा होगा। मुझे खुशी है कि हमारे मंत्री जी इस बात से स्वयं वाकिफ हैं उन्होंने 5 सौ,–5 सौ की आबादी के या हजार-हजार की आबादी के अन्दर पानी सप्लाई के निश्चित प्रबन्ध के लिये कोई टैंक बनाने या और कोई व्यवस्था करने का प्रबन्ध किया है। मेहरबानी करके 1.6 किलो मीटर क्या पांच किलोमीटर के अन्दर भी मंत्री महोदय, हमारे यहां पानी पहुंचा देंगे तो ढाई-ढाई किलोमीटर में हम यह देखेंगे कि स्वर्ग इस जमीन पर आ गया है। कृपया इतना ही कर दें तो हम आपके बहुत आभारी होंगे।

धन्यवाद।

आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री बन्सीलाल पटवा।

श्री बन्सीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, आज पेयजल और अकाल राहत की डिमान्ड पर चर्चा हो रही है। मैं तो अपने जिले की ही बात कहूंगा कि पानी की दृष्टि से सबसे अर्ज कर रहा हूं। जहां पी.एच. ई.डी. की स्कीम्स हैं, वहां कुछ सुधार के काम आवश्यक हैं, जैसे हमेरगढ़ वगैरह कुछ ऊंची जगह पानी नहीं पहुंचता, कुछ नीची बस्तियों के अन्दर पानी नहीं पहुंच पाता वहां पर भी सुधार की स्कीम आवश्यक है जो छोटी कौम या दूर की जो बस्तियां हैं वहां भी पानी पहुंच सके। इस तरह से कोई कोट, सुवाना, पी. एच.ई.डी. स्कीम है वहां भी सुधार की दृष्टि से काम आवश्यक है। इस तरह की पी.एन. टी. स्कीम बरड़ोद, गाडरमाला में स्वीकृत है। मेरा निवेदन है कि इन दोनों गांवों के बीच की जो स्कीम है वह अच्छी है। यदि वह स्कीम लागू नहीं कर सकते हैं तो आप उसमें बोरिंग करावें या मोटर लगावें ताकि कुछ समय तक के लिए लोगों को पानी मुहैया हो सके। इस तरह से व्यवस्था करें। इसके साथ-साथ मेरा एक निवेदन और है। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, जो मेजा पाइप लाइन की स्कीम है उसको जो मोडिफाई किया गया है। उसमें गलत आब्जर्वेशन लागू कर दिया जब कि वह स्कीम काफी दिनों से पेंडिंग है। उसको नहर के किनारे-किनारे नहीं लेकर आपने सोमोडी की तरफ मोडीफाई किया है। वह उधर मोडीफाई करने से वहां पर कारगर हो सकती है। किस तरह से आब्जर्वेशन करके आपने उसे रिमूव करके मोडिफाई करना स्वीकार कर लिया है। इससे यह होगा कि वहां पर मंगरिया है ऊंची-ऊंची, उनको काट करके लायेंगे तो ग्रेडिएन्ट जो है वह ठीक प्रकार से नहीं होगा। आपको वहां पर पम्पिंग करना पड़ेगा वहीं ठीक रहेगा। मैं समझता हूं कि इसमें आपका ज्यादा खर्चा होगा। जो आब्जर्वेशन किया नहीं है, हालांकि मैं कोई टेक्नीकल हैण्ड तो नहीं हूं वहां पर रहता हूं इसलिए मुझे इसका ध्यान है। यह जो मोडीफिकेशन किया गया है यह बिलकुल ही गलत किया गया है। पहले जो स्कीम थी यदि उसी स्कीम में ही अच्छे पाइप लगा दिये जाते, तो ज्यादा अच्छा रहता क्योंकि जिन ठेकेदारों ने काम वहां किये नहीं हुए हैं उन्होंने 6 इन्ची पाइप कभी नहीं लगाये। इस दृष्टि से अच्छी कम्पनी के पाइप लगा कर उस स्कीम को अगर ढंग से लागू करते तो वह स्कीम पूरी हो जाती। मैं इसके जो मूल कारण हैं उनको जानता हूं यह स्कीम पूरी नहीं है, मेजा में पानी नहीं है और इसमें पानी लाये जाने के लिए आपको तकलीफ होगी, नहर से पानी वेस्टेज जायेगा। इसके बजाय अगर आप सीधी पाइप लाइन लगाते, तो वहां से पानी आ जाता, पानी वेस्टेज भी नहीं होता और साफ सुथरा पानी लोगों को पीने को मिल जाता। इसलिए मैं पी.एच.ई. डी. के मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो मेजा स्कीम है उस स्कीम को मोडिफाई करके आपने स्वीकार किया है। इससे हमको तकलीफ होगी और आपको पैसा भी ज्यादा खर्च करना होगा। यह आपके देखने की बात है। हम तो यह चाहते हैं कि इस स्कीम को जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करके इसकी सारी व्यवस्था करदें ताकि कम से कम भीलवाड़ा की जनता को पानी मुहैया हो सके और उन्हें राहत मिले।

(श्री वंशीलाल पटवा)

इसके साथ-साथ यह भी अर्ज करना चाहता हूं, मान लीजिए, आपको बिजली नहीं मिली तो पानी लाने की बड़ी तकलीफ होगी। बिजली बार-बार चली जाती है। बिजली आपको बराबर नहीं मिलेगी। इसलिए अन्य शहरों में और बिग सिटीज में आपको चाहिए कि जनरेटर्स लगाकर बिजली की व्यवस्था करें ताकि लोगों को पीने का पानी मिल सके।

इसके अतिरिक्त भीलवाड़ा जिले में पिछली बार पी. एण्ड टी. स्कीम स्वीकार की गई लेकिन उसका एग्जीक्यूशन अभी तक नहीं हुआ। स्कीम सैंक्शन हो चुकी है पर अभी तक उस का काम चालू नहीं हुआ है। अन्य जगह कुछ पर काम शुरू किया है। मेरे क्षेत्र के बारे में अर्ज करना चाहूंगा। मेरी पंचायत समिति और तहसील के क्षेत्र में पोलिटिकल बेसिस पर काम शुरू नहीं किया गया है। यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? आप एक जगह तो काम शुरू कर देते हैं और दूसरी जगह पर आप काम शुरू नहीं करते। आपको दूसरी जगह पर भी काम शुरू करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मेरा निवेदन है कि टी. एस. एस. स्कीम है जो आपने लागू की थी वह बन्द कर दी है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि टी. एस. एस. स्कीम पश्चिमी राजस्थान में बहुत ही कारगर साबित हुई है। इसके साथ-साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहूंगा कि भीलवाड़ा में 27 जगह पर टी. एस. एस. स्कीम खुली है। मेरे क्षेत्र में 10 टी. एस. एस. स्कीम हैं, टंकियां बन चुकी हैं। गुरला में टी. एस. एस. स्कीम बड़ी अच्छी कारगर साबित हुई है। उसके अच्छे रिजल्ट्स निकले हैं। अन्य जगहों पर भी टंकियां बन चुकी हैं, वहां पर भी यह स्कीम चालू होनी चाहिए। वहां पर पाइप लाइन लगा कर टी. एस. एस. स्कीम को लागू करना चाहिए और जो स्कीम्स अधूरी पड़ी हैं उनको पूरा कराया जाना चाहिए। उनका कम से कम आप एग्जीक्यूशन तो करावें। पानी है या नहीं है। अगर कुओं में पानी नीचे है तो आप उनको और गहरा बनवायें, उनमें मोटर लगवायें और इसके साथ-साथ वहां पर पाइप लाइन भी लगवा दीजिए। लेकिन वहां पर यह सारे काम इसलिए शुरू नहीं हो रहे हैं क्योंकि वहां से वंशीलाल पटवा एम. एल. ए. हैं, बी. जे. पी. के हैं इसलिये डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये। जिस तरह से यह स्कीम गुरला में कामयाब हुई है, पश्चिमी राजस्थान के इलाके में यह कारगर साबित हुई है उसी तरह यहां भी कारगर साबित हो सकती है। आप उनको पाइप मुहैया करवा दें, क्योंकि खर्चा तो आपका हो ही गया है आप उसे पूरा करवा दें ताकि लोगों को पानी मुहैया हो सके।

इसके अतिरिक्त अब मैं थोड़ा सा हैण्ड पम्प के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। हैण्ड पम्प हमारे डिस्ट्रिक्ट में जहां पर सरकारी स्तर पर लगे हैं वहां तो ठीक प्रकार से काम हुआ है लेकिन जहां पर प्राइवेट पार्टीज के द्वारा हैण्ड पम्प खुदवाये गये हैं वहां यह काम ठीक नहीं हुआ है। प्राइवेट पार्टीज ने जो काम किये हैं उनके लिये यहां सदन में बार-बार आरोप लगाये गये हैं। मैं मन्त्री महोदय पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, उनकी योग्यता पर मुझे पूरा भरोसा है। इस नाते मेरा निवेदन है कि जो काम हैण्ड पम्प लगाने का भीलवाड़ा में

श्री बंशीलाल पटवा)

हुआ, वहां पर बोरिंग पूरा नहीं किया गया और जो काम किये गये हैं उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। यह मेरा स्वयं का अनुभव है, दूसरे क्या कहें वह अलग बात है।

दूसरा मेरा अनुभव यह है कि सरकारी मशीनों के द्वारा जो बोरिंग का कार्य किया गया है वहां तो काम अच्छा हुआ है लेकिन जहां पर प्राईवेट पार्टीज ने बोरिंग का कार्य किया है वहां पर अच्छा नहीं हुआ है। यदि मन्त्री महोदय इन्सटान्सेज चाहें तो मैं उसको नाम बता सकता हूं। एक तो बतकों का खेड़ा है, दान्थल है कान्दा है जहां पर तीन हैण्ड पम्प खुदाने थे वहां पर भी हैण्ड पम्प चालू नहीं हैं। आपको तीन की जगह एक हैण्ड पम्प की जांच करनी चाहिये। पर वहां भी रिजल्ट अच्छे नहीं निकले।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पर फिजीबल नहीं हैं वहां पर आपने खुदाई करवा दी और फिर बाद में उसे बीच में ही अधूरा छोड़ दिया। मेरा निवेदन है कि आपको कम से कम उसमें जियोलोजिकल सर्वे कराकर कम से कम देखना चाहिये था कि किस तरह से वहां पर व्यवस्था हो सकती है। कान्दा में तो कम से कम लगा देते। क्योंकि वहां पर छोटी कम्युनिटी के लोग रहते हैं उन लोगों को तो पानी मुहैया करा देते। इसी तरह से जहां पर गरीब लोग रहते हैं वहां पर आप बोरिंग कराते, जो ठीक रहता पर वहां पर यह कह कर कि फिजीबल नहीं है उसको छोड़ दिया। भीलवाड़ा और उसके आसपास उप नगर के और छोटे छोटे गांव को भी यह कहकर कि बोरिंग फिजीबल नहीं है आपने छोड़ दिया। हैण्ड पम्पस के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने प्राइवेट पार्टीज से जहां-जहां पर काम कराये हैं वहां पर अच्छे रिजल्ट्स नहीं आये हैं। यह बात तो निश्चित है। मन्त्री जी के पास अपना दिमाग है। पुराने आदमी हैं इस नाते आप इन गड़बड़ियों की जांच करवायें और इसमें जो भी व्यक्ति दोषी हों उनके खिलाफ एक्शन लें। इसके अलावा जो स्टे है वह वेकेट तो नहीं कराया गया और मान लो स्टे वेकेट की बात अब हुई। मैं समझता हूं कि इसके लिये लीगल ओपीनियन पहले ली जाकर कार्यवही की जी जाती तो सरकार को काफी लाभ होता। लेकिन इसमें कुछ वेस्टेड इण्ट्रेस्ट लोगों के थे जिसके कारण से कार्यव ही पहले नहीं हो सकी। जिसकी वजह से बड़े घपले हुए। मैं तो यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इन सारे घपलों की जांच की जानी चाहिये। इसके साथ-साथ हैण्ड पम्पस जहां-जहां पर बनाये गये वहां पर काम शुरू नहीं हुए और कई जगह पर डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। भीलवाड़ा के बारे में मैं आपको अर्ज करूं कि सुवाणा क्षेत्र में खुदाने का काम शुरू किया गया। मेरे क्षेत्र में कोई काम नहीं किया गया और अन्य दूसरी जगहों पर यह स्कीम थी वहां पर काम चालू किया गया। यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया गया है? आपको मेरी मदद करनी चाहिये। मेरा निवेदन यह है कि छोटे-छोटे गांव हैं, जहां पर छोटे-छोटे लोग रहते हैं, जहां पर हरिजनों की बस्ती है और बलाइयों की बस्ती है उन बस्तियों में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। छोटी कम्युनिटी वाले लोगों को, हरिजनों को आज भी गांवों में पीने के पानी के लिये

(श्री बंशीलाल पटवा)

कुओं पर उनको पानी नहीं भरने दिया जाता है। उन लोगों की दयनीय स्थिति है। उनके इलाकों में जहां-जहां पर भी हैण्ड पम्प्स लगाने की आवश्यकता है वहां पर हैण्ड पम्प्स खुदवायें और जहां-जहां पर कुओं को गहरा करवाने की आवश्यकता है उनको गहरा करवायें। इसके अलावा उन छोटी बस्तियों में जहां पर कि छोटी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वीकर सैक्शन के लोग रहते हैं वहां पर जल्दी काम शुरू कराकर पानी मुहैया करावें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं, दो मिनट में। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन बस्तियों में जहां-जहां पर वीकर सैक्शन के लोग रहते है वहां पर कुइयों को और गहरा करवाना चाहिए, आपको उसके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। और जो रोज-रोज की परेशानी है वह मिट जायेगी।

सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा अकाल के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में अकाल राहत के कार्यों के अन्तर्गत अकाल राहत के काम सैंक्शन तो हुए हैं लेकिन उन कामों के सैंक्शन करने में भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। वहां पर जो लोग मुख्य मंत्री के नजदीक हैं वे नहीं चाहते हैं कि मेरे यहां पर काम हो। बी. जे. पी. के सरपंचों वाले इलाके हैं उनके बारे में मैं विशेष तौर से अर्ज करना चाहता हूं। आज आपका जो 20 पाइन्ट प्रोग्राम है उसमें आपने सिंचित भूमि के लिये अंक तय किये हैं, सिंचित क्षेत्रों के लक्ष्य तय किये हैं और यदि वह लक्ष्य ठीक होते तो और वहां पर काम हो जाता। जैसे मेरे क्षेत्र में एक सूरतसागर की पिछली बार की स्कीम थी उसके अच्छे रिजल्ट थे। उसमें दो हजार बीघा जमीन सिंचित की गयी लेकिन अब इसको भी अधूरा छोड़ दिया गया। नहरों को ठीक कराकर उनमें जो आउट-लेट है उनको भी ठीक कराया जा सकता है। उनके लिये आपने पूर्व में सात लाख रुपये खर्च किये थे। अब अगर उसमें दो तीन लाख रुपये और खर्च कर दें तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन आपका जो 20 पाइंट प्रोग्राम है उसमें लक्ष्य तय कर दें और उनकी अगर आप पूर्ति कर सकें तो क्या फर्क पड़ता है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम 20 पाइंट प्रोग्राम की पूर्ति करना चाहते हैं दूसरी तरफ आप उन योजनाओं को लागू नहीं कर रहे हैं। मैं आपको दो नाम बता सकता हूं। एक तो है सांकरिया-खेड़ा का एनीकट और दूसरा है सबलपुरा का एनीकट। वहां पर आपने काम सैंक्शन कर दिये हैं। आपकी टैक्नीकल रिपोर्ट चाहे कैसी भी हो पर मैं आपसे निवेदन करूं कि उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं निकलेंगे लेकिन एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए यह किया गया है। इस दृष्टि से काम शुरू किया गया है। वहां पर एनीकट बनाने के लिये एक तो सांकरिया-खेड़ा और दूसरा सबलपुरा का एनीकट, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर तालाब है जिसे आप जल्दी से जल्दी पूरा करवा दें ताकि वहां के गांवों के लोगों को लाभ मिल सके। उसका टेक्नीकल पाइंट भी ठीक है। पानी की आव है वहां पर गांवों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि

(श्री बंशी लाल पटवा)

से काम शुरू किया जाना चाहिए अन्यथा पोलिटिकल बेसिस पर काम प्रारंभ नहीं किये जाने चाहिये। पोलिटिकल बेसिस पर जो काम गांवों में शुरू किये गये हैं उनके अधिकांशतः रिजल्ट्स अच्छे नहीं निकलेंगे।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं, जैसे कि कानिपरखेड़ी फीडर की बात है वहां पर हालत ठीक नहीं है। खेत एक ओर कुआ एक ओर बीच में फीडर है। ऐसी स्थिति में वह किस तरह से अपने खेत को पानी देगा, वहां पर आप कुछ रास्ता बनायें, कलवट बनायें।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री बंशीलाल पटवा : एक मिनट। मेरा और एक निवेदन है कुछ तालाबों के बारे में। उनको भरने हेतु पानी ले सकते हैं। उन तालाबों की ओर कभी ध्यान नहीं दिया जाता है। सुवाना के पड़ोस में एक अच्छा नाला है जहां पानी रुका हुआ है। वहां एक व्यक्ति को राहत मिले इस तरह की व्यवस्था की गई है। आप देखें कि टेक्नीकल पाइंट से इसके रिजल्ट अच्छे निकलें, ऐसा काम किया जाना चाहिए। सड़कें बनाते समय उनको कूट करके ठीक किया जाये। हमारे यहां रोड रोलर की व्यवस्था नहीं है, इसलिये वे किराये पर लिये जायें। इसके साथ-साथ मैं एक और निवेदन करूंगा कि जितनी सड़कें बनती हैं उसके लिये 40-60 का रेश्यो श्रम का है। इस प्रकार की जो सड़कें हैं उन पर डामर इस रेश्यो से जोड़ कर करवाया जाये, यही मेरा आपसे निवेदन है। आपका मैं फिर एक बार ध्यान दिलाऊंगा कि भीलवाड़ा जिले की तरफ आप ध्यान दें जिससे वहां के लोगों को लाभ मिल सके। यह जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको विशेष रूप से देखें। यदि हमारे साथ ज्यादती हो रही है तो निश्चित रूप से आप उसमें मदद करें। अन्यथा हम आपसे मदद भी नहीं चाहते। सभापति महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : अब मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि दो-दो माननीय सदस्य पक्ष और विपक्ष से बोल लें उसके बाद मंत्री महोदय अपना जवाब देंगे। श्री चन्द्रवीर सिंह।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्या तब तक के लिये टाइम बढ़ा दिया गया है ?

श्री सभापति : सदन की अनुमति से मांगें पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 34 व 27 पर विचार

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) : सभापति महोदय, पश्चिमी राजस्थान में आज पांच साल से भीषण अकाल पड़ रहा है। खास तौर से जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जिलों में जो स्थिति है उस स्थिति को अगर देखा जाए तो मेरी यह मान्यता है कि पिछले 100 वर्षों में ऐसा भीषण अकाल इस इलाके में नहीं पड़ा होगा। भीषण अकाल की स्थिति है। राज्य सरकार के जो फेमिन

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

वर्क्स चल रहे हैं वह केवल आंकडों में चल रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन, 1982-83 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। पृष्ठ (ग) में लिखा गया है, राहत कार्यों पर अधिकतम श्रमिक संख्या का निर्धारण। इस निर्धारण के तहत भीलवाड़ा जिले में दिसम्बर, 1982 में आठ हजार श्रमिकों का निर्धारण किया गया है, जनवरी, 1983 में 19 हजार फरवरी, 1983 में 28 हजार। इसी तरह उदयपुर में दिसम्बर, 1982 में 15 हजार जनवरी, 1983 में 29 हजार और फरवरी, 1983 में 40 हजार। इसी तरह से माननीय मंत्री जी ने थोड़ी बहुत दया बाड़मेर में की। आपने कृपा की इसके लिये मैं और मेरे दूसरे माननीय सदस्य आपके आभारी हैं। बाड़मेर में आपने दिसम्बर, 1982 में 10 हजार, जनवरी, 1983 में 35 हजार फरवरी, 1983 में 35 हजार श्रमिक संख्या का निर्धारण किया। लेकिन, सभापति महोदय, इसके विपरीत इन्होंने बीकानेर में क्या किया? बीकानेर में दिसम्बर, 1982 में कोई मजदूर कार्यरत नहीं था। जनवरी, 1983 में दो हजार, फरवरी, 1983 में तीन हजार मजदूर लगाये। इनको बढ़ाया-घटाया नहीं। अब मैं आपको जैसलमेर की स्थिति बताना चाहता हूं। दिसम्बर, 1982 में चार हजार, फरवरी, 1983 में चार हजार, जनवरी 1983 में चार हजार और मार्च 1983 में चार हजार। क्या, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह पूछ सकता हूं कि जैसलमेर में अकाल की स्थिति वैसी ही बनी हुई है या बिगड़ती जा रही है? अगर बिगड़ती जा रही है तो, और जिलों में तो आपने दिसम्बर के अनुपात में मार्च तक जो लेबर की संख्या बढ़ाई है वह हर जिले में बढ़ाई है लेकिन जैसलमेर में वहां रखी है। मेरा आप पर चार्ज है, मंत्री महोदय, कि आपने जैसलमेर के साथ राजनैतिक भेदभाव करके इस प्रकार की हरकतें की हैं।

श्री सभापति : मंत्री महोदय को आमंत्रित करें कि बाड़मेर में आयें।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : मैंने बाड़मेर की ओर ध्यान आकर्षित कर दिया।

श्री सभापति: आपने मरु मेले में आमंत्रित नहीं किया होगा?

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : मंत्री महोदय पधारे नहीं हैं, मैं आपके माध्यम से उनको आमंत्रित करता हूं कि वे टूरिज्म फेयर में पधारें। इसी तरह से यह लिखते हैं कि दिनांक 15-3-83 में राहत कार्यों की जिलेवार एवं अभिकरणवार स्थिति। सभापति महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों की संख्या, अनुमानित लागत और स्वीकृत राशि प्रदर्शित की गई है। सभापति महोदय, भीलवाड़ा जिले में 64 कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग ने स्वीकृत किये, जिसकी अनुमानित लागत 480.92 लाख और स्वीकृत राशि 128.27 लाख है। भीलवाड़ा जिले में भयंकर अकाल है। भीलवाड़ा को पश्चिमी राजस्थान से बहुत अधिक हालत खराब है। इसी तरह से, सभापति महोदय, इन्होंने उदयपुर में कार्यों की संख्या 173 स्वीकृत की। अनुमानित राशि 123.60 लाख, स्वीकृत राशि 256.65 लाख। यह उदयपुर जिले की स्थिति है, सभापति महोदय।

श्री माधवसिंह दीवान : उदयपुर से 14 एम. एल. ए. आते हैं।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी: अगर आप एम. एल ए. के हिसाब से बात करेंगे, तो हमें तो बाहर बैठना पड़ेगा। आपको पांच मिनट और हमें केवल एक मिनट बोलने का अवसर मिलेगा।

श्री सभापति : पहाड़ी इलाका है उदयपुर।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : इसी तरह से बाड़मेर जिले में फिर कृपा की। बाड़मेर जिले में 28 कार्यों की संख्या बताई। अनुमानित लागत 94.70 लाख और स्वीकृत राशि 28.50 लाख। हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं, मंत्री महोदय, लेकिन आपने जैसलमेर के लिए क्या किया ? जैसलमेर में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्य स्वीकृत नहीं किया गया, अनुमानित लागत का और स्वीकृत राशि का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मैं, मंत्री महोदय, पी.डब्ल्यू.डी. की बात कर रहा हूं। सभापति महोदय, यह फेमिन रिपोर्ट जैसलमेर जिलाधीश द्वारा पेश की गई है। मंत्री महोदय को भी यह दी गई है. एक कापी मुझे भी दी गई है। इसमें लिखा है, दिनांक 17-1-83 को जोधपुर में माननीय अकाल राहत मंत्री की अध्यक्षता में गठित बैठक में यह बताया गया था कि इस कार्यालय द्वारा प्रस्तावित अपूर्ण सड़कों में से 15 सड़क कार्यों की स्वीकृति भी प्रसारित की जा रही है व 100 कामों की स्वीकृति दी जा रही है। सभापति महोदय, स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। आपकी एक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने से जैसलमेर पी.डब्ल्यू.डी. के इन आंकड़ों में से गायब हो गया है।

सभापति महोदय, दूसरा सवाल आता है नाडी के कार्यों का। यह केवल दो जिलों में हुआ है। बाड़मेर में कार्यों की संख्या 280, अनुमानित लागत 63.79 लाख, स्वीकृत राशि 63.79 लाख। इसी तरह से जोधपुर में कार्यों की संख्या 349, अनुमानित लागत 22.20 लाख लेकिन स्वीकृत राशि 83.50 लाख। जैसलमेर में एक भी नाड़ी नहीं है। जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर ये बिलकुल सिमिलर जिले हैं। हमारे यहां जितनी नाडियों की आवश्यकता है, उतनी शायद जोधपुर में नहीं है। बाड़मेर और जैसलमेर में नाड़ियों का कार्य होना चाहिए। जो भर गई हैं, उनको खुदाना चाहिए और नई नाड़ियां खुदानी चाहिए। इसके कारण भी मैं माननीय मंत्री महोदय आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सभापति महोदय, जिला प्रशासन की रिपोर्ट कहती है, दिनांक 10-1-83 को जिला अकाल राहत परामर्शदात्री समिति की बैठक में पारित निर्णय के अनुसार सम्वत् 2039 में वन विभाग, सिंचाई विभाग, भू-संरक्षण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं नाड़ी खुदाई के नये कार्यों के प्रस्ताव द्वारा इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 239 दिनांक 20-1-83 को सहायता विभाग को प्रेषित किये गये थे। उक्त प्रेषित प्रस्तावों में से नाड़ी खुदाई कार्य के प्रस्ताव के अतिरिक्त शेष सभी प्रस्ताव सहायता विभाग द्वारा इस आदेश के साथ वापस लौटाये गये कि नये कार्यों पर सम्बन्धित अभिकरण द्वारा यह प्रमाण-पत्र दिया जावे कि ये आयोजना कार्य हैं व दिनांक 31-3-83 तक पूर्ण हो जावेंगे। उक्त तिथि तक पूर्ण न होने की दशा में ये कार्य योजना कार्य में सम्मिलित किये जाकर वर्ष 83-84 में पूर्ण

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)
करवा लिए जावेंगे। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 25-1-83 द्वारा सम्बन्धित अभिकरणों को उक्त प्रमाण देने हेतु लिखा गया जिसमें से अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड जोधपुर का पत्र प्राप्त हुआ है जिन्होंने उक्त प्रमाण-पत्र देने में असमर्थता व्यक्त की है।

"अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जैसलमेर ने अपने पत्र दि. 1-2-83 द्वारा सूचित किया है कि मुख्य अभियन्ता ने बताया है, यह पालिसी का मामला है जिस पर राज्य सरकार का अंतिम निर्णय होने के पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। उक्त तथ्यों से सहायता विभाग को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 572 दिनांक 9-2-83 द्वारा अवगत करवा दिया गया है।"

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यही अगर पालिसी का मामला था तो आप जब फैमिन रिलीफ कमेटी की मीटिंग में पधारे थे उसके पहले यह पालिसी डिसीजन लेकर क्यों नहीं पधारे? सभापति महोदय, भीषण अकाल की स्थिति है। पी. डब्लू. डी. के वर्क्स खुले नहीं, नाड़ियां खुदे नहीं और ऊपर से यह कहा जाये कि यह पालिसी डिसीजन है। पालिसी कौन बनाता है? पालिसी सरकार बनाती है। आपका उत्तरदायित्व है, मंत्री महोदय, कि इस पालिसी को आपको रेक्टिफाई करके पधारना चाहिए था जब आप जैसलमेर पधारे।

सभापति महोदय, यह तो हुआ सो हुआ ही है लेकिन अब मैं एक और पालिसी मैटर के बारे में माननीय मंत्री महोदय को आपके सामने खड़ा करना चाहता हूं। सभापति महोदय, अकाल राहत कार्यों की संख्या जो स्वीकृत की गयी वह झालावाड़ जिले की 456, उदयपुर जिले की 436, बाड़मेर की 490 और जैसलमेर की केवल 43 है। जैसलमेर में केवल 43 अकाल राहत कार्य स्वीकृत किये गये। वह भी आंकड़ों में हैं, सभापति महोदय, जैसलमेर में वह 43 कार्य भी नहीं खोले गये हैं। इसका क्या कारण है, सभापति महोदय? 38 वर्ग किलोमीटर का डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला...

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, पशुपालन): और आबादी को भी फरमा दें।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी: आबादी रहती नहीं है क्या?

श्री श्रीराम गोटेवाला: आबादी कितनी है वह भी बता दें।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी: हम पशुपालन मंत्रीजी को आमंत्रित करेंगे कि इस आबादी के बढ़ाने में कुछ सहयोग दें।

श्री श्रीराम गोटेवाला: मैं तो वहां के पशुओं का निरीक्षण कर आया हूं। आप साथ थे।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी: उसको बढ़ाने में आप सहयोग दें। प्रश्न आबादी का नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला: मैं इलाके में आपको साथ लेकर गया था पशुओं को देखने के लिए।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी: सभापति महोदय, प्रश्न-आबादी का नहीं है। अगर आबादी की ही बात करते हैं तो और भी अनिवार्य हो जाता है कि जिस जिले की जनसंख्या केवल 2.39 लाख हो और जिस जिले का क्षेत्रफल 38 हजार स्क्वायर किलोमीटर हो वहां पर फेमिन वर्क्स खुलने चाहिए ताकि दूर दराज के गांवों में जो लोग बैठे हैं वह इन फेमिन वर्क्स के तहत अपना पेट पाल सकें। यह आपने सही फरमाया है लेकिन आबादी के अनुपात में जो एरिया है उसको देखिये आप। उसको देखने से यह बहुत स्पष्ट होगा आपको...

श्री श्रीराम गोटेवाला : बहुत बड़ा मसाला दिया है मैंने आपको बोलने के लिए, हुजूर। याद दिलाया है।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : आपने याद दिलाया इसके लिए बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : आप इनको मरु मेला दिखा लाये दिखते हैं।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी: मैं तो इन सब को बुलाता हूं मगर चक्कर यह है कि सब आफिसर्स आ जाते हैं तो इनके लिए कोई कमरे ही नहीं बचते तो यह कहां जायें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप गढ़ में ही बुला लिया करें, हम तो वहीं प्रसन्न हो जायेंगे।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : You are most welcome, मंत्री महोदय।

सभापति महोदय, अनुमानित लागत भीलवाड़ा जिले की फेमिन के तहत है 1683.12 लाख और स्वीकृत राशि 509.98 लाख है। इसी तरह उदयपुर जिले की अनुमानित लागत 2293.75 लाख है और स्वीकृत राशि 650.76 लाख है। सभापति महोदय, इसी तरह से बाड़मेर जिले की अनुमानित लागत जैसलमेर के समान है। उसकी अनुमानित लागत 440 लाख है और स्वीकृत राशि 214 लाख है। चलिये यह तो आपने मेहरबानी की। बीकानेर जिला जो कि भीषण अकाल की स्थिति में है, सभापति महोदय, वहां की अनुमानित लागत 86.72 लाख है और स्वीकृत राशि केवल 10.60 लाख है। सभापति महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि इतने भीषण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गयी और इस तरह का जो डिस्टिंक्शन हो रहा है यह तो बिलकुल मेरे दिमाग में नहीं बैठता है। सभापति महोदय, जैसलमेर के लिए इन्होंने बड़ा अच्छा न्याय किया है। जैसलमेर के लिए अनुमानित लागत 53.05 लाख है और स्वीकृत राशि केवल 15.84 लाख है। यह क्या है, सभापति महोदय? मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, सभापति महोदय, यह राजनैतिक मतभेद नहीं है तो क्या है?

इसी तरह से श्रमिकों, जिन्हें काम में लगाया जा सकता है, की अनुमानित संख्या के बारे में जो पालिसी बनाई है उसके मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : सभापति महोदय, संक्षेप में कोशिश कर रहा हूं लेकिन जैसलमेर जिला इतना बड़ा है कि मैं संक्षेप में कह ही नहीं सकता...

श्री सभापति : समराइज कीजिए।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी: सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जो आपने पॉलिसी बनाई है, श्रमिकों जिन्हें कार्य पर लगाया जा सकता है, की अनुमानित संख्या, के लिए किस क्राइटेरिया, किस आधार पर पॉलिसी बनाई गई है? सभापति महोदय, अजमेर में अकाल से पीड़ित जनसंख्या के अनुपात में माननीय मंत्री महोदय ने श्रमिकों, जिन्हें कार्य पर लगाया जा सकता, की अनुमानित संख्या का जो रेश्यो रखा है वह 6.20 पर्सेन्ट है। अलवर जिले में यही घटाकर रखा गया है 0.93 पर्सेन्ट, बांसवाड़ा जिले में 4.19 पर्सेन्ट, बाड़मेर में 5.28 पर्सेन्ट, झालावाड़ जिले में 5.09 पर्सेन्ट, और बीकानेर जिले में 1.39 पर्सेन्ट, बूंदी में 2.81 पर्सेन्ट, चित्तौड़गढ़ में 13.58 पर्सेन्ट, चूरू में 2.69 पर्सेन्ट, डूंगरपुर में 4.10 पर्सेन्ट और जयपुर में 1.12 पर्सेन्ट। यह 13 जिलों में कहते हैं जयपुर में अकाल है। 13 जिलों जहां अधिक अकाल है, में जयपुर भी आता है लेकिन श्रमिकों की संख्या जो अकोर्डिंग टू दी पापुलेशन लगाई है वह केवल 1.12 पर्सेन्ट है। मंत्री महोदय, आप जब जवाब दें तो कृपया इसका क्लेरीफिकेशन दें कि जैसलमेर के साथ आप जयपुर को भी बनाना चाहते हैं?

श्री श्रीराम गोटेवाला : बड़ा अन्याय कर रहे हैं।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : और क्या कर रहे हैं? यह आंकड़े आपने प्रेषित किये हैं, माननीय मंत्री महोदय, मैंने नहीं किये हैं। यह बताते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। सभापति महोदय, इसी तरह से जैसलमेर में इन्होंने जो श्रमिकों की अनुमति दी है वह है 2.31 पर्सेन्ट, जालौर में 1.42 पर्सेन्ट, झालावाड़ में केवल 0.89 पर्सेन्ट। झालावाड़ में यह हालत है, सभापति महोदय। मेरे झालावाड़ के साथी यहां उपस्थित नहीं हैं नहीं तो वह बताते कि झालावाड़ में किस तरह की स्थिति पैदा हो गयी है। वहां जो अनुपात में श्रमिक लगाये हैं वह 0.89 पर्सेन्ट लगाये हैं। झुंझुनूं में 0.97 पर्सेन्ट, जोधपुर में 5.29 पर्सेन्ट, कोटा में 0.19 पर्सेन्ट। सभापति महोदय, कोटा का पर्सेन्टेज 0.19 है।

श्री सभापति : जे शब्द पर विशेष दृष्टि है, झुंझुनूं झालावाड़ पर।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : सभापति महोदय, ऐसा ही प्रतीत होता है। इसी तरह नागौर में 2.22 पर्सेन्ट, पाली में 5.36 पर्सेन्ट, सीकर में 0.74 पर्सेन्ट, सिरोही में 5.24 पर्सेन्ट, टोंक में 0.44 पर्सेन्ट और उदयपुर में 3.81 पर्सेन्ट श्रमिक लगाये हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि यह जो आपने क्राइटेरिया या पालिसी जो भी बनाई है, यह किस आधार पर बनाई है? यदि इस आधार पर बनायी है कि जितने अकाल से पीड़ित लोग इन जिलों में बसते हैं उनके अनुपात में यह मजदूरी दी जायेगी तो, आपके जो इस प्रकार के जिले हैं जहां से आपको वोट नहीं मिलते हैं, जहां से आपके एम. एल. ए. जीत नहीं सकते उनके साथ आपने राजनैतिक मतभेद किया है, सभापति महोदय।

एक माननीय सदस्य : आइन्दा नहीं करेंगे।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : आइन्दा शायद आपको मौका भी प्राप्त नहीं होगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इनके बहलाने को यह ख्याल भी अच्छा है। प्रसन्न रहिये सब।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी: सभापति महोदय, यही नहीं, यह फर्जी फेमिन, जैसा मैंने शुरू में कहा था, आंकड़ों में चल रहा है। उसका मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं। मजदूरों, श्रमिकों, जिन्हें कार्य पर लगाया जा सकता है, की अनुमानित संख्या का अनुपात सुनिये, सभापति महोदय। अजमेर में इन्होंने लक्ष्य रखा है कि 50,014 श्रमिक कार्य पर लग सकते हैं उसके मुकाबले में केवल 20 हजार श्रमिक कार्यरत हैं। अगर पर्सेन्टेज देखा जाय तो इट इज 2.59, अब यह कहते हैं 6.20 पर्सेन्ट मजदूर लगाये जा सकते हैं। उस रेश्यो में लगाये कितने हैं? सभापति महोदय, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाकर भीलवाड़ा पर वापस आना चाहूंगा। भीलवाड़ा जिले में, सभापति महोदय, 50,990 मजदूर का लक्ष्य वहां पर 30,896 मजदूर कार्यरत हैं मार्च, 83 के अन्दर। इसी तरह से...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप ध्यान आकर्षित कर चुके हैं। कृपया समाप्त करें।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी: सभी कार्य इन्होंने स्वीकृत कर दिये है। लेकिन यह कहते हैं कि मजदूर आते नहीं हैं। देखने के लिये आंकड़े बना दिये कि इतने मजदूर लगाने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। हकीकत यह है कि जो अकाल राहत कार्य स्वीकृत किये जाते हैं उनमें से एक चौथाई भी नहीं खुलते हैं। हो सकता है भीलवाड़ा में खोले हों, उदयपुर में खोले हों, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में मैं दावे के साथ कहता हूं जितने अकाल राहत स्वीकृत किये गये हैं उसके एक चौथाई भी नहीं खोल रखे हैं। माननीय मंत्री महोदय जब जवाब दें उस समय रेशोवाइज बता दें। सभापति महोदय, यह आंकड़े बड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं, माननीय मंत्री महोदय, इन आंकड़ों की सरकार में रहकर खुद भी आंकड़ेबाज हो गये हैं। आंकड़ों के सिवाय इनके पास कुछ भी नहीं है। सभापति महोदय, 38 हजार वर्ग किलोमीटर के जिले में 43 फेमिन वर्क्स स्वीकृत किये जायें, उन में चार हजार मजदूरों की लिमिट बांधी जाये और वह लिमिट बांधने के बाद में मार्च, 83 में केवल 2018 मजदूर कार्यरत हों, इससे आप स्वयं अन्दाज लगाइये, सभापति महोदय, वहां का आदमी किस तरह से अपना जीवन निर्वाह कर रहा होगा। सभापति महोदय, जैसलमेर जिले के लिये जैसा मंत्री महोदय से मैंने पहले अनुरोध किया था, होना तो यह चाहिये था कि आप ज्यादा अकाल राहत कार्य खोलते, बाड़मेर में ज्यादा अकाल राहत खोलते ताकि लोग अपने घरों के पास 5-7-2 किलोमीटर में अकाल राहत कार्यों पर काम करने जाते। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि फ्यूचर में जो अकाल राहत कार्य खोलने जा रहे हैं, जैसलमेर में ज्यादा से ज्यादा अकाल राहत कार्य खोलें।

सभापति महोदय, जैसलमेर-बीकानेर के साथ एक और अजीब हादसा हुआ, बाड़मेर वाले अभी बचे हुए हैं। सभापति महोदय, वह उपनिवेशन क्षेत्र बन गया। उपनिवेशन क्षेत्र बन गया तो इन्होंने कहा, बीकानेर, जैसलमेर में कोई राहत कार्य नहीं खोले

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

जायें। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि कोलायत और जैसलमेर के उपनिवेशन क्षेत्र में कहां-कहां पानी दिया गया है जो अकाल राहत कार्य नहीं खोलने के आदेश फरमाये ? क्या आपने यह आदेश केवल इसलिये नहीं फरमाया ? इसमें आपकी कोई गलती नहीं मानते ? मेरी स्वयं की आपसे बात हुई थी। सभापति महोदय, आज सेक्रेटेरियट में बैठ कर फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोई आदमी एक नोट बना दे कि उपनिवेशन क्षेत्र में फेमिन वर्क्स न खोले जायें क्योंकि वह कमाण्ड एरिया में आता है राजस्थान कैनाल वहां पर है, क्या यह उचित है कि सेक्रेटेरियट के किसी कमरे में बैठकर कोलायत और जैसलमेर का कोई फैसला करे और आप, मंत्री महोदय, बाध्य होकर ऐसा आर्डर निकाल दें कि जैसलमेर और कोलायत उपनिवेशन क्षेत्र में हैं इसलिये वहां फैमिन वर्क्स न खोले जायें ? माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि बीकानेर के लिये तो आपने आदेश दे दिये हैं किन्तु जैसलमेर के लिये अभी आदेश नहीं दिये हैं वह कृपया आज जरूर दे दें।

श्री सभापति : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : जैसलमेर का 38 हजार वर्ग किलोमीटर का एरिया है...

श्री सभापति : उसी के अनुसार मैंने समय दिया है आपको।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : आपने समय दिया उसके लिए बड़ा आभारी हूं। दो मिनट।

सभापति महोदय, मजदूरी के भुगतान के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। मजदूरी के भुगतान के लिये न्यूनतम 7 रुपये आपने रखे हैं लेकिन एक्चुअली होता यह है कि वहां पर किसी को 80 पैसे, किसी को एक रुपया और किसी को दो रुपये मजदूरी दी जाती है। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, एक तरफ आपने यह नियम बनाये हैं कि पांच या इससे कम व्यक्ति के परिवार से एक श्रमिक को लगाया जायेगा, 6 से 10 व्यक्तियों के परिवार से 2 श्रमिक लगाये जायेंगे, 10 से अधिक व्यक्तियों के परिवार से 3 श्रमिक लगाये जायेंगे। अब आप स्वयं फैसला करलें, सभापति महोदय, यह जो आपने क्राइटेरिया बना दिया, क्या 5 जनों का 80 पैसे में एक मजदूर पेट भर सकता है ? क्या दो व्यक्ति चार रुपये में 6 से 10 आदमियों के पेट भर सकते हैं ? मान लीजिये पूरी भी मजदूरी मिले, जैसा 80 प्रतिशत का आंकड़ा आपने बताया, आंकड़े देने में आप बहुत माहिर हैं इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। 80 प्रतिशत मजदूरी भी दे दी जाये तो भी तीन आदमी 10 आदमियों से अधिक का पेट नहीं भर सकते। फिर होता यह है कि समय पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता। सभापति महोदय, यह जो नामीनल भुगतान है वह भी समय पर नहीं होता। सभापति महोदय, जैसलमेर में....

श्री सभापति : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य। दो मिनट हो गये आपके। दो मिनट के लिये कहा था। समाप्त कीजिये। यह आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध हैं।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : यह आंकड़ों का सवाल नहीं है, सभापति महोदय, मजदूरी के भुगतान का प्रश्न है। अकाल से पीड़ित जनता का जो मखौल उड़ा रही है राजस्थान सरकार, यह उसका प्रश्न है। सभापति महोदय, मुझे बोलने की अनुमति दें।

श्री सभापति : कृपया संक्षेप में।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : सभापति महोदय, बहुत संक्षेप में आपको अर्ज करना चाहता हूं। सभापति महोदय, 1980-81 और 1981-82 का जो पेमेंट बाकी था जैसलमेर जिले का, वह बता रहा हूं। सभापति महोदय, 14042 मजदूरों को 1980-81, 1981-82 के कामों का पेमेंट नहीं मिला। 48,534 रुपये की धनराशि उन गरीब मजदूरों की चुकाई नहीं गई, शायद अब मंत्री महोदय ने चुका दी हो। मंत्री महोदय को यह पता था कि सदन में डिमाण्ड आयेगी, उस दिन यह भी डिमाण्ड होगी। सभापति महोदय, वह भुगतान समय पर क्यों नहीं किया? मंत्री महोदय ने अब शायद इस भुगतान का चुकारा कर दिया होगा। सभापति महोदय, पिवाई के जैसलमेर में 80 हजार रुपये बाकी हैं। उनका भी मंत्री महोदय ने शायद चुकारा कर दिया होगा। सभापति महोदय, आप बोलने नहीं दे रहे हैं…

श्री सभापति : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : एक दो मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : दो मिनट आपके बढ़ रहे हैं। कृपया समाप्त करिये। अब मैं समय देने में असमर्थ हूं।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : मैं लम्बा नहीं कर रहा हूं। फेमिन वर्क्स की बात कर रहा हूं। फेमिन वर्क्स की बड़ी समस्या है। दो मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : निश्चित रूप से दो मिनट होंगे।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : फेमिन के दो मिनट।

श्री सभापति : फिर पेयजल के बारे में कहेंगे आप?

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : पेयजल की बात मंत्री महोदय से एक सेन्टेन्स में कह दूंगा। मैं उनको जानता हूं, वह मुझे जानते हैं। माननीय सभापति महोदय, फेमिन के बारे में दो मिनट दें।

श्री सभापति : समाप्त कीजिये।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : एक मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन): आप तो इशारे से कह दीजिये, आप की बात तो इशारे से समझ लेते हैं।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : यह तो आप और मैं एक दूसरे को समझ सकते हैं। माननीय मंत्री महोदय को समझाना आवश्यक है।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात): यह दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार हैं।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : माननीय सभापति महोदय, फेमिन वर्क्स में जो शैड का प्रबन्ध किया जाता है उसके लिये हजारों रुपयों की सिरकी खरीदी जाती है। शैड फेमिन वर्क्स में मजदूरों को देना बहुत जरूरी है क्योंकि

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

बूढे व्यक्ति, बच्चे फेमिन वर्क्स में होते हैं। जो हजारों रुपये की सिरकी खरीदी जाती है वह कहां जाती है, कहां आती है, कहां लापता हो जाती है इसका कोई पता नहीं पड़ता। माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि फेमिन वर्क्स चल रहे हैं इसलिये शैड का थोड़ा बहुत प्रबन्ध बूढों और बच्चों को बैठाने के लिये आपको करना चाहिये। सभापति महोदय, इसी तरह से फेमिन वर्क्स में जो लेबर काम करती है इसके लिये चिकित्सा सेवा की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। मैं आपको, मंत्री महोदय, दोष नहीं देना चाहता क्योंकि जैसलमेर में चिकित्सा सेवा की व्यवस्था ही नहीं है। जैसलमेर में चिकित्सा सेवा व्यवस्था नाम की ग्रामीण अंचल में कोई चीज नहीं है इसलिये मैं आपको दोष नहीं देना चाहता फिर भी, इतना निवेदन करना चाहूंगा कि सुचारु रूप से काम चलवाने के लिए चिकित्सा सेवा की व्यवस्था करें। आपके पास हैल्थ डिपार्टमेंट तो नहीं है फिर भी व्यवस्था करावें।

सभापति महोदय, जैसलमेर में घास की बड़ी भयंकर और विकट समस्या है। आज की तारीख में जैसलमेर जिले में केवल 60 हजार क्विंटल घास उपलब्ध है। इस 60 हजार क्विंटल घास में से भी 30 हजार क्विंटल घास सड़ा गला रद्दी किस्म का है। उसको गाय खायेगी नहीं। इसका मतलब केवल 30 हजार क्विंटल घास आपके पास उपलब्ध है। आपके जिला प्रशासन की रिपोर्ट यह कहती है कि मार्च से जुलाई पीक सीजन मानते हैं जब घास की मैग्जीमम आवश्यकता पड़ती है, इसलिये आपको मार्च से लेकर जुलाई तक के लिये दो लाख क्विंटल घास का प्रबन्ध करना होगा। कहां से आयेगा यह घास? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस घास के प्रबन्ध के लिए आज से ही कार्य शुरू करें नहीं तो घास उपलब्ध नहीं होगी। अगर घास उपलब्ध नहीं होगी तो वहां के जो गरीब पशुपालक हैं, वे भूखे मरेंगे और उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर आपने घास का प्रबन्ध नहीं किया तो...

श्री सभापति: समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य। अब मैं समय देने में असमर्थ हूं। आपने कहा कि पी.एच.ई.डी. के बारे में तो एक सेन्टेन्स में ही कह दूंगा, वह कह दीजिये।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी: सभापति महोदय, मैं पी.एच.ई.डी. मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रथम बार पशुधन को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना बनाई है।

श्री श्रीराम गोटेवाला: यह तो अच्छी बात कही आपने।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी: जो अच्छी बात होगी, उसके लिये हम अच्छा ही कहेंगे और माननीय मंत्री महोदय की तारीफ भी करेंगे।

सभापति महोदय, प्रथम बार पशुधन को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये योजना बनाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत घोलिया, खटोलाई, कोरिया, लूना, पाली, बिग्गा, आसूतार, भारमसर, भारेवाला गांव में जैसलमेर में कार्य शुरू हुआ लेकिन माननीय मंत्री महोदय...

श्री सभापति : संक्षेप में।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : मैं संक्षेप में ही कहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे केवल यह पूछना चाहता हूं कि भारमसर मारेवाला स्कीम के अन्तर्गत फेज वन में ग्राम भारमसर, खारा, टावरीवाला भाड़ेला नाडी तक पानी पहुंचाने हेतु 40 लाख की राशि स्वीकृत की गई थी, उसका कार्य कब प्रारम्भ किया गया व कितनी धनराशि व्यय कर दी गई ? इस योजना के तहत कहां-कहां पानी पहुंच गया है ? इसी तरह मासूतार की स्कीम के बारे में मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा। 19 लाख की जो धनराशि स्वीकृत की है उसके लिए तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं लेकिन, माननीय मंत्री महोदय, मासूतार का जो सोर्स है वह केवल एक ट्यूब वैल है और वह ट्यूब वैल बी. एस. एफ. और ओ. एन. जी. सी. के डिस्प्यूट में है। इस योजना के अन्तर्गत यह योजना थी कि एक नया पाइन्ट वहां खोदकर उस ट्यूब वैल से पानी दिया जाय। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा क्या वह नया ट्यूब वैल खुद गया है ? अगर खुद गया है तो उसका प्रति घंटा पानी का डिस्चार्ज क्या है ?

सभापति महोदय, तीसरी पाली डिग्गा योजना की बात है। यह बड़ी महत्वपूर्ण योजना है और पहली बार राजस्थान में इन्ट्रोड्यूस हुई है। माननीय सदस्य, बाड़मेर वाले भी चाहते होंगे कि उनके यहां कुछ इस तरह की योजना बने। और बननी भी चाहिये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, एक मिनट का समय तो देंगे। पाली डिग्गा योजना के अन्तर्गत 25 लाख की योजना स्वीकृत की गई थी। इस योजना के फेज 4 में, फेज वन और टू की बात नहीं करता, मंत्री महोदय, अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है और इस योजना के अन्तर्गत कितने कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं ?

सभापति महोदय, आप समय नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि इस भीषण अकाल की स्थिति को देखते हुए जितनी भी रीजनल पाइप लाइन स्कीम्स हैं उन पर खास तवज्जोह दें। साथ ही यह एश्योर करें कि टेल एन्ड तक पानी पहुंच जायेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री कुंजीलाल जी। माननीय सदस्य, दो मिनट में बात कह दीजिये।

श्री कुंजीलाल मीणा (बामनवास) : दो मिनट में ही कहता हूं।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बामनवास की जो पेयजल समस्या है उसका समाधान करें। बामनवास में कम से कम 5–10 साल से यह पेयजल योजना लागू है। बामनवास में गर्मियों में पानी की बहुत भयंकर समस्या पैदा हो जाती है। वहां के लोगों को पांच मिनट तो क्या एक मिनट भी पानी नहीं मिलता है। बाड़ौर में ट्यूब वेल आपके विभाग द्वारा लगाया गया

(श्री कुन्जीलाल मीणा)

है और पावर कनेक्शन भी मिल चुका है तो क्यों नहीं बामनवास को वाडोर से पानी दे दिया जाय ? इससे वहां की सारी समस्या हल हो सकती है। ऐसी ही समस्या बोली की है। बोली में पुरानी टंकी बनी हुई है। वहां की आबादी के हिसाब से वहां दूसरी टंकी बनाना अति आवश्यक है। इसके बिना वहां के लोगों को पानी उपलब्ध नहीं हो सकेगा। बोली में वाटर की कोई कमी नहीं है। लेकिन टंकी छोटी होने के कारण लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक मादरपुर गांव है उसके लिये विभाग द्वारा पांच हजार रुपये काफी पहले जमा करा दिये गये थे लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जो बाकी के गांव हैं पेयजल की समस्या से ग्रस्त हैं, हमारी ज़िला परिषद्, सवाई माधोपुर से जो लिस्ट आई है उसके अनुसार उन समस्या-ग्रस्त गांवों की समस्या तो आप हल करेंगे ही, पर पेयजल समस्या के यह जो दो बड़े-बड़े कस्बे हैं, अगर मेरे सुझाव को ध्यान में रखा जाय तो उनकी समस्या शीघ्र हल हो सकती है।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मांगीलाल जी। माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करेंगे।

श्री मांगीलाल आर्य (जालौर) : आपके दो मिनट में तो जीरो लगती है, साहब।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्री जी और जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री जी का ध्यान मेरे क्षेत्र की समस्याओं की तरफ दिलाना चाहूंगा। मान्यवर, सबसे पहले अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि अकाल राहत कार्य मेरे क्षेत्र में जितने स्वीकृत हुए हैं, मेहरबानी करके, उनको शुरू करवावें। अभी तक सिर्फ दो-तीन काम ही शुरू हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, गये साल भी इस तरह जितने काम स्वीकृत हुए थे वे केवल कागजों में ही सीमित रहे, उनका कोई काम शुरू नहीं हुआ। अगर आप चाहें तो मैं विगतवार जानकारी दे दूं परन्तु, सभापति महोदय, आपने मुझे दो मिनट के लिये ही कहा है इसलिए गये साल में जितने काम स्वीकृत हुए हैं उस सूची का आप अवलोकन कर लें। कितनी जगह काम शुरू हुए यह भी देखें और इसका भी मूल्यांकन कर लें। सभापति महोदय, आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्री को गई बार भी मैंने निवेदन किया था, अकाल राहत के मजदूरों को मजदूरी कम मिलने का एक कारण यह भी है कि मजदूरों को जो औजार दिये जाते हैं वे इतने बेकार होते हैं कि उनसे वे काम कर ही नहीं सकते। आपके यहां यह क्राइटेरिया है कि काम के आधार पर मजदूरी दी जायेगी। मजदूर बेचारे वहां पर बराबर 8 घण्टे धूप में मेहनत करते हैं लेकिन पूरी मेहनत करने के बावजूद जितना काम होना चाहिये उतना औजारों के अभाव में नहीं हो पाता है। मैंने गये साल अकाल राहत कार्यों के वक्त में देखा, यह आपकी रोड पर जो पी. डब्ल्यू. डी. के बोर्ड लगे हुए हैं उसके लोहे की चादर के फावड़े बनाकर मजदूरों को दिये गये हैं। उससे रेत बिल्कुल नहीं खिंच सकती। चार-छः अंगुल से ज्यादा गेंती की लम्बाई नहीं है। अब आप ही बतायें, इस तरह के उनके पास साधन हैं तो कैसे

(श्री मांगीलाल आर्य)
काम होगा ? मेहरबानी करके अच्छे साधन दिये जायं। मेरा तो एक सुझाव है, उनको जो मजदूरी देते हैं, उन साधनों का चार आना, आठ आना जो भी उचित समझें; अगर मजदूरी के साथ औजारों को भी जोड़ दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। 90 प्रतिशत मजदूर औजार अपने घर से लाते हैं या किराये से लाते हैं क्योंकि उनको तो अपना पेट भरने के लिये काम करना है। मेहरबानी करके आप इस पर गौर करें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करूंगा, अकाल राहत कार्य खोलने की आपने एक नीति बनाई है कि जो काम गत साल अधूरे रह गये उनको प्राथमिकता देंगे। मेरे क्षेत्र में गत साल में जो काम स्वीकृत हुए उनमें से जो अधूरे रहे उनको अभी भी नहीं लिया गया है। दूसरी बात मजदूर लगाने के लिये आपने जो सीलिंग लागू की है अकाल के हिसाब से वह उचित नहीं है। मेरा क्षेत्र अनुसूचित जाति एवं जन जाति की आबादी का है। सुरक्षित क्षेत्र होने के नाते उस क्षेत्र में ज्यादा आबादी उन मजदूरों की है जो शिड्यूल्डकास्ट में शुमार हैं इसलिये, सभापति महोदय, दो तरह से मेरे से सम्बन्धित बात है। एक तो मेरा क्षेत्र अकालग्रस्त है इसलिये ही नहीं कि मैं उस वर्ग से भी हूं, दूसरा जिन मजदूरों की बात मैं कह रहा हूं उन मजदूरों को मैंने इस अकाल के प्रभाव से जोड़ा है। उनके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आप, जो है, मजदूरों की संख्या को बढ़ाएं। सभापति महोदय,...

श्री सभापति : समाप्त कीजिये।

श्री मांगीलाल आर्य : मेरे क्षेत्र में कामों का मंत्री महोदय को सुझाव देना तो मैंने शुरू ही किया है, सभापति महोदय।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप पांच मिनट बोल चुके हैं।

श्री मांगीलाल आर्य : आपके दो मिनट पर तो जीरो लगती है, हुजूर।

श्री सभापति : जीरो नहीं। आज तो समय का अभाव है।

श्री मांगीलाल आर्य : मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि जवाई नदी के ऊपर जो सी.ए.डी. वर्क्स शुरू हैं उनकी गति मंद है। गत साल तो अधूरा काम रह गया क्योंकि बरसात नहीं हुई, नहीं तो सारा काम बह कर चला जाता। अगर उसी मंद गति से ही काम चलेगा तो शायद वह इस वर्ष भी काम पूरा नहीं होगा और वर्षा आ गयी तो जो काम किया है वह भी बह जायेगा। इसलिए मेहरबानी करके काम में थोड़ी तीव्र गति लायी जाय और उस सी. ए. डी. वर्क्स को पूरा किया जाय। यह बहुत जरूरी है। सिंचाई विभाग की मांगों पर भी मैंने मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था पर यह कार्य आपसे ही सम्बन्धित है। वहां पर नदी का लेवल ऊंचा करने के लिए जो सड़क बनायी है अगर उसकी पिचिंग नहीं की गई तो लाखों रुपये का यह काम बेकार हो जायेगा। बरसात होते ही वह बह जायेगा और सारा काम बेकार चला जायेगा।

श्री सभापति : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री मांगीलाल आर्य: सभापति महोदय, 2–3 बातें मैं मेरे क्षेत्र की कहना चाहूंगा।

श्री सभापति : संक्षेप में कहिये आप।

श्री मांगीलाल आर्य : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र के अन्दर एप्रोच रोड के काम, जिनकी दूरी एक किलोमीटर से दो-तीन किलोमीटर तक की है, गये साल में स्वीकृत हुए थे, वह काम अधूरे रह गये। विशनगढ़ ग्राम तक एप्रोच रोड आधा किलोमीटर है, उमेदाबाद में शीलेश्वर महादेव तक एप्रोच रोड आधा किलोमीटर है। चौराऊ गांव की चार किलोमीटर भाखरी तक मांडवता गांव तक आधा किलोमीटर एप्रोच रोड है। डूंडसी प्याऊ से सांथू एप्रोच रोड 3 किलोमीटर है, बालेरा गांव तक एप्रोच रोड आधा किलोमीटर है। सियाना गांव से खेतलाजी दो किलोमीटर एप्रोच रोड है। इसी तरह निम्बलाणा गांव में एप्रोच रोड एक किलोमीटर है। यह एक-एक, आधा आधा किलोमीटर के काम हैं। इतने महत्वपूर्ण और इतने आवश्यक काम हैं कि अगर यह एप्रोच रोड बन जायें तो उन गांवों के लोगों को बड़ी सुविधा होगी। इसी के साथ केशवना से उमेदाबाद 7 किलोमीटर की रोड है। यह बन जाने से बाड़मेर जाने का रास्ता इतना शार्ट कट हो जायेगा कि मोकलसर होकर जाने से कम से कम 40-50 कि. मी. का फर्क पड़ेगा।

श्री सभापति : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री महाराम चौधरी : आप प्रभारी मंत्री थे तो आपने क्या किया ?

श्री मांगीलाल आर्य : एक मिनट। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री जी का भी ध्यान दिलाना चाहूंगा। 2–3 बात ही आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के अन्दर बीबलसर गांव के अन्दर आकोली से पानी जाता है परन्तु इस आकोली का पानी खारा है। उसमें दो कुए हैं। एक का पानी मीठा है और एक का खारा है। मेहरबानी करके जो मीठा कुआ है उसके पास ही अगर दूसरा कुआ खुदवा दिया जाय तो गांवों की समस्या हल हो जायगी, गांव को मीठा पानी मिल जायगा। दूसरा, जो बेलगिरी गांव हैं वहां पर पेयजल योजना लागू है। वहां पर जो हौद बना हुआ है, टंकी बनी हुई है उसमें लीकेज हैं। काफी दिनों से वह बेकार पड़ी हुई है इस गांव के लोगों की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। मेहरबानी करके टंकी की रिपेयर करा दें या फिर नयी टंकी का निर्माण करा दें। इसी तरह से बालवाड़ा के अन्दर की टंकी डेमेज हो चुकी है। उस गांव में भी इसी तरह की समस्या है। एक बहुत बड़ी नयी टंकी का निर्माण करवा दें तो वहां की यह समस्या हल हो सकती है। चौराउ गांव के अन्दर मीछका में पर्याप्त पानी है, मीठा पानी है। गांव की आबादी भी बढ़ गई है। इसलिए वहां पर मोटर लग जाय और एक हौद बन जाय ···

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य। आपने कटौती प्रस्ताव दे दिये होंगे।

श्री मांगीलाल आर्य : और टूटियां लग जायं तो उस गांव की समस्या हल हो सकती है।

एक माननीय सदस्य : सुझाव बहुत बढ़िया है।

श्री सभापति : बढ़िया है। कटौती प्रस्ताव दे दिये होंगे आपने।

एक माननीय सदस्य : नहीं दिये, भूल गये

श्री मांगीलाल आर्य : धलवाई, लादरोई और धनाना यह तीन गांव ऐसे हैं जहां पर पेयजल की विकट समस्या है। वहां पानी बिलकुल खारा है। वहां कोई योजना लागू नहीं हुई है। उन गांवों को योजना के अन्दर लेकर पानी देना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पर पानी है ही नहीं। एक मेरा सुझाव और है। जहां-जहां पर पेयजल योजना है हां अगर बिजली के अभाव में पानी नहीं मिल रहा हो, गांव का पानी खारा है, दूसरा पास में कोई सोर्स नहीं है तो आप ऐसी व्यवस्था करें कि बिजली नहीं मिले तो भी गांव के लोगों को पीने का पानी मिल जाय। इसके लिए जनरेटर आदि की कोई व्यवस्था की जाय।

आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री भैरूलाल मीणा। माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त कीजिए। निश्चित रूप से दो मिनट ही होने चाहिए।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, आपने समय कम दिया है। मैं केवल मेरे क्षेत्र की ही बात कहूंगा। वैसे बहुत से सदस्यों ने जो उदयपुर में अकाल में ज्यादा मजदूर अकाल राहत कार्य में लगा दिये, उस पर एतराज किया। मैं एक ही बात कहूंगा, उन सदस्य महोदय से निवेदन करूंगा कि एक बार वे उदयपुर क्षेत्र में आकर उन आदिवासी नागरिकों की हालत देखें तो वे खुद भी कह देंगे कि यहां 40 हजार नहीं 60 हजार मजदूर लगाने चाहिए। वे जब इनकी हालत देखें, दशा देखें तो उनको पता चले। यहां विधान सभा में बैठ कर कह देने से कोई संतोष नहीं होता। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वे सदस्य उदयपुर में आकर देखें···

श्री माधवसिंह दीवान : सूचना होगी न कि कितने मजदूर लगे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बोलने दीजिए। कृपया व्यवधान उपस्थित मत करिये।

श्री माधवसिंह दीवान : हम तो डिबेट को रोचक बना रहे हैं।

श्री भैरूलाल मीणा : दूसरी जो वहां की स्थिति है, मैंने पहले भी निवेदन किया कि वहां के लोग जंगल से लकड़ी काटकर और कोयला बेच कर अपना गुजारा करते हैं। एक तरफ सरकार कहती है और हम भी कहते हैं कि जंगल नहीं कटने चाहिए। जंगल कटने से, बरसात का औसत कम होने से और भी अकाल बढ़ेगा, इसलिए हम उसको रोकना चाहते हैं। जहां जंगल ज्यादा होंगे वहां वर्षा ज्यादा होगी और अकाल की स्थिति कम हो जायेगी। दूसरी तरफ जब मजदूरी नहीं मिलेगी तो कोयला और लकड़ी बेचने

(श्री भैरूंलाल मीणा)

के अलावा उसका कोई सहारा नहीं है। पत्थर मिलेगा, उस पत्थर को खाओ या पत्थर बेचो। यहां जयपुर और शहरों के आस-पास में जहां पत्थर होगा वहां तो पत्थर बेचने से पैसा भी मिल जायगा लेकिन जंगल में न तो पत्थर लेने वाला मिलेगा, न कुछ मिलेगा। इस प्रकार की उनकी गम्भीर स्थिति है। वहां पर अकाल राहत कार्य में जो मजदूर लगे हैं, उनकी संख्या ज्यादा बढ़ाई जाये।

दूसरा, हमने कई दफा निवेदन किया, अकाल की स्थिति भी समाप्त हो जायेगी और स्थायी काम भी हो जावेंगे अगर उन जंगलों में पहाड़ों से बहने वाले पानी को छोटे बांध या बड़े बांध बांध कर रोका जाय। इससे अकाल से पीड़ित लोगों को मजदूरी भी मिल जायेगी और जो पानी रुकेगा उससे जंगल की रक्षा होगी, जंगल ज्यादा बढेंगे और सिंचाई का भी साधन होगा।

सभापति महोदय, अकाल पर लगे हुए मजदूरों को जो मजदूरी कम मिलती है, इस विषय में काफी सदस्यों ने विचार व्यक्त किये और मैं भी अपने कुछ विचार रखना चाहूंगा। मजदूर मजदूरी पर जाते हैं तो अपने घर से टोकरी, गेंती, फावड़ा लेकर जाते हैं। उनकी नाप के हिसाब से, काम के अनुसार पैसा निर्धारित किया है किन्तु औजारों की कमी के कारण काम बैठता नहीं है। काम पूरा नहीं बैठने से उनको ढाई तीन रुपये मुश्किल से बनते हैं। कहीं-कहीं तो दो-तीन महीने तक वह वेतन भी नहीं मिलता है। मजबूर होकर अपने घर की रोटी खायी वह भी बेकार गयी। काम पर जाकर खोटी करके वापस आयें इससे उनमें असंतोष फैलता है। मैं चाहूंगा, उनको औजार पूरे दिये जायें। सभापति महोदय, जो सुपरवीजन का तरीका है वह भी गलत है। पंचायत समिति में ओवरसियर नहीं रहता है इस कारण उनके काम की नाप समय पर नहीं होती है। जो उनका सुपरवाइजर होता है वह उनको कुछ बताता भी नहीं है। स्थानीय सुपरवाइजर बैठा देते हैं वह वहां केवल हाजिरी भरता है। मजदूर काम कर रहा है या नहीं भगवान ही मालिक है। मैं चाहूंगा कि सुपरवीजन ढंग का हो और औजार उनको पूरे दिये जायें तो उनका काम बैठ सकेगा। उनको मजदूरी पूरी मिलनी चाहिये और समय पर वेतन दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, पेयजल के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में कहने को तो हैण्ड पम्प के लिए लगभग हरेक गांव का नाम रिकार्ड में आ गया है लेकिन उस क्षेत्र में जंगल में ऐसे गांव हैं कि एक इस पहाडी के पीछे गांव है तो दूसरा दूसरी पहाड़ी के पीछे है। एक पंचायत में 4-5-6 हैण्ड पम्प लगा दिये हैं। जहां सड़क से जाने आने का रास्ता है वहां लगाये हैं। सही बात है कि सड़क होगी वहीं ट्रक जायेगा। जहां सड़क होगी वहीं ट्रक जा पायेगा। वहां तो हैण्ड पम्प लगा दिये हैं लेकिन जो गांव सड़कों से दूर हैं वहां न हैण्ड पम्प है, न पीने को पानी की सुविधा है। मैं चाहूंगा कि उस क्षेत्र में कुओं से या बांध बांध दिये जायें तो उनसे उनको पानी मिल जायेगा। मेरा कुछ क्षेत्र उदयपुर शहर का भी है। गोरधन विलास, कम से कम दस साल हो गये, उदयपुर शहर में मिला दिया गया लेकिन उसमें आज दिन तक नल की व्यवस्था, पानी की

(श्री भैरू लाल मीणा)

व्यवस्था नहीं की गई है। वह मोहल्ला ऐसा है कि पहले पंचायत थी, उदयपुर शहर में मिलने के दस साल बाद आज दिन तक उसमें नल योजना लागू नहीं की गयी है। मैं चाहूंगा कि उसमें जितनी जल्दी हो सके नल योजना लागू की जाय। अब सुना है कि योजना बन गयी है और शीघ्र ही उसको लागू करके नल लगाये जायेंगे। मेरे क्षेत्र के सैक्टर नं. 3, 4, 5, 6, कुछ ऊंचाई पर हैं वहां पानी चढ़ता नहीं है नागरिकों को रात को 12 बजे और 3-4 बजे पानी मिलता है। दूसरी जगह जब पानी बन्द हो जाता है तब ऊंचाई वाले स्थानों के नागरिकों को पानी मिलता है। ऐसी परेशानी है इसलिए वहां पर टैंक बनाया जाय और पानी की सुविधा की जाय ताकि पानी समय पर मिल जाय। दूसरा, मैंने निवेदन किया था...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री भैरूलाल मीणा : मेरे क्षेत्र की तीन चार पंचायतें हैं। कलडवास, खानपुर आदि आयड नामक नदी के किनारे पर हैं। पेयजल विभाग द्वारा उस नदी के किनारे कुए खोद करके उनको पानी की सप्लाई की जा रही है। मैंने खुद उन कुओं पर जाकर देखा, इतना गन्दा पानी है उसमें, जानवर पड़ गए उसी पानी को उन लोगों को सप्लाई किया जाता है। वह पानी कैसे गन्दा होता है इस बारे में मैंने प्रश्न भी पूछा था। जो उदयपुर डिसलरी का कारखाना है उसका गन्दा पानी उस नदी में डाल देते हैं। उस नदी में पानी डाल देने से वह पानी गन्दा हो जाता है। वैसे उस नदी में पानी बहुत कम मात्रा में आता है, शहर का गन्दा पानी आता है, उस कारखाने का भी पानी डाल देते हैं। एक कांच की फैक्ट्री लगी हुई है। उस फैक्ट्री का पानी जो एसिड का पानी है, नाले में डाल दिया जाता है जिससे उस नाले का पानी गन्दा हो जाता है और वही पानी कुए के अन्दर सीपेज होकर जाता है। उसके कारण उस क्षेत्र के नागरिकों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। उस पानी के अन्दर अगर कोई मवेशी बैठ जाती है, मैंने खुद ने जाकर देखा था, तो वह मवेशी दो तीन दिन तक लकडी तरह सूखी रहती है। दो तीन दिन के बाद बड़ी मुश्किल से सही होती है और कुछ तो मर भी जाती हैं। उस पानी को कोई पीता नहीं है। मैं खुद भी उस पानी को जाकर देख आया हूं जिस के लिये कहते हैं कि पानी बढ़िया है और उस पानी से अच्छी फसल होती है। यह बात सही है कि फसल होती है, लोग पिलाते हैं, पम्पिंग करके पानी पिलाते हैं। वह भी मैंने देखा है...

श्री सभापति : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री भैरू लाल मीणा : उसके अन्दर जो जानवर रहने चाहिए, मछली रहनी चाहिए वह मछली भी मर जाती है, इससे यह साबित होता है कि वह पानी गन्दा है और उस पानी से जन-हानि हो सकती है। पानी की इस समस्या को हल करने के लिए मैंने पहले भी कहा था कि उदयपुर क्षेत्र को अगर कोई ऐसी योजना बना कर पानी नहीं दिया जाएगा तो आगे आने वाले सालों में बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। मैंने अभी सुना कि जयसमन्द से पानी को लिफ्ट करके ६८१५२ लायेंगे। जयसमन्द से लिफ्ट कर

195

(श्री भैरूं लाल मीणा)

पानी उदयपुर लायेंगे तो कितना खर्चा आएगा ? दूसरा आज की तारीख में जयसमन्द के नीचे के लोग जयसमन्द के पानी से सिंचाई करते हैं, जिनको पानी पिलाया जा रहा है एक तो उनकी समस्या खड़ी हो जाएगी और दूसरी वहां से लिफ्ट करके पानी उदयपुर लायेंगे तो कौनसी समस्या हल होगी ? इससे तो समस्या और भी दुगुनी हो जाएगी । नीचे के लोगों को पानी नहीं मिलेगा और खर्चा ज्यादा बढ़ जायेगा । इससे तो अच्छा होगा कि जो देवास योजना है, वागन योजना है उसको पूरा किया जाय । उससे पानी की समस्या हल होगी और उस क्षेत्र की सभी तहसीलों को फायदा होगा ।

श्री सभापति : समाप्त कीजिये ।

श्री भैरूं लाल मीणा : मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए बधाई देता हूं ।

श्री सभापति : श्री मंत्री महोदय ।

(व्यवधान)

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : सिर्फ दो मिनट का समय दे दें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मेरे को जयपुर के बारे में बोलना था · · ·

श्री सभापति : बहुत समय हो गया है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बहुत समय हो गया तो क्या हुआ, हम भी बहुत समय से बैठे हुए हैं ।

श्री सभापति : आप बाद में कोई स्पष्टीकरण पूछ लीजिएगा । मैं आपको अवसर दूंगा, माननीय सदस्या ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, सुन तो लें, मैं एक बात कहना चाहती हूं । मंत्री महोदय, एक मिनट विराज जाइये । जयपुर के मामले में यहां पर जो बात · · ·

श्री हंसराज शर्मा : सभापति महोदय, दो दो मिनट का समय दे दें ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्या, बोलने का अवसर नहीं दूं तो आप क्या कहना चाहती हैं ।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : जयपुर की बाढ़ के मामले में मेरी पार्टी की ओर से मेरा नाम दिया हुआ है । मुझे जयपुर की बाढ़ के घोटाले के बारे में बोलना है, जो यहां काम नहीं हुए उनके बारे में बोलना है । करोड़ों रुपयों का घोटाला है · · ·

श्री सभापति : माननीय सदस्या मैं आपको बता दूं कि आपकी पार्टी की तरफ से छः सदस्य बोल चुके हैं, और दलों के अनुसार जो समय का बंटवारा किया गया था उसमें आपका समय समाप्त हो चुका है ।

(व्यवधान)

मंत्री महोदय के जवाब के बाद आप स्पष्टीकरण पूछ लेना ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक भी महिला सदस्या नहीं बोली है पूरे सदन में · · ·

श्री सभापति : कृपया सहयोग करें, माननीय सदस्या।

श्री हंसराज शर्मा : केवल दो मिनट का समय दे दें, सभापति महोदय।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सहयोग करिये।

श्री हंसराज शर्मा : दो मिनट का समय दे दें।

श्री सभापति : मैं आप दोनों से बहुत अच्छी तरह से परिचित हूं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं।

श्री हंसराज शर्मा : सिर्फ दो मिनट का समय···

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप कटौती प्रस्ताव दे चुके हैं···

(व्यवधान)

सुनिये, मेरी बात। मंत्री महोदय की क्षमता पर पूरे सदन ने विश्वास प्रकट किया था, दोनों मंत्रियों पर। आपके कटौती प्रस्तावों के उत्तर निश्चित रूप से आपके पास पहुंच जायेंगे।

श्री हंसराज शर्मा : सभापति महोदय, दो मिनट का समय दे दें। मेरा विशेष निवेदन है, दो मिनट का समय···

श्री सभापति : कृपया समय का खयाल रखते हुए···

श्री हंसराज शर्मा : समय का ख्याल रखेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सहयोग करें।

श्री हंसराज शर्मा : आपकी इजाजत से दो मिनट से तीन मिनट नहीं होने दूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए। मैं आपका हृदय से सम्मान करता हूं।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अरे, सुबह से आप लोग बोले तब मैं खड़ी नहीं हुई। शर्म आनी चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, बिराजिए।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : माननीय सदस्यों के जो भी कटमोशन हैं मैं निश्चित रूप से उनके उत्तर भेजूंगा उनके पास।

श्री दीपचन्द (सादुलपुर) : सभापति महोदय, मैं आपको बराबर कह रहा हूं कि मैं बोलना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराज जाइये।

श्री दीपचन्द : मैं बोलूंगा, आप समय नहीं दोगे तो मने बहिष्कार करणो पड़ेगो।

श्री सभापति : बिराजिए, आपने डीडवाना के बारे में भाषण बहुत अच्छा दिया था।

श्री दीपचन्द : नहीं, मैं बोलूंगो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री दीपचन्द : नहीं, मैं बोलूंगो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य··· माननीय सदस्य···

श्री दीपचन्द : नहीं, मैं बोलूंगो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप देखिए, महिला सदस्या ने मान लिया, माननीय हंसराज जी ने मान लिया। जब आपका कटौती प्रस्ताव है तो मंत्री महोदय अवश्य रूप से जवाब देंगे।

श्री दीपचन्द : सभापति महोदय, मैं बोल्यो कि मैं बोलूंगो जरूर।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिए। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं आपको।

श्री दीपचन्द : सभापति महोदय मैं पांच मिनट में ही बोलूंगा। रात अन्धेरी है, रात बहुत ज्यादा है, आप टाइम दे दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री दीपचन्द : कोई विधायक अपनी बात नहीं कहेगो यहां, तो फिर किस लिए है ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, देखिए, आपको समय देने से अन्य सदस्यों को भी समय देना पड़ेगा इसलिए····

श्री दीपचन्द : माननीय सभापति महोदय, आप सब को टाइम दें, रात तो अपने घर की बात है। रात तो अपनी है···

श्री सभापति : परन्तु आप यह बताइये कि जब आप के पास कटौती प्रस्ताव का जवाब आ जाएगा तो आपका मकसद पूरा हो जाएगा या नहीं ? आप यहां भले ही दस घण्टे भाषण दे दीजिए, कटौती प्रस्ताव एक दीजिए मत, तो कोई रिलाई पाने वाला नहीं है।

श्री दीपचन्द : मैं सिर्फ चार मिनट बोलूंगो।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, बोलने दो ना, साहब।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय।

श्री हंसराज शर्मा : दो-दो, तीन-तीन मिनट दे दो, साहब। सबको दो-तीन मिनट दे दो, साहब, सब बोल लेंगे।

श्री सभापति माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए। सिंचाई की मांग पर आप तो पौन घण्टे बोल चुके हैं। सहयोग कीजिए, माननीय सदस्य। आप बहुत ही···

श्री हंसराज शर्मा : आप जो भी आदेश देते हैं हम उसका पालन करते हैं। दो मिनट मिलना चाहिए।

श्री सभापति : मैं असमर्थ हूं, कृपया सहयोग कीजिए।

श्री हंसराज शर्मा : अकाल के मामले में, पानी के मामले में बहुत जरूरी कहना है। दो-दो मिनट दे दें माननीय सदस्यों को।

श्री सभापति : मैं आपकी प्रकृति से परिचित हूं। आपका दो मिनट गुरसा की तरह होता है।

श्री हंसराज शर्मा : आप दो मिनट का समय दे दें।

(व्यवधान)

Page No 198

(198)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सुनिये। आप लोगों का यह आग्रह है, मंत्री महोदय को मौन सहमति है, परन्तु आप लोग दो-दो मिनट पर ही रहियेगा। उसी समय में · · ·

श्री माधवसिंह दीवान : आप घण्टी नहीं बजायेंगे तो यह चलता ही रहेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, घण्टी बजाना कोई अच्छा सूचक नहीं है। माननीय सदस्यों को खुद ही विवेक से काम लेना चाहिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा माननीय सदस्या, दो मिनट में समाप्त करियेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने अचानक पुकार लिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : शुरू करिये, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): जयपुर शहर में सन् 1981 में 19-7-81 को बाढ़ आई थी। बाढ़ के वक्त मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था, शहर में इतने काम होंगे कि बाढ़ वरदान सिद्ध हो जायेगी। सभापति महोदय, जयपुर के नौ मुख्य द्वार हैं। सारी सड़कें टूटी हुई हैं, पुलियाएं टूटी हुई हैं, मार्ग ठीक नहीं हुए। आज तक मार्ग ठीक नहीं हुए। 31 मार्च को वह पैसा खत्म हो जाएगा। मैं पूछना चाहूंगी कि यह काम क्यों नहीं हो रहे हैं? यह क्या हो रहा है, इसका मुझे कारण बताया जावे। अगर आप गये हों घाटगेट की तरफ आगरा रोड, पर तो आपने देखा होगा कि नाहरसिंहजी की पुलिया टूटी हुई है। भयंकर रूप से वहां पानी फिर आएगा। 79 मौत उधर हुई थीं। इस शहर को आप उस कगार पर ले जाना चाहते हैं कि सारा शहर डूब जावे। कई काम हुए हैं। यह मैं नहीं मानती हूं कि काम नहीं हुए। डामर पर डामर डाला गया है और फुटपाथ पर चौके बिछाये गये हैं उस पैसे से जिस पैसे से बाढ़ को रोकने का काम होना चाहिए था। मैं कहना चाहूंगी कि उसकी तरफ आपका क्या इशारा है? मुख्य मंत्री कोष में बाढ़ को रोकने के लिए राहत देने के लिए जो पैसा दिया गया था, मेरा आरोप है कि मुख्य मंत्री कोष से जरा सी भी राहत नहीं पहुंचाई गई। जन सहयोग किया गया, दानदाताओं और अनेक संस्थाओं ने सहयोग किया लेकिन राज्य सरकार ने क्या काम किया, यह अपने उत्तर में राहत कार्य मंत्री बतायेंगे? मैं एक और आपको निवेदन करना चाहूंगी कि हर साल बजट में अग्नि लगने पर सहायता देने के लिए राशि रखी जाती है। हमने इस साल के 1983-84 का बजट देखा, इसमें अग्नि पीड़ितों को राहत देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। 1978-79 में थी, 1977-78 में थी, 80 तक भी थी, 81 में भी थी, लेकिन इस बार मंत्री महोदय भूल गए। कहीं आग लग जाय तो क्या होगा? आपको उनको राहत देने के लिए कोई योजना बनानी पड़ेगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, सहयोग करेंगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक दो बात और कह दूं। सभापति महोदय, हमारे बन्धे टूटे, सड़कें टूटीं, स्कूल भवन और मकान टूटे वे आज तक ठीक नहीं हुए। राज्य सरकार ने एक पैसा नहीं लगाया, केन्द्र सरकार से

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

45 करोड़ रुपये लाये। वह कहां गया ? मंत्री महोदय हिसाब दें। मैं एक बात कहना चाहती हूं, इन सबसे राहत देने के लिये आपको शराब खोलनी तो बहुत जरूरी थी, 11 अगस्त को काम तो किया नहीं और शराब खोल दी। मैं कहना चाहती हूं, राहत देते तो अच्छा होता।

श्री सभापति : अब पेयजल पर बोलें, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जयपुर का कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया गया। कच्ची बस्तियों में जो गृह निर्माण सहकारी समितियों की आवासीय बस्तियां हैं, जो गन्दी बस्तियां हैं वहां पानी पहुंचाया नहीं जाता। जो पानी लक्ष्मण डूंगरी से आ रहा है, जैसा अभी आप चर्चा कर रहे थे, उससे पेट में कीड़े पड़ रहे हैं। समूची सफाई करके पानी दिया नहीं जाता। दवाई के साथ पूरे दबाव से पानी देना चाहिये वह दिया नहीं जाता। जमुवा रामगढ़ जयपुर को पानी दे लेकिन जमुवा रामगढ़ क्षेत्र के लिये पानी देने की कोई योजना नहीं है। वहां खटीकों, हरिजनों के मोहल्ले में नल काट दिये। मैं कहना चाहूंगी, मंत्री महोदय, इस पर विचार करें। जयपुर में 27 इन्ची की तीसरी पाइप लाइन की योजना बनाने जा रहे हैं लेकिन पानी बिलकुल नहीं आ रहा है। पूरे दबाव के साथ शुद्ध पेयजल आये इसकी योजना बना कर बतावें। जयपुर के लोग बहुत परेशान हैं। कहीं कहीं तो गटर लाइन टूटकर पानी की लाइन में मिल गई है। 80 प्रतिशत लोगों को लेट्रीन का पानी पिलाया जा रहा है, यह मेरा आरोप है। आप जैसे सक्षम व्यक्ति होते हुए भी इस विभाग की कोई देख-रेख नहीं हुई। मेरा आग्रह है कि मेरे कटौती प्रस्ताव को देखकर इसका समाधान पूर्वक उत्तर देंगे। यही मैं निवेदन करना चाहती हूं।

श्री सभापति : श्री हंसराजजी शर्मा। माननीय सदस्य, सुरसा की तरह दो मिनट नहीं होने चाहिये आपके।

श्री माधव सिंह दीवान : सभापति महोदय, उस पक्ष से एक आदमी बोलेगा तो दो आदमी इस पक्ष से···

श्री सभापति : जरूर बोलेंगे, माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री हंसराज शर्मा : सभापति महोदय, मांग संख्या 27 और 34 के संदर्भ में मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं। पहले तो यह निवेदन करूंगा कि सवाई माधोपुर में पानी का संकट वर्षों से चल रहा था। माननीय मंत्री महोदय ने उसके लिये जो 1.45 करोड़ की योजना प्रारम्भ की, उसके लिये उस क्षेत्र की जनता और मेरी ओर से आभार प्रकट करता हूं। मुझे आशा है कि बराबर इस तरह की समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। इसके साथ साथ ही दूसरी बात कहना चाहूंगा कि जब तक लाइन चालू नहीं हो जाय तब तक सीमेंट फैक्ट्री का पानी गिरवी रख रखा है। 9 लाख गैलन पानी प्रतिदिन देने का एग्रीमेंट है जब कि वह 75 हजार की जनसंख्या को मात्र एक या डेढ़ लाख गैलन पानी दे रही है। आपके विभाग के कर्मचारियों को फैक्ट्री के अन्दर नहीं घुसने देते, मोटर नहीं लगाने देते। उनकी 150 हार्स

(श्री हंसराज शर्मा)

पावर की मोटर नीचे लेवल पर है और हमारी 50 हार्स पावर की मोटर ऊंचे लेवल पर है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा, फैक्ट्री को बाध्य करें कि सवाई माधोपुर को 9 लाख गैलन नहीं तो कम से कम 5–6 लाख गैलन पानी तो देवें ताकि जनता को पानी मिल सके।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि इस क्षेत्र में जो नल योजना ग्राम कुण्डेरा, बोली, मलाना डूंगर और खिरनी के अन्तर्गत चालू की है वह सुचारु रूप से काम नहीं कर रही है। जैसे कुण्डेरा में दो लाख खर्च किये और दो हजार रुपये प्रति माह कर्मचारियों को तनख्वाह दे रहे हो फिर भी एक दिन में मुश्किल से 40-50 बाल्टी पानी प्राप्त होता है। इस सन्दर्भ में वहां के सरपंच ने भी शिकायत की है। इसलिये इस प्रकार की समस्या का समाधान करें। इसके फेल होने का एक ही कारण है कि जिस समय नल योजना चालू की गई उस समय किसी के व्यक्तिगत कुए पर ट्यूबवेल लगा दिया उसने मना कर दिया तो दूसरे कुए पर लगा दिया और इस प्रकार वह योजना फेल हो गई।

बाढ़ के समय में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मिट्टी आने से जो कुए खराब हो गये उनकी मिट्टी नहीं निकाली। आज वहां पानी का अभाव है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि उन कुओं में सुधार करें। साथ ही मैं निवेदन करूंगा, विधान सभा में हैण्ड पम्प काण्ड बड़े जोरों से चल रहा है। मेरा नम्र निवेदन है कि कम से कम 50 प्र. श. हैण्ड पंप बिलकुल बेकार हैं सवाई माधोपुर जिले में। कुछ हैण्ड पम्प ऐसे हैं जो बोर कर दिये, उनमें पंप लगा दिया किन्तु माथे पर पत्थर रख रखा है। वे दो साल से चालू नहीं हैं। जिला परिषद् के माध्यम से हमने निवेदन आपके पास पहुंचाया। वहां के अधिकारीगण ने भी स्वीकार किया कि हैण्ड पंप ज्यादा खराब हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इसकी जांच करवाई जाय और जिन्होंने हैण्ड पंप चालू होने के पहले ही पेमेन्ट कर दिया उनके खिलाफ एक्शन लें। दूसरा मेरा सुझाव और है। हैण्ड पंपों में डी ग्रेड और सी ग्रेड पाइप का प्रश्न चल रहा है। हमारे जिले में अधिकारियों की लापरवाही की वजह से चैकिंग नहीं हुई। जिस समय बोरिंग हुआ, पाइप डाले उस समय कांट्रेक्टर ने 32 रुपये मीटर के बजाय जो 30 रुपये मीटर का पाइप आता है वह डाल दिया। इसकी जांच करके इस बात का पता लगाइये कि यह कहां से खरीदे हैं। जो पाइप लगा रहे हैं उसमें ध्यान रखें कि आप जो कंपनी तय कर दें उसी कम्पनी के पाइप लगाये जायें।

सभापति महोदय, हमारे इलाके में आपने हजारों कट्टे सीमेंट दी है। उससे योजना के अन्तर्गत जो खेली वगैरह बननी थी वह एक भी जगह नहीं बनी है। इसलिये मेरा आप से निवेदन है कि इस मामले को भी निश्चित रूप से देखें।

साथ ही मेरा निवेदन है कि आपने जो बजट दिया है 21. 60 करोड़ का, वह 10 शहरों और 1160 गांवों को दिया है। यह ग्राम जनता के साथ अन्याय किया है। गांवों की पापुलेशन 80 प्र.श. है और शहरों की 20 प्र.श. पापुलेशन है। शहरों को 50 प्र.श. बजट दे दिया और 20 हजार रुपये आपने स्वीकृति की आशा में रख दिये इसलिये मेरा

(श्री हंसराज शर्मा)
निवेदन है कि गांवों में जहां पानी की समस्या है वहां यह प्रतिशत बढ़ावें ।

श्री सभापति : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य ।

श्री हंसराज शर्मा : इसके साथ ही अकाल राहत मंत्री जी को बधाई दूंगा । इस बधाई का जबाव तो वे प्रत्युत्तर में देंगे मगर मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे इलाके में जो मजदूर लगाये हैं उनसे खूब काम कराया । इतना काम कराया कि इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा । वह सारा इतिहास बतायेंगे कि कितने मजदूर लगाये और कितना पैसा खर्च हुआ । इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं । भगवान करे ! इसी प्रकार से हमेशा कराते रहें ।

दूसरा मेरा निवेदन है, बाढ़ से हमारे यहां करोड़ों का नुकसान हुआ था लेकिन हमारे काश्तकारों को कोई रिलीफ कार्य नहीं मिला । सवाई माधोपुर में बाढ़ के नाले से कच्ची बस्ती कट गई । उन लोगों को अनुदान दिया गया है । कंजर कालोनी वालों को रंगरों, भंगियों और चमारों को पैसा देकर कुछ मकान बनवाये हैं । बाढ़ के समय जो आपने 12 लाख का एस्टीमेट तय किया था उसमें से आज की तारीख तक 4 लाख लगाये हैं । वह काम अधूरा है । सारे काम को पूरा नहीं कराया तो हरिजनों की बस्तियों के लिये जो सहयोग, पैसा दिया है वह सारा समाप्त हो जायेगा । मेरा निवेदन है कि बाढ़ राहत कार्य के नाम पर जो पैसा दिया गया है उसका सदुपयोग हो ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार समाप्त करते हुए एक बात और निवेदन कर दूं । कल हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने हमको एक मामले में कहा कि अकाल राहत काम के अन्तर्गत जो रोड बनें उनकी देखरेख का हम को मालूम नहीं है । मैं निवेदन करूंगा कि उन रोड्स के मालिक बनें, उनके सामान का एस्टीमेट बनाकर पी.डब्ल्यू. डी. का रोड हैण्ड ओवर करें ताकि उनका काम ठीक हो सके । इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद । माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि ध्यान रख कर कार्य करें तो बहुत सुन्दर होगा । आप पर लान्छन न लगे इसके लिये हैण्ड पम्प का जो कान्ड है वह राजस्थान से परे हटाया जाय ।

श्री सभापति : श्री दीपचन्द ।

श्री दीपचन्द (सादुलपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं अकाल राहत मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में 1980-81 में काम चले । काम चलने पर पी. डब्ल्यू. डी के कर्मचारियों ने 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा और 80 पैसा तक में मजदूरी दी थी । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल में काम चालू करने की हमारे पर तो दया न करें । मेरे क्षेत्र राजगढ़ में तो अकाल राहत कार्य खोलने की तकलीफ ही न पायं । अब रही पेयजल की बात । इसके लिये बहुत सदस्यों ने, सभी सदस्यों ने हमारे जन स्वास्थ्य मंत्री की बड़ी बड़ाई की है । वे बहादुर हैं, ईमानदार हैं, नेक हैं । मंदिर में आदमी जाय हनुमान जी की पूजा करे है 24 घंटा । अर पुजारी ने कोई मिजान ही कोनी मिले, कोई पर्चो लिखकर कोनी दे कदे, तो के अपनी धूल खावे के ऊ पुजारी कन्ने । माननीय सभापति

(श्री दीपचन्द)

महोदय, मेरे क्षेत्र राजगढ़ में आपको जानकारी है, जाम कोठी से पानी जाता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह हनुमान जी वाली बात फिर से कह दीजिये आप।

श्री दीपचन्द : है ?

श्री सभापति : पार्टी मीटिंग में सुन लीजिये वह।

श्री दीपचन्द : माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र राजगढ़ में, राजगढ़ शहर में जाम कोठी से पानी जाता है। पचास गांव और शहर में जाता है। मैं ईमानदारी से कहता हूं, इन गांवों में और शहर में सात-सात दिन तक लोगों का पानी नहीं मिले। अर जलुस निकाल के माननीय सदस्य की शान बिगाड़ दे। अर ये, सभापति महोदय, कहे कि बोलो ना। मने बड़ो गुस्सो आयो, उरे तो ये कोन बोलन दे उठे जनता कोन बोलन दे। म्हारो के हाल ? इसलिये मैं, माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, वह कारण क्या है ? और कोई व्यवस्था खराब नहीं है, असली बीमारी के है ? कर्मचारी है वह काम नहीं करे। लाइन आला री ड्यूटी है, मजदूरां री ड्यूटी है वे मस्ती करे हैं, शराब पीते हैं मतलब कोई काम कोनी करे। कोई कर्मचारी जाए, यह म्हारे सहायक अभियन्ता सोनी जी है वह जायं कई बार। तो दो बर वो पिट गियो पर बताए हाथ में कोनी मडो। हालत या है। यहां जैन साहब बैठे हैं। मैंने जैन साहब मुख्य अभियन्ता को कहा कि वहां व्यवस्था खराब है, आप इन्तजाम करिये दो-चार बदली-सदली कर दयो। तो मुख्य अभियन्ता जी यह फरमाते हैं, मास्टर साहब, वहां तो यूनियन है, किसी यूनियन के झगड़े में पड़ जायं तो बात बिगड़ जाय। मुझे दुख और अफसोस है, यह सरकार यूनियन से डरती है। तो क्या सरकार चलेगी क्या व्यवस्था चलेगी ! माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा राजगढ़ शहर में और देहात में पानी की भारी अव्यवस्था है, लोग परेशान और दुखी हैं। असली बीमारी तो कर्मचारियों की है। दूसरी बात, रात में जाम कोठी के अन्दर शराब पीकर मस्ती में सो जायं छोरा। जद बिजली आवे तो कुओ कोनी चालू करें। अर जद आंख खुले जद बिजली चली जाय। हालत यह है, कई तो मशीनां खराब पड़ी हुई हैं। यह ईमानदारी से मैं इस हाउस में कहूंगो कि कोई भी कर्मचारी, आफिसर जानो चाहे तो वह रात ने डरपतो कोनी जाय क्योंकि द्वारा पिअडा बठे तैयार पावे ऊने कूटे। माननीय सभापति महोदय, मैं जाऊं तो बीमारी मेट द्यूं लेकिन मैं डरपतो कोनी जाऊं, कतल का मुकदमा मूं मुश्किल से भगवान बरी कर्यो है, हाईकोर्ट में केस और लाग जाय म्हारे म्हाले। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को ध्यान हमारे क्षेत्र की तरफ दिलवाने चाहूं हम बहुत परेशान हैं। बेकार तो कुआं हो गिया और बेकार हो गिया जो सामान पानी निकालदां हैं, वो राजस्थान सरकार दी या जिम्मेवारी हो जावे है, जिस गांव में जलदाय प्रदाय योजना ली, तो नैतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिम्मेवारी हो जावे है उस गांव में पानी दो कहीं से दो, चाहे जो मजदूरी हो उस गांव में पानी देना जरूरी है, लेकिन सरकार सात-सात दिन तक

(श्री दीपचन्द)

ध्यान नहीं दे। मैंने खुद तार दियो दीपचन्द विधायक की हैसियत में। मुख्य अभियन्ता को दियो, हमारे माननीय बहादुर ईमानदार नेक परसराम जी चौधरी साहब को मैंने तार दियो। तार को कोई जवाब कोनी आयो और लोग करे है मेरी मिट्टी पलीत। यह जलदाय प्रदाय महकमा जो है, पुलिस आला तो XXX पिसा लेवे, पुलिस आलां को बड़ो तगड़ो रोलो है, इसी तरह ई महकमा रो भी बड़ो रोलो है म्हारा गांव में तो, आ जिन गांवों में जल प्रदाय योजना है, मैं ईमानदारी से कहता हूं, कांग्रेस ने तो वोट मिलगा लेकिन जो कांग्रेस जन की जिम्मेदारी है, जो सत्ता में, हुकूमत में बैठे हैं जिन गांवों में काल पड़ गियो, जिन गांवों में अकाल राहत को काम ज्यादा है उन गांवों में वोट कम मिलगा। क्यों? एक दिन में दस पीसा, पांच पीसा, एक पीसा मजदूरी बंधाई कैसे बंधाई, पीछे वोट में रोलो पड़ेगो। इस के अलावा ये दुख और अफसोस की बात है। जल प्रदाय योजना में जिन-जिन गांवों में सात-सात, दस-दस दिन तई पानी नी जाय, कुओ बेकार हो गियो अर उसका मिजान नहीं है, जो रस्सी रासी थी वो बेकार हो गई, कुआं बरबाद हो गिया, अब या बताओ, सवेरे उठे सबसे पहले भगवान को नाम लेवे वो पहले पानी चाहिये और पानी मिले नहीं तो या नैतिक, और प्रशासनिक जिम्मेवारी हो जावे है। जे आ गावां में पाइप लगावें, टंकी बनावें उनकी जिम्मेवारी हो जावे है किसी भी तरह से किधर से पानी लावें। लेकिन यह लोग बाग, कर्मचारी भाई को दोष है, और कैंइको दोष कोनी, मशीन भी ठीक हो सके है। कर्मचारियों पर कंट्रोल नहीं है। यह प्रशासन को मंत्री महोदय को, बहादुर और ईमानदार, नेक श्री परसराम जी को नैतिक अधिकार है कि मजबूती के साथ, सख्ती के साथ यूनियन-बाजियन तोड़ें। अरे, यूनियन क्या है ? किसे कहीं मजदूरी करनी होगी तो कह्यो मजदूरी करना हो तो कर, नहीं तो भाग जा। मेरी समझ में कोनी आवे या सरकार है, के बावली होरी छै, बावेला खेल खेले छे। यह सब जनतंत्र के करे है ? यह क है है, गांवा में यूनियन है। मेरी समझ में नहीं आता, माननीय सभापति महोदय, हम मुख्य मंत्री ने ज्ञापन देवेंगे। अपने जल प्रदाय योजना मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई मजदूर है, काम करे कोनी, वे यूनियन बनाकर रहें, तो ये यूनियन के काम आवेगी? यूनियन अपना हक खातिर लड़ो, अपनी योजना खातिर लड़ो, अपनी तरक्की खातिर लड़ो। काम कोनी करे, शराब पीवे, बदमाशी करे, गुण्डागर्दी करे, और कोई कर्मचारी ऑफिसर जांच करने जावे तो XXX या यूनियन है? मैं ईमानदारी से बात कहता हूं। इसके अलावा म्हारो एक ए. ईएन. है, सहायक अभियन्ता, वो राजगढ़ में रहवे है। पचास गांवों में चैक कैसे करे? जाम-कोठी कैसे जावे ? ऊं के ओडी जीप कोनी। कई डिपार्टमेंट में था तो जीप सागे थी। एकाध बेमतलब की पत्नी, सह पत्नी, दोस्तन अर दोस्तन सारा फिरे पट्ठा। अर आका महकमा में काम करन आया जिका साला जीप कोनी दे राखी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा मंत्री महोदय से कि हमारे सहायक अभियन्ता को जीप जरूर दें क्योंकि पचास गांवां में जांच करे है। जाम कोठी रात ने आके चैक करे

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री दीपचन्द)

तो क्या पर करे। रात ने बस तो बंद हो जावे और एकलो आवे कोनी डरतो। एकलो आ जावे तो कुटे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा मन्त्री महोदय से, राजगढ़ के सहायक अभियन्ता को हर वक्त के लिए एक जीप देनी जरूरी है।

इसके अलावा एक बात और कहने के पीछे बैठ जाऊंगा। इस योजना में बड़ास चार है। एक कानासी है, एक देवीपुरो है आठ गांव हैं। मंत्री महोदय, 8 गांवों में सात साल पहले टंकी बनी थी। अर जिस दिन टैस्ट करी उसी दिन तो पानी आया था, ईमानदारी से कहता हूं, उन आठ गांवों में पानी कदे ही कोनी जावे। अब जब भी हम गोता खाइम जावा पंचायत कहवे है, साहब हमने बड़ो नीचो देखनो पड़े है। या तो पाइप लाइन उखाड़ दयो और यां टंकी फोड़ा फाड़ी कर दयो। ऊंडे जद आर के फंदो मिटे, नहीं तो पानी देने को इंतजाम करो, किसी भी तरह करो। इसके अलावा, सभापति महोदय, हमारे गिरधान की योजना चल री है। उस गिरधान की योजना में चार कुआं चालू है। अर पानी बहुतायत में है। मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, 8-10 गांव तो अभी ले राख्या है जल प्रदाय योजना में। इसके अलावा हीरे का बाग, रागा, आहूवास भाखरा, बागड़वास, सूरजपुरा, बीसलावन, अदाऊ, ये और हैं। वो बीसलावन है। यह 8-10 गांव और हैं जो गिरधान की योजना के बिलकुल नजदीक हैं। आठ गांव आस-पड़ौस में हैं। 8 गांवों में तो पानी को मिले कोनी। ऊं कहे, मास्टर जी, हमीं के पाकिस्तान में छः भाई अर वो ये कहे, हमीं के हरियाणा में छा ? इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि गिरधान की योजना के अन्दर आठ गांव और सम्मिलित करें। इस योजना को बड़ी ठप्प कर रखी है। पानी बहुत अच्छो है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना का उद्‌घाटन करें। आप पधारें, इस योजना से गरीब आदमी, किसान आदमी को फायदा होगा, हरियाणा नजदीक बसे है। माननीय सभापति, मैं एक बात और कह द्‌यूं, रात को टाइम है।

श्री सभापति : समाप्त करिये।

श्री दीपचन्द : एक मिनट, एक मिनट सिर्फ। हमारी रिश्तेदारी हरियाणा में है। अर हरियाणा के नजदीक वह सारा का सारा गांव है। हरियाणा में गांव-गांव में सड़क और गांव-गांव में लड़का है। वह कहदेला, छोरी कोनी जाय, ब्यावा कोनी, थारां पानी कोनी।

जय हिन्द।

श्री भैरूंलाल मीणा : सभापति महोदय, मुझे एक आपत्ति है। जैसे सदस्यगण की गलती नहीं है। लेकिन जो आफिसर हैं उन्होंने बड़ी चालाकी से इनके दिमाग में बैठा दिया। इन्होंने कहा, मजदूर एक ऐसी संस्था है जिसके कारण नुकसान होता है।

(व्यवधान)

मैं चाहूंगा कि मजदूर वह संस्था है जिसकी वजह से देश को चलाते हैं। किसान और मजदूर देश के रीढ़ की हड्डी है। सदस्य महोदय को मैं दोष नहीं दूंगा लेकिन जिन आफिसर्स ने

(श्री भैरूंलाल मीणा)

इनके दिमाग में यह बात बैठायी है, ऐसे क्लेवर···

(व्यवधान)

देखिये, आपको क्यों आपत्ति हो रही है। आपको आपत्ति किस बात की हो गई। आपको किस बात की आपत्ति हो रही है। मैं सदस्य महोदय के लिए नहीं कह रहा हूं। आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिये। क्या कहना चाहते हो आप ?

एक माननीय सदस्य : अरे, शिवदान सिंह जी, आप बिराजो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंलाल मीणा : आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री सभापति : श्री भैरूंलालजी मीणा।

(व्यवधान)

श्री भैरूंलाल मीणा : मैं जो कह रहा हूं·· आप मेरी बात को समझो।

श्री शिवदान सिंह राठौड़: आपको नहीं बोलना चाहिये।

श्री भैरूंलाल मीणा : मेरी बात को समझो, मैं मजदूरों का काम करता हूं। आप मेहरबानी करके समझो।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : ···जब चांस मिले बोल जाना।

श्री भैरूंलाल मीणा : आपकी मैंने तारीफ की है।

श्री सभापति : जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री भैरूंलाल मीणा : सदस्य महोदय की मैंने तारीफ की है, इनकी गलती नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, आपने अपना टाइम पूरा कर लिया है।

(व्यवधान)

नियमों का पालन करें माननीय सदस्य, इस तरह की बात न कहें...

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। आप नियमों का पालन करिये।

(व्यवधान)

आप इंटक के सदस्य हैं। वह भी दायित्व आपने पूरा कर लिया····माननीय मंत्री महोदय····

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक शेर याद आ रहा है मुझे इस बात पर। आप कहें तो सुनाऊं····

(व्यवधान)

"लहू लुहान नजारों का जिक्र जब आया
तो लोग बहुत दूर जाकर बैठ गये।।"

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

श्री परसराम मदेरणा (जन स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 पर इस सदन के

(श्री परसराम मदेरणा)

30 माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्तावों के जरिये राजस्थान के अन्दर छठी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन सालों में समस्याग्रस्त गांवों को लाभान्वित करने का जो लक्ष्य रखा गया था और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चार प्रकार की जल-प्रदाय योजनाएं, जो राज्य में प्रारम्भ की गई हैं, हैण्ड पम्प की योजना, प्रारम्भिक स्रोत योजना, पम्प एण्ड टैंक योजना और क्षेत्रीय योजना इन चार प्रकार की योजनाओं के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने कई सुझाव इस सदन में आज प्रस्तुत किये। यहां पर यह कहा गया कि जो रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम्स बनी हुई हैं वे 20-20, 25-25 और 15-15 गांवों को कवर करती हैं इसलिये एनरूट या छोर पर जो गांव आये हुये हैं वहां पर पानी नहीं पहुंचता है, स्रोत बहुत दूर हैं, पाइप का डायामीटर छोटा है और बूस्टर पम्प भी नहीं लगा हुआ है। योजनाएं विधिवत नहीं चल रही हैं, अव्यावहारिक हैं इसलिये इनमें सुधार किया जाना चाहिये। यहां पर यह बात भी कही गयी है कि जो योजनाएं प्रारम्भ कर दी गयी हैं, उनके रख-रखाव के लिये उचित व्यवस्था नहीं है इसलिए इनमें सुधार किया जाना चाहिये। यहां पर, सभापति जी, यह भी कहा गया कि पी. एस. एम. की जो योजनाएं हैं ये ठीक तरह से नहीं चल रही हैं इसलिये इनको बन्द किया जाना चाहिये। यहां यह बात भी कही गई कि आपने जो मानदण्ड तय किये हैं और जो भारत सरकार ने जो मानदण्ड तय किये हैं उनमें समस्याग्रस्त उन गांवों को माना है, घुलनशील लवणों के अलावा, जैसे बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य और अन्य माननीय सदस्यों ने भी कही है, नागौर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यह बात कही कि 1.6 किलोमीटर की दूरी पर जो गांव हैं वे समस्याग्रस्त हैं इसलिये इस दूरी को मानकर के सभी गांवों को जल योजनाओं से कवर किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में नगर की योजनाओं के बारे में भी बात कही गयी। खास तौर से सवाई माधोपुर, उदयपुर और इसी के साथ-साथ अन्य शहरों की बात यहां पर कही गयी। इस सम्बन्ध में मैं अलग से कहूंगा। यहां यह भी कहा गया कि जिन क्षेत्रों में पानी कड़वा है, खारा पानी है, फ्लोराइड युक्त है, या अन्य प्रकार के लवण युक्त है, उन क्षेत्रों को खास तौर से प्राथमिकता देकर कवर किया जाना चाहिये। हरिजन बस्तियों को प्राथमिकता देने के संबंध में यहां पर कहा गया और अन्य वाटर-वर्क्स जहां पर शुरू हो गयी हैं वहां पर हैण्ड पम्प नहीं लगा रहे हैं, इसलिये वहां हैण्ड पम्प लगाये जाने चाहिये। यहां पर हैण्ड पम्प स्वयं के सम्बन्ध में बहुत से माननीय सदस्यों ने कई बातें कहीं।

मैं प्रारम्भ में, सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो दशक चल रहा है 1980 से 1990 तक का, यह अन्तर्राष्ट्रीय जल प्रदाय और सैनिटेशन का दशक है। इस दशक के अन्दर हिन्दुस्तान में ही नहीं वरन् दुनिया भर में स्वच्छ, सेफ और पोटेबल वाटर वहां की जनता को मिले ताकि उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। इसी सन्दर्भ में भारत सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना बनाई है। छठी पंचवर्षीय योजना में यह तय किया गया है कि हिन्दुस्तान के अन्दर 2 लाख 31 हजार गांव समस्याग्रस्त हैं। इन समस्याग्रस्त गांवों को

(श्री परसराम मदेरणा)

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त 1985 के 31 मार्च तक कवर करना चाहिये, लाभान्वित करना चाहिए लेकिन इसमें शर्त यह रखी है कि उसमें सोर्स एक ही दिया जाना चाहिये और जो योजना बने वह बहुत कम कीमत की बनाई जानी चाहिये। राजस्थान के अन्दर विस्तृत सर्वे 1974 में हुआ। सभापति महोदय, पूरे राज्य भर में 33305 गांवों में से 24037 गांव समस्याग्रस्त उस समय घोषित किये गये। इस सर्वे के आधार पर समस्याग्रस्त घोषित 24037 गांवों को हमें पांच सालों के अन्दर पानी पहुंचाना है, कवरेज देना है। इस कवरेज देने के अन्दर 1981 में जो मर्दुमशुमारी हुई उसमें 33305 की जगह अब गांवों की संख्या बढ़ कर करीब 34968 हो गई है इसका मतलब 1663 गांव और बढ़ गये। इन 1663 गांवों में वह हो सकता है जैसा अभी शिव से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि बड़े गांवों के दूसरे रेवेन्यु विलेज बन गये, और जो गैर-आबाद गांव थे, बढ़ती हुई आबादी के साथ में वे भी आबाद हो गये। लेकिन जो सीलिंग भारत सरकार ने फिक्स कर दी है वह 24037 गांवों की है इनके अलावा और गांव अगर आप लेना चाहते हैं, और आप यह मानते हैं कि जो गांव गैरसमस्याग्रस्त हैं उस वक्त सर्वे हुआ था उसके अनुसार, लेकिन उसके बाद उसके पानी में दूसरे प्रकार के लक्षण पैदा हो गये हैं या पानी का सोर्स खत्म हो गया है, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने इस प्रकार के आदेश दिये हैं और पालिसी प्लानिंग कमेटी ने अब यह निर्णय लिया है, हालांकि फरवरी के अन्दर और इसके पहले भी आदेश निकाल दिये थे लेकिन स्पष्ट नहीं थे कि जिला परिषद कहीं पर किसी गैरसमस्याग्रस्त गांव को अगर समस्याग्रस्त मानती है और आज जो समस्याग्रस्त गांव हैं उनको प्राथमिकता न देकर उसको प्राथमिकता देती है तो राज्य सरकार उस गांव को उससे सब्स्टीट्यूट कर देगी और उसको समस्याग्रस्त मान लेगी।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, आज राजस्थान को बने हुए करीब 33 साल हो गये। इन 33 वर्षों के अन्दर राजस्थान के ग्रामीण अन्चलों में जो कवरेज हुआ है उस सम्बन्ध में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली पंचवर्षीय योजना में एक भी गांव लाभान्वित नहीं हुआ। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी हम शहरों को तो पाइप लाइन देते रहे लेकिन गांव इग्नोर होते रहे, एक भी गांव लाभान्वित नहीं हुआ। तीसरी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान के 33 हजार और कुछ गांवों में से केवल 99 गांव लाभान्वित हुए। इसके बाद तीन वर्षों में जो ईयरली योजना बनी थी उन तीन सालों के अन्दर 119 गांव लाभान्वित हुए। इसका मतलब 36-37 गांव प्रति वर्ष लाभान्वित हुए। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना में 1102 गांव लाभान्वित हुए। इसका मतलब यह है कि करीब 205 के आस-पास गांव प्रति वर्ष लाभान्वित हुए। 74-75 की जो एक साल की योजना थी उसमें 652 गांव लाभान्वित हुए। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा 2887 गांव लाभान्वित हुए। उसके बाद में, सभापति महोदय, छठी पंचवर्षीय योजना 80-81 से प्रारम्भ होती है। छठी पंचवर्षीय योजना के साथ ही इन्टरनेशनल

(श्री परसराम मदेरणा)

वाटर सप्लाई डिकेड प्रारंभ होती है और भारत सरकार एक तरह से इस प्लान के अलावा भी 800 करोड़ रुपये इस बात के लिए निर्धारित करती है कि जिन राज्यों में पानी की समस्या है वहां एक्सिलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई के लिए ग्रान्ट दी जायेगी और उन प्रान्तों में दी जायेगी जिन प्रान्तों के अन्दर पानी की ज्यादा समस्या है। उस ग्रान्ट के अलावा जो कुछ भी प्रावधान छठी पंचवर्षीय योजना के लिए रखा गया है वह 105 करोड़ रुपये का है। 105 करोड़ का जब मैं निवेदन कर रहा हूं, वह इसलिए कर रहा हूं, 105 करोड़ में हमको जो गांव कवर करने हैं वह हैं करीबन 19½ हजार के आस पास। चौथी व पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 4857 गांव लाभान्वित हुए हैं। इसका मतलब यह है कि 19½ हजार गांवों को हमें लाभान्वित करना है इन पांच सालों के अन्दर। उस संबंध में मेरा यह निवेदन है कि 31 साल तक हम कुल मिलाकर जो कर सके, 1980-81 से मैं ले रहा हूं, 1980-81 में 3 हजार 28 गांव लाभान्वित हुए। उसके बाद 1981-82 के अन्दर 3890 गांव लाभान्वित हुए। 1982-83 का जो लक्ष्य है वह आज 3400 गांवों के आसपास है। यह लक्ष्य फरवरी के अन्त तक करीब-करीब हमने प्राप्त कर लिया है। मार्च के अन्दर जो गांव लाभान्वित होंगे उनकी संख्या 3400 से ऊपर हो जायेगी। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि 1980-81 तक जितने गांवों का कवरेज हुआ वे 7885 गांव थे। और पिछले 2 साल का 1981-82 और 1982-83 के अन्दर जितने गांव कवर हुए हैं वे कुल 8241 गांव हैं जो 28 फरवरी तक कवर हो गये हैं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि आज जो हम योजना बना रहे हैं वह चार प्रकार की योजनाएं हैं। इसमें ज्यादा योजनाएं हैण्ड पम्प्स की हैं। हैण्ड पम्प्स की योजनाओं को इसलिए हाथ में ले रहे हैं कि अगर पम्प एण्ड टैंक की स्कीम, हर गांव के अन्दर ट्यूब वैल खोद कर ओवर हैड टैंक बनाकर स्कीम प्रारम्भ करेंगे तो कम से कम जितनी आवश्यकता है कैटल पापुलेशन की, जैसा रोहट से आने वाले माननीय सदस्य, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य और गुड़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि कैटल पापुलेशन की रिक्वायरमेंट हम करते हैं तो इसमें 200 करोड़ रुपया और खर्च होगा। जिस राज्य के पास 105 करोड़ रुपये योजना मद के अन्तर्गत हैं और पूरी की पूरी योजना जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं अगर उस तरह लेने की कोशिश करेंगे तो कुल मिलाकर जो खर्चा होने वाला है वह है 500-600 करोड़ रुपए। लेकिन इतने धन की उपलब्धि नहीं है, धन बहुत कम है। केवल 80 करोड़ के आस-पास राशि भारत सरकार की, सेन्ट्रल स्पान्सर्ड जो योजना है ए. आर. पी; जिसको कहते हैं एक्सटेन्टेड रूरल वाटर सप्लाई स्कीम, के अन्दर मिल रही है। 185 करोड़ रुपये छठी पंचवर्षीय योजना में मिलेंगे। 185 करोड़ के अगेन्स्ट अब तक खर्च हुआ है 125 करोड़ और 60 करोड़ बचा है। अभी तक जो गांव कवर किये गये उनके बाद, सभापति महोदय, जो गांव अभी बचे हैं इन गांवों की स्थिति इस प्रकार से है। इन गांवों के अन्दर जो समस्याग्रस्त गांव लाभान्वित होने से बचे हैं आज उनकी

(श्री परसराम मदेरणा)

संख्या 10500 के ग्रासपास है। जब 10552 गांव बचे हैं तो 1 अप्रेल, 1983 तक उन पर जो खर्चा ग्राने वाला है वह इस प्रकार है। इन 10,000 गांवों में से करीब तीन-साढ़े तीन चार हजार के ग्रास-पास गांव हार्ड कोर में माने गये। हार्ड कोर से मेरा मतलब उन गांवों से है जिनके सोर्स ग्रौर स्रोत कई मीलों तक दूर हैं, जहां पानी कड़वा है, जहां पानी खारा है, फ्लोराइड युक्त है या ग्रौर दूसरी प्रकार की बीमारी है। इनके लिए 212 करोड़ की ग्रावश्यकता है। साठ करोड़ रुपये हमारे पास उपलब्ध हैं। उसके साथ-साथ जहां योजना पहुंच गई है वहां बराबर इस बात की कोशिश की जा रही है. माननीय सदस्यों की जो उद्विग्नता था उनकी जो रिक्वायरमेन्ट्स हैं या ग्रावश्यकता है उसमें मुझे कोई संशय नहीं है। मैं जब पी. एच. ई. डी. मिनिस्टर्स की कान्फ्रेन्स में गया था तो वहां पर मैंने ग्रपनी स्पीच में यह बात कही थी कि राजस्थान के ग्रन्दर रेवेन्यू विलेज का वह मतलब ही नहीं है जो ग्राप हिन्दुस्तान के ग्रन्दर लेते हैं। 15-15, 20-20 किलोमीटर में एक-एक गांव ग्राया हुग्रा है ग्रौर ढाणी 7-7 मील पर हैं इसलिए हम उसकी व्याख्या ही नहीं कर सकते। यहां गांव का मतलब ग्रौर है। राजस्थान के ग्रन्दर ग्राप कह रहे हैं। जैसा कि भारत सरकार ने कहा, कि ग्राप एक सोर्स दीजिये चाहे ग्राबादी कुछ भी हो। वह यह कहती है;

"With closer monitoring and greater emphasis on the low cost solution, it should be possible to achieve the target of covering all the identified problem villages with at least one source of safe potable water during the 6th Plan period." इसलिए, सभापति महोदय, बाड़मेर की 12 करोड़ की योजना है जो पिछले 9 महीने से भेजी हुई थी। 9 महीने में नहीं कहना चाहिए बल्कि कुल मिलाकर सवा साल का वक्त लग गया क्योंकि भारत सरकार की वर्क्स एण्ड हाउसिंग मिनिस्टरी उसको क्लियर नहीं कर रही थी क्योंकि उनके सोर्स बहुत दूर-दूर थे। हमने एक दफा नहीं कई दफा मीटिंग की वहां के प्रभारी मंत्रीजी से। मंत्री जी ग्रौर एडवाइजर के पास वहां के लोक सभा के मेम्बर भी 15-20 दफा गये हैं। वे उनसे नाराज हो रहे थे ग्रौर जब मैं उनसे मिला तो मुझे कहने लगे, ग्रापके लोक सभा के मेम्बर हर 3-4 दिन के बाद मुझे तंग करने के लिए ग्रा जाते हैं। तंग करने के लिए वे नहीं ग्रा रहे हैं बल्कि वहां की समस्या ही बहुत गम्भीर है। कोशिश करने के बाद उन्होंने फिर यह बात मानी कि राजस्थान की जो समस्या है वह हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों से बहुत भिन्न है। फिर उन्होंने स्वीकृति दी बारह करोड़ की योजना की वहां पर ग्रौर 11 करोड़ की ग्रन्य रीजनल पाइप लाइन की योजनाएं जो राज्य के ग्रन्दर थीं। कुल 23 करोड़ की स्वीकृति उन्होंने 13-14 महीने रोकने के बाद दी। इतनी हाई कॉस्ट की रीजनल पाइप लाइन योजनाएं ग्रगर ग्राप लेंगे तो उसका कवरेज नहीं हो सकेगा। सब के सब प्रॉब्लेमेटिक विलेजेज को ग्राप कवर नहीं कर सकेंगे इसलिए हमारा डिटेल के ग्रन्दर जो प्लान है; 1.6 किलोमीटर के फासले में ग्राया है वह तो हमको 90 में पूरा करना है, लेकिन एक सोर्स देना है। मैंने कहा, हम

(श्री परसराम मदेरणा)

एक सोर्स दे नहीं सकते। मैंने यह बताया कि आज हिन्दुस्तान में जोधपुर के सिवाय ऐसा कौनसा शहर होगा, जहां 103 मील से पानी आता है। मैंने यह बताया कि आज बाड़मेर की बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका सोर्स 110 किलोमीटर दूर है। जिस ग्रामीण योजना का सोर्स 110 किलोमीटर दूर हो, पानी नहीं हो वहां पर, तो एक सोर्स का प्रश्न कहा उठता है। उस गांव में पानी नहीं है इसलिए सोर्स है 110 किलोमीटर दूर। यह सही बात है, सभापति महोदय, कि कुछ योजनाएं बनाने में जैसे रीजनल पाइप लाइन की जो योजना बनी है और जहां सोर्सेज नही थे इसको सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था तो रिलीफ में पहले कभी पानी पर पैसा नहीं दिया जाता था। पच्चीसे-छब्बीसे का जब अकाल पड़ा उस वक्त मैंने कुछ बड़ी--बड़ी रीजनल पाइप लाइन योजनाएं जैसलमेर में भी ली थीं जैसे कलाऊवाली योजना। बाड़मेर में सिलावाड़ी, ताजासरवाड़ी योजना ली उसके साथ बांका पट्टी नागौर की योजना ली जहां रॉक फ्लोराइड से लोग कुबड़े हो जाते हैं, बांके हो जाते हैं या हड्डियां मुड़ जाती हैं, वह योजनाएं लीं। अन्य इलाकों में भी कुछ योजनाएं ली थीं। उस वक्त यह बड़ी-बड़ी रीजनल पाइप–लाइन योजनाएं थीं क्योंकि विभाग बहुत छोटा था। विभाग जब 1965 में पी. डब्ल्यू. डी. से अलग हुआ तो उसको इतनी बड़ी योजना चलाने का, इनके संधारण का, इनके मैन्टिनेन्स का और आपरेशन का एक्सपीरियेन्स नहीं था। नतीजा यह हुआ कि पहली वाली योजनाएं जो बनी हैं उन योजनाओं के अन्दर जो टेल के गांव हैं उन टेल के गांवों में कई जगह पानी नहीं पहुंच रहा है। इसीलिए सदन के माननीय सदस्य कह रहे थे कि एक-एक योजना के अन्दर आपने 20–20 गांवों को जोड़ दिया है, यह अव्यावहारिक भी है और यह कार्य व्यवस्थित ढंग से नहीं हो रहा है। इस संबंध में सदन को इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि जिन योजनाओं को एक सोर्स से जोड़ दिया गया और जोड़ने के बाद में अगर कहीं बीच में सोर्स है और अगर टेल के गांवों को वह पानी मिल सकता है तो उस संबंध में इन सब योजनाओं पर पुनर्विचार किया जा रहा है। जहां पानी नहीं पहुंच रहा है, मैं रात को भी चीफ इंजीनियर से बात कर रहा था उनसे एक ही बात कह रहा था कि कुछ योजनाओं को मैंने तुड़वाया है और कुछ योजनाओं में मैंने खुद के फैसले पर, मैं हाइड्रोलोजिस्ट तो नहीं हूं लेकिन मैंने कहा कि आप फलां गांव के अन्दर ट्यूबवेल खोद दीजिये उस गांव में पानी कुछ ज्यादा निकलेगा। मेरे कहने पर जब हाइड्रोलोजिस्ट ने मान लिया इस गांव में पानी है, जो 10 गांवों की योजना थी वह दो टुकड़ों में बंट गयी। दो टुकड़ों में बंटने से तीन-तीन चार-चार गांव कवर हो जाते हैं तो छोर के गांवों में पानी पहुंच जाता है। इस सम्बन्ध में जो रीजनल पाइप लाइन हैं जिनके सोर्स दूर-दूर हैं और उनसे छोर के गांवों में पांच-पांच, छः साल से पानी नहीं पहुंचा है और आज वहां व्यवस्था नहीं है। उस सम्बन्ध में पुनर्विचार करेंगे और जहां कहीं भी नजदीक में सोर्स होगा उस सोर्स से उन गांवों तक पानी पहुंचायेंगे, यह मैं यहां पर आश्वासन देना चाहता हूं।

(श्री परसराम मदेरणा)

यहां पर कुल मिलाकर जो आज स्थिति है, सभापति महोदय, करीबन 1800 या 1900 या 2000 के आसपास गांव जो अभी कवरेज हैं अब वे पी.एस.एस. से हैं। आज कई माननीय सदस्यों, खास तौर से मांडल से आने वाले माननीय सदस्य और उनके साथ ही साथ अन्य माननीय सदस्यों ने यहां पर यही बात कही और डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने भी यह बात कही कि पी.एस.एस. की योजनायें कार्य नहीं कर रही हैं अब एक तरफ तो हमारे पास 10 हजार 500 गांव बचे हैं। इन 1900 गांवों को कवर कर लिया गया है। उस कवरेज करने के अन्दर आज लोग क्यों नहीं चाहते हैं पी.एस.एस. की योजना? पी.एस.एस. वहां पर लागू की है करीब-करीब जहां पर बिजली गयी हुई है, पम्प विभाग ने दिया है। पम्प लगा दिया, बिजली के खर्चे का पंचायत को भुगतान पड़ता है। इसलिये वह देखते हैं कि पूरा का पूरा काम डिपार्टमेंट करे, हमको यह खर्चा नहीं देना पड़े इसलिए कोई योजना यहां पर चालू कर देनी चाहिए। इसका मतलब है कि 2000 गांवों को अब मुझे 10,500 गांवों में और एड कर देना चाहिये। इस तरह से समस्या-ग्रस्त गांव और बढ़ जायेंगे। एक समस्या को हल करने की बात कर रहे हैं वह बढ़ती चली जायेगी इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां पी.एस.एस. फेल है या पानी जहां नहीं है तब तो वहां अन्य प्रकार की योजना बनायी जानी चाहिए। पी.एस.एस. के नाम से उन गांव का कवरेज नहीं है। लेकिन जहां पर पानी है, पंचायत वहां काम चला रही थी और अब जब पंचायतें यह देख रही हैं कि दूसरी जगह यह काम हो रहा है, दूसरी जगह हैंड पम्प लग गये इसलिये हमारे यहां से पी.एस.एस. हटा लें, पम्प एण्ड टैंक की स्कीम लागू कर दें। तो, मैं समझता हूं कि इसका कोई अंत नहीं होगा। सबको रिप्लेस करना तो ठीक नहीं होगा लेकिन जो योजना काम नहीं कर रही है या जहां पर पानी का सोर्स खतम हो गया है उसको देखा जा सकता है। अन्य योजना के बारे में मैं समझता हूं कि आउट राइट जो है पी.एस.एस. को समाप्त कर देना ठीक नहीं होगा।

यहां पर कई माननीय सदस्यों ने अलग-अलग कटौती प्रस्तावों के जरिये बहुत सी बातें कही हैं। खास तौर से जो एक बात यहां पर प्राथमिकता के बारे में कही, यह हैंड पम्प कहां खुद रहे हैं, योजना कहां की बन गई है? पी एण्ड टी की योजना के लिए नागौर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, उनके साथ ही साथ दूसरे माननीय सदस्य भी कह रहे थे कि वह योजना हैंड पम्प की बना दी है जबकि पी एंड टैंक की योजना थी। अगर इस प्रकार की कोई भी योजना बनी हुई है उसमें चेंज कर देते हैं? होता यह आया है। मैं देख रहा हूं विभाग के अंदर कि कवरेज के नाम पर आज जो कवरेज हुआ है, आप उसका आंकड़ा देखेंगे तो अभी जो 3400 गांव कवर हुए हैं उसमें से 3027 गांव हैंड पम्प से कवर हुए हैं, 58 गांव। पी.एस.एस. से कवर हुए हैं। पंप और रीजनल पाइप लाइन से कुल मिलाकर 233 और 18 गांव कवर हुए हैं। इसका यह मतलब है कि कुल मिलाकर 4033 गांवों में से 3027 गांव तो हैंड पंप से कवर हुए हैं। इतनी खर्चीली योजना हर आदमी लगवाना चाहता है इसलिए यह मैंने निर्णय

(श्री परसराम मदेरणा)

लिया और सितम्बर में कमेटी ग्राफ डायरेक्शन्स ने यह निर्णय लिया कि रीजनल पाइप लाइन की स्कीम को प्रारम्भ करने से पहले वहां के लोगों को ढाई पर्सेंट कन्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। रीजनल पाइप लाइन वहीं पर बिछाई जा रही है, वहीं पर योजना बनायी जा रही है जहां पर पानी का कोई सोर्स नहीं है। इसका मतलब रीजनल पाइप लाइन कहीं पर ऐसी नहीं होती जिसकी कीमत 3 लाख से कम हो। तीन लाख से कम की योजना है तो, निश्चित तौर पर अकाल पड़ रहा है। आज छठा सातवा साल चल रहा है, मेरे साथी अकाल सहायता मंत्री जी इस सम्बन्ध में बतायेंगे कि कितने साल से लगातार राजस्थान के कुछ इलाकों में दुर्भिक्ष पड़ रहा है। ऐसी सूरत में लोगों की माली हालत इतनी गिर रही है इसलिये ढाई पर्सेन्ट कन्ट्रीब्यूशन भी नहीं ले रहे हैं। जो योजना वहां पर इन्टरनेशनल डवलपमेंट एजेंसी या वर्ल्ड बैंक की मदद से चल रही है उन योजनाओं के अन्दर भी शर्त यह थी कि उनके रखरखाव, मेंटीनेंस, ग्रापरेशन के लिए सेल्फ सफिशियेंट यह स्कीम्स होनी चाहिए, उसमें वाटर टेरिफ में बढ़ोतरी होनी चाहिए। यही नहीं, वर्ल्ड बैंक की जो शहरों में योजना चल रही थी उसके सम्बन्ध में भी इस प्रकार की कोवेनेन्ट के अन्दर हमारी शर्त है और हमने उनको यह अन्डरटेकिंग दी है कि हम इस योजना को सेल्फ सफिशियेंट बनायेंगे, इसका खर्चा हमारे नान प्लान के ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन अकाल को देखते हुए निर्णय लिया कि इनका पब्लिक कंट्रीब्यूशन अभी वेव करना चाहिए आज की मोजूदा अकाल की परिस्थिति के अन्दर। इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आज हमारे सामने जो समस्या है उस समस्या को देखते हुए जो 10,500 के आसपास गांव हैं, मैं समझता हूं कि सब गांवों को कवरेज करने का एक लक्ष्य तो निर्धारित कर दिया गया है लेकिन 5,000 के आस-पास गांव प्रतिवर्ष लाभान्वित होने चाहिए। प्रति वर्ष 5,000 गांवों को लाभान्वित करने की जब हम बात कर रहे हैं, जिसमें 30 सालों में तो हमने 4800 गांव कवर किये और एक साल में 5 हजार कवर करने की बात है, मैं यह नहीं कहता कि कहीं न कहीं उसमें थोड़ी बहुत कमी या खामी रह जाती है। या तो आप कहें कि इस काम को बहुत स्लो कर दें। जब काम बहुत स्लो कर दें तो एक एक काम को बहुत ही ध्यान से भी देखा जा सकता है। कवरेज तो बहुत तीव्र गति से हो रहा है, फास्ट कवरेज हो रहा है। माननीय सदस्य इस सदन के, सरपंच और प्रधान भी चाहते हैं कि हर पाइंट के बारे में पहले उनसे पूछा जाय। उनसे पूछने के बाद उस पाइंट के अन्दर रिग जाय। रिग जाने के बाद, वे कहें वहां पर लगे। लगाने के मामले में भी अगर सरपंच वहां पर किसी तरह का एतराज करता है, जैसा एक माननीय सदस्य उस ओर से बैठे हुए कह रहे थे, उस सम्बन्ध में बाद में उल्लेख करूंगा, सरपंच पाइंट नहीं बता रहे हैं इसलिए वह हैंड पम्प वहां पर नहीं लगे हैं। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है, अब ऐसा समय आ गया है कि हम को हेफहेजर्ड वे में और जल्दी में नीचे के अधिकारियों के हाथ में यह बात नहीं रखनी चाहिए। हमको जिला परिषद् को निश्चित तौर पर अप्रेल की 15 तारीख तक उन गांवों की सूची कोड नं. के साथ में भेज देनी चाहिए और जो स्कीम बनी है उस स्कीम

(श्री परसराम मदेरणा)

के साथ भेज देनी चाहिए। साथ ही प्राथमिकता देने की सूचना भी कि किस गांव को आप प्राथमिकता देना चाहते हैं। यह योजनायें इन गांवों की हैं उस के संबंध में जिला परिषद प्राथमिकता निर्धारित करे। जिस तरह बिजली के अन्दर आपको मालूम है, इस वित्तीय वर्ष के अन्दर जोधपुर जिले के 43 गांवों का विद्युतीकरण होने वाला था तो वह 43 गांव कौन से हैं उनकी लिस्ट जिला परिषद और वहां के सब लोगों के सामने और 20 सूत्री कार्यक्रम समिति के सामने भेज दी गई थी, उसी प्रकार आगे जो गांव कवरेज करेंगे उन गांवों की सूची जिला परिषद, बीस सूत्री कार्यक्रम कमेटी और साथ ही साथ माननीय सदस्यों को वितरित कर दी जायेगी। उनको अपने क्षेत्र में यह पता होना चाहिये कि इस वर्ष कौनसी स्कीम ली जा रही है और कौन सी स्कीम के लिए किस प्रकार का उनका सजेशन है, वह स्कीम वहां पर सफल हो सकती है या नहीं हो सकती है। इस संबंध में पिन पाइंट करके डिपार्टमेंट को स्पेसिफाई करना चाहता हूं कि स्पेसिफिक स्कीम होगी, किस गांव की होगी, किसका कवरेज हो सकता है। मैं 4000 गांवों के नाम दूं। उसमें से 200-300 गांव कवर भी नहीं हुए हों, मैटीरियल समय पर नहीं मिले, सोर्स का डवलपमेंट इतना नहीं हो लेकिन तो भी मोटे तौर पर 98 प्रतिशत के आसपास आपको इस बात की जानकारी होगी। और आइडेंटिफिकेशन होगा कि कौन से गांव, कौनसी योजना अगले साल ली जा रही है। आज हैंड पम्प और दूसरी योजना के बारे में बीस तरह की बात चलती है इसका हमेशा के लिए समाधान किया जा सके।

यहां पर हैंड पम्प के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें कही हैं। मैं यहां हैण्ड पम्प के संबंध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, उस दिन मैं इसके पूरे इतिहास में गया था और 5 तारीख को मैंने यह निवेदन किया था कि जिन परिस्थितियों और हालात के अन्दर जून, 1980 में टेण्डर इन्वाइट हुए, सितम्बर में फाइनेंस कमेटी ने बैठकर इसकी रेट निर्धारित की। फिर उसके बाद में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसकी कानकरेंस दी। 8 दिसम्बर, 1980 को एक फाइनलाइजेशन यूनीफार्म रेट्स का करके जिन कॉन्ट्रेक्टर्स को पर्टीक्यूलर डिस्ट्रिक्ट जो उन्होंने दिये थे, उनकी कैपिसिटी का अन्दाज लगाकर उस प्रकार के आदेश प्रसारित किये गये। जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया था, उस वक्त जो बोर्ड बना हुआ था, उस बोर्ड के अन्दर यह निर्णय हुआ। मैं यह नहीं समझता कि निर्णय करने के अन्दर फाइनेंस कमेटी ने किसी प्रकार का कोई घपला किया या उसकी खुद की इसमें घपला करने की नीयत थी लेकिन उस वक्त के हालात के अन्दर एक तो यहां पर रिग्स बहुत कम थीं, बहुत से इन्जीनियर्स को कई जगह भेजा गया था कि आप रिग्स लाइए और बहुत लार्ज स्केल के ऊपर राजस्थान के अन्दर इस प्रोग्राम को हाथ में लेना है और हमारे यहां पर इतने लोग नहीं हैं। इसलिए जो एग्रीमेंट वहां पर हुआ अजमेर में, 12 मार्च, 81 को, उस एग्रीमेण्ट में जिन पार्टीज से एग्रीमेण्ट किया, उन पार्टीज के एग्रीमेण्ट करने के बाद जिस तरह से जुलाई में स्टे आर्डर हुआ वह स्टे आर्डर अभी तक वेकेट नहीं हुआ है। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि वहां पर एक कोआपरेटिव सोसायटी बनी थी वह उस स्टे को वेकेट कराती

(श्री परसराम मदेरणा)

चाहती थी। अगर को-आपरेटिव सोसायटी ने कोई अर्जी दी भी है तो स्टे आर्डर अभी तक वेकेट नहीं किया है। हमने जो अपील की थी डिस्ट्रिक्ट और सैशन कोर्ट के अन्दर, उस जगह उन पार्टीज ने यह कह कर कि मुझे यहां इंसाफ की उम्मीद नहीं है, एप्लीकेशन देकर उस फैसले को रुकवा दिया। इन द मीन व्हाइल मैं यह देख रहा था कि इन्होंने किसी तरह साजिश करके यहां नीचे के स्तर पर जब यह चीज कर दी, कम्प्रोमाइज्ड एग्रीमेंट करके सरकार की ओर से आदेश निकाल दिये पी. एच. ई. डी. से, जिसके सम्बन्ध में मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि यह जो डिप्टी सेक्रेटरी है उसकी जिम्मेदारी नहीं है। डिप्टी सेक्रेटरी के पास में ए. पी. सी. पी. सी. का नोटिस आया जो एक नोटिस नहीं है। करीबन 60-70 पेज के अन्दर कई डाक्यूमेंट्स और एनेक्चर्स हैं। उसके साथ में वह यह भेजते हैं कि हम यह काम्प्रोमाइज्ड फार्मूला चाहते हैं, उसको नीचे रखते हैं और उस पर दस्तखत करते हैं कि ला डिपार्टमेंट वेट करे। सपोज उन्होंने यह देखा भी नहीं था. चूंकि पूरी नोटिंग के अन्दर कम्प्रोमाइज वर्ड यूज नहीं किया वहां के डीलिंग असिस्टेंट ने, जब ला डिपार्टमेंट से फाइल पर वेट होकर वह एग्रीमेंट आ गया उस वक्त जब आर्डर इश्यू कर रहे थे तो किस किस डाक्यूमेंट्स के ऊपर दस्तखत कर रहे थे? उन्होंने लिखा है कि नीचे जो हमारा कम्प्रोमाइज फार्मूला है, यह प्रोफार्मा है इस प्रोफार्मा का हमने निर्णय ले लिया है। जब इस प्रकार की बात है, आप यह कह रहे हैं, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य स्ट्रेट कह रहे थे, यहां आते ही कोई न कोई पोलिटिशियन पिक्चर में आया। मुझे मालूम नहीं कि कोई पोलिटिशियन आया होगा। लेकिन वह पोलिटिशियन मेरे पास में कोई एप्रोच नहीं हुआ है कि किसी प्रकार से किसी पोलिटिशियन ने इसमें इन्टरफियरेन्स किया है। यहां कहने को तो यह बात कही गई कि डिप्टी सेक्रेटरी बेचारे को तो वहां कर दिया और कुछ और लोगों के कहने से कोई टेलीफोन चला गया किसी महारानी का, किसी महाराजा का इसलिए वह चीज वहां पर हो गयी। मुझे सबसे पहले 11 फरवरी को जब मैं रावी-व्यास की मीटिंग में दिल्ली गया हुआ था, सेक्रेटरी, पी. एच.ई.डी. से जब मैंने बात की तो उन्होंने यह बताया कि इस प्रकार की एक बात मेरे ध्यान में आयी है, पहले तो मैं उसको फर्जी डाकूमेंट मानता था लेकिन फाइल देखने के बाद मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि यह डाकूमेंट फर्जी नहीं है इसलिए मैंने उसको कैंसिल करवाया है और कैंसिल करवाने के बाद में उसको विथड्रा करने के लिए डिप्टी सैक्रेटरी को अजमेर भेजा है। यह बात 11 तारीख को उन्होंने मुझे बताई। मैंने उनसे यह बात भी कह दी थी कि इस प्रकार का अगर कोई मामला हुआ है तो आप फाइल को इमीजियेटली अपनी कस्टडी में ले लेना। यह बात भी मैंने टेलीफोन पर कही। जब मैं यहां आया तो मैंने उनसे दूसरी बातें भी कीं। एडवोकेट जनरल से राय ली। एडवोकेट जनरल को मैंने दो दफा वहां पर भेजा। उनको भेजने के बाद जिस तरह की यहां पर कार्यवाही हुई है उस कार्यवाही को देखने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि यह जो कुछ भी किया गया है, कुछ लोगों ने फायदा उठाने के लिए किया है, एग्रीमेंट की आड़ के अन्दर फायदा उठाने के लिए किया गया है। यह राजस्थान

(श्री परसराम मदेरणा)

के जनहित में नहीं है कि इन पार्टियों को किस प्रकार का काम दिया जाये। इसलिए मैंने यह आदेश दिये कि यह जो 11 तारीख का कान्ट्रेक्ट, एग्रीमेंट हैं उसको टर्मिनेट कर दिया जाय ताकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। किस बात की जाकर वह प्ली ले लेंगे कि यह जो कम्प्रोमाइज करने की दूसरी बात है, जब मैंने पूरा का पूरा एग्रीमेंट टर्मिनेट कर दिया। आज राजस्थान में स्थिति यह है, 17 जिलों के तो टेन्डर पहले ही जनवरी में इन्वाइट हो गये थे, इन 10 जिलों के टेन्डर जब एडवोकेट जनरल ने दुबारा राय दी तो 15-2 को टेन्डर नोटिस इन्वाईट किये गये उनकी मियाद 15-16 मार्च तक थी। अब उनका एग्जामिनेशन हो रहा है टैक्नीकल और फाइनेंस कमेटी के अन्दर। निश्चित तौर पर रेट नीची आयेगी। कुछ आइटम्स की रेट ऊंची भी आयी पहले से। अरेबियल के अन्दर रेट बढ़ी है। पहले 17 जिलों के टेन्डर हुए। कुल मिलाकर के आप राक और अरेबियल की रेट देखें तो 500-700 रुपये का फर्क है। अब जो रेट आई है, जैसा नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, एक पार्टी ने रेट 158 रुपये दी है। यह मुझे बताया गया, मैंने तो अभी टेन्डर देखा नहीं। अभी यह लोग उनका एग्जामिनेशन कर रहे हैं। एक दो दिन में उसके संबंध में निर्णय लेंगे। लेकिन यह बात सही है। मुझे यह भी जानकारी मिली है कि उनकी फर्म्स में से फिफ्टीशयस फर्म बनाकर बैक डोर से टेन्डर दिया है ताकि बैक डोर से टेन्डर देने के बाद काम करें या नहीं करें लेकिन दूसरों को महरूम कर दिया जाये। इसलिए किसकी पार्टनरशिप है, किसकी पार्टनरशिप नहीं है, उसकी क्या हैसियत है, उस संबंध में मैंने कल ही आदेश दिये हैं। यह देखने के बाद कार्यवाही होगी। यहां पर एक बात यह कही गई कि गवर्नमेंट रिग्स आपके पास में थीं, उनकी कैपिसिटी थी काम करने की। यह हमने असेस किया था। मैंने उस दिन भी माननीय सदस्यों को बताया था, जिस वक्त यह असेस किया गया था कि कुल मिला कर क्या स्थिति है, अगले तीन साल में हमको कितने हैण्ड पम्प खुदाने हैं, हमारे पास क्या रिग्स की पोजीशन है। उस वक्त यह सोचा गया था कि हमको 30 हजार हैण्ड पम्प खुदवाने हैं तीन साल में। इन 30 हजार में से 12,600 पाइन्ट खोदने की कैपिसिटी तो गवर्नमेंट रिग्स की होगी, जो रिग्स आयेंगी उनको देखते हुए। 12 हजार का इस तरह से सोचा था कि पहले साल के अन्दर 1500 पाइन्ट्स खोद सकेंगे क्योंकि रिग्स कम हैं। रिग्स ट्रांसफर होने लगी थीं अप्रैल, 1980 से, ग्राउण्ड वाटर बोर्ड से पी. एच. ई. डी. को। दूसरे साल में 4800, तीसरे साल में 5300 पाइन्ट्स और चौथे साल में 5800 पाइन्ट्स। यह कुल मिलाकर...

(व्यवधान)

नहीं। यह प्राइवेट रिग्स से खुदवाने थे। गवर्नमेंट रिग्स के थे पहले साल में 2500, दूसरे साल में 3200, तीसरे साल में 3200, चौथे साल में 3200। आज जो मैं पूछ रहा था कि इनकी जो रिग्स हैं कुल आज इनके पास 77 डी.टी.एच. रिग्स हैं, 7 रोटरी हैं और 6 परकयूशन रिग्स हैं। इन 77 रिग्स में से जो अलग-अलग समय में इनके पास थीं, अगस्त, 80 तक इनके पास 25 रिग्स थीं। अक्टूबर में 38 रिग्स हो गईं। दिसम्बर में एक बढ़ी, जनवरी में एक बढ़ी, फरवरी में एक बढ़ी। मार्च, 81 में इनके पास 44

(श्रीं परसराम मदेरणा)

रिग्स थीं। उसके बाद में कुछ रिग्स अनसर्विसेबल हो गईं। फिर 4 नई रिग्स आईं उस वक्त 42 रिग्स इनके पास हो गईं। मई के अन्दर 39 रिग्स रह गईं। फिर जुलाई, 81 में 63 रिग्स हो गईं। अगस्त में 66 हो गईं। सितम्बर में 68 हो गई। नवम्बर, 81 में 69 हुईं। जनवरी, 82 के अन्दर 70 हुईं। फरवरी, 82 के अन्दर 73 हुईं। अप्रेल में 75 हुईं। जुलाई, 82 के अन्दर 76 हुईं और अब एक और रिग आयी है। इस प्रकार इनके पास 77 रिग्स हैं। आज तक जो इन्होंने हैण्ड पम्प के टोटल ट्यूबवैल ड्रिल किये हैं वह 12065 किये हैं। आने वाले समय के अन्दर ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के अन्दर करीबन 17-18 हजार हैण्ड पम्प और ड्रिल करवाने पडेंगे। इस सम्बन्ध में हालांकि मेरे पास में टेण्डर नोटिस के फलस्वरूप टेन्डर आये हैं लेकिन टेन्डर आने के बावजूद जिन डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर आज यह मामला चल रहा है, खास तौर से उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर रॉक और उसमें ज्यादा मुनाफा होने की बात सोची गई है, उन डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर तो मैं केवल गवर्नमेंट रिग्स से ही काम कराऊंगा, प्राइवेट कान्ट्रेक्टर्स को काम देने वाला भी नहीं हूं। उसके बाद जो काम बचेगा, जहां पर इनके पास इस प्रकार की रिग्स नहीं है और जहां अरेबियल सोइल है, दूसरी तरह की है वहां जो हैण्ड पम्प्स खोदने के लिए मशीनें काम में आती हैं उस सम्बन्ध में कुछ जिलों में काम देंगे। बाकी जिलों में जिनके लिये ये कह रहे थे इन जिलों में बहुत बड़ा घपला है और यह बात भी कही गयी, भोगुन्दा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सवाई माधोपुर में 4–5 रिग्स काम कर रही हैं, उनमें एक-दो मुख्य मंत्री के साले की रिग्स वहां हैं तो नाम क्या बताया मुझे मालूम नहीं। प्रमुख जो भीलवाड़ा का नाम लिया, देवेन्द्रसिंह जी, का नाम भी लिया और पशुपति जो चित्तौड़गढ की फर्म है उसका भी नाम लिया। मै किसी के बारे में कुछ नहीं जानता, परन्तु इतना जरूर कहूंगा कि अब हमने टेण्डर इन्वाइट किये हैं। 17 जिलों में पहले ही काम कराना बन्द कर दिया था और 10 जिलों में उसके बाद में काम कराना बंद कर दिया है। जो प्लेटफार्म वगैरह बन रहे हैं वह बात तो अलग है। इसका वर्क आर्डर दिया हुआ था लेकिन उसके बाद नए ड्रिलिंग का कोई काम ही नहीं करवा रहे हैं इसलिए सवाई माधोपुर में किसकी रिग चल रही है और किसकी नहीं चल रही है, मैं समझता हूं कि जो यह बात आपको किसी ने बताई है, काफी निराधार दिखती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहां पर निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ भी अभी तक कार्यवाही हुई, मैंने इस सदन में पिछली दफा एक आश्वासन दिया था कि जो हैण्ड पम्प्स खोदे गये हैं, जिनके बारे में इतनी शिकायतें हैं, मैं टेक्नीकल लोगों की एक कमेटी बिठाऊंगा। वह कमेटी इन हैंड पम्प्स को देखकर इस बात की जांच करेगी कि आया स्पेसिफिकेशन के अनुसार वह उन्होंने उतने गहरे खोदे हैं या नहीं खोदे हैं, केसिंग पाइप पूरा लगाया है या नहीं लगाया है, वाटर टेबल से डेप्थ नीचे गयी है या नहीं गयी है और जो कुछ भी उनको पेमेन्ट हुआ है। इस सम्बन्ध में इन तीन जिलों में चीफ इंजीनियर, ग्राउन्ड वाटर बोर्ड, चीफ इन्जिनियर,

(श्री परसराम मदेरणा)

पी. एच. ई. डी. जोधपुर ने पाली, नागौर और भीलवाड़ा के इन तीन जिलों के कुछ सेम्पल लिए हैं। पूरे हैण्डपम्प्स तो निकालना और खोलना बड़ा मुश्किल है। मांडल से आने वाले सदस्य कह रहे थे, वह चले गये, वहां पर हैण्ड पम्प खोदना शुरू कर दिया है और डिपार्टमेन्ट उसको देख रहा है इसलिए लोगों को पानी की बहुत बड़ी तकलीफ हो गई है। वह देख लिए है तो वापस उनको फिट भी कर देते हैं देख करके। उसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। जहां तक नागौर का प्रश्न था, नागौर में जो हैण्डपम्प खोदे हैं वह तो वहां पर कोलेप्स हो गये हैं। वहां पम्प्स ही नहीं लगे हैं जिन 8–9 गांवों में वे गए थे। लेकिन जहां तक दूसरी जगह बीस या तीस पर्सेन्ट गांवों के अन्दर कुछ उसमें कमियां पाई गई हैं उस सम्बन्ध में जो रिपोर्ट कमेटी की आई है वह राज्य सरकार के विचाराधीन है। मैं मानता हूं कि जिन लोगों की हैंड पम्प लगाने की जिम्मेदारी थी, जूनियर इंजीनियर की जिम्मेदारी थी 100 पर्सेन्ट वह चेक करेगा, असिस्टेंट इंजीनियर की जिम्मेदारी थी वह 100 पर्सेंट चेक करेगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जिम्मेदारी थी वह 20 पर्सेंट चेक करेगा उसके बाद में एस.ई. की भी जिम्मेदारी लगा दी थी कि 5 पर्सेंट वह भी चेक करेगा। जिन लोगों ने डेरीलिक्शन आफ ड्यूटी और अपनी जिम्मेदारी को निभाने में गलती की है निश्चित तौर से एक दो दिन में उनके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही की जायगी।

मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कार्यवाही के संबंध में कोई बात हेस्ट में नहीं करना चाहता। मैं इसलिए हेस्ट में नहीं करना चाहता, मैं कर सकता था, आज जो है यहां कुछ बात कहने के लिए लेकिन मैं यह समझता हूं कि उस पर्टीक्यूलर पीरियड में कौन-कौन आदमी उस समय वहां पर थे वह आज नहीं हैं। इसलिए पूरा चार्ट देख लीजिए आप ले करके जो इस पर्टीक्यूलर पीरियड में वहां थे उनकी जिम्मेदारी है। यह देखकर उसका एग्जामिनेशन करने के बाद में चार्जशीट और दूसरी जो दी जाए, और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। मैं यहां पर निवेदन करना चाहता हूं कि इस हैंडपम्प के मामले को तीन जिलों से ही नहीं छोड़ने वाला हूं। अभी तक यह कमेटी जो है, अगर मुझे कमेटी दूसरे लोग, एसी और दूसरे लोग, जिनके बारे में मैं समझता हूं कि इनसे काम लिया जा सकता है, लेना पड़े तो लूंगा क्योंकि चीफ इंजीनियर और उसकी टीम को पूरे राजस्थान के अन्दर 30 हजार हैंड पम्प्स को चैक करने को कहूं तो उस संबंध में कार्यवाही नहीं हो सकती। इसलिए मेरा निवेदन करना यह है कि मैं सब जगह नहीं लेकिन जहां जहां से माननीय सदस्यों ने शिकायतें की हैं उन जगह पर मैं निश्चित तौर से कार्यवाही करने के लिए कुछ टीम लगा रहा हूं ताकि जो लोग उसमें दोषी हैं उनको दंडित किया जा सके।

यहां पर एक बात का निर्णय लिया गया, सभापति महोदय, पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव हो गए। हैंड पम्प्स का पिस्टन और उसकी जो मशीनरी है वह बहुत आर्डिनरी टाइप की है। गांव के लोग आज ट्रैक्टर वगैरह दूसरी मशीन्स ठीक करने में इतने होशयार हो गए हैं ने इस काम

(श्री परसराम मदेरणा)

को कर सकते हैं। यह काम इतने बड़े व्यापक पैमाने पर अगर विभाग देखेगा तो इतना ज्यादा खर्चा होगा, मोटरें दौड़ती रहेंगी एक एक हैंड पम्प पर, इसलिए यह काम पंचायत राज संस्थाओं को सुपुर्द किया जाना चाहिए। पंचायत राज संस्थाओं को सुपुर्द करने की बात करके निर्णय ले लिया। सरपंचों ने दस्तखत भी कर दिए। यह भी तय किया कि इनके फिटर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। कुछ पंचायत समितियों ने कुछ फिटर्स को भेजा है। ट्राइसम के नीचे तिलोनिया से एक बैच ट्रेनिंग लेकर चली गई है। पंचायत विभाग को उसमें इन्वाल्व किया है। डवलपमेंट कमिश्नर उसमें बराबर इन्ट्रेस्ट ले रहे हैं। अभी केबीनेट की मीटिंग में भी उस दिन चर्चा चली थी कि इस संबंध में क्या निर्णय लिया जाए? केबिनेट ने चीफ सैक्रेटरी के तत्वावधान में इस मामले को दुबारा जांच करने के लिए और केबिनेट को पुट अप करने के लिए कहा है। मेरा यह अनुभव रहा है कि बहुत से सरपंच पार्टीबाजी से आए हैं इसलिए जहां हैंड पम्प खराब हो गए हैं और सरपंच को शक है कि इस पर्टीक्यूलर क्षेत्र के लोग उसके साथ नहीं थे तो वह उसमें इन्ट्रेस्ट भी नहीं ले रहा है। 10 लाख रुपए चैक के जरिए उन सरपंचों को ट्रांसफर कर दिए हैं। उसके बाद भी रिपेयर्स नहीं कर रहे हैं। हमारे पास शिकायतें आ रही हैं। इसलिये एक तरफ तो मैंने विभाग को यह आदेश दिए हैं कि जहां से आपके पास हैंड पम्प के रिपेयर्स की बात आती है, डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी को टाल नहीं सकता, हमको यह रिपेयर करनी पडेगी। जहां फंड्स ट्रांसफर कर दिए हैं उनसे पैसा वापस ले लीजिये या उनको बिल दे दीजिये। लेकिन अब हम निर्णय लेने जा रहे हैं कि इसमें पंचायत समितियों को इन्वाल्व किए बिना यह केवल पंचायतों को हैंड ओवर कर दिये गये तो यह काम ठीक तरह से नहीं चलेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि दो तीन दिन के अंदर हम निश्चित तौर से केबिनेट में इस सम्बन्ध में निर्णय लेने जा रहे हैं कि पंचायत समितियों को किस प्रकार से इन्वाल्व किया जाए, इनके फिटर्स की ट्रेनिंग के सम्बन्ध में क्या किया जाए। अब अगले वर्ष में पी.एच.ई.डी. के पास में हैंड पम्प्स की रिपेयर का कोई भी प्रावधान नहीं रखा है और यह रखा है कि जो कुछ भी ग्रांट दी जानी है वह पंचायत विभाग सीधा पंचायतों को ट्रांसफर कर दे। हम ऐसा सोच रहे हैं कि जो ग्रांट ट्रांसफर हो, वह पंचायत समिति लेवल पर होना चाहिए। जो फिटर हैं उनका जो हैडक्वार्टर बने, वह पंचायतों के सेंटर में रहना चाहिए, पंचायत समिति के हैडक्वार्टर पर नहीं होना चाहिए। इनके ट्रेनिंग का प्रोग्राम स्ट्रीम लाइन करके इस काम को किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में हम निर्णय बहुत जल्दी लेने जा रहे हैं। मैं समझता हूं, इस सत्र के सत्रावसान के पहले सदन के माननीय सदस्यों को मैं यहां पर उस निर्णय से अवगत करा दूंगा।

इन बड़ी बातों के अलावा कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें यहां पर अपने-अपने क्षेत्र की कहीं। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, यहां एक माननीय सदस्य ने जो बात कही है उस सम्बन्ध में खास मोटी बात का उल्लेख करते हुए अपनी बात समाप्त करना उचित समझूंगा। यहां पर नागौर

(श्री परसराम मदेरणा)

से आने वाले माननीय सदस्य ने, बहुत से गांवों के नाम गिनाये। पाचोला, बिरलोका, मालपुरा और कई गांवों के नाम लिये जिनमें ट्यूबवेल्स के निर्माण कार्य हुए हैं। उनकी ड्रिलिंग में अनियमिततायें हुई हैं, इस प्रकार की बात कही। टाकला और आकला के सम्बन्ध में भी बात कही। जो कुछ भी उन्होंने अभी एलीगेशन्स लगाए हैं इस सम्बन्ध में मैं जांच के आदेश दे रहा हूं।

यहां पर मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र के हैंड पम्प की बात कही थी। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मारवाड़ जंक्शन में बहुत से हैंड पम्प्स जो खोदे हैं उनको एक पर्टीक्यूलर डेप्थ तक ही खोदना चाहिये था। लेकिन उन लोगों ने उस डेप्थ से ज्यादा खोदा है। ज्यादा खोदने से नीचे का कड़वा पानी आ गया है। जो चीफ इंजीनियर्स की कमेटी गई थी, इस सम्बन्ध में तो मैं एक्शन ले ही रहा हूं, साथ ही साथ मैं यह बात कह देना चाहता हूं कि एक तरफ लोग कह रहे थे कि गवर्नमेंट रिग्स ठीक काम कर रही हैं। इस सदन के एक माननीय सदस्य कह रहे थे, शायद, मेरी समझ में, भीलवाडा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि वहां पर गवर्नमेंट रिग्स ने जो काम किया है उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं है। लेकिन मारवाड़ जंक्शन के अन्दर मामला बिलकुल उल्टा हो गया है। उसमें 80 पर्सेन्ट रिग्स गवर्नमेन्ट की हैं। उनके हैण्ड पम्प खराब हैं। इस सम्बन्ध में क्या है और क्या नहीं है, कुछ इसमें जांच हो गई है और कुछ और जांच की आवश्यकता होगी। गवर्नमेन्ट की रिग्स से कौन-कौन से हैण्ड पम्प किस गांव में खुदे थे उस सम्बन्ध में मैं डिटेल में जांच करने के आदेश दे रहा हूं।

यहां पर जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जुडिशियल इनक्वायरी की मांग की थी। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की छवि बहुत धूमिल हो गई है। जमवारामगढ से आये माननीय सदस्य ने भी कहा, जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य भी कह रहे थे, बिलाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यही बात कही, मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य भी यही बात कह रहे थे, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यहां इसी बात को दोहराया है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जब कान्ट्रेक्ट एग्रीमेन्ट टर्मिनेट कर दिया गया, कम्प्रोमाइज टाप कर दी है, उसका पुलिस को केस दे दिया गया है, फ्रेश टेण्डर इन्वाइट कर लिये गये हैं। मैंने सदन में आश्वासन दे दिया है कि गवर्नमेंन्ट रिग्स की मेक्जीमम केपेसिटी का यूटिलाइजेशन करने के बाद लोवस्ट टेण्डर वालों को जहां आवश्यकता होगी उन जिलों में काम देंगे उसके बाद में इतने बड़े इस मामले को अब वापस किस जुडिशियल आदमी को भेजा जाय। कोई एक इन्सीडेन्ट नहीं है, तीस हजार हैण्ड पम्प के लिये किसी जज को बिठा देंगे तो वहां कोई टेक्निकल आदमी नहीं है, इसमें टेक्निकल कमेटी जहां-जहां भी कमी पायेगी स्पेसिफिकेशन के अनुसार या दूसरी तरह की या किसी पार्टी को फायदा देने के लिये उन्होंने डेप्थ को ज्यादा बता दिया है, बेसिंग पाइप को कम बताया है, डेप्थ वाटर टेबल से ज्यादा खोद दी है या नहीं खुदनी चाहिये थी, उस सम्बन्ध में निश्चित तौर से हम

(220)

(श्री परसराम मदेरणा)

खुद इनविलवशन की कार्यवाही कर सकते हैं बनिस्बत कि कोई जूडिशियल आफिसर करे। जूडिशियल आफिसर के सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना तो नहीं चाहिये लेकिन जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य को यह पता होना चहिये कि फिर स्टे आर्डर सवाई माधोपुर से एक मुन्सिफ मजिस्ट्रेट साहब ने दे दिया। 11 तारीख को। उसी दिन मालूम होने के बाद में इमीजिएटली यहां से सब पेपर्स वगैरह लेकर आफिसर को भेजा। गंगापुर के डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन जज के यहां अपील की। नतीजा यह हुआ कि दो दिन पहले डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन जज ने उसी स्टे को फिर रोक दिया कि टेन्डर खोले ही नहीं जायं। आज जुडिशियरी के सम्बन्ध में जो आप बात कहते हैं, तो न्यायाधीश तो एक प्रकार के नहीं होते। इसलिए यह जब एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया, उधर नये टेन्डर इन्वाइट हो गये, नई रेट्स आ गई, टेक्निकल और फाइनेन्स कमेटी उस को देख रही है। उस सम्बन्ध में अब जो कुछ भी बात होगी उस वक्त देख लेंगे। जो कुछ भी तीस हजार-पैंतीस हजार हैण्ड पम्प की बात थी, अब हाई कोर से ज्यादा गांव रह गये हैं जहां रीजनल पाइप लाइन और पम्प एण्ड टैंक का काम है करीबन 15-17 हजार के आस पास हैण्ड पम्प खोदने हैं उसके लिये दो साल का टाइम पड़ा हुआ है। जब 10–11 हजार के आस-पास हैण्ड पम्प हमारी रिगसड्रिल कर सकती है तो इस सम्बन्ध में और किसी भी प्रकार की कार्यवाही की मैं आवश्यकता नहीं समझता।

यहां पर दूसरे माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं, मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो जयसमन्द की योजना और दूसरी योजना में देवास और वाकल के बारे में जो सोचा जाता है इस सम्बन्ध में सुझाव दिये। उदयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य ने भी उसी प्रकार के सुझाव दिये थे कि इस योजना के लाने से फायदा नहीं होगा। वह क्षेत्र जो सिंचित एरिया है वह खराब हो जायेगा। इस पाइन्ट को मैं दुबारा एग्जामिन करवा रहा हूं। वाकल योजना का सर्वे चल रहा है, उस सम्बन्ध में वही निर्णय लेंगे जो जनहित में होगा। जल्दी से जल्दी उदयपुर के लोगों को जो भी हमने मापदन्ड तय किया है उसके अनुसार पानी मिलना चाहिये।

यहां पर पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने रोहट पंचायत समिति के सम्बन्ध में एक मुद्दा उठाया है यह बात सही है कि इस राजस्थान में ब्रेकिश पानी के जो एरियाज हैं, पूरा का पूरा एरिया रोहट पंचायत समिति का, लूणी पंचायत समिति का एरिया, पचपदरा का एरिया और यह जोधपुर तहसील के पास वाला जो क्षेत्र है और सोजत वाला एरिया, ये चार तहसीलें जो कन्टिन्यूअस आई हुई हैं, इनमें कड़वा पानी है। कड़वा पानी होने की वजह से उस क्षेत्र के अन्दर पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। जो भी स्कीम आपके यहां पर आई है, मुझे मालूम है नहीं क्योंकि मैं आज पता नहीं लगा पाया हूं। रोहट के उस क्षेत्र में आज से नहीं कई सालों से समस्या है। अकाल के अन्दर भी सबसे ज्यादा मार उस क्षेत्र के अन्दर पड़ती है और आज अन्डर ग्राउन्ड पानी भी वहां पर नहीं है इसलिए वहां के लोगों की समस्या बहुत गम्भीर और विकट

(श्री परसराम मदेरणा)
समस्या है, निश्चित तौर से उसको हल करने के लिए सरकार प्रयत्न करेगी।

यहां पर कुछ बातें अन्य माननीय सदस्यों ने कहीं। बिलाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने बूस्टर की बात कही है। यह बात सही है कि उनके निजी क्षेत्र में भी बासनी की और अन्य स्कीम्स ऐसी हैं जहां पर अभी तक पानी नहीं पहुंच रहा है। हमने बीच के कुछ गांवों को भोपालगढ़ से जोड़कर उस जगह पानी पहुंचाया है। एक और योजना भी बनाई है ताकि पीपाड़ और खेरथल के इस एरिया को पानी मिले, चाहे उसके लिये बूस्टर लगाने की आवश्यकता पड़े। इसके साथ ही साथ हमने एक दूसरी रीजनल पाइप लाइन को उस ओर स्वीकृति दे दी है। उस क्षेत्र में 10 साल पहले रीजनल पाइप लाइन डाल दी गई थी लेकिन छोर के 6 गांवों में पानी कभी नहीं पहुंचा है। शायद एकाध दिन कोई पहुंच गया हो तो पहुंच गया होगा। उस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है और स्कीम को रिआर्गेनाइज कर लिया गया है। उस सम्बन्ध में स्वीकृति भी दे दी गई है।

यहां पर हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने कई बातें उठाई थीं। पीने के पानी की जो समस्या जयपुर के अन्दर रहती है, प्रेशर की भी बात थी। माननीय सदस्या, जो जयपुर ग्रामीण से आने वाली हैं, भी उस ओर मेरा ध्यान आकर्षित कर रही थीं। वही बात उन्होंने कही, प्रेशर बराबर बना रहे। असेम्बली जब चलती है उन दिनों में ही प्रेशर, दबाव पूरा रहता है, इसका मैं कुछ कारण समझा नहीं कि वह क्यों प्रेशर वापस ले लेते हैं। लेकिन मैं देखूंगा। असेम्बली के दिनों में ही नहीं, जयपुर के अन्दर बराबर पानी का दबाव बना रहे इस संबंध में कार्यवाही की जायगी। उन्होंने डोमेस्टिक और कार्मशियल रेट के बारे में बात कही। यह रेट आज की नहीं है। जनता पार्टी के वक्त में भी यही रेट थी। 1979 की रेट है। 1979 में शायद अप्रेल में यह रेट निर्धारित हुई थी। उस समय जनता पार्टी की सरकार थी। आपने कुछ सोच समझकर रेट लगाई होगी। उन्होंने नाई और दर्जी के बारे में कुछ बातें कही हैं। वे कार्मशियल काम करते हैं या नहीं करते हैं, मैं आफ हैण्ड इस समय तो कुछ नहीं कह सकता। श्मशान के पानी के सम्बन्ध में उन्होंने एक बात कही थी। इस सम्बन्ध में मैं आज तो कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि यह निर्णय जो लेना पड़ेगा वह यूनिफार्म डिसीजन लेना पड़ेगा। आज जयपुर के श्मशानों के लिए हम कोई निर्णय ले लें और अन्य शहरों के श्मशानों के लिए निर्णय नहीं लें, यह नहीं हो सकता। तो इस संबंध में किस प्रकार से वर्क आउट किया जायगा? कई जगह तो कनेक्शन हैं और कई जगह कनेक्शन नहीं हैं। वह खासतौर से यह चाहती थीं कि जिन्दों को तो आप पानी नहीं दे सके लेकिन मरे हुओं को तो पानी दे दीजिए। इस सम्बन्ध में मैं इतना ही विवेदन करूंगा कि अगर लोकल सेल्फ बाडीज आज चाहती हैं तो निश्चित तौर पर पानी दिया जा सकता है लेकिन कोई न कोई निर्णय पूरे राज्य भर के लिये इस सम्बन्ध में मैं निश्चित तौर से लूंगा।

यहां पर जमवारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ गांवों के नाम बताये। रामगढ़ के बंधे से जब हम सब लोग पानी

(श्री परसराम मदेरणा)
पीते हैं तो उस रामगढ़ का जो कैचमेन्ट एरिया है उस कैचमेन्ट एरिया का जो हमारे पर अहसान है उस अहसान को हमें निभाना चाहिए, एहसान फरामोश; नहीं होना चाहिए। यह बात सही है। उनकी जो योजना है कैचमेन्ट एरिया की, मैं देखूंगा कि जल्दी से जल्दी उसकी स्वीकृति हो।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ योजनाओं का यहां पर जिक्र किया। खास तौर से जो पी. एच. ई. डी. की कुछ योजनायें हैं, जिसमें कुओं का पानी गहरा चला गया है इसलिए ब्लास्टिंग कराना आवश्यक है। अगर कुओं का पानी गहरा चला गया है तो निश्चित तौर पर उनको और ब्लास्टिंग से खुदवा कर गर्मियों से पहले पहले उस सम्बन्ध में व्यवस्था आपके वहां पर कर दी जायेगी।

एक ए. ईएन. की बात कही कि उसका ज्युरिस्डिक्शन दो में डिवाइड होने की वजह से बाली का कुछ क्षेत्र उसके पास से चला गया है दूसरा क्षेत्र उस में है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि पहले आइडा और नान-आइडा की वजह से डिपार्टमेंट के अन्दर एक विभाजन था उसको तो मैंने रिआर्गेनाइज पूरे राज्य में कर दिया है। इस सम्बन्ध में आपके वहां की जो खास तौर से समस्या खड़ी हुई है उसका भी कोई न कोई समाधान निकाल लेंगे।

यहां पर सूरजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने तीन चार योजनाओं की बात कही। खासतौर से उन्होंने यह बात कही कि एक जालेडा, या क्या नाम बताया, मैं अन्दर सुन रहा था, वहा हैजा फैल जाता है, दूसरी बात उन्होंने सिगाना की कही, जिसका उल्लेख जब 16 फरवरी को मैं उनके साथ गया था झुंझुनूं में उस वक्त भी वह कर रहे थे। तीसरी जो है, ढाकामांडी कलवा योजना की बात कही। कलवा माननीय सदस्य का खुद का गांव है, उस सम्बन्ध में वह कह रहे हैं कि टंकी बन गई है, मुझे कुछ घोषणा करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि घोषणा नहीं करने से ज्यादा बिजली के कनेक्शन का ही मामला है, जो अभी बीच में अड़चन है। बिजली दिलाने में मैं निश्चित तौर पर कोशिश करूंगा। मेरा यह प्रयास रहेगा कि 31 तारीख के पहले पहले वह योजना चालू हो जानी चाहिए और उसमें पानी पहुंच जाना चाहिये।

यहां पर····

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : होली नहीं खिलाओगे आप इन्हें, होली के बाद में··

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, होली से पहले ही हो जायेगी शायद। होली खेल-खिलाने के बाद में जो मैंने आखिरी तारीख दी है वह 31 मार्च दी है। इसलिये होली यह खेले हुए होंगे, उसमें रंग से भरे हुए कपड़े-वपड़े धोने के लिए इनको मैं स्वच्छ पानी उपलब्ध करा दूंगा उस दिन।

यहां पर कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने कहा। क्योंकि वह इस समय सदन में नहीं है उस सम्बन्ध में मैं कुछ कहना नहीं चाहता।

रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जसवन्तपुरा और रामसिंहपुरा में पानी के आगमेन्टेशन की बात कही। हमारे सामने माननीय सदस्य, सबसे बड़ी समस्या यह है कि जहां एक जगह पानी पहुंच गया है बढ़ती हुई आबादी के साथ में उस क्षेत्र की तो यह

(श्री परसराम मदेरणा)

मांग रहती है कि हमारे यहां रिआर्गेनाइजेशन और आगमेन्टेशन की स्कीम करके एक-एक मोहल्ले और एक एक गांव के अन्दर पानी भेज दिया जाय और वहां पर ओवर हैड टंक भी लगा दिया जाय। दूसरी बात, हम इस कोशिश में लगे हुये हैं, मैं मेरे स्वयं के गांव की बात आपसे कह रहा हूं कि वहां पर मेरे सामने भी यह समस्या आई है। आज का नहीं है, करीबन 1900 के फैमिन में ट्यूब वैल लगा हुआ है। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि एक-एक गांव 8-8 मील में है। अगर वहां पाइप लाइन दी तो 12 लाख की पाइप लाइन अलग-अलग ढाणी में होगी। एक हजार घरों का गांव है और सभी ढाणियों में रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम पम्प एण्ड टंक स्कीम हो जाय तो आज के ह्यूमन एण्ड एनीमल एनर्जी जो वेस्ट होती है रेगिस्तानी इलाके के अन्दर, कम से कम उनको पानी निकालने के लिए 10 महीने कुएं पर रहना पड़ता है, वह सुविधा तो कम से कम उनको मिल जाय। इसलिए मैं इतना तो इनको आश्वासन नहीं दे सकता लेकिन इस सम्बन्ध में क्या कुछ किया जा सकता है इसकी दुबारा जांच करा ली जायेगी।

सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने हेमागुढ़ा और भाग के 12 गांवों के सम्बन्ध में जो बात कही उसमें स्रोत, जैसा मुझे बताया गया, जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं, शायद इसमें घुलनशील लवण ज्यादा हैं इसलिए दूसरे स्रोत के बारे में वह बात कर रहे थे। अगर स्रोत का पानी ठीक है, तो इस योजना को हम जल्दी ही हाथ में ले लेंगे।

यहां पर यह कहा गया, जहाजपुर नगर की लाइन बहुत पुरानी है। पुरानी लाइन होने की वजह से उसका वापस रिआर्गेनाइजेशन और आगमेंटेशन का काम हाथ में लिया जाना चाहिए। मैं इस सम्बन्ध में जानकारी करूंगा। यह सब कुछ धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

टी. एस. एस. की आपने बात कही, टी. एस. एस. नहीं चल रही है। तो हमको यह खुशी नहीं है कि हम टी. एस. एस. चलायें लेकिन जहां टी. एस. एस. चालू कर दी है आपने, और करने के बाद में आप नहीं चलाना चाहते हैं तो वह ठीक नहीं होगा। नहीं चल रही है तो हम आल्टरनेटिव स्कीम ले लेंगे। इस प्रकार का नीति सम्बन्धी निर्णय भी हमने बोर्ड की और पालिसी प्लानिंग कमेटी में ले लिया है।

यहां पर बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने 1.6 किलोमीटर की दूरी वाली बात कही। केवल दूरी वाली बात नहीं कही है, उन्होंने कहा है कि 5 किलोमीटर की दूरी पर तो कम से कम दे दीजिए हमको इस मानदण्ड से। यह तो जो मानदण्ड है आखिर 1990 का है, जो आप 5 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। जहां तक मैं समझता हूं, मैंने पी. एच. डी. मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस में जो आज आप बात कर रहे हैं वही बात कही थी कि हमारे राजस्थान के अन्दर इस बात को छोड़िये 1.6 को। 1.6 की बात नहीं है 5 किलोमीटर में भी अगर हम इनको पानी दे दें तो यह सबसे पहले गर्व वाली बात होगी, लोग अपने आपको बहुत ही लाभान्वित महसूस करेंगे। इसलिए मैं आपकी राय से इत्तफाक करता हूं। आपके यहां कुछ योजनायें स्वीकृत हुई हैं और आपका जो एरिया है वह हार्ड कोर का एरिया है, उसमें

(श्री परसराम मदेरणा)

बहुत हाई कास्ट की रीजनल पाइप लाइन्स हैं। इस सम्बन्ध में अभी कार्यवाही कर रहे हैं। काफी योजनायें आपके यहां पर सैंक्शन हुई हैं।

यहां पर भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने मेजा स्कीम के सम्बन्ध में कहा, जो मोडिफिकेशन किया गया है वह ठीक नहीं हुआ है। मैं आफहैण्ड तो कुछ नहीं कह सकता लेकिन अगर मोडिफिकेशन ठीक नहीं है और उस सम्बन्ध में और कार्यवाही करने की आवश्यकता होगी तो उसमें आगे बैठकर टेक्नोक्रेट्स से राय लेकर पुनर्विचार कर लेंगे।

यहां पर एक बुड़ला की टंकी के सम्बन्ध में आपने बात कही कि इसको पाइप लाइन से नहीं जोड़ा गया है। अभी मुझे तथ्य मालूम नहीं हैं। अगर वहां पर टंकी बन गई है, तो आप यह कह रहे थे कि टी. एस. एस. स्कीम के अन्दर कुछ जगह टंकियां बन गई हैं लेकिन टी. एस. एस. स्कीम के अन्दर टंकी को जोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है . . .

श्री बंशीलाल पटवा : ऐसा था, हुकुम, बुड़ला की स्कीम तो अच्छे रिजल्ट्स दे रही है, वर्क कर रही है। बाकी जगह नहीं लगी है पाइप लाइन।

श्री परसराम मदेरणा : बाकी सब जगह जहां तक टंकी के जोड़ने की बात है, उस सम्बन्ध में तो मैं समझता हूं कि कोई एतराज नहीं होना चाहिए। टंकी निश्चित तौर पर जहां बनी है अगर वह मेन कुए से नहीं जोड़ेंगे तो टंकी में पानी नहीं होगा। तो टंकी बनी काहे के लिए है? मैं इस प्रकार के आदेश दे रहा हूं डिपार्टमेंट को कि जहां टंकी बनी है उसको पाइप लाइन से कनेक्ट कर दिया जाय।

यहां पर जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने आसुका और पाल्लीजग्गा के सम्बन्ध में बात कही कि पहली दफा मवेशी के लिए पाइप लाइन योजनायें भारत सरकार ने प्लान के अन्दर स्वीकृत की हैं। ए.पी. के अन्दर और दूसरी में, उनकी प्रगति क्या हुई है कितने लाख रुपये खर्च हो गये हैं और सोर्स का झगड़ा चल रहा है बी. एस. एफ. और ओ.एन.जी. सी. के बीच में, उसका क्या हुआ? मैं अभी डिस्प्यूट के बारे में तो नहीं कह सकता कि क्या हुआ है। इस सम्बन्ध में जानकारी करके माननीय सदस्य को मैं सूचित कर दूंगा।

यहां पर जालोर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कुछ बातें कहीं उन्होंने कुछ गांवों का नाम बताया था, वहां पर कड़वा पानी है। थलवा, लोदरा और धनाऊ। यह बात निश्चित है। इन गांवों में मैं 1968 में गया था। वास्तव में ये कड़वे पानी के गांव हैं। मैं मेरे विभाग को इस बात के आदेश दे रहा हूं कि जालोर तहसील के अन्दर यह जो 3 गांव हैं इनकी योजना प्राथमिकता के आधार पर तैयार करके जल्दी से जल्दी इसकी स्वीकृति दी जानी चाहिये।

यहां पर उदयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य ने उनके निर्वाचन क्षेत्र में जो एरिया ऊंचा आया हुआ है उस ऊंचे एरिये में पानी नहीं पहुंच रहा है, इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा सकती है। मुझे पूरी जानकारी नहीं है लेकिन उस ओर हमारा

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रयास रहेगा कि जिस क्षेत्र में ऊंचाई की वजह से पानी नहीं पहुंच रहा है उस क्षेत्र में पाईप की रि-आर्गेनाइजेशन की बात या बूस्टर की आवश्यकता हो तो लेकर के उस क्षेत्र में भी पानी पहुंचायें तो इस सम्बन्ध में भी मैं आदेश दूंगा।

यहां पर जयपुर ग्रामीण से आने वाली माननीय सदस्या ने बात कही। एक तो लक्ष्मण डूंगरी से जो पानी आ रहा है उसमें कीड़े आते हैं। पानी तो फिल्टर होकर सप्लाई होता है इसलिये कीड़े तो उसमें पड़ने नहीं चाहिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा: इसकी काई मुद्दत से साफ नहीं की गई है। मैं स्वयं देख कर आई हूं माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिये कह रही हूं।

श्री परसराम मदेरणा: काई भी साफ करायेंगे। डिस्इनफैक्शन का मामला है वह भी करेंगे। उससे पानी का भी पूरा दबाव रहेगा। आप कह रही हैं, नहीं आ रहा।

श्रीमती उजला अरोड़ा: एक मामला जो जयपुर के लिए खास है वह यह है, गटर लाइन और पाईप लाइन हैं उसमें जंग लग कर कई जगह छेद हो गए हैं। जिस समय पानी नहीं आता उस समय लेट्रीन का पानी उसमें एक हो जाता है। जिस समय दबाव से पानी आता है उस समय नलों में पहले लेट्रीन का पानी आता है। कई बार तो वास्तव में लेट्रीन आती है। लोग मुझे कई बार बोतल देते हैं। मुझे लाना अच्छा नहीं लगता कहो तो इन्हें मैं अब पेश कर दूं।

श्री परसराम मदेरणा: माननीय सदस्या जो बात कह रही हैं....

श्रीमती उजला अरोड़ा: गटर लाइन से पाइप लाइन दूर रख लीजिये।

श्री परसराम मदेरणा: आपकी बात मैं समझ गया हूं, माननीय सदस्या।

आपने यह बात कही थी, मैं उस बात पर ही आ रहा था। पूरे दबाव की बात कर रहा था बीच में आप गटर लाइन की बात में आ गयी। वैसे गटर लाइन में पाइप लाइन, आप कह रही हैं, लीकेज हो रहा है लीकेज होने से गटर का पानी है, पानी के समय वह मैल मिल जाता है, उससे गड़बड़ी हो जाती है। जहां कहीं यह लाइन आई हुई है वहां इसकी रिपेयर की आवश्यकता है, मैं कल ही आदेश दे रहा हूं। माननीय सदस्या जयपुर के अन्दर है। मैं जो आदेश दे रहा हूं उसकी अनुपालना नहीं होती तो मुझे फोन के जरिये यह सूचित कर सकती हैं। जयपुर के अन्दर गटर का, दूसरा गन्दा पानी मिक्स नहीं हो, इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायगी।

यहां पर सवाईमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक पम्प की बात कही थी, पम्प लगे हैं वो ठीक नहीं लगे हैं। इण्डिया मैक टू के सबसे अच्छे पम्प लगे हैं दूसरे पम्प लगे नहीं है। आपको जो यह किसी ने सूचना दी है कि पम्प ठीक नहीं लगे है, यह तो मैं समझता हूं बात ठीक नहीं है फिर भी आप मुझे हैण्ड पम्प जिन गांवों में लगे हैं वह मुझे बता दीजिये ताकि मैं किसी आफिसर को भेजकर दुवारा इसकी जांच कर लूं। उसमें हमने एक पावन्दी लगा दी थी कि इण्डिया मैक टू के अलावा कोई भी हैण्ड पम्प लगा है तो वह तो स्टेण्डर्ड पम्प है।

यहां पर राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने हनुमानजी, पाबूजी और हड़बूजी

(श्री परसराम मदेरणा)

की कुछ बात कही। उसमें तो मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन उन्होंने राजगढ़ शहर और चान्द कोठी के सम्बन्ध में यह बात कही कि राजगढ़ शहर के सभी क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच रहा है और पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है। दूसरी बात उन्होंने चान्द कोठी के सम्बन्ध में कही। चान्दकोठी में भी कर्मचारी और दूसरे वो लोग हैं जब बिजली आती है तब सोते रहते हैं और जब बिजली गुल हो जाती है तो वह जग जाते हैं। तो मैं अब इस प्रकार की व्यवस्था करूंगा कि वहां पर विधिवत सुव्यवस्थित व्यवस्था हो, बिजली आवे तो बिजली के साथ जगने वाला जग जावे और जो आदमी वहां पर रहे बिजली आने के वक्त जो सोता है और बिजली जाने के बाद वह उठता है, ऐसा आदमी आपके यहां पर नहीं रहे। माननीय सदस्य को हमेशा तकलीफ बनी हुई वहां पर उस समस्या का समाधान हो सके। कटौती प्रस्ताव के उत्तर के साथ में अब मैं मेरे साथी से निवेदन करूंगा कि अकाल सहायता के संबंध में माननीय सदस्यों ने जो विचार रखे हैं उनके उत्तर दें।

श्री हंसराज शर्मा : एक प्रश्न, मन्त्री महोदय, आपने विभाग के माध्यम से जो फैक्ट्री का पैसा · · ·

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, देखिए। कृपया, सदन पर कार्यवाही थोपिये मत। आपके जो सवाल थे सब टच कर दिये, कोई बाकी नहीं रहा। अकाल राहत मंत्रीजी।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : सभापति महोदय, इनको सवाल पूछने का अख्तियार है। आप पूछने नहीं दे रहे हैं यह क्या बात हुई ?

श्री सभापति : अब समय काफी हो गया है, रात के नौ बज रहे हैं।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : साढ़े नौ बज गए यह तो कोई मतलब नहीं हुआ। क्या मतलब कि साढ़े नौ बजे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

एक माननीय सदस्य : जिनको नहीं पूछना था वह चले गये। जिनको पूछना था वो बैठे हैं। अगर वो पूछना चाहते हैं तो माननीय मन्त्री महोदय को जवाब देने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री हंसराज शर्मा : सभापति महोदय, फैक्ट्री वाले पानी नहीं दे रहे हैं। आपके विभाग वालों को प्रवेश नहीं होने देते। आप इसकी कुछ व्यवस्था करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : 6 लाख गैलन पानी दिलाने की बात आप उनसे कर लीजिये। इस सम्बन्ध में क्या कुछ हो सकता है, मैं आफ हैण्ड तो आपको आश्वासन नहीं दे सकता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। अकाल राहत मन्त्रीजी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, एक और। पानी के बिल जमा करने

[redacted]

227

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
की जो बहुत बड़ी समस्या है उसके लिए कुछ करेंगे ?

श्री सभापति : जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी उस समस्या का निराकरण तो हो गया। जो मैले वाली समस्या थी देखिए वह बहुत महत्वपूर्ण समस्या थी, बिल तो एजेन्सी जमा करा देगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, बैंक में जमा किये जाते थे। पुनः उस व्यवस्था को करेंगे ? जयपुर में बिलों के लिये लाइनें लग जाती हैं। बड़ी परेशानी है।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, आपकी समस्या के साथ मेरी समस्या यह है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राजस्थान की करीब-करीब 90 पर्सेन्ट म्युनिसिपैलिटीज को, नगरीय क्षेत्रों को पानी पीने का दे दिया गया था। राजस्थान के 24 हजार गांवों में से 100 गांवों को पानी दिया। इसलिए इन 24 हजार गांवों में से जो साढ़े दस हजार गांव बचे हैं वह सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने है।

श्री सभापति : अकाल राहत मंत्रीजी।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (अकाल राहत मंत्री) : सभापति महोदय, मांग संख्या 34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में इस सदन के 28 माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये। इन विचारों में इस समस्या से जो राजस्थान की जनता पीड़ित है इसके सम्बन्ध में अपनी भावनाओं का परिचय दिया। उसके साथ-साथ कुछ सुझाव भी दिये। जैसा कि आप जानते हैं और सदन भी जानता है, राजस्थान के अधिकांश भागों में निरन्तर गत चार वर्षों से बल्कि कुछ भागों में इससे भी अधिक समय से अकाल की परिस्थिति उत्पन्न होती रही है। इस वर्ष संवत् 2039 में 30 अक्टूबर तक जिन्स गिरदावरी की रिपोर्ट राज्य सरकार को गो कि अनधिकृत रूप से वहीं मिली, जिलाधीशों का सम्मेलन हुआ था उसमें कुछ आंकड़े पेश किये गये थे। उस आधार पर सात नवम्बर को एक ज्ञापन, इस अकाल की स्थिति पर केन्द्रीय सरकार को दिया गया। केन्द्रीय अध्ययन दल 28 नवम्बर से 2 दिसम्बर तक राजस्थान में आया। केन्द्रीय अध्ययन दल की सिफारिशों पर राज्य सरकार को 29 करोड़ 86 लाख 70 हजार रुपये की राशि का आवंटन हुआ। उसकी सूचना 17 जनवरी, 1983 को हमें प्राप्त हुई। जैसा आप जानते हैं, राजस्थान में निरन्तर अकाल की स्थिति होने के कारण मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान और आदिवासी क्षेत्रों का भाग हमारे राजस्थान का है उसमें लोगों की स्थिति ऐसे होती जा रही थी जिसके कारण राज्य सरकार को बिना किसी केन्द्रीय सरकार के संकेत के कार्य प्रारम्भ करने थे। 16 दिसम्बर से हमने राजस्थान के 13 जिलों में कुछ काम प्रारम्भ किये। यह बात सही है कि 13 जिलों में 16 दिसम्बर को काम प्रारम्भ नहीं हो सके। उसके बाद कुछ में जनवरी में, कहीं-कहीं अभी मार्च में अभी एकाध दो जिलों के अन्दर कार्यों की स्वीकृति राज्य सरकार ने प्रदान की है। यहां पर जो विस्तृत चर्चा उठाई गई है इसमें कुछ बिन्दु उठाये गये हैं। सबसे पहले जो बिन्दु है वह यह है कि राज्य सरकार अकाल की स्थिति में ऐसे

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

कुछ कामों को हाथ में ले जो कि स्थायी महत्व के हों और जिनके कारण राज्य की जनता की आर्थिक स्थिति बेहतर बन सके। इस तरह के कामों को हाथ में लेना चाहिये। सभापति महोदय, बात युक्तिसंगत भी है। इसमें कोई मतभेद जैसी स्थिति हो, मैं मानकर नहीं चलता। पर आप जैसा जानते हैं कि राज्य सरकार के सामने भी कुछ ऐसे नियम हैं जो नियम न केवल हमारे लिए बनाये हुए हैं बल्कि उनका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से भी है। जहां तक केन्द्रीय फेमिन कोड बना हुआ है उसमें एक व्यक्ति के लिए अधिकतम राशि पांच रुपये और सामग्री व्यय के लिए करीब 25 प्रतिशत-1 रु. 70 पैसे, ऐसा कुछ है। इस तरीके से कुल करीब 6 रुपये या सवा 6 रुपये के आसपास प्रति व्यक्ति सहायता देने का केन्द्रीय सरकार का एक आधार है। जैसा कहा गया कि हम कुछ ऐसे कामों का चयन करें जो स्थाई हों। तो निश्चित रूप से इसमें सामग्री का अनुपात बढ़ाना होगा। जो सामग्री का अनुपात बढ़ाने की बात आयगी तो वह सारा व्यय निश्चित रूप से राज्य सरकार को उठाना होगा।

गत वर्ष एक प्रक्रिया थी कि राज्य में चलने वाले राहत कार्यों पर प्रति कार्य के हिसाब से साठ प्रतिशत श्रम और चालीस प्रतिशत सामग्री का अनुपात रखा गया था। मंत्रिमण्डल ने इस सारे प्रश्न पर सोचा, विचार किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को स्वीकार किया गया कि सारे जिले को एक आधार माना जाए। सारे जिले को आधार मान कर साठ और चालीस प्रतिशत का जो भाग है उस पर विचार किया जाय। इसी के आधार पर सभी कामों को स्वीकृतियां दी जायं। इसका एक परिणाम निश्चित रूप से सामने आया है कि जहां पर कुछ पक्के काम नहीं हो सकते थे वहां पर कुछ स्थाई काम होने की सम्भावना इस निर्णय के कारण बनी। जब यह सारे निर्णय हो गए तो इसके बाद जैसे यहां जिक्र किया गया उनको स्वीकृति दी गई। सिंचाई के कार्यों पर लोगों को रोजगार जिस मात्रा में उपलब्ध होना चाहिये उतना उपलब्ध हो नहीं पा रहा है। जहां एक ओर स्थाई कार्य हों वहां पर अधिकतम लोगों को रोजगार मिले, यह दोनों प्रश्न एक दूसरे के पूरक हैं। इसी दृष्टि से इसके बाद सड़कों के, भूसंरक्षण के, जंगल के इन सभी कामों की स्वीकृतियां देनी शुरू कीं। इन स्वीकृतियों के देने के साथ इस बात का ध्यान रखा गया कि जो काम हाथ में लिए जा रहे हैं, उनको पूरा करने की दृष्टि में जो कठिनाइयां आती हैं उन कठिनाइयों का समाधान भी यथा-सम्भव शीघ्रतापूर्वक किया जा सके। सभापति महोदय, इसीलिए यदि सड़कें बनानी हैं, रोलर्स लेने हैं कहीं चट्टान तोड़नी है, कम्प्रेशर चाहिए, या और किसी तरह के साधनों की आवश्यकता है तो राज्य सरकार ने जिला स्तर पर एक समिति का निर्माण किया। उसे अधिकार दिया कि यदि आप सिंचाई के काम कर रहे हैं, चाहे आप सड़कों के काम कर रहे हैं, चाहे और कोई काम कर रहे हैं उसमें तकनीकी दृष्टि से या उस काम को पूरा करने की दृष्टि से यदि आपको कोई चीज किराये पर लेनी है तो वह समिति किराये पर ले ले। उसके लिए राज्य सरकार के पास आने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह जो प्रक्रिया हमने स्वीकार की, उसके पीछे कारण यही था

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

कि आप एक सड़क बनाना चाहते हैं, यदि रोलर नहीं है, तो जो मिट्टी का काम होगा उसका पूरा उपयोग नहीं हो सकता। जैसा यहां जिक्र किया गया है कि काफी मेटिरियल सड़कों के आस-पास टूटा हुआ पड़ा था और प्रान्त के अलग अलग भागों में टूटा हुआ पड़ा था। इस सारे मेटिरियल का उपयोग बिना इन साधनों के सम्भव नहीं था, तो मेरा निवेदन यह है कि इस दृष्टि से एक जिले के आधार पर साठ प्रतिशत श्रम और चालीस प्रतिशत सामग्री के आधार पर जो काम पुराने अधूरे थे और जिनको पूरा किया जा सकता है, उन सबको लेने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। यह बात सही है कि जो काम स्वीकृत किए गये, मुझे भी लगता है कि कुछ स्थानों पर जिले की जो अकाल राहत समिति बनी हुई है उसके द्वारा अनुमोदित होकर शायद नहीं आये हैं। मैं समझता हूं यह कोई उचित प्रक्रिया नहीं है। अब भविष्य में, मैं इस बात का आश्वासन सदन को देना चाहूंगा कि जो भी जिले से अकाल राहत के प्रस्ताव आयें, वह वहां की जो अकाल राहत समिति बनी हुई है जिसमें विधान सभा के सभी माननीय सदस्य हैं, लोक सभा के सदस्य हैं, प्रमुख हैं, यह तो हैं ही, दूसरे जो पांच प्रतिनिधि नियुक्त करने थे मान लीजिए वह नहीं किये गए तो जो समिति के सदस्य हैं वे सब बैठ कर जिले के प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर भेजें, जिससे कि उन पर यहां पर विचार किया जा सके।

एक जो सबसे बड़ी बात यहां पर कही गई थी उस पर भी अभी मैंने सोचा है। मैं समझता हूं, वह उचित लगता है कि कुछ पंचायतों के काम अधिक स्वीकार हो गए और कुछ पंचायतों में काम स्वीकार नहीं हो सके। इस दृष्टि से उस क्षेत्र के लोगों को जो रोजगार का अवसर मिलना चाहिए वह नहीं मिला। मैं समझता हूं, हम विभाग की ओर से जिलाधीश को और जिला राहत समिति को इस बात का निर्देश देंगे कि अब भविष्य में जो काम प्रस्तावित हों, उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाये जिन क्षेत्रों में अभी काम नहीं चल रहे हैं या जहां पर काम स्वीकार नहीं किए गए हैं। उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की दृष्टि से मैं जिलाधीश और जिला राहत समिति को निर्देश देने की बात बताना चाहता हूं।

जैसा एक बराबर कहा गया कि कभी-कभी राजनीति आधार हो जाता है। सभापति महोदय, जिस अच्छी भावना से यहां विचारों को व्यक्त किया गया, जिस सद्भावना का परिचय दिया गया तो इतना मैं स्पष्टतः कहना चाहता हूं कि राजनीतिक दुर्भावना या राजनीतिक सद्भावना या राजनीति पक्षपात इस अकाल राहत के कार्यों में हम लाना नहीं चाहते, लाते नहीं और न लाये हैं। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं पहले जनरल बातों पर आ रहा हूं। उसके बाद में जो व्यक्तिशः लोगों ने कहा है उसके सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। कुछ जिलों के उदाहरण यहां दिए गए। मैं उन माननीय सदस्यों से यह करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले सालों के जितने आंकड़े हैं, वे आंकड़े उठा कर देख लें। उन आंकड़ों से यदि यह लगे कि जो पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं उनमें और उदयपुर डिवीजन के जो आदिवासी प्रधान जिले हैं, उनमें हमेशा बहुसंख्यक श्रमिक लगा है या नहीं लगा है।

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

इन आंकड़ों को कभी भी किसी भी साल का वह उठा कर देख लें। उसमें यदि यह लगे कि यह रहा है तो फिर मैं नहीं समझता कि मुख्य मन्त्री भीलवाड़ा के हैं या अकाल राहत मन्त्री उदयपुर के हैं इसलिए भीलवाड़ा या उदयपुर के साथ पक्षपात किया गया। मैं समझता हूं, इस तरह कीबात मुझे उचित नहीं लगती, युक्तिसंगत नहीं लगती मैं बहुत अधिक आंकड़ें तो नहीं देना चाहता, केवल कुछ थोड़े से गत वर्ष के और इस वर्ष के तुलनात्मक आंकड़े आपको जरूर देना चाहूंगा। गये साल उदयपुर डिवीजन के अन्दर मार्च, 1982 के अन्दर 88 हजार 543 श्रमिक थे और इस साल फरवरी के अन्दर 1 लाख 12 हजार 542 श्रमिक हैं। 88 हजार से 1 लाख 12 हजार। जोधपुर डिवीजन के अन्दर मार्च के अन्दर 89 हजार 703 थे उदयपुर में थे 88,500 और जोधपुर डिवीजन में थे 89,708 और इस वर्ष जहां उदयपुर में 1 लाख 22 हजार हैं वहां जोधपुर में 1 लाख 23 हजार हैं। आप कल्पना कीजिये बिलकुल एक हजार का फर्क शायद पहले भी है और अभी भी एक हजार का फर्क है। 26 मार्च, 1982 और मार्च, 1983 के आंकड़े मैंने आपके सामने रखें हैं। इसी तरीके से आप दूसरे जिलों के आंकड़ें यदि चाहें तो उठा कर देख लें। जिस प्रतिशत का आपने उल्लेख यहां किया है, यही प्रतिशत पिछले सालों में रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह ठीक है कि हमारे अकाल घोषित करने के कुछ आधार हैं। पचास प्रतिशत से अधिक खराब है उसके आधार पर हम अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हैं। किन्तु इसके साथ-साथ हमें देखना होगा कई और बातों को। वहां के लोगों की जो परिस्थितियां हैं, आर्थिक दृष्टि से और जीवन निर्वाह की दृष्टि से जो साधन उनके पास उपलब्ध हैं, उनको देखना होगा। और निरन्तर गम्भीरतम जो परिस्थिति बनती जा रही है, उन सारी बातों को देखना होगा उन सारी बातों को देखने के बाद में हमें श्रमिक संख्या का आधार तय करना पड़ता है। इसी दृष्टि से जो आंकड़े जिले वाइज तय किये गये हैं, पिछले वर्षों की तुलना के अन्दर वही आधार हमने रखा है और उसी आधार पर हमने स्वीकार किये हैं। अभी जैसा जिक्र किया गया, उदयपुर जिले का जिक्र किया गया। माननीय विधायक, जो जैसलमेर से आये हैं, जानते हैं कि वहां पर 14 विधान सभा क्षेत्र हैं, करीब 24-25 लाख की जनसंख्या है और उसमें से करीब 14 लाख आदिवासी उदयपुर जिले में रहते हैं। ठीक है, मैं मान कर चलता हूं कि दूसरा जो वहां क्षेत्र है वहां अधिकतर आदिवासी नहीं रहते। इसके विपरीत बाड़मेर में इससे जनसंख्या कम है। आपकी विधान सभा की संख्या की दृष्टि से केवल 6 हैं, वहां पर जो निरन्तर अकाल की स्थिति बनती गई, लोगों की जो परिस्थितियां बन गईं जिसको मैं आंखों से देख कर आया हूं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान में अधिकतम श्रमिक संख्या करीब 47 हजार बाड़मेर जिले के अन्दर लगी हुई है। यह सब इस बात को साबित करते हैं कि राज्य सरकार का जो दृष्टिकोण है वह केवल एक बात पर निर्भर नहीं है कि पापूलेशन कितनी है। इसके साथ-साथ यह भी देखना पड़ेगा कि अफेक्टेड जो पापूलेशन है, उसमें रेजिस्टिंग पावर कितनी है। जहां बहुत कम हैं, वहां पर हमें और विचार करना होगा। जहां पर थोड़ी रेजिस्टिंग पावर है तो शायद उस पर और तरीके से

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

विचार हो सकता है। फिर भी जो अब तक श्रमिक लगाये गये हैं, इसके सम्बन्ध में अधिकांश सदस्यों ने कहा है कि काफी कम हैं। मैं इस संबंध में भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो आंकड़े मैंने आपको दिये हैं इतना ही कह सकता हूं कि 1981-82 और 83–84 की बात तो नहीं कहता, 81 में कुछ श्रमिक ज्यादा तो थे बाकी 80, 82 और 83-इन तीनों सालों की यदि तुलना करते हैं तो आज मार्च में जो राजस्थान में श्रमिक लगे हुए हैं वह अब तक के मार्च के महीने में जितने श्रमिक लगे थे उन सबसे अधिक आज की तारीख में लगे हुए हैं। यह बात दूसरी है कि अब तक अक्टूबर से काम शुरू हो गये थे। मैं कोई तथ्यों को छुपाना नहीं चाहता हूं, कहीं नवम्बर से शुरू हो गये थे, कहीं दिसम्बर में शुरू हो गये थे। यों इस पूरे 31 मार्च के वित्तीय वर्ष में पुराने सालों से अधिक पैसा खर्चा हुआ होगा, इससे मैं मना नहीं करता पर आज जो स्थिति में आपके सामने रखना चाहता हूं, सभापति महोदय, वह यह है कि आज 1983 के मार्च में श्रमिकों की जो 2 लाख 79 हजार के फिगर्स हमने दिये हैं यह 15 मार्च तक के हैं और इसके बाद निरन्तर श्रमिक कामों पर लगते जा रहे हैं। तो यह संख्या 3 लाख के आसपास हमारी पहुंची है। मैं समझता हूं कि मार्च के महीने के हिसाब से काफी युक्तिसंगत लगती है। पर जैसा मैं जानता था, जैसा मैं अनुभव करता हूं मेरे मन में भी इस सारे प्रश्न पर चिन्ता है, इसीलिये मैंने राज्य के मुख्य मंत्री जी से कल दिल्ली में सम्पर्क किया था और मैंने उनसे निवेदन किया था कि श्रमिकों की सख्या हमें 1 अप्रेल से बढ़ानी होगी। मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि 1 अप्रेल से राजस्थान में 1 लाख श्रमिकों को और रोजगार देने का निर्णय राज्य सरकार ने किया है। तो यह सब चीजें इस बात के लिए हैं कि जिन जिलों के अन्दर कहीं थोड़ी बहुत असंगतियां रह गयी हैं, विसंगतियां रह गयी हैं उन असंगतियों और उन विसंगतियों को हम दूर करने की कोशिश करें। जिन क्षेत्रों में काम शुरू नहीं हुए हैं उन क्षेत्रों में हम काम उपलब्ध करा सकें। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही यह निर्णय लिया है।

एक प्रश्न यहां और कहा गया कि जो काम स्वीकार किये गये हैं वह काफी अधिक संख्या के किये गये हैं जब कि इतने लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। सभापति महोदय, यह भी एक प्रक्रिया का अंग है। क्योंकि अब तक यह प्रक्रिया रही है कि जो अकाल राहत के काम हैं उनकी स्वीकृति जयपुर से होगी। यह एक निर्णय आज की तारीख तक है। तो उदयपुर में बैठे हुए, डूंगरपुर में बैठे हुए और बांसवाड़ा में बैठे हुए जिलाधीश को कभी यह दिक्कत आ सकती है। एक काम समाप्त हो जायेगा तो श्रमिक संख्या वहां कम हो जायेगी। तो हमने यह फैसला लिया कि जिस जिले के लिए जो श्रमिक संख्या निर्धारित है उससे दुगुनी संख्या के राहत कार्य स्वीकार कर दिये जायें जिससे कि जिलाधीश को वहां पर यह सुविधा हो सके कि यदि कोई काम समाप्त हो जाता है या जैसे-जैसे हम श्रमिक संख्या बढ़ाते हैं तो उसे हमारे पास स्वीकृति के लिए आने की आवश्यकता नहीं है। वह अपने जिले के अन्दर राहत कार्यों को प्रारम्भ करता रहे, वहां के श्रमिकों को समय पर रोजगार

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

उपलब्ध हो सके या एक काम समाप्त होने पर श्रमिक बेकार नहीं हों, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है। तो मैं समझता हूं कि यह निर्णय भी इस सुविधा की दृष्टि से है।

जैसा यहां सुझाव आया कि जिला स्तर पर जिलाधीश को अधिकार दिये जायें, मैं समझता हूं, इस संबंध में तो जब तक अकाल के लिये उप-समिति बनी हुई है वहां बैठकर कोई निर्णय नहीं हो जाये तब तक मैं शायद कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। परन्तु यह बात सही है कि आज जो जिलाधीश उदयपुर में बैठा है, जो राहत समिति वहां पर अकाल कार्यों की विवेचना करती है उसके पास यदि कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जिससे कहीं कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाये कि वहां काम नहीं होने से वहां के नागरिकों को परेशानी है तो मैं समझता हूं, तत्काल राहत कार्य स्वीकार करने की दृष्टि से कुछ सोचा जाना चाहिए। तो मैं इतना निवेदन करता हूं कि इस संबंध में जो मंत्रिमंडल की अकाल के लिए उप-समिति बनी हुई है उसमें इस प्रश्न को मैं रखूंगा और जो निर्णय हो सकेगा वह निर्णय लागू करने की बात की जायेगी।

जहां तक रोजगार उपलब्ध कराने का सवाल था मैंने आपसे निवेदन किया। एक बहुत बड़ा प्रश्न यहां पर न्यूनतम वेतन के संबंध में उठाया गया। इस संबंध में, सभापति महोदय, मैं अधिक नहीं कह सकता क्योंकि जो कुछ निर्णय हुआ है उसको रिव्यू करने के लिए राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में आवेदन कर रखा है इसलिए मैं इस प्रश्न पर अधिक बोलूं, मैं समझता हूं, युक्तिसंगत भी नहीं है, न्यायसंगत भी नहीं है। उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है, हमने उसको रिव्यू करने के लिए दिया है। वह जो आदेश देगा उसके हिसाब से राज्य सरकार को पालना करनी होगी। मैं समझता हूं, इसमें दो तरह की राय नहीं हो सकती। मैं माननीय सदस्यों से भी निवेदन करूंगा, यह प्रश्न जो सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, मैं समझता हूं, उठानी भी नहीं है। इतना मेरा आप लोगों से आग्रह है।

सभापति महोदय, अब तक मोटे रूप से मैंने कुछ प्रश्नों का जवाब दिया है परन्तु जैसा यहां पर लूणी से माननीय विश्नोई जी हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करना चाहिए कि जिसकी वजह से राज्य के अन्दर जब अकाल हो उस समय हम तत्काल जो अकाल राहत कार्य शुरू करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करते हैं और उसमें जल्दी-जल्दी में कई तरह के फैसले ऐसे हो जाते हैं कि जिसकी वजह से जो लाभ होना चाहिए वह लाभ नहीं होता तो मैं समझता हूं, यह एक बहुत अच्छा सुझाव है कि हम ऐसा एडवान्स प्रोजेक्ट तैयार करके रखें और उसके अनुकूल आगे जाकर हम काम करें।

इसके साथ ही साथ उन्होंने पशुधन को दृष्टि से भी यहां पर चर्चा की थी। जहां तक पशुधन का सवाल है मैं आपसे इतना निवेदन कर दूं कि राज्य सरकार ने इस समय जहां तक केटल फीड का सवाल है 1 लाख 80 हजार पशुओं को प्रतिदिन जो करीब एक पशु के लिए 1.50 रुपये राशि निर्धारित है उसके हिसाब से सैन्टर अलग अलग जिलों के अन्दर स्वीकार किये।

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)
जहां तक बाड़मेर का सवाल था, जिक्र यहां आया था, पहले 70 केन्द्र राज्य सरकार ने स्वीकार किये थे। मेरा ख्याल है, उसके बाद उसमें और वृद्धि कर दी गयी है। कितनी वृद्धि की गयी है यह मुझे सही याद नहीं है पर उसमें बढ़ोतरी हुई है। इतना मैं आपसे निवेदन कर दूं।

इसी तरीके से जैसलमेर, जालौर यह सब पश्चिमी रेगिस्तान के क्षेत्र हैं जहां पशु-धन का अपना महत्व है। वहां पर जो 1 लाख 80 हजार पशुओं की संख्या है उसका एक वितरण कर दिया गया है। डेयरी फेडरेशन को ही सारा काम दिया गया है। जैसा जिक्र यहां किया, राज्य के अन्दर कुछ ऐसे केन्द्र हैं जो केटल फीड का उत्पादन करते हैं। मैं समझता हूं कि उनका करीब 9-10 हजार टन के आस-पास का उत्पादन है। मैं समझता हूं कि वह हमारे लिए पर्याप्त है। तो हम अन्य किसी व्यापारी से इसको नहीं लेकर जो इस तरह के कारखाने लगे हुए हैं, राजकीय आधार पर उसी विभाग से यह केटल फीड लिया जा रहा है। इतना मानकर चलिए कि अधिकतम कितनी संख्या और हो, इस पर विचार किया जा सकेगा। विचार करेंगे। विचार करके जो रास्ता निकल सकता है वह निकालने की कोशिश करेंगे।

चारे का भी जिक्र यहां पर किया गया। बाड़मेर जिले में पंचायत समिति को देने के लिए हर पंचायत समिति को 50 हजार रुपए देने के लिए और इसके अलावा पाली, जालौर और जो दूसरे जिले हैं उनके लिए भी राशि का आवंटन कर दिया गया है। यदि यह कहीं से सूचना है कि उन्हें राशि प्राप्त नहीं हुई तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसके संबंध में बतायें। जहां तक पश्चिमी जिलों का सवाल है उनके लिए जितनी राशि का आवंटन करना था वह आवंटन किया गया है। यह सही है कि पंचायत समितियों को कहीं-कहीं परेशानी है। उनके पास स्टाफ नहीं है, लाने में दिक्कत हो सकती है। इसके लिये मेरा निवेदन एक और है कि यदि कहीं मार्केटिंग सोसाइटीज, सहकारी समिति इस काम को अपने हाथ में लेना चाहें, दो एजेन्सीज नहीं होंगी यह बात मैं आपको साफ निवेदन कर दूं। चाहे पंचायत समिति करना चाहे पंचायत समिति करे या और कोई एजेन्सी करना चाहे उसके लिये भी जो कुछ साधन उपलब्ध कराये जा सकते हैं वह साधन उपलब्ध करा दिये जायेंगे। इसलिये यदि कहीं पंचायत समिति के माध्यम से दिक्कत आती है तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह उस क्षेत्र के लिये कौनसा साधन काम में लाना चाहते हैं वह बता दें जिससे कि सुविधा हो सके। जहां तक पशुधन का सवाल है, चारे की व्यवस्था है, कैटल फील्ड की व्यवस्था है और खास तौर से पश्चिमी राजस्थान की समस्या है उसके लिए जितनी अधिकतम राशि का आवंटन किया जा सकता है उतनी राशि का आवंटन किया गया है।

जहां तक माननीय भैरूंसिंह जी गुर्जर ने प्रत्येक पंचायत स्तर पर काम शुरू करने की बात कही, मैं उनसे इतना निवेदन कर दूं कि पाली में शायद 335 पंचायतें हैं और पाली जिले के लिए 400 राहत कार्यों की स्वीकृति हो चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि एक पंचायत में एक कार्य तो आ जाता है। फिर भी यदि कहीं उनको ऐसा लगे कि

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

किसी पंचायत में ज्यादा काम स्वीकार हो गये तो उनको प्रारम्भ नहीं करें और जहां नहीं हुए हैं वहां प्रारम्भ कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरा ख्याल है, कोई बुरी बात तो नहीं है। पंचायतों में काम नहीं हुए तो अब जिला राहत कमेटी से प्रस्ताव और नये कामों के भेजें तो मैं माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि चाहे वह किसी भी पक्ष के हों उस क्षेत्र के लिए जिस क्षेत्र में काम उपलब्ध नहीं हैं, कार्यों के प्रस्ताव करें तो मैं समझता हूं इस सारी समस्या का समाधान अपने आप हो जायेगा।

इसके बाद हमारे नाथद्वारा से आये हुए माननीय सदस्य श्री सी. पी. जोशी ने यहां पर पक्के काम वाली बात कही। इसके संबंध में मैं पूर्व में निवेदन कर चुका हूं कि प्रत्येक क्षेत्र के अन्दर जितने पक्के काम लिए जा सकते हैं उतने लिये जाते रहे हैं और स्वीकार किये गये हैं। एक निर्णय, जो बहुत अच्छा निर्णय मैं कह सकता हूं और लिया है। उसको मैं इसी के साथ में बता देना चाहूंगा। एक प्रश्न था कि राज्य सरकार ने गांवों के विकास की दृष्टि से कुछ विद्यालय भवन, कुछ औषधालय भवन, कुछ ऐसे सार्वजनिक संस्थान, पंचायत भवन एन. आर. ई. पी. के माध्यम से बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की। एन. आर. ई. पी. से जो राशि प्राप्त होती है वह इतनी नहीं होती कि सब काम पूरे किये जा सकें। तो मैं जहां-जहां गया हूं वहां मैंने जिलाधीशों से निवेदन किया है, जैसे मैं आपको उदयपुर का उदाहरण दूं फिर। हमारे जैसलमेर के माननीय विधायक कहेंगे कि आपको उदयपुर फिर याद आ गया। पर क्योंकि मेरी वहां चर्चा हुई है, इसका मैं उल्लेख यहां करना चाहूंगा। मैंने उनसे पूछा कि आपके जिले के अन्दर एन. आर. ई. पी. में बनने वाले काम कुल कितने अधूरे हैं और उसके लिए आपको कुल कितनी रकम चाहिए। उन्होंने कहा, साहब, करीब 75 लाख, 80 लाख रुपये हमें चाहिए। एन. आर. ई. पी. के अन्तर्गत उदयपुर जिले को करीब 36 लाख रुपया राज्य सरकार से मिलने वाला है। तो मैंने जिलाधीश महोदय से कहा कि बाकी बचे हुए जितने काम हैं आप 36 लाख में किन कामों को पूरा करेंगे, आप एन. आर. ई. पी. में ले लीजिए और बाकी बचे हुए जितने हैं ये सब काम आप इन अकाल राहत कार्यों में प्रस्तावित कर दीजिए। परन्तु शर्त वही रहेगी जो एन. आर. ई. पी. की थी-श्रम 60 और सामग्री 40। यही आधार रहेगा। बाकी राशि उस पंचायत, जिस पंचायत क्षेत्र में काम हो रहे हैं को जन सहयोग से प्राप्त करनी होगी यह नियम तो उस पर लागू रहेगा बाकी यह भी एक निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। मैं समझता हूं, यह बहुत अच्छा निर्णय है। तो अन्य जो विधायक महोदय दूसरे जिलों के हैं मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि जब जिला राहत कमेटी की बैठक हो तो उनके क्षेत्र के अन्दर जितने अधूरे काम हैं उन सबको यदि इसमें पूरा करवाने की दिशा में कुछ प्रयत्न कर सकते हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा काम होगा। एक अधूरा काम थोड़े पैसे के अभाव में पड़ा हुआ है यदि उसको समय पर पूरा नहीं किया गया तो जहां राज्य की हानि होगी वहां एक भवन जनोपयोगी काम के लिए तैयार होने वाला है उसमें भी दिक्कत आने वाली है। तो यह भी एक पक्के काम करने का रास्ता राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

है। मैं समझता हूं इसका उपयोग भी हमारे माननीय विधायक करेंगे।

इसके बाद हमारे उदयपुर से आने वाले माननीय विधायक कटारिया जी ने वही स्थाई हल और एक प्लान, बनाने वाली, प्रोजेक्ट बनाने वाली बात कही। मैं समझता हूं इस सुझाव को मैंने जब विश्नोई जी के साथ आया था स्वीकार किया है।

सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने की बात आपने कही और उस पर आपने जोर दिया। मैंने स्वयं स्वीकार किया है कि सिंचाई के साधनों को हम प्राथमिकता देना चाहते हैं। इसके साथ-साथ हमें श्रमिकों की संख्या को भी ध्यान में रखकर चलना पड़ता है। इसलिए मैं केवल आपकी सूचना के लिए निवेदन कर दूं कि अभी तक हमने जो राज्य सरकार की ओर से विभागों को राशि दी है वह इस बात को इंगित करेगी कि हमारी नियति क्या है। जहां तक सिंचाई विभाग का सवाल है, करीब 5 करोड़ रुपया क्रेडिट लिमिट का सिंचाई विभाग को दिया है। इसके विपरीत शायद करीब 4 या 4।।, मुझे करेक्ट याद नहीं है, हमने सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिया है। इसके साथ ही साथ करीब 75 लाख के आसपास माही की नहरों के लिए अलग से सिंचाई के लिए दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि यह सिंचाई को अधिक राशि मिलना, सार्वजनिक विभाग निर्माण विभाग को कम राशि देना इस बात को इंगित करता है कि राज्य सरकार सिंचाई के कामों को प्राथमिकता देना चाहती है और दे रही है। तो इसलिए माननीय कटारिया-जी ने जो विचार व्यक्त किये, मैं समझता हूं, उसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं।

न्यूनतम वेतन की आपने एक कही। उसके लिए मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि इस प्रश्न पर मैं चर्चा करने की स्थिति में नहीं हूं।

एक जो सबसे बड़ी बात कही गई कि जो श्रमिक लगाये जाते हैं उनका शोषण होता है, उनको पूरा भुगतान नहीं होता। कहीं फर्जी हाजरियां हो जाती हैं इसलिए यदि ग्राम पंचायत भवन में सूची लगा दी जाय, जिससे लोग जान सकें कि कौन से लोग काम कर रहे हैं, कौन से लोग काम नहीं कर रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि रोज सूची टांगना संभव नहीं है। यदि किसी काम पर 500 आदमी काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कभी 40 गैर हाजिर रहेंगे कभी 50 गैर हाजिर रहेंगे, कभी 60 गैर हाजिर रहेंगे कभी 10 रहेंगे, तो यह तो सम्भव नहीं है। पर इसके लिए हमने जो प्रक्रिया निश्चित की है उस प्रक्रिया की ओर मैं समझता हूं, कटारिया साहब, को सोचना चाहिये। हमने मजदूरों के चुनाव की प्रक्रिया के अन्दर सरपंच को भागीदार बनाया है। सरपंच, पटवारी और जो काम करने वाला एजेन्सी है यह तीनों मिलकर के एक सूची तैयार करेंगे और उस सूची में प्राथमिकता होगी। प्राथमिकता के लिए भी कुछ नियम बना दिये गये हैं कि पहले जो चयनित परिवार हैं उनमें से लिया जायेगा। इस तरह से उनके आधार दे दिये गये हैं। तो उस प्रक्रिया की दृष्टि से, मैं समझता हूं यह जो बात है कि गलत हाजरी हो रही है, हो सकता है, मैं इससे मना नहीं करता। इतने बड़े स्तर पर जहां करीब 5 हजार काम अब तक हम मन्जूर कर चुके हैं उन सारे कामों को व्यक्तिशः

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

देखना किसी के लिए सम्भव तो नहीं, फिर भी मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में क्या सावधानी बरती जा सकेगी इस पर विचार करके कोई और रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे।

इसके बाद हमारे बाड़मेर के विधायक माननीय श्री हेमाराम जी ने काफी बातें कहीं। उन्होंने सबसे पहले अकाल की गम्भीरता को ध्यान में रख कर श्रमिकों की संख्या निर्धारित करने के लिये कहा। मैं केवल बाड़मेर के जो माननीय विधायक हैं उनकी जानकारी के लिये जरूर कहना चाहूंगा कि फरवरी, 82 में बाड़मेर में 30160, मार्च में 25043 श्रमिकों की संख्या थी। उसके अगेंस्ट इस साल फरवरी में 30 हजार के अगेंस्ट 37,100 और मार्च में 25 हजार के अगेंस्ट 45 हजार से ऊपर श्रमिकों की संख्या बाड़मेर जिले में है। तो यह कहना कि इस वर्ष श्रमिकों की संख्या कम लगाई गई हैं, मैं समझता हूं, यह युक्ति-संगत नहीं है। फिर भी जैसा मैंने आपसे कहा कि बाड़मेर जिले की स्थिति मैंने देखी है, बाड़मेर जिले में मैं गया हूं, वहां के सभी विधायकों के साथ, वहां के सांसद के साथ बैठकर, वहां के अधिकारियों के साथ बैठकर सारे प्रश्न पर चर्चा की है इतना प्राप्त निश्चित रूप से है कि बाड़मेर की दृष्टि से जितना अधिकतम किया जा सके उतना किया जाय और उतना किया जायगा मेरा इतना ही आपसे निवेदन है।

इसके बाद माननीय हेमारामजी ने शेरगढ़ चुनाव क्षेत्र के एक गांव में हुई घटना की ओर ध्यान आकर्षित किया। माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यह जो कुछ यहां कहा गया था, जो कुछ अखबारों के माध्यम से प्रचारित हुआ, उसके संबंध में जिलाधीश महोदय से और माननीय चिकित्सा मंत्री उस क्षेत्र के विधायक हैं उन्होंने अपना चिकित्सा दल भेजकर सारे प्रश्न की जांच करवाई है। मैंने कल एक-एक घर से, जो वहां ए. डी. एम. हैं उनको भेजा है कि उनके घरों में अनाज था या नहीं इस बात को देखा जाये और उसके बाद सारी बात मुझे बताई जाये। आज सुबह तक मैंने सारी सूचना उपलब्ध की। इसलिये यह कहना कि भूख की वजह से कोई मौत हो गई है, यह जो सारा प्रचार-प्रसार है तथ्यों से विपरीत है, मैं आपसे कहना चाहता हूं। यह बात सही है, बुखार आया। यह बात सही है, उनको निमोनिया हुआ। यह बात भी सही है कि उनके पास में कहीं डिस्पेन्सरी उपलब्ध नहीं थी उसकी वजह से चिकित्सा के लिये जो उनको जाना चाहिये था वे नहीं जा सके। उसके बाद सारी व्यवस्था वहां हो चुकी है। इतना ही मुझे आपसे निवेदन करना है। इसलिये जो शेरगढ़ की घटना अतिरंजित रूप में कुछ पत्रों ने प्रकाशित की है और यहां जो कुछ कहा गया है वह तथ्यों के विपरीत है, इतना मेरा आपसे निवेदन है।

इसके साथ-साथ पशु-आहार के केन्द्रों और पशुओं के चारे की बात भी मैंने आपसे कही। एक भुगतान का सवाल यहां पर किया गया माननीय हेमारामजी के द्वारा। यह बात मैं स्वीकार करके चलता हूं कि पिछले साल के कुछ भुगतान बाकी रह गये थे। जालोर जिले के करीब 20 लाख रुपये भुगतान थे, कुछ चित्तौड़ के थे, बाड़मेर के कुछ भुगतान थे, काफी थे। यह काफी बाकी

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

रह गये थे। उसके अलग-अलग कारण थे उन कारणों में मैं नहीं जाना चाहता। इतना ही मैं आपसे कह सकता हूं कि जितना पुराना भुगतान है, जो-जो हमारी जानकारी में आता जा रहा है उसे हम निपटाते चल रहे हैं। बाड़मेर का करीब 35।। लाख रुपया अभी भुगतान के लिये भेजा गया है। जालौर का 20 लाख रुपया बाकी था वह अभी भेजा गया है। कुछ और जिलों का बाकी था वह भेजा गया। कुछ प्रश्न बाड़मेर में ऐसे हैं जिनका संबंध भ्रष्टाचार विभाग से है। राज्य सरकार ने सारे तथ्य भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को दिये हैं। तो जब तक वह निर्णय नहीं हो जाता तब तक ठेकेदारों का भुगतान नहीं हो पायेगा, यह तो एक अलग से प्रश्न हो सकता है। बाकी मैं आपको इतना विश्वास दिला दूं कि जहां हमें मालूम लगेगा कि हमारी गलती की वजह से भुगतान नहीं हुआ तो वह भुगतान तुरन्त करने की दृष्टि से जो कुछ किया जा सकता है वह किया है, और वह करने की कोशिश होगी, हमारा इतना निवेदन है।

इसके बाद हमारे पाली के माननीय विधायक माणकजी ने अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की प्रक्रिया के संबंध में कुछ बातें कहीं। जहां तक प्रक्रिया का संबंध है, मैंने विशेष तौर से अध्ययन नहीं किया है। यह स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं तो इतना जानता हूं कि राजस्व विभाग जिन्स गिरदावरी करता है और जिन्स गिरदावरी की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजता है। उसके अन्दर 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर राज्य सरकार उसकी घोषणा करती है···

इतनी जानकारी तो मुझको है पर और कुछ प्रक्रिया में है, तो जैसा उन्होंने ध्यान आकर्षित किया, इसको देखेंगे, देखकर उसमें क्या सुधार किया जा सकता है सुझाव दिये जा सकते हैं, इस सारे प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। मैंने जैसा आपसे कहा, इससे अधिक जानकारी नहीं प्रक्रिया के सम्बन्ध में। मैंने इस सम्बन्ध में अपनी इच्छा से न एक गांव मिलाया, न एक गांव काटा है। मुझे मालूम है, गये साल गोगुन्दा से जो विधायक आये हैं माननीय मेघराज जी तावड़, इनकी गोगुन्दा तहसील का कुछ सवाल रह गया था, अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की दृष्टि से, मावली की भी कुछ समस्यायें थीं। तो जो नियम बने हुए हैं उन नियमों में यदि कोई क्षेत्र आता है तो अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। यदि वह नियमों में नहीं आता है तो किसी के चाहने पर उसे लाया नहीं जा सकता और नहीं चाहने पर उसे रोका नहीं जा सकता। कुछ बातें बाद में मालूम हुई, जैसे बीकानेर की बात मालूम हुई। उसमें कुछ और किया जा सकता था, वह आज से चार-पांच दिन पहले कुछ किया गया। जैसलमेर की चर्चा अभी यहां उठाई गई। उस सारे प्रश्न को भी दिखवा रहे हैं कि कमाण्ड क्षेत्र, उपनिवेशन वाली बात उन्होंने कही थी अगर वहां पानी नहीं पहुंचता और केवल उपनिवेशन क्षेत्र में आ गया है उसकी वजह से अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित...

(व्यवधान)

हां, तो मैं मना नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा, बीकानेर में किया है हमने। जो बीकानेर में प्रक्रिया अपनाई है।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : उसकी जानकारी करवा रहे हैं कि उपनिवेशन क्षेत्र में भी पानी पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। मंत्री महोदय बहुत सक्षम हैं, बता सकते हैं

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : आप मुझे बोलने दें। जैसे बीकानेर के लिये प्रक्रिया अपनाई गई है, उसका किया गया है वही प्रक्रिया जैसलमेर के लिये भी अपनायेंगे। उस प्रक्रिया में यदि सारी बात होती है तो हमारा कोई पूर्वाग्रह नहीं है कि यह नहीं करना है, मैं आपसे कह दूं। पर जो नियम बने हुए हैं उन नियमों के अन्तर्गत जो कुछ किया जा सकता है-वह करने का प्रयत्न हमेशा रहा है।

इसके बाद भीलवाड़ा के कुछ माननीय विधायकों ने भीलवाड़ा के राहत कार्यों के सम्बन्ध में यहां पर जिक्र किया। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन कर दूं, जो भी कार्य यहां से स्वीकार हुए हैं चाहे वे राहत समिति से आये हैं, चाहे जिलाधीश से आये हैं जहां तक अकाल राहत मंत्री जी की तरफ से कार्य शुरू करने का सवाल है, न मैंने किसी मंत्री के कहने से, न मैंने किसी विधायक के कहने से कोई काम स्वीकार किया है। जिलाधीश से उसके सम्बन्ध में उसका जो एस्टीमेट है, कितने मजदूर उसमें लगेंगे, यह सारी चीजें प्राप्त की हैं और प्राप्त करने के बाद उन कार्यों की स्वीकृति दी है। यदि भीलवाड़ा के कामों की स्वीकृति के अन्दर कुछ क्षेत्र छूट गये हैं तो जैसा मैंने आपसे पूर्व में निवेदन किया था, अब जो प्रस्ताव किया है, 1 अप्रेल से श्रमिक संख्या बढ़ा रहे हैं, उसके अन्तर्गत जिन क्षेत्रों में काम प्रारम्भ नहीं हुआ है, उन क्षेत्रों में काम लेने की बात कर लेंगे। यूं, मैंने भीलवाड़ा जाने का कुछ कार्यक्रम भी बनाया था पर शायद उस दिन पार्टी की बैठक हो चुकी थी इसके कारण मैं भीलवाड़ा नहीं जा सका। बाकी मैं काफी जिलों में गया हूं। भीलवाड़ा, मैं समझता हूं विधान सभा सत्र के बाद में जिला राहत कमेटी की बैठक लेंगे और बैठक लेने के बाद वहां पर जो सारे प्रस्ताव होंगे उन पर सबके साथ बैठकर चर्चा करेंगे और वहां पर इन सारे प्रश्नों का समाधान करेंगे, इतना ही मेरा उनसे निवेदन है।

इसके बाद जैसा माननीय हूडी जी ने जिला राहत कमेटी की बात कही, उसको मैंने खुद स्वीकार की है। मैं समझता हूं कि जो अकाल राहत कार्यों के प्रस्ताव आयें वे निश्चित रूप से जिला राहत कमेटी के द्वारा ही आने चाहिये और भविष्य में इस बात की, पूरी सावधानी बरती जायेगी। साठ-चालीस की बात शायद उन्हें मालूम नहीं थी इसलिये, उन्होंने कहा था कि जिले के आधार पर किया जाना चाहिये। यह निर्णय तो राज्य सरकार पहले ही कर चुकी है, इतना मैं आपसे कहता हूं। खडीन, कार्य का जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं, उसको भी प्राथमिकता दी जा सकती है और दी जा रही है। फिर भी इसमें कुछ सुझाव हों, प्रस्ताव हों तो वे दें। निश्चित रूप से उन पर विचार करके कोई रास्ता निकालेंगे।

इसके बाद उदयपुर से आने वाले माननीय देवेन्द्र कुमार मीणा ने कुछ बातें कहीं, खास तौर से औजारों की बात इन्होंने कही। मैं इतना आपसे निवेदन कर दूं कि जो विभाग हैं, उनके पास पहले से कुछ औजार हैं फिर भी राज्य सरकार ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को पांच लाख रुपया, सिचाई

239

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)
विभाग को पांच लाख रुपया औजारों के लिये इस वर्ष दिया है। उसकी खरीद हुई है या नहीं, इसको मालूम कर लेंगे। वास्तव में यदि ठीक तरह के औजार नहीं हैं तो जब हमने काम के साथ मजदूरी जोड़ी है तो उससे उन मजदूरों का नुकसान होता है औजार अच्छे नहीं होने की हालत में, इसलिये इस दृष्टि से जो भी पैसा उनको दिया गया है, उसकी खरीद हुई या नहीं हुई इस सारे प्रश्न की जांच करवा लेंगे। इतना मैं आपसे कह दूं कि औजारों की व्यवस्था में कहीं कोई दिक्कत नहीं आयेगी।

इसके बाद गोगुन्दा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही; बाकी बातों का जवाब तो बाद में देंगे, एक बात कही कि मंत्री महोदय सुबह जो नाश्ता करते हैं वह बहुत भारी नाश्ता होता है और उसमें काफी पैसा खर्च होता है। तावड़ साहब को मैं आज आमन्त्रित करना चाहूंगा कि सुबह वे आयें और मेरे साथ नाश्ता कर लें, उससे उनको मालूम हो जायेगा कि मैं क्या नाश्ता करता हूं और वे क्या नाश्ता करते हैं।

बाकी मैंने आपसे कहा गोगुन्दा, आदि वासी क्षेत्र है, निश्चित रूप से गये साल अकाल में घोषित नहीं था। तो एक समस्या तो यह आ गई कि गत वर्ष के अधूरे कामों को प्राथमिकता देते हैं। जब वह क्षेत्र गत वर्ष अकाल में था ही नहीं तो वहां पर अधूरे काम कहां से मिलेंगे। यह एक परेशानी है। काम वहां होने चाहिये। तो व्यक्तिशः मैंने उनसे निवेदन भी किया है। जो प्रस्ताव उनके होंगे, मैं समझता हूं उन प्रस्तावों पर भी उसी तरीके से विचार किया जायेगा जिस तरीके से अन्य जिलों के प्रस्तावों पर विचार किया गया है।

एक पीने के पानी की दृष्टि से, टैंकर्स की दृष्टि से यहां काफी सुझाव दिये गये। टैंकर्स, जो राज्य सरकार के पास उपलब्ध हैं उनका पूरा उपयोग किया जायगा। इतना मैं आपसे कह दूं कि टैंकर के अभाव में कहीं पानी नहीं पहुंचेगा, ऐसी बात नहीं होगी। अभी भी टैंकर्स से काफी जगह पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। तो यदि टैंकर्स नहीं होंगे तो टंकियां हमारे पास हैं, जिनको ट्रकों के माध्यम से अथवा ट्रैक्टर ट्रोली के माध्यम से कैसे भी करके हम गांवों में पानी पहुंचाने की जो व्यवस्था है उसको बनाये रखेंगे; इतना मेरा आपसे निवेदन है।

एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं। कि बाढ़ राहत कार्यों के सम्बन्ध में मैं जयपुर ग्रामीण से आने वाली माननीय सदस्या ने एक बात कही कि मार्च, 83 तक उस राशि को खर्च करना था। जहां तक मुझे जानकारी मिली है, यह राशि काफी खर्च हो चुकी है। थोड़ी बहुत राशि बची है उसका उपयोग शायद दो-तीन महीने और आगे हो, उसके लिये भारत सरकार को लिखना होगा, वह हम लिखेंगे। बाकी मैं आपसे कह दूं, काफी बड़े काम हैं, महत्वपूर्ण काम हैं, उन कामों में यदि जल्दी की जायेगी तो जिस तरीके से वे काम होने चाहिये उस तरीके से काम नहीं हो सकते। इसलिये समय तो लग सकता है। मैं समझता हूं, इसमें कोई इन्जीनियर्स या दूसरों की कोई बात नहीं है क्योंकि बड़े-बड़े पुल बन रहे हैं मैं खुद जाकर देखता हूं, आखिर इनमें काफी बड़ा काम होता है तो समय कुछ लम्बा हो गया है पर राशि का जहां तक

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)
सवाल है वह राशि खर्च हो जायगी इसमें किसी तरह की कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इतना विश्वास वे रख कर चलें।

सभापति महोदय, जैसा मुझे लग रहा है कि साथी लोग काफी थक गये हैं...

(व्यवधान)

हां, जहां तक जैसलमेर का सवाल है मैं अन्त में एक जवाब जरूर देना चाहता था कि हमने चार हजार श्रमिकों की संख्या वहां पर निश्चित की है। मैं माननीय विधायक, चन्द्रवीर सिंह जी, एक निवेदन करना चाहूंगा। अगर वहां पर इतनी अधिक सारी स्थितियां हैं तो चार हजार श्रमिकों की संख्या के अगेन्स्ट केवल दो हजार जो श्रमिक आज काम कर रहे हैं...

(व्यवधान)

ये क्यों कह रहे हैं ? कामों की स्वीकृति का जहां तक सवाल है काम उनके पास स्वीकृत हैं। चार हजार श्रमिकों की संख्या उन कामों के लिये जो स्वीकृत किये गये हैं जिलाधीश ने प्रस्तावित की है। इन कामों को अगर आप स्वीकार करेंगे तो चार हजार श्रमिक लगेंगे। उसीके आधार पर हमने कामों की स्वीकृति दी है। यह बात सही है कि और जिलों के अन्दर हमने जितनी संख्या निर्धारित है उससे दुगुने श्रमिकों की संख्या के कार्यों की स्वीकृति दे दी है, जैसलमेर में वह नहीं हुआ है यह बात मुझे स्वीकार करने में कहीं संकोच नहीं है। पर उसके पीछे कोई धारणा यह नहीं है कि जैसलमेर के भाइयों को काम नहीं मिले, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिले, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उसके पीछे एक धारणा है कि राजस्थान नहर का जो काम चल रहा है, वहां पर जैसलमेर के भाई जायें। हमारे यहां पर काम टास्क के साथ जुड़ा हुआ है और वहां न्यूनतम मजदूरी उनको उपलब्ध होगी और राजस्थान नहर के निर्माण के अन्दर वहां के लोगों का सहयोग होगा। जिस योजना को राजस्थान की तरक्की का सबसे बड़ा साधन माना जा रहा है उस काम के अन्दर प्रगति आयेगी। इस सारी दृष्टि से यह फैसला हुआ है। आज जो जैसलमेर के विधायक माननीय चन्द्रवीर सिंह जी ने अपने विचार व्यक्त किये मैं, समझता हूं, इसको देखते हुए इस सारे प्रश्न को पुनः विचार करने के लिए मैं उप समिति में रखूंगा। उसके बाद जो निर्णय होगा उसके अनुकूल आचरण करूंगा।

मैं एक निवेदन केवल जानकारी के लिये कर दूं कि आज बाड़मेर और जैसलमेर के सांसद माननीय विरदीचन्द जी जैन का भी सुबह टेलीफोन था। उन्होंने भी जैसलमेर के सम्बन्ध में बड़ी चिन्ता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि चाहे जो दूसरी जगह सिद्धान्त रखा है, वह सिद्धान्त आप यहां भी रखिये। उसके साथ पशुओं के लिये भी जो दाने की व्यवस्था है, यह सारी व्यवस्था है वह आप करें। तो मैंने उनसे भी यह निवेदन किया था कि दो तीन दिन बाद इस संबंध में मैं फिर से आपसे टेलीफोन से सम्पर्क करूंगा। मैं माननीय विधायक महोदय से कहना चाहूंगा कि जैसलमेर भी राजस्थान का भाग है, जैसलमेर के भाई की भी जिस तरह उदयपुर जिले के आदिवासियों को रोजगार चाहिए, उसी तरह की आवश्यकता है। मुझे सिद्धान्ततः यह स्वीकार करने में संकोच नहीं है मैं स्वीकार करने के साथ यह कहना चाहूंगा

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

कि राजस्थान के नागरिकों की दृष्टि से, मैं समझता हूं, यह मन में धारणा बना लेना उचित नहीं है कि राजस्थान के उस हिस्से से भेदभाव किया जा रहा है। जहां पर कांग्रेस हारी है, उन जिलों के साथ भी यह सिद्धांत बरता गया है, आप आंकड़ों के द्वारा कह सकते हैं पर मैं एक बात आपसे कही थी कि पिछले तीस सालों के अन्दर जितनी बार अकाल राहत के कार्य शुरू हुए और उनमें श्रमिक जिस प्रतिशत से लगाए गए आप बता दें कि अगर इस बार वह भेदभाव किया गया हो, मेरी जिम्मेदारी होगी। यदि पहले भी उदयपुर जिले के अन्दर 4 या 5 प्रतिशत लगते रहे हों, बाडमेर में भी लग रहे हों, पाली में भी पहले लगते रहे हों तो कोटा में पहले भी कम लगे हों, वहां चम्बल है, इतना सोचकर चलना पड़ेगा। आज हमारे वित्त मंत्री जी का क्षेत्र बूंदी है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वहां तो कोई विरोधी दल का सदस्य जीता हुआ नहीं है पर बूंदी के अन्दर हमने श्रमिकों की · · ·

(व्यवधान)

हां, ठीक है, याद आ गया मुझे बाद में करेक्ट कर लिया मैंने।

तो वहां पर भी हमने श्रमिकों की संख्या निर्धारित करने में इरिगेटेड एरिया जो भी है, उसको ध्यान में रखकर तारा किया है। इसलिए मेहरबानी करके यह न सोचें कि यह ऐसा कुछ हम भेदभाव करना चाहते हैं।

मैं तो एक बात आपसे अन्त में कहना चाहता हूं कि यह जो प्रश्न है; अकाल का जो प्रश्न है, मैं स्वयं राजनीति से जोड़कर नहीं चलना चाहता। आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं, मेहरबानी करके इसे राजनीति से नहीं जोड़ें। मैं तो एक बात कहा करता हूं कि जब लोगों पर तकलीफ आती है तो उसमें साहस की आवश्यकता होती है, विश्वास की आवश्यकता होती है तो निश्चित रूप से वह तकलीफ के दिन आसानी से कटते हैं। यदि साहस और आत्मविश्वास कहीं खोने की बात होती है तो वह तकलीफ के दिन और तकलीफ देने वाले हो जाते हैं। इसलिए इस समय आप और हम सब मिलकर राजस्थान की उस जनता, जो वास्तव में तकलीफ में है, में साहस, आत्मविश्वास और दृढ़ता पैदा करें। यही मेरा निवेदन है। इसी निवेदन के साथ जो मैंने मांगें प्रस्तुत की हैं, उसके ऊपर जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं उन्हें स्वीकार करते हुए उन्हें पारित करने के लिये निवेदन करूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने फर्माया कि कोटा की बात और है, बूंदी की बात और है। मैं मानता हूं, और है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान न करें।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : आप चिन्ता क्यों कर रहे हैं ? पूछ लेने दीजिए।

श्री सभापति : एक प्रश्न।

एक सदस्य : इसके बाद भी कुछ कहने को है इसमें ?

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : अच्छा, एक प्रश्न। माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि अकाल राहत कार्य को राजनीति से कतई परे रखकर चलना चाहिए। मैं कतई परे रखकर चल रहा हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आप कोटा, बूंदी की तो बात छोड़ दें लेकिन क्या बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में, जहां तक अकाल के प्रकोप का प्रश्न है क्या इन जिलों में भिन्नता है ? नहीं है तो माननीय मन्त्री महोदय...

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैंने निवेदन किया, राजस्थान नहर पर लोगों को भेजने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया था। यदि आप इस पर पुनर्विचार चाहते हैं तो मैं मन्त्रिमण्डल की उप–समिति से कह दूंगा।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : राजस्थान नहर का, माननीय मन्त्री महोदय, कन्सेप्शन नहीं है। राजस्थान नहर कहां है, पूरा जिला कहां पड़ता है। जहां तक आपने यह जो सवाल किया है तो, माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जैसलमेर...

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, यह डिबेट नहीं है।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : कि जैसलमेर में आपने, माननीय मन्त्री महोदय, 2.21 प्रतिशत

श्री सभापति : एक प्रश्न।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : पश्चिमी राजस्थान के मन्त्री सुनें इस बात को, जैसलमेर में पापुलेशन के अनुपात में 2.81 पर्सेन्ट लोगों को कार्य पर लगाने की इनकी योजना है इसी तरह से बाड़मेर में इनकी 5.28 और...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए। प्रश्न का जवाब आ गया है।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : आपके जिले में 5.29। तो क्या इन तीनों जिलों में अकाल का प्रकोप भिन्न है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं, अभी पश्चिमी राजस्थान की आप बात कर रहे थे। पिछले साल जिन तीन जिलों के कभी काम बन्द नहीं हुए, उसमें एक आपका जिला था, एक पाली का जिला था और एक भीलवाड़ा था। जोधपुर और बाड़मेर का भी आपने कम्पेरीजन किया, उदाहरण दिया तो जोधपुर और बाड़मेर में तो काम बन्द हो गये थे लेकिन जैसलमेर में काम लगातार चलता रहा और 15-16 हजार आदमी लगे। इसलिए आप जैसलमेर को और बाड़मेर को कहां कम्पेयर कर रहे हैं ? वहां जोधपुर और बाड़मेर में तो हम लोग तो जाकर हाड़ी बांटने का काम करेंगे, आपके यहां संसार की सबसे बड़ी नहर आ रही है।

श्री चन्द्र वीर सिंह भाटी : आ रही है, जब कोई नहीं रहेगा तब आयेगी। पापुलेशन के अनुपात में...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। मांगों का पारण। प्रश्न यह है कि...

माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : आप बोलिये, सभापति महोदय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बाढ़ के कामों के बारे में मन्त्री महोदय ने कुछ नहीं कहा और यह कहने लगे...

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, एक प्रश्न है। उसका आपको पहले ही कहा था।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कभी कभी तो आसन से सहयोग करा करिये।

श्री मेघराज तावड़ : उसका एक ही प्रश्न करना था। एक रह गया।

श्री सभापति : आपका पूरा स्पष्टीकरण मन्त्री महोदय ने दे दिया। आपके जो भी काम होंगे...

श्री मेघराज तावड़: नीति सम्बन्धी प्रश्न है मेरा, वह मैं नहीं चाहता हूं।

एक माननीय सदस्यः सभापति महोदय, बहुत जरूरी प्रश्न है, यह सड़क का कुछ करिये।

मांग संख्या 34 व 27 का पारण

श्री सभापतिः स्थान ग्रहण करिये।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 15, 52, 90, 000 रुपये (पन्द्रह करोड़ बावन लाख नब्बे हजार रुपये) तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27–पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 83, 10, 80, 000 रुपये (तिरासी करोड़ दस लाख अस्सी हजार रुपये) तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक सोमवार दिनांक 21 मार्च, 1983 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 10.17 बजे सोमवार दिनांक 21 मार्च, 1983 के मध्यान्ह पूर्व 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)